अष्टम माला, खंड 11, अंक 16

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1985
19 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 55
Date 24/9/8

(खंड 11 में अंक 11 से 20 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 11, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 16, मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1985/19 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 304, 306 से 308, 311, 314, 316 से 318, 323 और 324 ...	1—29
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	30—226
तारांकित प्रश्न संख्या : 305, 309, 310, 312, 313, 315 और 319 से 322	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3204 से 3228, 3230 से 3237, 3239 से 3246 3248 से 3311, 3313 से 3376 और 3378 से 3437	
सदस्य का निलम्बन	226—227
(श्री के० पी० उन्नीकृष्णन)	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	227—229
राज भा से संदेश	2:0
विश योग (संशोधन) विधेयक	230
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	230—243
भोपाल में हुई गैस त्रासदी के पीड़ितों को पुन: बसाने और पर्याप्त मुआवजा देने में हुआ विलम्ब	
श्री के० एन० प्रधान	230, 232—236, 242—243
श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह	230—232, 240—243
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	236—237
श्री प्रताप भानु शर्मा	237—240

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय | पृष्ठ

लोक लेखा समिति

17वां प्रतिवेदन 243

कार्य मंत्रणा समिति 244

16वां प्रतिवेदन

सदस्य के निलम्बन के संबंध में 244—254

सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित ... ... 254—255

(1) गर्म मसाला बोर्ड विधेयक ... ... 254—255

(2) गर्म मसाला उपकर विधेयक 255

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 255—259

(एक) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर की पर्यावरण संबंधी दशाओं को सुधारने के लिये उपचारी उपाय करने की आवश्यकता

श्री गंगा राम ... ... 255—256

(दो) आदिवासी और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लाभार्थ महाराष्ट्र के धुले जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मांग

श्री विजय एन० पाटिल 256

(तीन) गोवा, दमन और दीव संघ राज्य-क्षेत्र को एक पूर्ण राज्य घोषित करने की आवश्यकता

श्री शान्ताराम नायक ... ... 256—257

(चार) महाराष्ट्र में भण्डारा और तुमसर स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता

श्री केशवराव पारधी 257

(पांच) मरु क्षेत्रों, बर्फ से ढके क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को समुचित शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा ठक्कर ... ... 257—258

(छः) केरल की बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वहां पर एक ताप-विद्युत संयंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता

258

विषय पृष्ठ

(सात) बिहार में निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए सीमेंट कारखानों से सीमेंट की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री डी० पी० यादव ... ... 258—259

(आठ) राजस्थान में भरतपुर के निकटस्थ घाना पक्षी-विहार को सुरक्षित रखने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा 259

"शिक्षा की चुनौती—एक नीति परिप्रेक्ष्य" के संबंध में प्रस्ताव ... ... 259—314

श्री पी० वी० नरसिंह राव ... ... 260—264

श्री पी० कुलन्दईवेलु ... ... 264—267

श्रीमती कृष्णा साही ... ... 267—271

श्री डी० पी० यादव ... ... 271—276

श्री जगन्नाथ राव ... ... 276—279

श्री ए०ई०टी० बैरो ... ... 280—285

श्री धर्मपाल सिंह मलिक ... ... 285—288

श्री महेन्द्र सिंह ... ... 288—292

श्री बालासाहेब विखे पाटिल ... ... 292—295

श्री गिरधारी लाल व्यास ... ... 295—299

श्रीमती सुशीला रोहतगी ... ... 299—309

श्री मधुसूदन वैराले ... ... 309—314

लोक सभा

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1985/19 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए रियायत

*304. श्री शान्ति धारीवाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार उन उद्योगों के लिए राज्यों को कुछ रियायतें देती है जो कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में स्थापित किये जाते हैं। यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारें इन उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों का पालन नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कारण उद्यमियों को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के स्थापना करने के लिए उद्यमियों की सहायता करने हेतु अनेक प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान करती है। जिसका ब्यौरा दिनांक 9.4.85 के प्रेस टिप्पण के साथ पठित "इन्सेन्टिव फार इन्डस्ट्रीज इन बेक-

वर्ड एरियाज" नामक पुस्तिका में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। राज्य सरकारों को प्रत्येक "उद्योग रहित जिले" में चुने हुए एक या दो विकास केन्द्रों में अवस्थापना सम्बन्धी विकास करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है और केन्द्र का अंश अवस्थापना सम्बन्धी विकास की कुल लागत की एक-तिहाई सीमा तक अधिकतम 2 करोड़ रुपए प्रति "उद्योग रहित जिला" तक सीमित है।

(ख) जैसा कि केन्द्रीय निवेश राजसहायता और परिवहन राजसहायता योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की गई राजसहायता की निम्नलिखित बढ़ती राशि से पता चलेगा, राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों की प्रोत्साहन-योजनाओं का संतोषजनक रूप से कार्यान्वियन किया जा रहा है।

वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)
1982-83	40.00
1983-84	53.20
1984-85	85.00
1985-86 (30 नवम्बर, 85 तक)	65.10

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री शान्ति धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकारें पिछड़े जिलों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं व सब्सीडीज के बारे में केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों का पालन नहीं कर रही हैं तथा क्या राज्य स्तर पर जो स्क्रूटनी और सब्सीडीज की सैक्शन होती है तथा डिस्बर्समेंट जो इन्स्टालमेंट्स में किया जाता है, उनमें केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों का पालन नहीं हो रहा है ? उसका जवाब नहीं मिल पाया।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेकवर्ड एरिया में इंसेन्टिव स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इम्पलीमेंट की जाती है। सन् 85-86 में केन्द्रीय सरकार ने सेन्ट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सीडी स्कीम के तहत कितनी रकम स्टेट्स को दी तथा राज्य सरकारों ने इस सब्सीडी को जिन उद्योगों को यह दी जानी थी, उसमें से कितनी रकम उद्योगों को दी, नवम्बर तक कितनी उनके पास बकाया पड़ी है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : इस योजना के अन्तर्गत 1984-85 में 85 करोड़ रुपए और 1985-86 में नवम्बर तक 65 करोड़ रुपए की रकम दी गई। राज्य सरकारों ने किस-किस उद्योग पर उसको खर्च किया और उसका कितना बकाया उनके पास है, इसका ब्यौरा हमारे पास नहीं आया है। जैसे आएगा वह जानकारी मैं आपको भेज दूंगा।

श्री शान्ति धारीवाल : दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि राजस्थान के अलावा दूसरे प्रान्तों में केन्द्रीय सरकार ने डिस्ट्रिक्ट के साथ-साथ ब्लोक्स को भी बेकवर्ड घोषित कर सब्सीडी का लाभ उद्योगों को पहुंचाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बेकवर्ड एरिया के आइडेन्टिफिकेशन करने के क्या नार्म्स है तथा वे किस साल में बने थे? जो नेशनल कमेटी आन डवलपमेंट आफ बेकवर्ड एरिया श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में बनी थी, उसने किस साल में यह सिफारिश की थी कि पूरे देश में ब्लाक को ही बेकवर्ड एरिया के आईडेन्टिफिकेशन का बेसिस माना चाहिए तथा उनका बेकवर्ड एरिये के रूप में रिकगनीशन होना चाहिए? इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री वसंत साठे : यह सारा जो बेकवर्ड एरियाज का क्राइटेरिया है और उसमें नो डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज जो कहा गया है, उसका जो क्राइटेरिया है, उस पर फिर विचार हो रहा है। जैसे ही उसके बारे में सरकार कोई निर्णय लेती है, उसकी जानकारी दे दी जायेगी।

श्री शान्ति धारीवाल : मन्त्री महोदय, मैंने आपसे यह जानना चाहा था कि नार्म्स कब बने और किस साल में जो बी० शिवारामन की कमेटी बनी थी, उसने सिफारिश की?

श्री वसंत साठे : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1983 में।

श्री शान्ति धारीवाल : सन् 1983 से आज 1985 हो गया है।

श्री वसंत साठे : इसीलिए फिर विचार करने की सोच रहे हैं।

श्री शांति धारीवाल : विचार ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : विचार बहुत लम्बा होता है।

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष जी, अनुभव के बाद ही कुछ विचार की बात होती है।

अध्यक्ष महोदय : विचार तो सारी जिंदगी बढ़ता ही रहता है।

श्री शांति धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के साथ पक्षपात किया जा रहा है। हरियाणा के कई उद्योगों को बैकवर्ड घोषित करके उनको लाभ पहुंचाया गया है।

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, हमारे प्रधान मन्त्री ने चुनाव के समय यह वायदा किया था कि देश के प्रत्येक उद्योग रहित जिले में एक बड़े अथवा मध्यम आकार का एक औद्योगिक एकक स्थापित किया जाएगा। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि बिना उद्योग वाले कितने जिलों में औद्योगिक एकक स्थापित किए गए हैं और उन जिलों का नाम क्या है?

श्री वसंत साठे : पूरे देश में विभिन्न राज्यों में बिना उद्योग वाले 105 जिले हैं। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में बिना उद्योग वाले कितने जिले हैं; तो वह कृपया मुझे नोटिस दें और मैं उन्हें इसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बारे में सूचना जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्वस्चन तो वहीं है ।

श्री रणवीर सिंह : अध्यक्ष जी, औद्योगीकरण में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने का प्रण बहुत पुराना है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी मांग की गई कि इसको दूर किया जाए, ताकि वहां के लोगों को लाभ हो । उद्योग तो हमें मिला नहीं, एक उद्योग राज्य मन्त्री मिल गए कुछ दिन के लिए । अब न उद्योग है और न ही उद्योग राज्य मंत्री रह गए । हमारे यहां तीन-चार शुगर मिलें हैं, बहराइच डिस्ट्रिक्ट और बाराबंकी में कच्चा माल, मोलेसिस काफी है और हम लोग वहां पर डिस्ट्रिलरी लगाना चाहते हैं और इसके लिए लाइसेंस चाहते हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इस असंतुलन को दूर करना चाहते हैं या नहीं और क्या वे इसके लिए पिछड़े जिलों में उदारता दिखायेंगे, अगर वहां कच्चा माल उपलब्ध है तो उनको लायसेंस देने में उदारता दिखाएंगे । क्या मंत्री महोदय उन पिछड़े हुए जिलों के लिए कोई उदारता की नीति अपनाने का प्रयास करेंगे ?

श्री बसंत साठे : कौन-सा लायसेंस चाहते हैं, इन्डस्ट्रियल अल्कोहल का या डिस्ट्रिलरी अल्कोहल का ?

श्री रणवीर सिंह : अल्कोहल का ।

श्री बसंत साठे : पीने की शराब के बारे में अभी कानून में काफी पाबंदी है और इसके लिए डिस्ट्रलरी लगाने के जो नियम होंगे उनके अनुसार काम किया जा सकता है । इन्डस्ट्रियल अल्कोहल की बात होगी तो अगर पर्याप्त मात्रा में उनके पास मोलेसिस है तो विचार किया जा सकता है ।

श्री रणवीर सिंह : पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उदारता तो आप करेंगे ?

श्री बसंत साठे : तो कहां से देंगे ।

[अनुवाद]

औषध नीति के बारे में भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादक संगठनों द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

*306. **श्री एच०एम० पटेल :** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार प्रस्तावित औषध नीति के बारे में पुनर्विचार करने का है;

(ख) क्या भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादक संगठनों और अन्य निकायों ने औषध नीति में आमूल परिवर्तन करने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने क्या मुख्य सुझाव दिए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने नयी औषध नीति को अन्तिम रूप दे दिया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (घ) : सरकार को औषध नीति के लाइसेंसिंग और मूल्य निर्धारण जैसे विभिन्न पहलुओं पर भारत के फार्मास्युटिकल्स उत्पादन संगठन जैसे उद्योग संघों सहित विभिन्न संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। सरकार ने नई औषध नीति पर कोई अन्तिम दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं आपका ध्यान उत्तर और सभा-पटल पर रखे गए विवरण की ओर दिलाता हूं। देखिए, यह कितना अनुचित है ? इसमें कहा गया है :

> (क) से (घ) : सरकार को औषध नीति के लाइसेंसिंग और मूल्य निर्धारण जैसे विभिन्न पहलुओं पर भारत के फार्मास्युटिकल्स उत्पादक संगठन जैसे उद्योग संघों सहित विभिन्न संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। सरकार ने नई औषध नीति पर कोई अन्तिम दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।"

यह बहुत लम्बा उत्तर नहीं है और हर मद का उत्तर स्पष्ट रूप से तथा मौखिक रूप से दिया जा सकता था। कृपया मेरे प्रश्न पर ध्यान दीजिए जिसमें यह पूछा गया है कि :

> "(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार प्रस्तावित औषध नीति के बारे में पुनर्विचार करने का है।"

वे यह कह सकते थे कि उन्होंने अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया है। वे इस पर विचार कर रहे हैं।

भाग (ख) "अर्थात्, क्या भारतीय फार्मास्युटिकल उत्पादक संगठनों और अन्य निकायों ने औषध नीति में आमूल परिवर्तन करने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है ?" इसके बारे में वे कह सकते हैं कि वे संभवतः इस मुद्दे का उत्तर दे चुके हैं।

भाग (ग) और (घ) अर्थात, "यदि हां, तो उन्होंने क्या मुख्य सुझाव दिए हैं और क्या सरकार ने नयी औषध नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;" के बारे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। क्या यह उत्तर उचित है ?

श्री बसंत साठे : पूरा उत्तर दिया गया है।

श्री एच०एम० पटेल : पूरे उत्तर के बारे में माननीय मन्त्री महोदय स्वयं संतुष्ट हो सकते हैं किन्तु निश्चित रूप से उन्होंने अपने उत्तर में कोई भी उपयोगी बात नहीं कही है। प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि उनके बारे में हमें ठीक जानकारी प्राप्त हो सके। सम्भवतः सरकार ने वर्तमान औषध-नीति के बारे में जो आलोचना हुई है, उसे पढ़ा होगा। नयी औषध नीति निर्धारित करने में आपने कितना समय लिया है ? आपने यह नहीं कहा कि आपका विचार एक नयी नीति निर्धारित करने का है। इस उत्तर में आपने केवल इतना ही कहा है कि "सरकार ने नई औषध नीति पर कोई अन्तिम दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।" इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि आप नई

नीति निर्धारित करना चाहते हैं अथवा नहीं। 1979 या 1978 में समितियां नियुक्त की गई थीं; समितियों की बहुतायत है किन्तु उनकी सिफारिशों पर न कोई निर्णय लिया जाता है और न ही कोई नीति तैयार की जाती है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यदि मंत्री महोदय कृपा करके यह बता दें कि यह क्या बात है तो मैं उनका अभारी होऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल, यदि आप इतने अधिक उत्सुक होते तो इन तथ्यों के बारे में जान गए होते। समितियों का बाहुल्य है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं किस लिए जानना चाहता हूं। मेरी जानकारी सभा के लिए है और इसलिए मेरा कहना है कि किसी प्रश्न के उत्तर में आप यह कहते हैं कि विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है; तो उससे यही अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर लम्बा होगा। इस मामले में लम्बा उत्तर नहीं है और मेरे प्रश्नों के प्रत्येक मुद्दे का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। आपने न तो यह बताया है कि उद्योग संघ ने क्या-क्या मुख्य सुझाव दिए हैं और न आपने यह बताया कि इन सुझावों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वह ये सब जानकारी देंगे भी नहीं।

श्री एच० एम० पटेल : उन्हें कोई भी बात प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु...

अध्यक्ष महोदय : गुप्त बातें वह आपको क्यों प्रकट करें ?

श्री एच० एम० पटेल : उन्हें इस बात को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी क्या नीति होगी। किन्तु निश्चित रूप से वह इस बात को तो प्रकट कर ही सकते हैं कि उसे कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों को तो वह जानें।

श्री बसंत साठे : यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है; तो आप पूछ सकते हैं। मैं उत्तर देने को तैयार हूं।

श्री एच० एम० पटेल : क्या-क्या मुख्य सुझाव हैं ?

श्री बसंत साठे : जैसा कि मैंने कहा है और आपने ठीक ही समझा है कि न केवल 'ओपी' अपितु 'ईडमा', लघु उद्योग आदि कितने ही ऐसे बहुत से संगठन हैं जो फार्मास्युटिकल का काम करते हैं। इन सभी ने अपने अभ्यावेदन और सुझाव प्रस्तुत किए हैं और वे इतने सारे हैं कि मैं उन्हें प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ हूं। यदि आप चाहें, तो मैं उनके अभ्यावेदनों की प्रतियां आपको भेज दूंगा। किन्तु वे आपके पास भी होंगे। वे लोग आपके पास अवश्य आये होंगे तथा आपके प्रयोजन के लिए उन्होंने आपको भी प्रतियां दी होंगी। किन्तु इससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे किसी को भी लाभ नहीं होगा। हम आपको बता ही चुके हैं कि पहला प्रतिवेदन हठी समिति का प्रतिवेदन 1978 में प्राप्त हुआ था जिस पर अप्रैल, 1983 में औषध नीति तैयार की गई थी। उस हठी समिति का सदस्य होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अन्ततोगत्वा उस विशेष औषध के कुछ वर्षों तक कार्यान्वित होने के बाद ही आपको उसके प्रभाव का पता चल सकेगा। हठी समिति के प्रतिवेदन के बाद हमने कुछ अनुभव किया था और जनता पार्टी के शासनकाल में भी

औषध नीति पर नए सिरे से विचार करना शुरू किया गया था और उसके बाद जब हम सत्तारूढ़ हुए तो हमने पहला कार्य यह किया कि हमने अप्रैल, 1983 में राष्ट्रीय औषध और फार्मास्युटिकल विकास परिषद की नियुक्ति की जिसमें औषध व्यापार में रुचि रखने वाले सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तत्काल, जनवरी, 1984 में योजना और विकास के लिए, मूल्य निर्धारण तथा औद्योगिक स्वीकृति के लिए तत्काल तीन कार्यकारी ग्रुप बनाये गये थे। इन ग्रुपों ने अपने प्रतिवेदन जनवरी, 1984 में दिये थे। अगस्त, 1984 में स्टीयरिंग कमेटी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद सितम्बर, 1984 में राष्ट्रीय औषध और फार्मास्युटिकल विकास परिषद् ने प्रतिवेदनों को अपना लिया। उसके बाद से अंतिम औषध नीति पर परामर्शदात्री समिति और विभिन्न मंच विचार कर रहे हैं क्योंकि विचारों में विविधता है। जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हम नयी औषध नीति संसद के समक्ष रखने में असमर्थ हैं। किन्तु इस मामले पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और क्या उन्होंने कोई समय-सीमा निर्धारित कर दी है जिसके अन्तर्गत उन्हें यह आशा हो कि यह विचार-विमर्श पूरा हो जाएगा और इस पर कोई नीति निर्धारित कर ली जाएगी।

श्री बसन्त साठे : दिन, सप्ताह अथवा महीने के रूप में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। किन्तु जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जिस प्रकार से आपने इस मामले को उठाया है, उसी प्रकार हम भी बहुत उत्सुक हैं और हम इसे शीघ्र ही पूरा करेंगे।

श्री एच० एम० पटेल : मुद्दा यह है कि इस बात पर वे लोग बहुत नाराज हैं कि मूल्य नियन्त्रण किया जाएगा अथवा नहीं... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के ऊपर प्रश्न मत कीजिए।

श्री बसंत साठे : इन सब बातों पर विचार किया जाएगा।

श्री डी० एन० रेड्डी : क्या मन्त्री महोदय सभा को इस बात की सूचना देने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि आवश्यक औषधियों के मूल्यों में अचानक वृद्धि हुई है और यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक औषधियों के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए एक निश्चित मूल्य नीति बनायेगी ?

श्री बसन्त साठे : कुछ औषधियों पर मूल्य नियंत्रण है। कुछ आवश्यक औषधियों पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है। गत वित्तीय बजट में हमने उन पर से मूल्य नियन्त्रण हटा लिया है। जिससे कि उनका अधिक उत्पादन हो सके और उनका मूल्य गिर जाए।

डा० बी० वेंकटेश : इस देश में लगभग एक करोड़ व्यक्ति क्षय रोग से तथा लगभग 40 लाख व्यक्ति कोढ़ से पीड़ित हैं। हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य की यह स्थिति है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन पुरानी बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार निर्माण पद्धति के लिए तत्काल कोई नई नीति निर्धारित करेगी ? औषध निर्माता 300 से लेकर 400

प्रतिशत का लाभ अर्जित करते हैं। सरकार चुप क्यों है ? वे केवल इतना ही कहते हैं कि वे गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। यह गम्भीर मामला है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे तत्काल कोई कार्यवाही करेंगे अथवा नहीं ?

श्री वसन्त साठे : जहां तक क्षय रोग और कोढ़ का प्रश्न है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि रिफाम्पीसिन जैसी प्रभावशाली औषधियों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए।

डा० वी० वेंकटेश : किन्तु यह औषधि उपलब्ध नहीं है।

श्री वसन्त साठे : मूल अवस्था से इस औषधि का विकास भारत में नहीं हो पाया है। हमें इसका आयात करना पड़ता है और हम यही कर सकते हैं कि हम इसका आयात अपने देश के उन लोगों के लिए उदारतापूर्वक करें जो इसका उपयोग करना चाहते हैं।

श्री वी० वेंकटेश : प्रौद्योगिकी का आयात अथवा औषधि का ?

श्री वसन्त साठे : जो लोग प्रौद्योगिकी आयात करना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप उसे यहां अपना सकें। कुछ लोग ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु ऐसा करने से पूर्व यह होना चाहिए कि औषधि का आयात किया जाए। जिससे कि क्षय रोग और कोढ़ का इलाज किया जा सके। हमारी यही नीति है और हम यही कर रहे हैं।

इससे पहले के एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि कुछ आवश्यक औषधियों को नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बजट के अंतर्गत हमने कुछ आवश्यक औषधियों पर लायसेंस हटा दिया है न कि उन्हें नियन्त्रण से मुक्त किया है। मैं उस भूल को सुधारना चाहता हूं।

दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए सहयोग करार

*307. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल**†
डा० कृपासिन्धु भोई
} : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सुविधाओं के विकास हेतु कुछ देशों के साथ कई सहयोग करार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किए गए प्रत्येक करार की शर्तें क्या हैं और प्रत्येक के साथ कौन-सी परियोजना जोड़ी गई हैं; और

(ग) इन देशों के साथ क्या वित्तीय समझौते किए गए हैं और इन परियोजनाओं में उत्पादन कब तक प्रारम्भ होगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दूरसंचार विभाग के उद्यमों और दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए और चल रहे, सहयोग के महत्वपूर्ण समझौतों का विवरण

क्र० सं०	उत्पाद/सहयोगकर्ता	क्षमता	समझौते का विवरण	वित्तीय दायित्व	उत्पादन
1	2	3	4	5	6
1.	**इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड**				
1.	इलैक्ट्रो-मैकेनिकल कामन कंट्रोल क्रासबार (आई०सी०पी० रूप) स्विचिंग उपस्कर (मैसर्स-बैल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बैलजियम)	आई०टी०आई० के रायबरेली कारखाने में 2 लाख लाइनें प्रतिवर्ष	समझौते पर हस्ताक्षर 31.3.1981 को हुए। केवल वांछित सुविधा जुटाने की दृष्टि से सीमित समझौता।	बेल्जियम से ऋण (800 एम०बी० एफ०)	उत्पादन 1982-83 में आरम्भ हुआ। इसकी पूरी क्षमता 1988-89 में प्राप्त होने की आशा है।
2.	डिजिटल इलैक्ट्रोनिक उपस्कर (मैसर्स सी०आई०टी०—अल्कैटल फांस)	उत्तर प्रदेश के मनकापुर में 5 लाख लाइनें प्रतिवर्ष	समझौते पर हस्ताक्षर 24-7-82 को हुए। इससे ई० 10 बी० उपस्कर के उत्पादन की जानकारी देने की व्यवस्था है।	फांस का ऋण (357एम०एफ० एफ०)	उत्पादन 1985-86 में आरम्भ हुआ। पूर्ण उत्पाद-क्षमता 1989-90 में प्राप्त होने की आशा है।

1	2	3	4	5	6
3.	कंसेन्ट्रेटर किस्म की मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली और छोर सम्पर्क (मै० काकुसाई इलैक्ट्रिक कं० जापान)	नैनी में प्रतिवर्ष 24 प्रणालियां बंगलौर में छोर सम्पर्क ।	समझौते पर 9-5-1983 को हस्ताक्षर हुए । विशिष्ट क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने के लिए लघु सहयोग ।	ऋण सम्बन्धी कोई समझौता नहीं ।	वर्ष 1985-86 में शुरू होने की आशा पूर्ण क्षमता 1988-89 में प्राप्त होने की आशा ।
4.	नई तकनीक के टेलीफोन उपकरण और उसके महत्वपूर्ण पुर्जे (मैसर्स फेस स्टैन्डर्ड, इटली)	बंगलौर और नैनी के प्रत्येक कारखाने में प्रतिवर्ष 5 लाख टेलीफोन उपकरण और 2.5 लाख महत्वपूर्ण पुर्जे	समझौते पर हस्ताक्षर 4-10-1983 को हुए। बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीकी जानने, गुणवत्ता को बनाए रखने, विश्वसनीयता स्थापित करने तथा लागत कम करने के लिए सहयोग आवश्यक है ।	इटली द्वारा ऋण (170 लाख अमेरिकी डालर)	वर्ष 1985-86 में आरम्भ होने की आशा। पूर्ण क्षमता 1989-90 में प्राप्त करनी है ।
5.	डिजिटल ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज उपस्कर (मैसर्स सी०आई०टी०—अल्केटल, फ्रांस)	पालघाट में प्रतिवर्ष टैक्स उपस्कर की 30,000 लाइनें ।	समझौते पर 15-11-1983 को हस्ताक्षर हुए । समझौते में उत्पादन की जानकारी देने की व्यवस्था है ।	फ्रांस द्वारा ऋण (98 एम० एफ० एफ०)	वर्ष 1985-86 में आरम्भ होने की आशा पूर्ण क्षमता 1987-88 में प्राप्त होनी है ।

1	2	3	4	5	6
II.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड				
1.	इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर्स (मैसर्स सेजम आफ फ्रांस)	होसुर में ६000 अदद प्रतिवर्ष।	सरकार द्वारा समझौते को मई 1985 में मान्यता दी गई। समझौते में उत्पादन की जानकारी देने की व्यवस्था है।	8वां आई०डी० ए० ऋण (65 लाख अमेरिकी डालर)	उत्पादन 1985-86 में आरम्भ होने की आशा। पूर्ण क्षमता उत्पादन के चौथे वर्ष में प्राप्त होनी है।

III. दूरसंचार विभाग द्वारा किए समझौते :

दूरसंचार विभाग ने फ्रांस के मैसर्स सी०आई०टी० अल्केटल के साथ, डिजिटल इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज और सम्बद्ध सेवाओं के कार्य निष्पादनार्थ (4390 लाख फ्रांसीसी फ्रेंक), अनुसंधान और विकास के लिए समझौता (180 लाख फ्रांसीसी फ्रेंक), इलैक्ट्रोनिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज की आपूर्ति, टैक्स-कम-सब्सक्राइबर एक्सचेंज और सम्बद्ध सेवाओं के कार्य निष्पादनार्थ (1470 लाख फ्रांसीसी फ्रेंक) के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने, मैसर्स सोफरेकाम, फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग के लिए (370 लाख फ्रांसीसी फ्रेंक) और विविध उपस्कर (190 लाख फ्रांसीसी फ्रेंक) के लिए भी समझौता किया है। इन परियोजनाओं के लिए फ्रांस से ऋण प्राप्त होगा। कुल ऋण का 50% कोषीय ऋण और 50% "व्यापारिक ऋण" के रूप में रहेगा।

दूरसंचार विभाग ने 100 जोड़ों की क्षमता वाले केबल "टरमीनेशन बाक्स" के उत्पादन के लिए पश्चिम जर्मनी के मैसर्स क्रोन के साथ भी एक सहयोग समझौता किया है। इसकी अन्ततः उत्पादन क्षमता 25000 प्रतिवर्ष होगी। परियोजना की कुल लागत 2 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के लिए धन के०एफ० डब्लू० से मिले ऋण से दिया जाएगा जो 80 लाख डी० एम० है। पूर्ण उत्पादन अप्रैल, 1988 तक होने की संभावना है।

विवरण

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के अन्य समझौतों का विवरण

उत्पादन/सहयोगकर्ता	परियोजना संदर्भ	वित्तीय दायित्व	उत्पादन	टिप्पणी
एफ०एम०एफ०डी० भू-संचार उपस्कर (मैसर्स निपोन इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, जापान)	समझौते पर 12-3-1981 को हस्ताक्षर हुए	कोई वित्तीय दायित्व नहीं	उत्पादन 1980 में आरम्भ हुआ	ऐसी उच्च स्तरीय तकनालाजी को प्राप्त करने के लिए सीमित क्षेत्र में समझौता किया गया है। जिसके लिए देश में अनुसंधान और विकास करने में काफी समय लग सकता था।
एफ०ई०टी० हल्के शोर वाली ध्वनि विस्तरण प्रणाली (मैसर्स निप्पो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, जापान)	समझौते पर 24-8-1983 को हस्ताक्षर हुए	कोई वित्तीय दायित्व नहीं	उत्पादन 1984-85 में आरम्भ हुआ	उपग्रह संचार सम्पर्क की जल्दी ही पूरी की जाने वाली जरूरत के लिए उच्चस्तरीय तकनालाजी के क्षेत्र में सीमित समझौता

विवरण

अन्य समझौता का ब्यौरा

क्रम संख्या	भारतीय कम्पनी के नाम	उत्पादन	सहयोगकर्ता का नाम	वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की तारीख
1.	गुजरात कम्यूनिकेशन एण्ड इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड	मल्टी एक्सेस रेडियो टेलिफोन	इटालटेल मिलानों	उत्पादन हो रहा है।
2.	मैसर्स पंजाब कम्यूनिकेशन लिमिटेड	मल्टी प्लेक्स प्रणाली	ग्रेंगर एसोशिएट्स, अमेरिका	उत्पादन हो रहा है।
3.	मैसर्स पंजाब कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	मल्टी चेनल रेडियो रिले प्रणाली	ए०आर०ई०, इटली	1986 के अंत तक
4.	मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड	सूक्ष्म तरंग उपस्कर	कम्यूनिकेशन टेक, इंकारपोरेटेड, अमेरिका	उत्पादन हो रहा है।
5.	मैसर्स इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	फैसिमली ट्रांसरिसिवर	निप्पोन इलैक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, जापान	1986 के अंत तक
6.	मैसर्स इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	सूक्ष्म तरंग एण्टीना	एन०ई०आर०ए०डी०ओ० वी०एन०ऑफ इलेक्ट्रिस्ट ब्यूरो बेरगन, नार्वे	उत्पादन हो रहा है।
7.	श्री बिपिन कुमार अग्रवाल, अमेरिका (एन०आर०आई०)	सार्वजनिक टेलीफोन	सीक्सर इंकारपोरेट अमेरिका	1986 के अन्त तक

ई०पी०ए०बी० एक्स उपकरों का उत्पादन

सरकार ने इलैक्ट्रोनिक पी०ए०बी० एक्स उपकर बनाने में उपयोगी तकनालाजी के अन्तरण के सहयोग हित तीन विदेशी सहयोगियों का चुनाव किया है। विदेशी सहयोगियों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार हैं :—

(i) ज्योमैंट शिनाइडर, फ्रांस।

(ii) ओकी इलेक्ट्रिक कम्पनी, जापान।

(iii) जी०टी०ई०, बैल्जियम।

इलैक्ट्रोनिक टैलीफोन उपकरणों का निर्माण

भारत में इलैक्ट्रोनिक पशु बटन टेलीफोन उपकरणों के निर्माण के लिए सरकार ने तीन विदेशी सहयोगियों का चुनाव किया है। विदेशी सहयोगियों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(i) मैसर्स सीमैंस ए०जी०, पश्चिम जर्मनी।

(ii) मैसर्स एरिकसन इनफोरमेशन सिस्टम्स, स्वीडन।

(iii) मैसर्स आई०टी०टी०, फेस, इटली।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, सभा-पटल पर रखे गए स्टेटमैंट से पता चलता है कि कई देशों के साथ कोलेबोरेशन हुआ है, जैसे जापान, इटली, फ्रांस आदि और उनमें क्रेडिट भी प्रोवाइड किया हुआ है लेकिन अभी तक हमारी टेलीफोन व्यवस्था में किसी तरह का सुधार आया प्रतीत नहीं होता, तरीका अभी तक नहीं बदल पाया है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जितने ये कोलेबोरेशन्स हुए हैं, उनमें से कितने सरकारी कारखानों के साथ और कितने प्राइवेट उद्योगों के साथ हुए हैं। इतने कोलेबोरेशन होने के बावजूद अभी तक जब हमारे देश में टेलीफोन व्यवस्था एफीशियेंट नहीं बन पाई है, उसके अन्दर एफीशियेन्सी लाने के लिए तथा देहातों में टेलीफोन सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध कराने के लिए क्या हर एक कोलेबोरेशन में वायरलैस टेलीफोन तथा सैटेलाइट संचार व्यवस्था के उपयोग की भी व्यवस्था है ? यदि है, तो आप देहातों में कैसे ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, जो प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया है, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के साथ कितने करार हुए हैं, हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर के साथ कितने करार हुए हैं तथा हमारे विभाग के साथ कितने हुए हैं। चाहे माननीय सदस्य प्राइवेट सैक्टर के बारे में जानकारी चाहते हैं अथवा सरकारी सैक्टर के बारे में, प्रतिवेदन में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। जहां तक इन्होंने अन्य व्यापक प्रश्न पूछा है कि इस सब के बावजूद अभी तक टेलीफोन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है, और हमारे यहां सैटेलाइट प्रणाली का कब समावेश होगा...उसके लिए तो सदन में भी कई दफा चर्चा हो चुकी है, मैं प्रश्नों का उत्तर भी दे चुका हूं कि जो भी हमारे विभाग के पास उपलब्ध साधन हैं, उनको देखते हुए यथा-सम्भव कोशिश की जा रही है कि टेलीफोन व्यवस्था सुधारी जाए, लेकिन जिस तरह से प्रावधान हमारे विभाग को सातवीं पंचवर्षीय योजना में मिला है, उसको देखते हुए हमारी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनमें काफी कमी रहेगी और माननीय सदस्यों को टेलीफोन व्यवस्था से पूर्ण संतोष हो, इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन फिर भी हमारी हर तरह से यह कोशिश है और हम यह चाहते हैं कि टेलीफोन व्यवस्था को सुधारा जाए।

जहां तक सैटेलाइट प्रणाली का प्रश्न है, श्रीमन्, आज भी हम सैटेलाइट का प्रयोग कर रहे हैं उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में, जो जंगली और पहाड़ी क्षेत्र है, जहां बहुत जंगल हैं यहां पर विशेष-तौर से उसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो बड़े-बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई इत्यादि, वहां पर भी सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। हमारे स्वयं के इंसैट-वन-बी तथा अन्य उपलब्ध सैटेलाइट हैं, उनका भी प्रयोग कर रहे हैं। कोशिश यह की जा रही है कि इन सैटेलाइट्स का ज्यादा से ज्यादा जो दूरदराज के क्षेत्र हैं और जहां पर दूसरे तरीकों से पहुंचने में काफी दिक्कतें होती हैं, वहां पर उपयोग किया जाए।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मैन्यूफैक्चरिंग आफ इलैक्ट्रोनिक्स टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स के निर्माण में कोलेबोरेशन का जापान, इटली, वैस्टर्न जर्मनी और सूडान के साथ समझौता किया गया है, उसके सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि पुश-बटन टेलीफोन के उत्पादन में कितना समय लगेगा और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि ये सब

जो कार्य किए जा रहे हैं, उनमें से सातवीं योजना में देहातों में नए टेलीफोन की फेसिलिटी देने में कम से कम कितना हिस्सा मिलेगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने टेलीफोन पुश बटन के बारे में पूछा है—उसमें 10 सरकारी संस्थान हैं और 30 निजी संस्थान हैं जिनको लाइसेंस दिए गए हैं और जैसा मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि तीन प्रकार की तकनीकें स्वीकार की गई हैं तथा जिनको लाइसेंस मिले हैं उनके लिए यह है कि वे अपनी इच्छानुसार तीनों में से किसी एक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं ।

श्रीमन्, जहां तक देहातों में संचार सुविधाओं के विस्तार का प्रश्न है, हमने एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी कि सातवीं योजना के पूर्ण होने तक देश में कोई भी ऐसा क्षेत्र न रहे जो कि किसी भी सार्वजनिक टेलीफोन से 5 किलोमीटर से दूर हो, किंतु यह जो टारगेट हमने मुकर्रर किया था, अब वह सम्भव नहीं होगा । इसके अतिरिक्त श्रीमन्, यह भी तय किया था कि हर जिला मुख्यालय को राज्य सरकार के मुख्यालय/राजधानी से एक ऐसी व्यवस्था से जोड़ा जाए जिससे वहां पर उनका सम्पर्क ठीक रहे तथा वहां पर एस०टी०डी० का भी प्रयोग हो, उसके लिए हमने योजना में प्रावधान किया था किन्तु उस प्रावधान के अनुसार पैसा नहीं मिला इसलिए वह कट गया है, लेकिन फिर भी हम इसको करने के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं कि राज्य की राजधानी को राज्य के अन्य स्थानों से अच्छी तरह से जोड़ा जाए, चाहे वायरलैस के जरिये से, चाहे किसी और तरह से हो, उनको जोड़ा जाए ताकि कम से कम उनका आपस में सीधा सम्पर्क हो सके और भी दूसरे देहाती क्षेत्रों जहां पर ये नहीं हैं, इनको पहुंचाने की बात की जा रही है ।

श्रीमन्, आप स्वयं जानते हैं देहातों में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत आवश्यकता होती है जैसे मंडियां हैं, वहां पर आर्थिक तौर से भी बहुत आवश्यकता है, वे वहां पर भावों को जानना चाहते हैं जैसे जीरा है, हल्दी है और गेहूं है कि भाव क्या चल रहे हैं, तो मान्यवर वहां पर बहुत उत्सुकता है । माननीय सदस्यों के विचार हैं कि इस सुविधा को देहाती क्षेत्रों में बढ़ाया जाए, सरकार इसको स्वीकार करेगी और यथा-संभव इस पर आगे चलेगी ।

[अनुवाद]

डा० कृपासिंधु भोई : मन्त्री महोदय ने बहुत अच्छी तस्वीर पेश की है और उन्होंने कई विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग होने की बात की है...

अध्यक्ष महोदय : आपको निराशाजनक तस्वीर से खुशी होती ।

डा० कृपासिंधु भोई : मन्त्री महोदय ने मेरे मित्र के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है कि उनका यह प्रस्ताव बहुत ठोस है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रत्येक गांव में टेलिफोन सुविधा दी जाए । किन्तु मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी और क्या वह पूरी धनराशि खर्च की गयी या नहीं । यदि नहीं, तो क्यों ? दूसरे प्रधानमंत्री और मंत्री महोदय ने अमरीका, जर्मनी, कनाडा, जापान आदि

कई देशों की यात्रा की है और उन्हें कई देशों ने कम ब्याज पर ऋण देने का प्रस्ताव रखा है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों का पूरा करने में हो रही कठिनाइयों का सामना करने के लिए ऐसी संभावनाओं का पता क्यों नहीं लगा रहा है। इससे उन्हें कम से कम वित्तीय कठिनाई से तो राहत मिलेगी।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, छठी योजना के दौरान हमने करीब 2400 करोड़ रुपए खर्च किए और ट्रांसमीशन आदि कुछ क्षेत्रों पर हमने इस योजना के अंतर्गत आबंटित की गई राशि से काफी अधिक खर्च किया है। जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का संबंध है, हमने धन के लिए कहा था और योजना आयोग का कार्यकारी दल एक अवस्था में सातवीं पंचवर्षीय योजना में 11,000 करोड़ रुपए आबंटित करने के लिए राजी हो गया था किन्तु अब वह राशि कम करके 4010 करोड़ रुपए कर दी गई है। और इसलिए इसके विस्तार और इसकी सेवा में सुधार करने में भी उसी हद तक फर्क पड़ेगा।

माननीय सदस्य ने दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावों का उल्लेख किया है। हमें विदेशों से कई पेशकश मिल रहे हैं, और उनमें से अधिकांश ने बिना कहे ऐसा किया है उनका कहना है कि पर्याप्त धनराशि का पूंजी निवेश कर सकते हैं और ऋण आदि दे सकते हैं। हमारी नीति यह है कि हम उन्हें उस तकनीक के आयात की अनुमति न दें जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दूरसंचार के क्षेत्र में हम इस अर्थ में चयनशील हैं कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन हम स्वयं करना चाहते हैं और कुछ का उत्पादन करने से पहले हम उनका परीक्षण करना चाहते हैं। अत: उन प्रस्तावों को स्वीकार करना संभव नहीं है। जो लोग इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं उन्हें हमने अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिये खुली निविदा भेजने की अनुमति दी है और यदि उनके उत्पादन का स्तर ठीक हुआ और वे किफायती हुए तो हमें उन पर विचार करने में खुशी होगी।

महोदय, जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, छठी पंचवर्षीय योजना में 2336 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और 2721 करोड़ रुपए खर्च हुए।

[हिन्दी]

श्री डी०पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग 'ए' में पूछा गया है :

]अनुवाद]

> "क्या दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए कुछ देशों के साथ कई सहयोग करार किए गए हैं।"

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि टेलीकाम फैसिलिटीज के तहत क्या वह साफ्ट वेयर और हार्डवेयर इम्पोर्ट करना चाहते हैं और उसके लिये कारखाना बनाना चाहते हैं? अगर कारखाना बनाना चाहते हैं तो बिहार राज्य जैसे पिछड़े राज्य में क्या कोई टेलीकाम कारखाना बनाने को भी आप प्रायर्टी देंगे या नहीं ?

श्री राम निवास मिर्धा : जहां तक बिहार का प्रश्न है, कई राज्य सरकारों के औद्योगिक विकास संस्थानों ने लाइसेंस मांगे हैं, मैं समझता हूं कि बिहार राज्य ने भी मांगे होंगे। अगर वह इस क्षेत्र में उत्सुक हैं तो हम उनके साथ पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। जहां तक सरकार की ओर से कोई कारखाना लगाने का प्रश्न है, अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, सभा पटल पर रखे गए विवरण में बंगलौर में स्थापित की जाने वाली दूसरी डिजीटल इलैक्ट्रानिक फैक्टरी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा इसकी भी वही स्थिति होगी जो कि पहली डिजीटल इलैक्ट्रानिक फैक्टरी की हुई थी, जिसे कि पहले बंगलौर में स्थापित किया जाना था किन्तु बाद में इसे उत्तर प्रदेश में लगाया गया।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, दूसरी डिजीटल इलैक्ट्रानिक फैक्टरी की स्थापना का जिक्र इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि हमने उस फैक्टरी के बारे में अभी तक समझौता नहीं किया है। यह मामला विचाराधीन है।

क्षय रोग रोधी नई औषधि

*308. श्री एम० रघुमा रेड्डी †
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1985 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में वाइटल टी०बी० ड्रग डेवेलप्ड इन इन्डिया" (भारत में क्षय रोग रोधी महत्वपूर्ण औषधि विकसित) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्षय रोग के उन्मूलन में यह औषधि कहां तक सफल सिद्ध हुई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में निर्दिष्ट औषध रिफेम्पिसिन है, जिसका देश में पहले ही तपेदिक के उपचार के लिए उपयोग किया जा रहा है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, मैं मंत्री महोदय से उन कम्पनियों के नाम जानना चाहता हूं जो भारत में तथा विदेश में यह औषधि बना रहे हैं और क्या सरकार को इस औषधि के महत्व की जानकारी है।

श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह : महोदय, भारत में हमने एच०ए०एल० को 15.5 टन, मैसर्स थैमिस फार्मास्यूटिकल को 1 टन, मैसर्स हिन्दुस्तान सिबा गायगी को 12 टन, मैसर्स काडिला लैबोरटरीज को 10 टन, मैसर्स क्योरवेल (आई) लिमिटेड को 10 टन और मैसर्स एलेम्बिक कैमिकल्स को 20 टन औषधि के उत्पादन का लाइसेंस दिया है। इसके उत्पादन में 4 देशों को विशिष्टता प्राप्त है। उनके नाम हैं : इटली, फार्मचिम, सोफिया, बल्गारिया, चोंग कुम डेंग

कारपोरेशन, दक्षिणी कोरिया, सीकपोल्फा, पौलेंड । वे मुख्य देश हैं जो इस औषधि का उत्पादन कर रहे हैं ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : इस औषध के व्यापक प्रचार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह : महोदय, हाल ही में समाचार पत्रों में भी इस औषध के बारे समाचार प्रकाशित हुए हैं । भारत में मैसर्स थैमिस फार्मास्यूटिकल्स इस औषध का उत्पादन करने में सफल हुई है। लेकिन वे अभी वाणिज्यिक रूप से इसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। यह सामान्य मानदंड है। एक बार उत्पादन शुरू करने के बाद वे हमारे पास मूल्य निर्धारण के लिए आते हैं और हम उन्हें यथासंभव सहायता प्रदान कर सकते हैं ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या मंत्री महोदय हमें कृपया बताएंगें कि क्षय रोग के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है ?

श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह : इस समय मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

कन्याकुमारी, तमिलनाडु में ताप बिजली केन्द्र की स्थापना

*311. **श्री एम० डेनिस :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक ताप बिजली केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कन्या कुमारी जिले में केन्द्रीय क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री एन० डेनिस : महोदय, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों ने कन्याकुमारी जिले में राजाकम्मंगलम में तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की संभाव्यता के सम्बन्ध में उस स्थान विशेष पर आकर अध्ययन किया। उपयुक्त स्थल का भी पता लगाया गया है, यह भूमि सरकारी भूमि है। पहले इस जगह पर नमक का उत्पादन किया जाता था और अब इस भूमि को इस काम के लिए अप्रयुक्त रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी कन्याकुमारी जिले में राजाकम्मंगलम में तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और क्या जनता से भी इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में लिए गए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और कन्याकुमारी जिले में तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए आगे आएगी ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कन्याकुमारी जिले में तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति नहीं मिली है। तथापि तमिलनाडु विद्युत बोर्ड कन्याकुमारी में तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की संभाव्यता की जांच कर रहा है। वहां उन्होंने तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए कन्याकुमारी जिले में कोलाचल के निकट उपयुक्त स्थल का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया है। इस संयंत्र की क्षमता शुरू में 2×210 मैगावाट होगी और बाद में इसकी क्षमता 5×210 मैगावाट हो जाएगी। यहां पत्तन बनाने का भी प्रस्ताव है। इस समय प्रस्तावित पत्तन की सुविधा वहां उपलब्ध नहीं है। यदि ऐसा कुछ प्रस्ताव रखा गया है तो उसकी जानकारी तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को होगी और केन्द्रीय विद्युत बोर्ड या सरकार को अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

श्री एन० डेनिस : महोदय, पहले जिस स्थान का जिक्र किया गया है वह तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल है। वहां सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल कोलो बन्दरगाह, रेलवे स्टेशन के समीप है और अन्य स्थितियां भी इसके अनुकूल हैं। यह जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। वहां शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी बहुत अधिक है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कन्याकुमारी जिले में राजाकम्मंगलम में तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए विचार करते समय इन पहलुओं पर अतिरिक्त अनुकूल बातों के रूप में ध्यान दिया जाएगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जब हमारे समक्ष प्रस्ताव आएगा तो हम इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे।

श्री पी० कुलन्दईवेलु : भारत में एक-दो राज्यों को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों में बिजली की कमी है। बिजली उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और हमारी औद्योगिक नीति के अनुसार भी बिजली के बिना हम कोई भी उद्योग स्थापित नहीं कर सकते। हम मशीनीकृत उद्योग लगाने जा रहे हैं न कि श्रम-प्रधान उद्योग। तापीय बिजली पन बिजली से हमेशा मंहगी पड़ती है। हमने पन बिजली के सभी स्रोतों को समाप्त कर दिया है। यदि हम तापीय बिजली का उपयोग करते हैं तो उत्पादन लागत बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि समुद्री जल से बिजली पैदा करने और इस जल को पीने योग्य बनाने संबंधी भी एक योजना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई योजना कार्यान्वित करने जा रही है।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : यह सच है कि गैर-पारम्परिक क्षेत्र में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर विचार करते समय समुद्री जल का उपयोग हवा तथा अन्य स्रोतों की भांति बिजली पैदा करने के स्रोत बनाने सम्बन्धी विचार व्यक्त किया गया था। लेकिन तकनीकी दृष्टि से यह पूरी तरह तय नहीं हो पाया है कि यह बिजली पैदा करने में किस तरह किफायती हो सकता है किन्तु विदेशों तथा अपने देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी और अनुभव का अध्ययन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम निश्चित रूप से देखेंगे कि हम इस स्रोत से बिजली पैदा करने में कहां तक सफल हो पाते हैं। हम प्रत्येक सम्भव स्रोत का उपयोग करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

लखनऊ को एस०टी०डी० द्वारा अयोध्या के साथ जोड़ना

*314. **श्री निर्मल खत्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लखनऊ को एस०टी०डी० द्वारा अयोध्या टेलीफोन एक्सचेंज (उत्तर प्रदेश) के साथ जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) संसाधनों के सीमित होने के कारण, जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ने के काम को प्राथमिकता दी जा रही है। फिलहाल लखनऊ को एस०टी०डी० के द्वारा अयोध्या टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री : मान्यवर, भगवान राम की नगरी का अयोध्या और उसका राम राज्य, जिसको स्थापित करने का लक्ष्य महात्मा गांधी ने रखा था, उसको मैं समझता हूं प्राथमिकताओं की इतनी निचली सीढ़ी पर रखना उपयुक्त नहीं होगा। इस महत्ता को देखते हुए क्या अयोध्या एक्सचेंज के आधुनिकीकरण के लिए और उसको लखनऊ तथा दिल्ली से जोड़ने के मेरे इस अनुरोध पर माननीय मन्त्री जी विचार करेंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, अयोध्या में अभी एक एक्सचेंज है जिसकी कैपेसिटी 100 लाइनों की है और 61 लाइनें काम कर रही हैं तथा कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। यदि राम उपासक उत्सुक हों तो टेलीफोन ले सकते हैं।

श्री निर्मल खत्री : मैंने महोदय, वहां पर जाने वाले पर्यटकों की सुविधा को सामने रखते हुए यह प्रश्न किया था।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि फैजाबाद टेलीफोन एक्सचेंज, जो अयोध्या नगर का जिला मुख्यालय है उसको इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित करने का निर्णय पिछले दिनों लिया गया था परन्तु मेरी जानकारी में यह तथ्य आया है कि उस निर्णय को अब बदला जा रहा है तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा तथा जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है, जो इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज वहां लगने वाला था वह कब तक स्थापित हो सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अनुरोध मान लेते हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राम नगर, अयोध्या और फैजाबाद का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है और वे मुझे भी मिले थे। यह सही है कि फैजाबाद एक जिला मुख्यालय है। वहां पर अभी आटोमैटिक एक्सचेंज है और एस०टी०डी० भी है, लेकिन उसमें कुछ सुधार की बात चल रही है। इस बारे में जो माननीय सदस्य ने विचार रखा है, उस पर अवश्य विचार करेंगे।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड की आर्थिक सक्षमता

*316. श्री अजित कुमार साहा†
श्री आनन्द पाठक } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उद्यम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड की आर्थिक सक्षमता के बारे में कर्मचारी संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन ओर पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) (ग) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड के कर्मचारी संघ ने कम्पनी की जीव्यता में सुधार लाने के लिए सरकार को सुझाव दिए हैं जिनमें उन अग्रिम राशियों की वसूली करना जिन्हें घाटे के रूप में दिखाया जा रहा है, एक नियमित मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही तथा कम्पनी को नये आधार पर चलाना शामिल है। कम्पनी के पुनर्गठन के कुछ प्रस्तावों, जो विचाराधीन हैं, पर अनन्तिम रूप से निर्णय लेते समय इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड के कर्मचारी संघ द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार समुचित ध्यान देगी।

श्री अजित कुमार साहा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को हुई हानियों और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ किसी जांच के आदेश दिए गए हैं जैसा कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड कर्मचारी संघ द्वारा मांग की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : जहां तक हानियों का सम्बन्ध है, इस मामले की जांच की जा रही है, और जैसे ही हम सम्बद्ध लोगों का पता लेंगे तो इस मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री अजित कुमार साहा : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य के स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के कर्मचारियों ने इस रुग्ण कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए सहकारी उद्यम के रूप में अपने नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव दिया है ? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री बसंत साठे : कर्मचारियों ने विभिम्न सुझाव दिए हैं ? किंतु कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लिए जाने के मामले में धनराशि आदि सम्बद्ध है और परियोजना की व्यवहार्यता भी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने लिखित विवरण में कहा है, इन सभी मामलों पर उस समय ध्यान दिया जाएगा जब कोई अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

पूर्वी गोदावरी जिले (आन्ध्र प्रदेश) में कोनासीमा में नारियल जटा उद्योग की स्थापना

*317. श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में कोनासीमा में नारियल जटा उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार वहां नारियल जटा उद्योग कब तक स्थापित करने का है; और

(ग) क्या इस जिले में भारी मात्रा में नारियल के उत्पादन को देखते हुए सरकार का विचार यह नारियल जटा उद्योग स्वयं शुरू करने का है ?

रसायन तथा पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री ए० जे०वी०बी० महेश्वर राव : केरल की तरह इस क्षेत्र में भी मुख्यत: नारियल का उत्पादन होता है । इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का कोई उद्योग नहीं है । अत: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सातवीं योजना में कोनासीमा क्षेत्र में नारियल-जटा-उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ।

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : मैंने पहले ही कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु यदि राज्य सरकार, अथवा कोई गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई सहकारी संगठन ऐसा कोई उद्योग आरम्भ करने के लिए सामने आता है, तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे ।

श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव : गैर सरकारी सदस्यों ने माननीय मंत्री महोदय को को बहुत से अभ्यावेदन भेजे हैं, किन्तु कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किये गये हैं । चूंकि बहुत से आवेदन पत्र पहले ही मन्त्री महोदय को भेजे जा चुके हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस क्षेत्र में नारियल जटा उद्योग स्थापित करने के लिए शीघ्र लाइसेंस मंजूर करेंगे ?

श्री बसन्त साठे : मुझे यह नहीं मालूम कि वह किस आवेदन पत्र के विषय में कह रहे हैं। आवेदन-पत्रों की जांच की जाती है और यदि इन्हें व्यवहार्य पाया गया तो हम निश्चित रूप से इस मामले पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वसंत जी, उन्हें अपने कार्यालय में बुलाइए ।

श्री बसंत साठे : आप आकर उद्योग मन्त्री से बात-चीत कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझ से, पूछिए ।

श्री जी० भूपति : आप बारह बजते ही अन्दर चले जाते हैं और बारह बजे के अन्दर मंत्री महोदय "यस" को "यस" और "नो" को "नो" कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यहीं रहता हूं, कहीं जाता नहीं हूं। वहां भी नौकरी आपकी करता हूं और यहां भी आपकी करता हूं।

श्री सी० भूपति : लेकिन बाद में जो प्रश्न पूछे जाते है, उनमें वे "यस" को भी "नो" कहने जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप आइन्दा ऐसे सवाल पूछा करिए, जो सारे "हां" कहने वाले हों।

[अनुवाद]

गैर सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की क्षमता का उपयोग

*318. डा० ए०के० पटेल† }
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र में विद्युत की क्षमता के उपयोग की तुलना में सरकारी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की औसत उपयोग क्षमता क्या है;

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयन्त्रों में विद्युत के कम उत्पादन के लिए घटिया किस्म के उपकरण, खराब रख-रखाव तथा कोयले की खरीद में अनियमितताएं भी जिम्मेदार हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अप्रैल-नवम्बर ,1985 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों का औसत संयंत्र भार अनुपात लगभग 50% था जबकि इसकी तुलना में निजी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार अनुपात 55.6 प्रतिशत था ।

(ख) बिजली बोर्डों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं; बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था प्रणाली लागू करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, प्रचालन प्रणालियों में सुधार करना, निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना तथा पारेषण और वितरण हानियों को कम करना । इनके अलावा, ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है ।

(ग) उपस्करों में कमियां, असंतोषजनक अनुरक्षण तथा कोयले में राख की मात्रा अधिक होने से भी ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात पर प्रभाव पड़ता है, जिससे वह अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ पाता है ।

डा० ए० के० पटेल : मेरे प्रश्न के भाग "ख" का उत्तर अस्पष्ट है । कल शाम मैं गुजरात गया था और मैंने देखा कि वहां बिजली की सप्लाई का अत्यधिक संकट है । किसानों को दिन में मुश्किल से 4 घंटे बिजली मिलती है और वह ठीक प्रकार से खेती नहीं कर सकते हैं । अतः मैं

माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा क्योंकि गुजरात में हर दूसरे दिन बिजली उत्पादन उपकरण खराब हो जाता है जिससे भारी संकट उत्पन्न होता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या गुजरात के लिए विद्युत सप्लाई की इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई विशेष योजना है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, इस समय गुजरात में 300 मैगावाट पन बिजली तथा 2800 मैगावाट तापीय बिजली क्षमता है जो कुल मिलाकर 3100 मैगावाट है। गुजरात का केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं में भी हिस्सा है और यह महाराष्ट्र से भी बिजली प्राप्त कर रहा है। इन राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना के लिए भी आवंटन किया गया है और हमें आशा है कि सातवीं योजना के अन्त तक, यह सभी कमियां काफी हद तक कम हो जाएंगी।

डा० ए० के० पटेल : मैं सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र की अधिकतम क्षमता उपयोग के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आपका मतलब विभिन्न ताप केन्द्रों की संयंत्र भार क्षमता से है। यह सही धारणा नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी बिजली घरों की सरकारी क्षेत्र के तापीय बिजली घरों से बेहतर भार क्षमता है। यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में कुछ तापीय बिजलीघरों की विशेषकर चार राज्यों में, संयंत्र भार क्षमता अच्छी नहीं है और यह राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। किन्तु साथ ही सरकारी क्षेत्र में बहुत-सी विद्युत परियोजनाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और इनके कार्य निष्पादन की गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी बिजली परियोजना से तुलना की जा सकती है; जो संयंत्र भार क्षमता (पी० एल० एफ०) की प्रतिशतता के निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :

बिजलीघर		1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
					अप्रैल-नवम्बर
सरकारी क्षेत्र					
1.	विजयवाड़ा	79.1	84.2	77.4	86.6
2.	सिंगरौली	64.2	55.7	59.3	64.8
3.	नेयवेली	73.0	74.2	77.2	71.1
4.	पार्ली	75.3	69.9	74.2	87.4
5.	धुवरण	75.0	69.0	66.2	54.0
गैर-सरकारी क्षेत्र					
1.	अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कं (81)	68.7	75.6	71.4	64.5
2.	टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनीज (81)	75.1	75.1	65.7	51.9
3.	कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम (81)	57.6	52.7	59.9	54.8

उसी प्रकार अन्य भी।

मेरा मुद्दा यह था कि सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं समान रूप से अच्छा कार्य कर रही हैं, या यूं कहें कि गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं से अच्छा कार्य कर रही हैं।

श्री आनन्द गणपति राजू : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि आन्ध्र प्रदेश की भार क्षमता अधिक थी इसको ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय वहां कुछ और परियोजनाएं मंजूर करने पर विचार करेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इनकी जांच करेगा, और इन्हें राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार स्वीकृति दी जायेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मन्त्री महोदय द्वारा बताई गई स्थिति की सराहना करते हुए कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की संयंत्र भार क्षमता अधिक है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात से अवगत हैं कि तलचर बिजली संयंत्र की क्षमता का उपयोग केवल 42% है। पहले यह कम था। अब यह 42% है। क्या खराब रख-रखाव कोयले अथवा मशीनरी की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण है? क्या इसके कारणों के विषय में पूछताछ की गई है और उसकी स्थिति को सुधारने के लिए कमियों को दूर किया गया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं। उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के तलचर संयंत्र की संयंत्र भार क्षमता राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्यों ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इसमें अनेक कारण हैं। मैंने उन कारणों की सूची बना ली है जो संयंत्र भार क्षमता के अपेक्षित स्तर तक न पहुंचने के लिये जिम्मेदार हैं। साथ ही, हमने राज्य विद्युत प्राधिकरणों के साथ भी संपर्क किया है। हम उन्हें सभी संभव, आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं ताकि संयंत्र भार क्षमता प्राप्त की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 319; श्री यजदानी यहां नहीं हैं; प्रश्न संख्या 320—श्री मण्डल अनुपस्थित हैं; प्रश्न संख्या 321—श्री मावणि अनुपस्थित हैं; प्रश्न संख्या 322—श्री बी० वी० देसाई यहां नहीं हैं। अब प्रश्न संख्या 323—श्री बनवारी लाल पुरोहित।

नागपुर जिले के सावनर और पाटनसांवगी ब्लाकों में कोयले के भंडार

*323. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नागपुर जिले के सावनर और पाटनसांवगी ब्लाकों में कोयले के विशाल भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कोयला क्षेत्र में खनन कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में खनन कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) साओनर ब्लाक में प्रमाणित वर्ग में 110 मि० टन तथा इंगित वर्ग में 141 मि० टन कोयले के भंडारों का निर्धारण किया गया है। पाटनसावंगी ब्लाक में प्रमाणित वर्ग में 36 मि० टन कोयला भंडार का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) इस समय कम्प्टी कोयला क्षेत्र में सात परियोजनाएं मंजूर हैं जिनमें साओनर और पाटनसांवगी ब्लाक भी शामिल हैं। वर्ष 1985-86 में इन परियोजनाओं से 1.84 मि० टन कोयला उत्पादन की आशा है जिसके वर्ष 1989-90 तक बढ़कर 2.85 मि० टन तक हो जाने की संभावना है। इसके अलावा, दो अन्य परियोजनाएं भी निर्माण के लिए निर्दिष्ट की गई हैं जिनमें वर्ष 1989-90 तक कार्यारम्भ कर देने का विचार है। इनमें 0·05 मि० टन उत्पादन होगा।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछने से पहले मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरा प्रश्न साओनर और पाटनसावंगी ब्लाकों के बारे में था और माननीय मंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि—

[अनुवाद]

इस समय कम्पटी कोयला क्षेत्र में सात परियोजनाएं मंजूर हैं जिसमें साओनर और पाटनसावंगी ब्लाक भी शामिल है। वर्ष 1985-86 में इन परियोजनाओं से 1.84 मि० टन उत्पादन की आशा है...

[हिन्दी]

तो यह सात प्रोजेक्ट्स का दिया है या खाली साओनर और पाटनसावंगी ब्लाकों का दिया है ?

श्री बसंत साठे : सब का दिया है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैंने खास तौर पर साओनर और पाटनसावंगी ब्लाकों के बारे में प्रश्न पूछा था, माननीय मंत्री जी ने सातों का बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि साओनर ब्लाक में और पाटनसावंगी ब्लाक में 85-86 में कितना प्रोडक्शन हुआ ?

श्री बसंत साठे : पाटनसावंगी में 26 मीलियन टन का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

पाटनसावंगी के कोयला भण्डारों का प्रमाणित वर्ग के अंतर्गत 36 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

अब 36 मिलियन टन जो प्रूव्ड रिजर्व्स हैं, वहां जिस परिमाण में, जिस तरह से वहां वर्क होगा, उसके आधार पर निकलेगा। हमारे पास अभी एग्जेक्ट फिगर पाटन-सावंगी की नहीं हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न सावनेर और पाटनसावंगी के बारे में पूछा था कि वहां प्रोग्रेस नहीं है, वहां पर कोयले का बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, माननीय मंत्री जी ने 36 मिलियन टन का रिजर्व बताया है, लेकिन मेरे पास जो सरकारी किताब है, उसके अनुसार वहां 90 मिलियन टन रिजर्व है। इन जगहों के लोग हमारे पास आए थे कि वहां पर रोजगार लोगों को उपलब्ध होना चाहिए और जो कोयला है वह निकालना चाहिए, इसलिए खास कर मैंने सावनेर और पाटनसावंगी के बारे में प्रश्न किया था तो मुझे प्रश्न का उत्तर तो मिलना चाहिए।

श्री वसंत साठे : अच्छा दे देता हूं। पाटनसावंगी में 1985-86 में 0.08 मिलियन टन और 1989-90 में 0.09 मिलियन टन कोयला निकलेगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति कुछ अवश्य होगी, यह नहीं बताया गया। डिस्ट्रिक्ट में 500 मिलियन टन कोयला है तो उसको निकालने के लिए कुछ तो आपने लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि हर साल कितना निकालेंगे। अगर इस गति से कोयला निकालेंगे तो कैसे होगा, सरकार की नीति क्या है, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बता तो दिया है कि इतना निकालेंगे।

श्री वसंत साठे : सरकार की नीति ज्यादा से ज्यादा कोयला निकालने की है, जितना निकलेगा, उतना निकालेंगे, ज्यादा हाथ डालेंगे तो काला ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : कोयले की दलाली में हाथ काला हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : देश में उपलब्ध कोयले के भारी स्टाक के होते हुए, सरकार द्वारा अन्य देशों से कोयला आयात करने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बर्बाद हो रही है ?

श्री वसंत साठे : हम इस्पात उद्योग के लिए ही अपेक्षित कोकिंग कोयले का आयात करते हैं, और चूंकि हमें अच्छी किस्म के कोकिंग कोयले की कमी है जिसमें राख की मात्रा कम हो, हम केवल इतना ही आयात करते हैं जो हमारे इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है।

पुरूलिया जिला (पश्चिम बंगाल) के मधुकुंडा क्षेत्र में कोयले के भण्डार

*324. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरूलिया जिला (पश्चिम बंगाल) के मधुकुंडा क्षेत्र में कोयले के बहुत बड़े भंडार का पता लगा है और भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने भी उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में कोई परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) अब तक की गई क्षेत्रीय ड्रिलिंग के आधार पर, मधुकुंडा एरिया में 293 मिलियन टन कोयले के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। "प्रमाणित" भंडार सुस्थापित करने के लिए अभी तक कोई विस्तृत ड्रिलिंग कार्य नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त कोयला-भंडारों के दोहन के लिए कोई खनन परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : जो कोयला पुरूलिया जिले (पश्चिम बंगाल) के मधुकुंडा क्षेत्र में पाया गया है वह प्रथम श्रेणी का कोयला अर्थात् ऐसा कोकिंग कोयला है जो हम अपने इस्पात संयन्त्रों के लिए आयात कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार उस विशेष क्षेत्र में कोयला भंडारों की सही मात्रा का पता लगाने के लिए कोई विस्तृत छिद्रण कार्य (ड्रिलिंग) आरंभ करने का है।

श्री वसंत साठे : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सूचना दी है कि पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में रानीगंज कोयला क्षेत्र के पश्चिमी भाग में मधुकुंडा ब्लाक की भूतपूर्व भारतीय खान ब्यूरो तथा बाद में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा खुदाई की थी; और जैसा मैंने कहा कि मधुकुंडा ब्लाक में 280 मिलियन टन और मधुकुंडा ब्लाक के पश्चिम में 89.67 मिलियन टन भंडार होने का अनुमान है। सातवें दशक के शुरू में, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा रानीगंज के पोराबिला ब्लाक में खुदाई की गई थी और वहां भी उन्हेंने 131.63 मिलियन टन का भंडार मिला था। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने सूचना दी है कि इन आंकडों की कोल इन्डिया लिमिटेड से पुष्टि की जा सकती है, कोल इंडिया लिमिटेड ने सूचना दी है कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा 1957-60 में मधुकुंडा ब्लाक में 5 भूभेधन छिद्रों में और तत्पश्चात आई० बी० एम० द्वारा की गई क्षेत्रीय ड्रिलिंग के आधार पर 293 मिलियन टन कोयले के भंडार का अनुमान लगाया गया था। सातवीं योजना अवधि में मधुकुंडा ब्लाक में कोई विस्तृत ड्रिलिंग नही की गई।

इसके अतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेड ने यह सूचना दी है कि 56 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में कुल 32 भूभेधन छिद्रों में ड्रिलिंग की गई, किन्तु सी०एस०आर० में कोयले की मांग में अचानक मंदी आने से ड्रिलिंग रोक दी गई। इस क्षेत्र में क्षेत्रीय ढंग से ड्रिलिंग करने के आधार पर, इस में कोयला खानों से और अधिक कोयला नहीं निकाला जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार कोयले के उत्पादन में वृद्धि करना चाहती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस क्षेत्र में कोई नई परियोजना क्यों नहीं आरंभ कर रही है क्योंकि पहले ही यह बताया गया है कि वहां 293 मिलियन टन कोयला भंडार है और अभी हम केवल 147 मिलियन टन का उत्पादन कर रहे हैं! अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लक्ष्य से कोई नई खनिज परियोजना क्यों नहीं आरंभ कर रही है।

श्री वसंत साठे : हमारे पास पश्चिम बंगाल में कोयला खनन आरंभ करने के लिए व्यापक कार्यक्रम है। इसमें भारी धनराशि लगाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि अन्य सुविधाएं जैसे मजदूर, भूमि आदि उपलब्ध हों तो फिर पश्चिम बंगाल में पर्याप्त कोयला उपलब्ध होगा।

अध्यक्ष महोदय ; प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना

*305. श्री गुरुदास कामत
श्री नित्यानन्द मिश्र } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने देश में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अब तक कितने ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) यह ताप विद्युत केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थित हैं तथा इनकी कितनी क्षमता है; और

(घ) इनमें से कितने ताप विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में सिंगरोली में (5×200 मेगावाट+2×500 मेगावाट), जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश में कोरबा में (3×200 मेगावाट+3×500 मेगावाट), जिला करीमनगर, आन्ध्र प्रदेश में रामागुण्डम में (3×200 मेगावाट+3×500मेगावाट), जिला मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल में फरक्का में (3×200 मेगावाट) जिला सीधी, मध्य प्रदेश ने विंध्याचल में (6×210 मेगावाट), जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में रिहन्द में (2×500 मेगावाट) तथा जिला भागलपुर, बिहार में कहलगांव में (4×210 मेगावाट) के सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है ।

सिंगरौली में 200—200 मेगावाट के पांच यूनिट, कोरबा में 200—200 मेगावाट के तीन यूनिट, रामागुण्डम में 200—200 मेगावाट के तीन यूनिट अब तक चालू कर दिए गए हैं और ये प्रचालन में हैं ।

सीरे और अल्कोहल का आवंटन

*309 **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीरे और अल्कोहल का फालतू उत्पादन करने वाले राज्यों से जरूरतमन्द राज्यों को उनका आवंटन करने हेतु मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में उद्योगों को सीरे और अल्कोहल की मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) चालू अल्कोहल वर्ष 1985-86 (दिसम्बर, 1985-नवम्बर, 1986) के लिये शीरे तथा अल्कोहल के आवंटन के मानदण्डों का निर्धारण केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में किया जायेगा। जिसकी जनवरी/फरवरी, 1986 में होने की सम्भावना है। तब तक दिसम्बर, 1985 तथा जनवरी, 1986 के लिए तदर्थ आवंटन किये जा रहे हैं।

वास्तविक प्रयोगकर्ताओं (औद्योगिक) के लिए, जिनमें पश्चिम बंगाल भी सम्मिलित है, औद्योगिक अल्कोहल (डिनेचर्ड) के शुल्क रहित आयात की सुविधा को 31 मार्च, 1986 तक बढ़ा दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय का दो भागों में विभाजन

*310. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग के इस सुझाव पर विचार किया है कि उच्चतम न्यायालय का दो भागों में विभाजन किया जाए और संविधान संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए एक पृथक न्यायालय बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या विनिश्चय किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विधिज्ञ परिषद् और बार एसोसिएशनों जैसे अन्य महत्वपूर्ण संगठनों के विचारों का पता लगाया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : (क) और (ख) सरकार ने उच्चतम न्यायालय की दो शाखाएं बनाने और "उच्चतम न्यायालय के भीतर सांविधानिक खंड का प्रस्ताव" की बाबत विधि आयोग की 95वीं रिपोर्ट में यथा अंतर्विष्ट एक पृथक सांविधानिक न्यायालय के सृजन के लिए विधि आयोग के सुझाव पर विचार कर लिया है। विधि आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन के लिए उच्चतम न्यानालय का पुनर्गठन और संविधान तथा विधियों में तत्संबंधी संशोधन करना आवश्यक होगा। उच्चतम न्यायालय अपने विभाजन के विरुद्ध है। सरकार अभी तक इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकी है।

(ग) अतः सरकार ने इस सुझाव पर विधिज्ञ परिषद् और बार एसोसिएशनों के विचार जानना आवश्यक नहीं समझा है।

गुजरात में स्पंज लोहा संयंत्रों के लिए गैस का आबंटन

*312. **श्री डी०पी० जडेजा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात विद्युत बोर्ड ने स्पंज लोहा संयंत्रों में उपयोग के लिए गैस के आबंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गुजरात में स्पंज लोहा संयंत्रों में उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस आबंटित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) गुजरात सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अपनी प्रस्तावित स्पंज आयरन परियोजना के लिए प्रतिदिन 0.50 मि० घन मीटर प्राकृतिक गैस के आबंटन हेतु अनुरोध किया है ।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार को बताया गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बम्बई हाई और दक्षिणी बेसिन से प्राकृतिक गैस का वर्तमान और अनुमानित उत्पादन और की जा रही आपूर्ति और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को उनकी भावी आवश्यकताओं के लिए पहले से ही नियमित आधार पर वचनबद्ध मात्रा की सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रस्तावित स्पंज आयरन संयंत्र के लिए नियमित आधार पर गैस की आपूर्ति करना इस समय व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है ।

कुटीर, लघु तथा बड़े उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा

*313. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों तथा बड़े उद्योगों के बीच असमान रूप से प्रतिस्पर्धा होने के कारण विकेन्द्रित क्षेत्र को भारी नुकसान होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कुटीर उद्योगों में उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं का लघु उद्योग क्षेत्र में, और लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं का बड़े उद्योगों में उत्पादन न करने देने सम्बन्धी नीति को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का विचार है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) कुटीर, लघु और बड़े उद्योग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं । जहां प्रत्येक की अर्थ-व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, वहां वे काफी हद तक एक-दूसरे पर निर्भर हैं । इसलिए नीति संबंधी ढांचे में इन क्षेत्रों के समकालिक और पूरक विकास की व्यवस्था करनी होगी ताकि वे सभी अपने आर्थिक निष्पादन में सुधार कर सकें । इसको ध्यान में रखते हुए लघु क्षेत्र में कुछेक मदों को निर्माण के लिए आरक्षित रखा गया है । इसके अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 26 उद्योगों को संवर्धन के लिए आरक्षित किया गया है । लघु और कुटीर क्षेत्रों को विशेष कर-रियायतें, ब्याज की कम दरों आदि की सुविधा प्रदान की गई है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवाओं में गिरावट

*315. **श्री राजकुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया, बलिया तथा वाराणसी जिलों में टेलीफोन सेवाओं में गिरावट आई है; और

(ख) उपर्युक्त जिलों में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पिछले अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1985 महीनों के दौरान सभी छः जिला शहरों में ट्रंक कालों की प्रभावी प्रतिशतता में सुधार आया है। जहां तक स्थानीय टेलीफोन सेवा में शिकायतों और खराबियों का संबंध है, आजमगढ़, देवरिया और वाराणसी में सुधार आया है। बलिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है।

उपर्युक्त सभी जिला मुख्यालयों में मानीटरिंग और उपचारी कार्रवाई करके टेलीफोन सेवाओं में और आगे सुधार करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अति उच्च फ्रिक्वेंसी उपकरण के "डिजिटल वर्शन" का आरम्भ किया जाना

*319. **डा० गुलाम याजदानी** : क्या संचार मंत्री पश्चिमी दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) के बलूरघाट में अति उच्च फ्रिक्वेंसी सिस्टम स्थापित करने के बारे में 14 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6404 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अति उच्च फ्रिक्वेंसी उपकरण का डिजिटल वर्शन अति उच्च फ्रिक्वेंसी उपकरण के एनालॉग वर्शन से काफी महंगा है;

(ख) यदि हां, तो इनकी लागत में कितना अन्तर है;

(ग) वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद इस नई प्रणाली को लागू करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अति उच्च फ्रिक्वेंसी प्रणाली का "डिजिटल वर्शन" किसी परियोजना की, विशेष रूप से राज्यों के छोटे स्थानों पर, जहां स्थानीय एक्सचेंज का नेटवर्क इलेक्ट्रोनिक प्रकार का नहीं हैं, कम क्षमता वाले एक्सचेंज लाभप्रद सिद्ध होंगे; और

(ङ) यदि हां तो क्या छोटे ट्रंक मार्गों की ऐसी परियोजनाओं को हानि योजनाओं के रूप में मान कर विशेष सहायता दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी, नहीं। डिजिटल यू०एच०एफ० उपस्कर की प्रति चैनल लागत समान ही है।

(ग) डिजिटल नेटवर्क अधिक विश्वसनीय सेवा प्रदान करता है और यह अपेक्षाकृत कम लागत की दूरसंचार सेवा है।

(घ) डिजिटल यू०एच०एफ० के साथ डिजिटल स्विचन प्रणाली को जोड़ने से अधिक कम लागत पर सेवा प्रदान की जा सकती है। यहां तक कि पूर्णतया एनलॉग एरिया में डिजिटल संचारण प्रणाली भी अपेक्षाकृत कम खर्चीली है।

(ङ) जिला मुख्यालयों को जोड़ने की परियोजनाएं लाभ या हानि का विचार किए बिना मंजूर की जा रही हैं।

दनकुनी (पश्चिमी बंगाल) में कोयले पर आधारित कोकिंग गैस परियोजना

*320 **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० के तत्वाधान में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा पश्चिम बंगाल में दनकुनी कोयले पर आधारित प्रस्तावित कोकिंग गैस परियोजना का कार्य रोक दिया गया है और इस परियोजना को अब पुन: चालू करने में दो वर्ष से भी अधिक समय लगेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विलंब के परिणामस्वरूप परियोजना की लागत दुगनी हो गई है और 50 करोड़ रुपए के पिछले अनुमान को संशोधित करके 100 करोड़ रुपए किया गया है; और

(घ) गैस की सप्लाई कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) दानकुनी कोयला काम्प्लेक्स में कार्य रोका नहीं गया है। भूमि-अधिग्रहण तकनालाजी निर्धारण एवं जमीन-भराई आदि के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक विलंब अवश्य हुआ था। परियोजना का निर्माण कार्य अब काफी तेजी से बढ़ रहा है एवं जुलाई, 1987 तक परियोजना में कार्यारम्भ हो जाने की आशा है।

(ग) परियोजना को रु० 49.27 करोड़ के अनुमानित लागत पर जुलाई, 1980 में मंजूर किया गया था। लागत अनुमान में विलंब के कारण हुई वृद्धि का निर्धारण किया जा रहा है।

(घ) गैस की सप्लाई जुलाई, 1987 में संयंत्र में कार्यारम्भ हो जाने के बाद शुरू होगी।

लघु और कुटीर उद्योगों का नवीकरण

*321 **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या उद्योग यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु और कुटीर औद्योगिक संगठनों के नवीकरण के लिये अनेक निर्णय लिये गये हैं और उपाय किये गए हैं जिससे की देश की आवश्यकताओं और निर्यात के लिये उनकी कार्य-कुशलता प्रतियोगितात्मकता में सुधार किया जा सके और उत्पादन में वृद्धि की जा सके;

(ख) यदि हां, तो लिये गये ऐसे निर्णय किये गए उपाय और इस मामले में जारी किये गये दिशा निर्देश क्या हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी यूनिटों की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(घ) 1 जनवरी, 1984 से 18 नवम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान गुजरात से विभिन्न देशों को कितनी धनराशि की लघु और कुटीर औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक नीति में लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया

है, इसलिए सरकार लघु और कुटीर उद्योगों के संवर्धन में संलग्न संगठनों को निरन्तर मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने के लिए किए जाने वाले उपायों में इस प्रकार के संगठनों को दी जाने वाली वित्तीय तथा प्रशासनिक सहायता के साथ-साथ अन्य आवश्यक सहायताएं भी सम्मिलित हैं। तथापि लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है।

(घ) संघ द्वारा इस प्रकार की जानकारी नहीं रखी जाती।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

*322 श्री बी०वी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले के मूल्य में और वृद्धि करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्यों में पिछली बार अभी केवल 20 महीने पहले वृद्धि की गई थी;

(ग) यदि हां, तो कोयले के मूल्य में और वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) कोयले की खान मुहाना कीमतों में पिछला संशोधन 8-1-1984 से किया गया था और 1-4-1985 से इनमें फिर संशोधन होना चाहिए था। कोल इण्डिया लि० ने वर्ष 985-86 की अनुमानित उत्पादन लागत निर्दिष्ट की है और ऐसा करते समय कच्चे माल की लागत में वृद्धि, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, बोनस आदि को ध्यान में रखा है। सरकार ने कीमतों में संशोधन के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की आरक्षण निति

3204. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के आरक्षण के बारे में जारी किए गए आदेशों/निदेशों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) ऊपर भाग "क" के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बायो ऊर्जा विकास

3205. श्री मानिक रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसाकि 26 और 27 अक्तूबर, 1985 के 'फाइनेंशयल एक्सप्रेस' में छपा है कि बायो ऊर्जा विकास के क्षेत्र में हमारे अनुसंधान विकास के प्रयास अब तक कार्यालयों तक ही सीमित रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हमारी बायो गैस तकनीक प्राचीन और मूल्यहीन है;

(ग) क्या हमारी बायोमास प्रोसेसिंग तकनीक प्राचीन काल जैसी है; और

(घ) क्या इंधन में अल्कोहल के इस्तेमाल में असफलता (बायो ऊर्जा स्रोत या सिन्थेटिक) एक भारी असफलता है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। बड़ी संख्या में ऊर्जा बागवानी, बायो-मास गैसीकरण, ठोस एवं द्रव इंधन के उत्पादन से सम्बन्धित प्रोद्योगिकियां पहले ही प्रदर्शन और क्षेत्रीय विस्तार की अवस्था में हैं . अनुसंन्धान और विकास के प्रयत्न भी जारी हैं।

(ख) जी, नहीं। अब बायो गैस संयंत्र उपयुक्त रूप में तेज गति से बढ़ रहे हैं और स्वच्छ इंधन और खाद प्रदान करने और वनों पर लकड़ी के इंधन के दबाव को कम करने में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों से नवीनतम नमूने भी विकसित किए जा चुके हैं।

(ग) जी, नहीं। इंधन के उत्पादन या सीधे ऊर्जा के प्रजनन के लिए बायोमास की प्रक्रिया विस्तृत दिशा में फैली हुई प्रोद्योगिकियों को सम्मिलित करती है जिसमें अधिकांश अभी हाल में ही में विकसित की गई हैं।

(घ) जी, नहीं। भारत अल्कोहल को इंधन के रूप में उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित कर चुका है। तथापि, रायायनिक चारा भंडार के रूप में अल्कोहल का उपयोग करके अतिरिक्त ऊंची कीमत प्राप्त की है।

ताप बिजली सैटों का आयात

3206. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप बिजली सैटों का आयात किया जा रहा है, और क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है, यदि हां, तो किन-किन देशों से इनका आयात किया जा रहा है और उस पर कितना वार्षिक व्यय होगा;

(ख) क्या देश में ताप बिजली सैटों का निर्माण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और वे किस तरह काम कर रही हैं; और

(घ) देश में उत्पादन करके ताप बिजली सैटों की मांग पूरी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) विद्युत उत्पादन सैटों की प्राप्ति के लिए निर्भरता प्रमुख रूप से स्वदेशी निर्माताओं पर है। आयात समूची

परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए केवल चुने गए मामलों में तथा गुण-दोषों के आधार पर किया जाता है ।

स्वीकृत की गई परियोजनाओं में से जिन्हें सातवीं योजना के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है, आयातित ताप विद्युत सैटों (केवल यूटिलिटीज) का उपलब्ध ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

इस समय निम्नलिखित दो कम्पनियों द्वारा स्वदेशी रूप से ताप विद्युत सैट निर्मित किए जा रहे हैं:—

1. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
(बायलर और टी० जी०)

2. ए० सी० सी०-बाबकोक लि०
(केवल बायलर्स)

इन कम्पनियों द्वारा निर्मित सैटों का कार्य निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है ।

विवरण

उन ताप विद्युत परियोजनाओं के विशेष रूप से आयातित उपस्करों के नाम तथा उनकी क्षमता जिन्हें सातवीं योजना के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है तथा आयात किए जाने वाले देश का नाम दिखाने वाला विवरण

क्रम संख्या	ताप विद्युत परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	मुख्य उपस्कर का विवरण	जिस देश से आयात किया जा रहा है उसका नाम	आयातित सैटों की अनुमानित लागत
1	2	3	4	5	7
(क) ताप विद्युत यूनिटें					
एक. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम					
	1. रिहन्द यूनिट—1	500	बायलर तथा टी०जी०	यू०के०	पौंड 12,72.34,800
	यूनिट—2	500	—वही—	—वही—	
	2. विन्ध्याचल				
	यूनिट—1	210	बायलर तथा टी०जी०	यू०एस० एस० आर०	रूबल 25,12,90,000 (एकमुश्त ठेका)
	यूनिट—2	210	—वही—	—वही—	
	यूनिट—3	210	—वही—	—वही—	
	यूनिट—4	210	—वही—	—वही—	
	यूनिट—5	210	—वही—	—वही—	
	यूनिट—6	210	—वही—	—वही—	

1	2	3	4	5	6
दो. नेयवेली लिगनाइट निगम					
	नेयवेली दूसरा माइन कट				
	यूनिट—1	210	बायलर	हंगरी	उपलब्ध नहीं
	यूनिट—2	210	टी० जी०	इटली	
	यूनिट—3	210	टी० जी०	इटली	
तीन. असम राज्य बिजली बोर्ड					
	चन्द्रपुर विस्तार	30	बायलर	जापान	रु०5.60 करोड़
(ख) गैस टरबाइन यूनिटें					
एक. असम राज्य बिजली बोर्ड					
	1. लकवा जी०टी०				
	यूनिट—4	15	गैस टरबाइन सैट	जापान	येन 448,28,538
दो. त्रिपुरा					
	बारामुरा जी०टी०				
	यूनिट—1	5	गैस टरबाइन सेट	फ्रांस	
	यूनिट—2	5	—वही—	—वही—	उपलब्ध नहीं
तीन. महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड					
	1. उरन जी०टी०				
	यूनिट—8	108	गैस टरबाइन सेट	पश्चिम जर्मनी	रु० 17.06 करोड़

1	2	3	4	5	6
चार. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान					
	दिल्ली जी०टी०				
	यूनिट—1	30	जी०टी० सेट	फ्रांस	रु० 62.78 करोड़
	यूनिट—2	30	—वही—	—वही—	
	यूनिट—3	30	—वही—	—वही—	
	यूनिट—4	30	—वही—	—वही—	
	यूनिट—5	30	—वही—	—वही—	
	यूनिट—6	30	—वही—	—वही—	

जी०टी०—गैस टरबाइन

कोयले की तस्करी

3207. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में समानान्तर कोयला व्यापार के समृद्ध होने और कोयले की तस्करी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सांवग कोयला खान सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० में रामगढ़ में पकड़ी गई कोयले की तस्करी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सरकार के पास देश में कोलियरियों से कोयले की बड़े पैमाने पर तस्करी की कोई सूचना नहीं है। फिर भी, राज्य सरकार के प्राधिकारियों के सहयोग से कोयले की चोरी/उठाईगीरी रोकने के लिए काफी समय से प्रभावशाली कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(i) अचानक जांच करना।

(ii) "उड़न दस्तों" के जरिए जांच-पड़ताल। इन उड़न-दस्तों में पुलिस, कोयला कंपनियों के चौकीदारी और निगरानी कर्मचारी तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक रहते हैं।

(iii) कोलियरियों से आठ कि० मी० के इर्द-गिर्द स्थित गैर-सरकारी कोयला डिपोधारियों के लाइसेंस जिला प्राधिकारियों द्वारा रद्द किया जाना।

(iv) उपभोक्ताओं को घरेलू कोयले की सप्लाई का अधिक कड़ा विनियमन।

(v) खान-मुहानों से रेलवे साइडिंगों तक कोयला/कोक के आंतरिक परिवहन का विभागीकरण।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

3208. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में घाटे को कम करने के लिए उनके उत्पादों के मूल्यों में समय-समय पर वृद्धि की गयी है और इनसे अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है और वे घाटे में चल रहे हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की गयी है;

(ग) क्या इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) अनुमान है कि माननीय सदस्य का आशय महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों जैसे कोयला, इस्पात आदि के नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि/मूल्य-वृद्धि से है, जिसके लिए सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। अत: इनके लिए सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य-वृद्धि मुख्यतः काम में आने वाली सामग्री की लागत में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए है, न कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के घाटे को कम करने के लिए है।

(ख) से (घ) प्रश्न (क) के उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए (ख), (ग) और (घ) के प्रश्न पैदा ही नहीं होते। किन्तु, जिन उद्यमों ने 1983-84 में घाटा उठाया था, उनके नाम लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84 के खण्ड-1 के पृष्ठ 61 से 63 पर उपलब्ध हैं, जिसे 15 मार्च, 1985 को सभा-पटल पर रखा गया था। इसी प्रकार 31 मार्च, 1984 को समाप्त 3 वर्षों के दौरान काम में आने वाली आधारभूत सामग्री जैसे इस्पात, कोयला आदि में हुई मूल्य-वृद्धि का विवरण वर्ष 1983-84, 1982-83 और 1981-82 के लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-1 में "सरकारी उद्यमों में मूल्य-निर्धारण नीति" सम्बन्धी अध्याय में उपलब्ध है।

गुर्दा रोगियों के लिए औषधि की कमी

3209. **श्री आर० एम० भोये :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में निर्माताओं द्वारा गुर्दा रोगियों के लिए जीवन-रक्षक औषधि का निर्माण बन्द किए जाने के कारण उसकी अत्यधिक कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में ही सहयोग द्वारा उस औषधि का निर्माण करने अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अन्य स्रोतों से प्राप्त करने अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आयात करने के लिए 2,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर उस औषधि के आयात की अनुमति देने जैसी वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। गुर्दा रोगियों द्वारा प्रयोक्त की जाने वाली अजाथियोप्रिन (इमुरान) गोलियों की स्थानीय कमी की कुछ रिपोर्टें सरकार को प्राप्त हुई थी। तथापि इस औषध के प्राधिकृत स्टाकिस्टों ने अपने पास पर्याप्त स्टाक होने की सूचना दी तथा इस मंत्रालय की सलाह पर सूचित किए गए कमी वाले क्षेत्रों में स्टाक भेज दिए।

वर्तमान आयात नीति में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत इमुरान गोलियों के खुले आयात की अनुमति है। व्यक्तिगत रोगी एक निर्धारित मूल्य सीमा तक इस औषध का आयात कर सकते हैं। इस सम्पाक को उत्पाद शुल्क से भी छुट प्राप्त है।

इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों की स्थापना

3210. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न स्थानों पर ऐसे कितने एक्सचेंज स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 180 इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज (कंशंट्रेटर सहित) स्थापित किए जाने की संभावना है।

भारतीय साईकिल निगम

3211. **डा० सुधीर राय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय साईकिल निगम के कल्याणी एकक के बिक्री एजेन्ट निगम की पचास लाख से अधिक की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या यह दोषी बिक्री एजेन्ट अभी भी भारी छूट पर साईकिलों की सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि उपकरणों और सामग्री की खरीद सीधे निर्माताओं से न करके बिचौलियों के माध्यम से की जाती है और वह भी घटिया किस्म के और ऊंची दरों पर; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) साईकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का कल्याणी स्थित एकक केवल कारपोरेशन के आसनसोल स्थित मुख्य उत्पादक एकक के लिए अपेक्षित उपकरण ही बनाता है। उनका कोई बिक्री-एजेन्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्रबन्धकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वे सामान्यत: बाइसकिल बनाने के लिए अपेक्षित अपनी आवश्यकता की ट्यूबें, स्ट्रिप वायर और रॉड तथा अन्य सामग्री एस०टी० आई० टाटा, नागार्जुन स्टील जैसे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। रसायन और रंग-रोगन भी उत्पादकों से खरीदा जाता है। यह भी बताया गया है कि नकद राशि उपलब्ध न होने के समय उन्हें मध्यस्थ वस्तुओं के उत्पादकों से खरीद करनी पड़ती है, किन्तु ऐसे मामले बहुत कम ही आते हैं।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड और इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा अस्पतालों और अन्य संस्थाओं को भेजे गए माल पर अपने कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों को कमीशन और मंत्रणा शुल्क की अदायगी

3212. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड और इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा अस्पतालों तथा अन्य संस्थाओं को बेचे गए माल पर गत तीन वर्षों के दौरान अपने कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों को वर्ष-वार कितने कमीशन तथा मंत्रणा शुल्क की अदायगी की गई है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के इन दो उपक्रमों की गत तीन वर्षों में संस्थागत तथा अस्पताल की बिक्री वर्ष-वार कितनी हुई है;

(ग) उन उत्पादों के नाम क्या हैं जिन पर कमीशन और मंत्रणा शुल्क की अदायगी की गई; और

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें कमीशन या मंत्रणा शुल्क की अदायगी की गई और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी धनराशि की अदायगी की गई ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

जालंधर (पंजाब) में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज और देहरा गोपीपुर (हिमाचल प्रदेश) में डाक डिवीजन की इमारत का निर्माण

3213. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए इमारतों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है और पूरा होने वाला है;

(एक) पंजाब में जालंधर में ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज;

(दो) हिमाचल प्रदेश में देहरा गोपीपुर में प्रधान डाकघर और पोस्टल डिवीजन का भवन;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य आरम्भ होने की सही तारीख क्या है; पूरा होने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है तथा प्रत्येक मामले में अनुमानित लागत क्या है;

(ग) यह कार्य किस तारीख तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं तथा पूरा होने तक प्रत्येक परियोजना की सम्भावित लागत क्या होगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) (एक) जालंधर में ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था लेकिन ठेकेदार द्वारा काम बन्द करने के कारण इसे रोक देना पड़ा।

(दो) देहरा गोपीपुर में प्रधान डाकघर और डाक मंडल के भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और यह पूरा होने वाला है।

(ख) टी०ए०एक्स० भवन का निर्माण कार्य 27 जनवरी, 1982 को शुरू किया गया था

और इसे सितम्बर, 1983 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इस पर आने वाली अनुमानित लागत 115.31 लाख रुपये थी।

देहरा गोपीपुर में प्रधान डाकघर के भवन का निर्माण कार्य 22.22 लाख रुपये की अनुमानित लागत लेकर 23-11-83 को शुरू किया गया था तथा इसे नवम्बर, 1984 में पूरा करने का लक्ष्य था।

(ग) ठेकेदार ने टी०ए०एक्स० भवन का निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ दिया था। शेष कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और उन्हें 19 दिसम्बर, 1985 को खोला जाएगा। इस भवन के 1987-88 में पूरा हो जाने की संभावना है।

प्रधान डाकघर भवन के निर्माण कार्य पूरा होने की संभावित तारीख 31 जनवरी, 1987 है।

(घ) यह विलंब ठेकेदार द्वारा बीच में ही काम छोड़ देने और कार्य शुरू करने के हमारे प्रयासों को न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त करके विफल कर देने के कारण हुआ। स्थगनादेश रद्द होने के बाद पुन: निविदाएं आमंत्रित की गईं। कार्य पूरा होने के समय इसकी कितनी संभावित लागत आएगी इसका पता नई निविदाएं प्राप्त होने और उनकी छानबीन करने के बाद ही चल सकेगा।

प्रधान डाकघर भवन का निर्माण कार्य पूरा होने में सीमेंट की कमी के कारण विलम्ब हुआ। इस परियोजना की संशोधित लागत क्या होगी इसका पता इसके पूरा होने के बाद ही चल सकेगा।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन और तार सेवायें

3214. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर टेलीफोन और तार सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या 1984-85 का पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में बेहतर टेलीफोन और तार सेवाएं प्रदान करने के लिए 1985-86 के दौरान 100 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/संयुक्त डाक-तार-घर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में बड़े तथा मध्यम उद्योग

3215. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बड़े तथा मध्यम उद्योगों की

स्थापना के क्या कार्यक्रम थे तथा उक्त अवधि के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे उद्योगों की स्थापना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान अब तक कितने उद्योग स्थापित किए गए तथा कितने में उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) बड़े और मझौले उद्योगों के लिए राज्य सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना में 3200 लाख रु० का परिव्यय रखा गया था जिसकी तुलना में प्रत्याशित व्यय 5886 लाख रु० का है। राज्य सरकार विभिन्न बड़े और मझौले उद्योगों के विकास के लिए मूल आधारिक संरचना और अन्य परिचारिक सुविधाएं तथा सहायता देती है। तथापि, इन उद्योगों की स्थापना करने के लिए अपेक्षित पूंजी की व्यवस्था उद्यमियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत जारी किए गए आशय-पत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में किए गए पंजीकरणों की संख्या नीचे दी गई है :—

	1980	1981	1982	1983	1984
आशय-पत्र	14	32	43	25	20
औद्योगिक लाइसेंस	8	5	10	14	15
तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण	14	42	25	42	24

एक औद्योगिक परियोजना को फलीभूत होने में आम-तौर पर तीन से चार वर्ष लगते हैं। तथापि, प्रत्येक परियोजना की प्रारम्भिक अवधि अलग-अलग होती है।

प्रत्येक आशय-पत्र, औद्योगिक लाइसेंस और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में किए गए पंजीकरण के संबंध में उपक्रम का नाम और पता, निर्माण की वस्तु, क्षमता और निर्माण स्थल जैसे ब्यौरे इंडियन इनवेस्टमेंट सेंटर द्वारा उनके "मंथली न्यूजलेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

उद्योग का आधुनिकीकरण

3216. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उद्योग के आधुनिकीकरण की गति धीमी होने के क्या कारण हैं ?

(ख) देश में उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है;

(ग) उसके लिए क्या प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) सरकार औद्योगिक लाइसेंसीकरण और आयात नीतियों में उचित परिवर्तन करके औद्योगिक उत्पादन को आधुनिक बनाने और बढ़ावा देने के लिए सभी प्रोत्साहन दे रही है। इस उद्देश्य से, सरकार ने तकनीकी विकास निधि, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आसान शर्तों पर ऋण देने की योजना और अनुसंधान तथा विकास हेतु विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन प्रारम्भ किए हैं।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में टेलीफोन सुविधायें

3217. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में उन ब्लाकों, तहसीलों तथा सब डिवीजनों के नाम क्या हैं जहां टेलीफोन सुविधाएं अभी प्रदान की जानी हैं तथा ब्लाक, तहसील तथा सब डिवीजन मुख्यालयों के बीच सम्पर्क स्थापित किया जाना है; और

(ख) इन क्षेत्रों में दूरसंचार सम्पर्क व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मथुरा जिले के सभी ब्लाक, तहसील और उप मंडल मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। नौवझिल को छोड़कर सभी ब्लाक मुख्यालयों को उनकी तहसील और उप-मंडल मुख्यालयों के साथ जोड़ दिया गया है।

(ख) मथुरा जिले के लिए मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली की योजना बनाई जा रही है और इस योजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात नौवझिल को उसके तहसील मुख्यालय पट के साथ जोड़ना संभव हो सकेगा।

एस०टी०डी० के माध्यम से मांगे गए नम्बरों को रिकार्ड करना

3218. **श्री अमल दत्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस०टी०डी० के माध्यम से मांगे गए नम्बरों को रिकार्ड करने की प्रक्रिया बहुत से देशों में व्यवहार में है;

(ख) क्या उन देशों में एस०टी०डी० के माध्यम से मांगे गए नम्बरों का अन्तिम नम्बर भी टेलीफोन बिलों में आ जाता है;

(ग) क्या ऐसे कोई कार्यक्रम अथवा प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कुछ देशों में सीमित

संख्या में चुनिन्दे उपभोक्ताओं के लिए मांगे गए नम्बर को रिकार्ड करने की व्यवस्था है। कुल मिलाकर अनेक देश एस०टी०डी० कालों में डायल किए गए नम्बर को रिकार्ड नहीं करते हैं।

(ख) ऐसे कुछ देशों में, जहां रिकार्ड की गई सूचना उपलब्ध होती है, उपभोक्ता को बिल के साथ नम्बर की सूचना दे दी जाती है जो उसके लिए अनुरोध करते हैं।

(ग) से (ङ) दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र ने प्राइवेट विनिर्माताओं के साथ समन्वय स्थापित करके यह सिद्ध कर दिया है कि मांगा गया स्टेशन कोड, मांगा गया टेलीफोन नम्बर और यदि काल मूलत: किसी पेंटा-कोटा क्रासबार या स्ट्राउजर एक्सचेंज से की गई है तो बातचीत करने की अवधि के बारे में जानकारी प्रदान करना तकनीकी दृष्टि से संभव है। लेकिन विभिन्न स्थानों के लिये विश्वसनीयता और अनुरक्षण आदि विशेष बातों का पता लगाना होगा। निर्णय लिया गया है कि फील्ड ट्रायल माडल के बतौर सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थानों पर स्थित 20 एक्सचेंजों में केवल मीटर रीडिंग की शिकायतों को निपटाने के लिए ही इस प्रणाली का प्रयोग किया जाए। ऐसी 6 प्रणालियों के आर्डर दे दिए गए हैं। 2 प्रणालियां सप्लाई की गई हैं, एक स्थापित कर दी गई है और उसका परीक्षण किया जा रहा है। कुछ चुनिन्दा उपभोक्ताओं को यह सुविधा देने के लिए ई-10 बी डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज पूर्णतया सक्षम हैं।

सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन

3219. श्री वाई० एस० महाराजन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा ठेके देने, मशीनें खरीदने, नगर विमानन कार्यों, भर्ती और पदोन्नति और वेतन के बारे में पिछले 2 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी उद्यम कार्यालय यह किस प्रकार सुनिश्चित करता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम उनके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का वास्तविक रूप से पालन करता है और उन्हें कार्यान्वित करता है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सिविल निर्माण कार्यों, परामर्शदाताओं की नियुक्ति, मजूरी, वेतन-नियंत्रण, भर्ती, प्रोन्नति, आरक्षण-नीति आदि सहित प्रबन्ध-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के विषय में सतत् आधार पर नये मार्ग-निर्देश जारी करता है तथा विद्यमान मार्ग-निर्देशों में संशोधन/परिवर्तन करता है। इन महत्वपूर्ण मार्ग-निर्देशों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्वैच्छिक संगठन अर्थात सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) द्वारा संकलित एवं प्रकाशित किया जाता है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा इन मार्ग-निर्देशों के कार्यान्वयन का दायित्व सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों को सौंपा गया है।

हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लिमिटेड और इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा पेनिसिलिन जी के उत्पादन की अधिक लागत

3220. **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मंत्री पेनिसिलिन जी के मूल्य के बारे में 13 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3374 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पादित पेनिसिलिन जी के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है और औषध के देश में आने पर प्रति किलोग्राम लागत कितनी है;

(ख) हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड और इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की इस औषध की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक औषध का कितना उत्पादन हुआ था;

(ग) क्या यह सच है कि उनमें से किसी यूनिट ने क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया है और इस कारण उत्पादन लागत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सरकार द्वारा पेंसिलिन जी (फर्स्ट क्रिस्टल्स) के स्वदेशी उत्पादन के लिए निर्धारित मूल्य 582.03 रुपए प्रति बी० यू० या 919.61 रुपये प्रति कि० ग्रा० है।

इस औषध की अवतरित लागत लगभग 837.30 रुपए प्रति कि० ग्रा० बैठती है।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(एम०एम० यू० में)

कम्पनी का नाम	औषध का नाम	स्थापित क्षमता	उत्पादन		
			1982-83	1983-84	1984-85
आई०डी०पी०एल०	पोटाशियम पैंसिलिन	230	92.7	123.1	129.4
एच०ए०एल०	पैंसिलिन फर्स्ट क्रिस्टल्स	200	104	119	153

(ग) क्षमता उपयोगिता में सुधार करने तथा उत्पादन लागत को कम करने की गुंजाइश है।

(घ) उत्पादकता में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

केरल के माल्लापुरम जिले में टेलीफोन एक्सचेंज

3221. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के माल्लापुरम जिले में कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं तथा वे क्रासबार अथवा इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज हैं;

(ख) प्रत्येक एक्सचेंज से कितने टेलीफोन जुड़े हैं;

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए कनेक्शनों के लिए कोई लाइनें उपलब्ध नहीं हैं सरकार द्वारा अतिरिक्त एक्सचेंजों की स्थापना और/अथवा वर्तमान एक्सचेंजों के विस्तार हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मल्लापुरम जिले में टेलीफोन सुविधा के सुधार हेतु उठाए गए कदमों और वर्तमान टेलीफोन प्रणाली दर्जा बढ़ाने और क्रासबार एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) और (घ) जानकारी संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

(क) और (ख) मालापुरम जिले में टेलीफोन एक्चेंजों की संख्या 42 है। स्थानों के नामों एक्सचेंज की किस्म और प्रत्येक एक्सचेंज से संबद्ध टेलीफोनों की संख्या के संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

क्रम सं०	स्थान का नाम जहां पर टेली-फोन स्थित है	एक्सचेंज की किस्म	सज्जित क्षमता	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5	6
1.	अनामंगद	एम०ए०एक्स०-III	35	30	22
2.	अरकोडे	—वही—	90	63	51
3.	चंगारमकुलम	—वही—	90	82	67
4.	चेलारी	सी०बी०एन०एम०	150	137	33
5.	इडाकारे	एम०ए०एक्स-III	90	90	59
6.	इडापाल	—वही—	100	93	39
7.	इडावनाम	—वही—	90	62	46
8.	इडावनामपारा	—वही—	35	31	17
9.	कदमपुजाह	—वही—	90	69	42

1	2	3	4	5	6
10.	कालीकावु	—वही—	35	33	15
11.	कल्पाकांचेरी	—वही—	90	90	204
12.	करुवारकुन्डु	—वही—	90	81	29
13.	क लाचूर	—वही—	35	26	27
14.	कोंदोत्ती	—वही—	100	92	114
15.	कोट्टाक्कल	—वही—	100	93	162
16.	कुट्टीपुरम	—वही—	100	94	88
17.	मालापुरम	एम०ए०एक्स०-II	300	294	177
18.	मक्काराप्पारम्बा	एम०ए०एक्स०-III	90	81	27
19.	मंगलम	एम०ए०एक्स०-III	90	85	71
20.	मंजेरी	एम०ए०एक्स०-II	400	390	227
21.	मनकाडा	एम०ए०एक्स०-III	35	32	14
22.	मेलाथूर	—वही—	35	29	17
23.	मारनचेरी	—वही—	90	88	132
24.	नीलाम्बूर	एम०ए०एक्स०-II	200	198	189
25.	पालापेट्टी	एम०ए०एक्स०-III	35	26	43
26.	पांडिक्काल	—वही—	35	29	11
27.	पारप्पनांगड़ी	—वही—	100	92	108
28.	पेरिंथालमन्ना	एम०एस०एक्स०-II	400	396	128
29.	पोन्नानी	सी०बी०एन०एम०	250	245	109
30.	पुक्कोट्टुम्पवुम	एम०ए०एक्स-०III	45	35	28
31	पुलाम्थोल	—वही—	45	43	43
32.	पुन्नाक्कायरी	—वही—	25	24	26
33.	तानुर	—वही—	100	92	153
34.	तावानूर	—वही—	45	44	25
35.	थान्नीकोडे	—वही—	25	25	8
36.	तिरुनवाया	—वही—	90	90	44
37.	तिरुरंद	सी०बी०एन०एम०	250	235	64
38.	तिरूर	एम०ए०एक्स०-II	600	594	433

1	2	3	4	5	6
39.	वालंचेरी	एम०ए०एक्स०-III	100	94	126
40.	वल्लुवाम्बरम	—वही—	90	71	63
41.	वेंगारा	—वही—	100	95	227
42.	वन्नूर	—वही—	90	90	101

टिप्पणी—जिले में कोई क्रासबार और इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज नहीं है।

प्रयुक्त संक्षिप्त नाम :—

एम०ए०एक्स—मुख्य आटोमेटिक एक्सचेंज

सी०बी०एन०एम०—सेंट्रल बैटरी नान-मल्टीपल

विवरण-2

(ग) और (घ) जिन प्रस्तावों पर कारंवाई की गई है या किए जाने की संभावना है, उनके ब्यौरे :—

(क) : 1985-86 के दौरान खोले गए नए एक्सचेंज :—

(क) पलापेट्टी 35 लाइन

(ख) पुम्नाक्काथरी 25 लाइन

(ख) : 1985-86 के दौरान किया गया विस्तार :

(क) कद्मपुम्ना 35 लाइनों से 90 लाइनों में

(ख) वलुवम्बरम 45 लाइनों से 90 लाइनों में

(ग) : 1985-86 की शेष अवधि के दौरान किए जाने वाला विस्तार :—

(क) तिरूर 600 से 700 लाइन

(ख) कूरानचुंद 35 से 90 लाइन

(ग) पुलाममनथोल 45 से 90 लाइन

(घ) पूक्कोट्टुपद्म 45 से 90 लाइन

(ङ) थाम्नीकोडी 25 से 35 लाइन

(ट) चेलारी मैनुअल एक्सचेंज को स्वचलीकरण।

(घ) इसके अतिरिक्त 7वीं योजना के दौरान निम्नलिखित कार्य भी किए जाएंगे बशर्ते कि उपस्कर, स्टोर और संसाधन उपलब्ध हों :

(क) निम्नलिखित एक्सचेंजों को खोलना/विस्तार :—

(1) इडायल 200 एम०ए०एक्स०-II

(2) कुट्टीपुरम 200 एम०ए०एक्स०-II

(3) मरनचेरी 200 एम०ए०एक्स०-II

(4) तानुर 200 एम०ए०एक्स०-II

(5) अलानचेरी 200 एम०ए०एक्स०-II

(6) वेंगारा 200 एम०ए०एक्स०-II

(7) मालापुरम 300-400 विस्तार

(8) मंजेरी 400-500 विस्तार

(9) नीलाम्बूर 200-300 विस्तार

(10) पेरींथालमन्ना 400-500 विस्तार

(11) तिरूर 600-800 विस्तार।

(12) पोन्नानी एक्सचेंज 300 लाइनों के एम०ए०एक्स०-II को बदलना

(13) तिरुरंगाड़ी 250-400 विस्तार

(14) चेलारी 300 एम०ए०एक्स०-II

(15) कोट्टाक्कल 200 एम०ए०एक्स०-II]

(ङ) कालीकट-पालघाट और कालीकट-त्रिचुर कोएक्सिअल प्रणाली का संस्थापना कार्य चल रहा है और इसके 7वीं योजना के दौरान पूरा होने की संभावना है।

कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में तिरुपुर टेलीफोन एक्सचेंज में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति

3222. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि हालांकि तिरुपुर कोयम्बटूर जिले के लिए 2000 नये टेलीफोन मंजूर किए गए हैं किन्तु विस्तारित टेलीफोन एक्सचेंज के लिये अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त नहीं किए गए हैं;

(ख) तिरुपुर एक्सचेंज में अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में तिरुपुर टेलीफोन एक्सचेंज में अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कोयम्बटूर जिले में विस्तार किए गए तिरुपुर एक्सचेंज के संचालन के लिए मौजूदा कर्मचारियों में से ही कुछ कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार पुन: लगाया जाता है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड को घाटा

2223. श्री मूलचन्द डागा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे को हो रहे भारी घाटे के क्या कारण हैं;

(ख) यह एकक कब से घाटे में चल रहा है और गत पांच वर्षों में कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में पेंसलीन एम्पासलीन और स्ट्रेपटोमाइसिन संयंत्र के विस्तार और आधुनिकीकरण पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और उत्पादों के मूल्य बढ़ाए गए है परन्तु उत्पादन और कम हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि उत्पादों का निर्माण बाहरी पार्टियों के उधार लाइसेंस लेकर किया जाता है और कैप्सूल, गोलियों और शर्बत का आधुनिक आयातित संयंत्र बेकार पड़ा है और इस प्रकार घाटा हो रहा है और यहां तक कि स्थानीय तौर पर खरीदे गए उत्पादों की कोटि नियंत्रण जांच भी नहीं की जाती;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कुशल तथा विश्वसनीय कार्यकरण के लिए कार्यक्रम को कारगर कब बनाया जाएगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में उप मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) स्थापित क्षमता का कम उपयोग प्रौद्योगिकीय समस्याओं, मूल अवस्था से उत्पादन की उच्च लागत और कम मार्क अप के साथ श्रेणी-I और II बल्क औषध और फार्मूलेशन निहित उत्पादन मिश्र की प्रमुखता देने जैसे विभिन्न पहलुओं के कारण हानियां हुई।

(ख) कम्पनी ने वर्ष 1982-83 के दौरान 24 लाख रुपए का निवल लाभ कमाया किन्तु वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान इसने क्रमश: 171 लाख रुपए और 580 लाख रुपए की हानि उठाई।

(ग) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

लिस्टेरीन, फेयरजेनोल तथा इटियोल एन्टिसेप्टिक दवाइयों का अधिक मूल्यों पर बेचा जाना

3224. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन्टिसेप्टिक दवाइयों के मूल्यों पर नियंत्रण है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लिस्टेरीम, फेयरजेनोल तथा इटियोल बहुत अधिक मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं और प्रयोक्ताओं से अधिक मूल्य लिया जा रहा है;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त प्रत्येक उत्पाद के प्रत्येक पैक का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है और वे किन मूल्यों पर उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि इनके निर्माता बिना किसी वैध प्राधिकार के इनका उत्पादन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध से सम्बन्धित कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) यह पाया गया था कि मै० वार्नर हिन्दुस्तान लि०, लिस्ट्रीन को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन मूल्य अनियंत्रित फार्मूलेशन के रूप में मान रहे थे । कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उन्होंने हाल ही में कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया है । कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही जारी है । और इटिओल फेयरजीनोल और इटिओल के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य और मूल्य सूची में दिए गए मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

क्रम सं०	उत्पाद का नाम	पैक आकार	अनुमोदित मूल्य उत्पादन शुल्क सहित	नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची इंडियन फार्मास्युटिकल गाइड 1985 के अनुसार मूल्य उत्पाद शुल्क सहित
1.	फेयरजीनॉल प्लेन	1 लिटर	21.35	18.72
	एण्टीसेप्टिक फ्ल्यूड			78.93
2.	फेयरजीनॉल तरल	110 मिलि	अनुपलब्ध	4.92
3.	फेयरजीनॉल ओबिस्टीक क्रीम	85 ग्राम	,,	4·30
4.	इटीयल उतरल	120 मिलि	4.75	3.63
5.	लिस्टेरीन तरल	85 मिलि)	कम्पनी डी०पी०सी०ओ०	4.38
		200 मिलि)	1979 के अधीन उन्हें मूल्य	9.20
		500 मिलि)	अनियंत्रित मान रही है ।	15.39

[हिन्दी]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित संस्थानों के प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी

3225. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मन्त्री खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के संस्थानों के प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी के बारे में 9 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2189 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के उन संस्थानों के नाम तथा पते क्या हैं जहां प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है;

(ख) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का बिक्री केन्द्रों आदि जैसे उसके अन्य संस्थानों में कर्मचारियों की भागीदारी यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

कोयला उत्पादन सम्बन्धी समिति

3226. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला उद्योग के वित्तीय निष्पादन और कोयला उत्पादन में गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की गई थी;

(ख) क्या समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति की वित्तीय निष्पादन और उत्पादन वृद्धि के सम्बन्ध में पृथक-पृथक मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार कब तक समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी ?

उर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) जी, नहीं। परन्तु, कोयला विभाग ने अप्रैल, 1985 में एक समिति गठित की थी जिसके अध्यक्ष श्री के०एस०आर० चारी, परामर्शदाता और कोयला विभाग के भूतपूर्व सचिव हैं। इस समिति का गठन इस दृष्टि से किया गया था कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० को परेशान कर रही विभिन्न समस्याओं का पता लगाने और इन समस्याओं के समाधान के लिए उपचारी कदम/उपाय ज्ञात करने के लिये कम्पनी के क्रिया-कलापों का गहन अध्ययन किया जा सके ताकि कम्पनी विभिन्न क्षेत्रों में अपने मुख्य लक्ष्य प्राप्त कर सके; यह क्षेत्र हैं अपने अधिकार-क्षेत्र में कोयले के भण्डारों का वैज्ञानिक विकास, कोयला उत्पादन में वृद्धि और विकास तथा कल्याण कार्यों के लिए अन्य योजनाओं का कार्यान्वियन। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1985 में प्रस्तुत कर दी है और अभी इसकी जांच बाकी है।

केरल में नेडुमंगड टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार और विकास

3227. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेडुमंगड टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार और विकास कार्य विभाग द्वारा निर्धारित समय से काफी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में बिजली की कमी

3228. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान संकट को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को कर्नाटक में बिजली की सम्भावित खपत का पता लगाने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट तथा की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) कर्नाटक में अब तक आरम्भ किए गए विद्युत संरक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) प्रतिदिन 38.5 मिलियन यूनिट की अप्रतिबंधित आवश्यकता की तुलना में उपलब्धता 26.98 मिलियन यूनिट होने से कर्नाटक राज्य भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए, जहां तक सम्भव होता है केरल और महाराष्ट्र पड़ौसी राज्यों से सहायता दी जा रही है। दीर्घकालिक उपाय के रूप में कई नई विद्युत उत्पादन यूनिटें निर्माणाधीन हैं, जिनसे सातवीं योजना अवधि के दौरान 593.25 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होने की आशा है।

(ग) से (ङ) जनवरी, 1985 में, कर्नाटक सहित 8 राज्यों में अकुशल पम्पसेटों के सुधार के लिए सहायता के प्रयोजन के लिए सरकार ने एक पायलट कार्यक्रम स्वीकृत किया है, जिसमें 3 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना है। ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए क्रियान्वयन के लिए इस पायलट कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कर्नाटक में सुधार के लिए कुल 5,625 पम्पसेटों को अनुमोदित किया गया है। ग्राम विद्युतीकरण निगम कर्नाटक बिजली बोर्ड को 1,000 रुपए प्रति पम्पसेट की दर से आसान शर्तों पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दे रहा है। इसके अलावा इस पायलट कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा कर्नाटक के लिए कैपेसिटरों के

लिए स्वचालित स्विचों जैसे हानि को रोकने वाले उपस्कर प्रतिष्ठापित करके प्रणाली नेटवर्क में ऊर्जा के संरक्षण के लिए 16.80 लाख रुपये की लागत की स्कीमें भी स्वीकृत की गई हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में गौण उद्योगों की स्थापना

3230. श्री महेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा उत्पादन विभाग, रेलवे विभाग ने नेपा नगर मिलों और सीमेंट उद्योगों के लिए गौण उद्योगों की स्थापना करने हेतु सरकार की नीति क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के लिए स्थापित गौण उद्योगों के राज्य-वार नाम और उनकी संख्या क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सरकार की सामान्य नीति यह है कि जहां सम्भाव्य हो वहां बड़े उद्योगों को हिस्से पुर्जे और उपायों की आपूर्ति के लिए सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी उद्यम ब्यूरो केन्द्र सरकार के उपक्रमों हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत पहले ही जारी कर चुका है, जो कि नेपा पेपर मिलों और सरकारी क्षेत्र के सीमेंट उद्योगों पर लागू होते हैं। हालांकि प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के अधीनस्थ आयुध कारखाने और रेल विभाग द्वारा छोटे एककों के साथ सहायक उद्योगों जैसे सम्बन्ध औपचारिक रूप से स्थापित किए जाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही फिर भी उनकी दरें प्रतियोगी होने और उनका कार्य-निष्पादन संतोषजनक होने पर वे इन औद्योगिक एककों की क्षमता का उपयोग करते रहते हैं।

(ख) सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश में सात प्रमुख सरकारी एककों के सहायक उद्योगों की संख्या वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान क्रमशः 97, 104 व 108 थी। सहायक एककों के नामों की जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

पांडिचेरी में कार डीलरों की नियुक्ति

3231. श्री पी० षणमुखम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में कितने कार डीलरों को लाइसेंस दिए गए; और

(ख) 1982 से जुलाई, 1985 के दौरान उनके द्वारा वर्ष-वार, डीलर-वार और माडल-वार कारों के कितने माडल बेचे गए ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) चूंकि कार विक्रेताओं की नियुक्ति के लिए सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है इसलिए विक्रेता-वार बिक्री का ब्यौरा सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

डाक-तार भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में आग

3232. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुधवार, 20 नवम्बर, 1985 को डाक-तार भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में लगी आग के कारण की जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है और उसका परिणाम क्या निकला;

(ग) क्या आग से क्षतिग्रस्त हुई डाक लेखन सामग्री का अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) विभागीय जांच समिति ने अभी जांच पूरी नहीं की है।

(ग) क्षति का अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

"फोर्मिक एसिड" का उत्पादन और आयात

3233. श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में स्थित दो यूनिटें देश में "फोर्मिक एसिड" की समूची राष्ट्रीय आवश्यकता का उत्पादन करती है;

(ख) यदि हां, तो उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्या है और इस वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान उनका कितना वास्तविक उत्पादन हुआ;

(ग) "फोर्मिक एसिड" को अब भी आयात किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में केरल सरकार के अभ्यावेदन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। संगठित क्षेत्र में केवल दो एकक हैं और दोनों केरल में स्थित हैं।

(ख) मै० पेरियार कैमिकल्स लि० तथा मै० केरल एसिड्स एण्ड कैमिकल्स लि० की लाईसेंसशुदा क्षमता क्रमश: 1500 तथा 1200 टन प्रतिवर्ष है। 1983-84 के दौरान मै० पेरियार कैमिकल्स लि० ने फोर्मिक एसिड का बिल्कुल उत्पादन नहीं किया जबकि 1984-85 (मई से मार्च) के दौरान उत्पादन 764 मी० टन था। मै० केरल एसिडस एण्ड कैमिकल्स लि० जिसे 1982 में आरम्भ किया गया था, ने उत्पादन सूचित नहीं किया।

(ग) और (घ) केरल सरकार तथा दो स्थानीय उत्पादकों ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि (i) फोर्मिक एसिड को आयात नीति के परिशिष्ट-17 में से हटा दिया जाना चाहिए (ii)

उस समय प्रचलित मूल आयात शुल्क को 70 प्रतिशत तथा अनुषंगी शुल्क को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 100 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये तथा (iii) देश में दो एककों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है, इसलिए फोर्मिक एसिड पर आयात नीति की पुनरीक्षा की जानी चाहिये। 1985-88 के लिए आयात-निर्यात नीति तैयार करते समय उक्त अभ्यावेदन पर विचार किया गया था तथा सरकार न फोर्मिक एसिड को परिशिष्ट 2-क में रखते हुए उसके आयात पर रोक लगा दी है। सरकार ने आपूर्ण योजना (परिशिष्ट-17) के अन्तर्गत फोर्मिक एसिड का आयात भी चमड़े तथा चमड़े के सामान के आयातों के 25 प्रतिशत से 0.9 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है।

दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए फ्रांस के साथ समझौता

3234. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूर संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है; जैसा कि 14 नवम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों के साथ भी इसी प्रकार के समझौते किये गये हैं या किये जाने हैं;

(घ) क्या सुचारू कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रत्येक निर्माता से कुल यूनिट लेने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में क्रासबार एक्सचेंज के घटिया कार्य-निष्पादन पर ध्यान देने का है जो कि विदेशी आर्डर किए जाने के समय से ही पूर्णत: असफल रहा है; और

(च) क्या देश में टेलीफोन के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भर होने की कोई आशा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स सी०आई०टी० अल्का तेल फ्रांस के साथ निम्नलिखित करार किये गये हैं—

(एक) इलेक्ट्रानिक डिजिटल उपस्करों के लिए टेक्नालॉजी के लाइसेंस और अन्तरण के लिए तकनीक सहयोग पर करार।

(दो) मशीनरी, उपस्कर, सहायक कलपुर्जे और कच्चे माल की सप्लाई के लिए करार।

(तीन) इलेक्ट्रानिक डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंजों तथा उससे संबंधित सेवाओं के कार्य-निष्पादन की सप्लाई के लिए करार।

(चार) अनुसंधान और विकास सहयोग पर करार।

(पांच) आई०टी०आई० की पायलट यूनिट में डिजिटल टी०ए०एक्स० उपस्कर के निर्माण के लिये लाइसेंस तथा तकनीक सहयोग।

(छः) पालघाट में इलेक्ट्रानिक टी०ए०एक्स० उपस्कर के लिए मशीनरी, उपस्कर, सहायक कलपुर्जे तथा कच्चे माल की सप्लाई।

(सात) इलेक्ट्रानिक टी०ए०एक्स०, टी०ए०एक्स० कम उपभोक्ता एक्सचेंज तथा संबंधित सेवाओं के कार्य, निष्पादन की सप्लाई।

2. मैसर्स सोफरेकॉम पेरिस के साथ निम्नलिखित करार किये गये हैं :—

(एक) तकनीकी सहयोग करार।

(दो) विविध उपस्कर करार।

3. इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटरों के निर्माण के लिये हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर और मैसर्स सागेम, फ्रांस के बीच करार किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इस समय दिल्ली तथा देश में अन्यत्र चालू किये गये क्रासबार एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। आर्डर देते समय इन प्रणालियों के कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखा जाता है।

(च) जी, हां।

तेल शोधक कारखानों से डामर की चोरी

3235. प्रो० रामकृष्ण मोरे
श्री बी०बी० रमैया
डा० ए०के० पटेल
श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल
: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल शोधक कारखानों से गोदामों को भेजे गये 30% डामर की चोरी हो गई और सरकार को केवल मथुरा तेल शोधक कारखाने से ही प्रतिवर्ष 14 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान (प्रति वर्ष) विभिन्न तेल शोधक कारखानों से डामर की चोरी से कितने रुपये का वार्षिक घाटा होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने तेल शोधक कारखानों से डामर की चोरी करने वाले लोगों की कार्य प्रणाली के बारे में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल कम्पनियों की शोधनशालाओं से बिटूमन की चोरी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि कुछ समाचार-पत्रों और इण्डियन केमिकल्स मेन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा परिवहन के दौरान और उपभोक्ताओं के परिसर से बिटूमन की चोरियों के बारे में रिपोर्टें दी गई हैं। इन चोरियों के कारण मथुरा रिफाइनरी को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) चूंकि शोधनशालाओं द्वारा उत्पादित बिटूमन का मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों तथा संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, अतः इस मंत्रालय ने स्थिति में सुधार लाने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित कदम उठाने का सुझाव दिया है :

(i) सरकारी विभाग/अर्ध सरकारी संस्थाएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने लिए आवश्यक बिटूमन केवल तेल कंपनियों अर्थात् इंडियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, कारपोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन से ही खरीदें। उपरोक्त श्रेणी के संगठनके लिए कार्य कर रहे ठेकेदारों को बिटूमन की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति पी०डब्ल्यू०डी० अथवा अन्य उपयुक्त विभागों के द्वारा की जानी चाहिए। कंट्रेक्ट की शर्तों में यह शर्त नहीं होनी चाहिए कि ठेकेदार स्वयं बिटूमन की दलाली कर सकें।

(ii) सरकारी भण्डारों इत्यादि से चोरी को रोकने के लिए संबंधित प्रवर्तन विंगों तथा सतर्कता कक्षों को सक्रिय बनाया जाना चाहिए।

(iii) उद्योग निदेशक को सलाह दी जानी चाहिए कि वह ऐसी युनिटों को पंजीकृत करें जिन्हें केवल खनिज सामग्री के रूप में बिटूमन की आवश्यकता है और यह पंजीकरण आवेदक द्वारा सन्तोषजनक प्रमाण दिए जाने के बाद ही किया जाना चाहिए कि बिटूमन की खरीद के लिये किसी एक तेल कम्पनी के साथ प्रामाणिक प्रबंध किये गये हैं।

(iv) उद्योग निदेशालय को उन सभी औद्योगिक यूनिटों को जिन्हें ब्लोन बिटूमन ग्रेडों, रंगों, स्याही, ब्रिकेट इत्यादि के लिये खनिज सामग्री के रूप में बिट्मन (80/100 या 60/70 या 30/40) की आवश्यकता है, सलाह दी जानी चाहिए कि वे अपनी बिट्मनै की आवश्यकता को सीधे तेल कम्पनियों से खरीदें।

(v) उद्योग निदेशालय तथा बिक्री कर विभाग को यह पता लगाने के लिये कि यूनिटों द्वारा बिट्मन तेल कम्पनियों से प्राप्त किया गया है या अनधिकृत स्रोतों से प्राप्त किया गया है, निर्माता यूनिटों के रिकार्डों की संयुक्त रूप से समीक्षा करने का प्रबन्ध करना चाहिए।

इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड

3236. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक**
श्री अनिल बसु } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पूरी की गई

लगभग 105 परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनाओं में घाटा हुआ और वह इसके उच्च प्रबंध अधिकारियों द्वारा कुछ प्रतिकूल शर्तें स्वीकार किए जाने के कारण हुआ;

(ख) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) का कार्य निष्पादन रिकार्ड संतोषजनक है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को मुख्य रूप से दो विदेशी परियोजनाओं अर्थात् अल-फिरदौस आवासीय परियोजना, कुवैत और मंत्रिपरिषद भवन परियोजना, इराक में हानियां हुई हैं। हानियों के मुख्य कारण हैं :—परियोजनाओं के कार्यान्वियन के दौरान मूल्यों में भारी वृद्धि, कार्यों को स्वीकार करने, दावों का निपटान करने और गारंटियां रिलीज करने के मामलों में ग्राहकों का कठोर रवैया, ब्याज का भारी बोझ और गारंटी प्रभार, ईरान और इराक के बीच संघर्ष का शुरू होना। कम्पनी को मुख्यत: ओवरड्राफ्टों और सरकारी ऋणों पर ब्याज संबंध में के कारण प्रतिवर्ष बड़ी हानियां हो रही हैं। ऋणों पर ब्याज को छोड़कर चालू कार्य-संचालन के सम्बन्ध में वित्तीय परिणाम पूर्णतया संतोषजनक हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर

3237. **के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खडगपुर स्थित रेलवे वर्कशाप द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की तरह सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्रदान किये हैं;

(ख) यदि हां, तो एसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक ऐसे उपक्रम में कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी उपक्रमों के लिए विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना अनिवार्य बनाने का है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ग) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को यह सलाह देते हुए मार्ग-निर्देश जारी किए हैं कि समूह "ग" और "घ" के पदों की 3 प्रतिशत रिक्तियों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कर दिया जाए।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में जितने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, उनका विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 3 प्रतिशत आरक्षण होने पर विकलांग व्यक्तियों के रोजगार का विवरण

क्र०सं०	नाम	1982		1983		1984	
		समूह "ग"	समूह "घ"	समूह "ग"	समूह "घ"	समूह "ग"	समूह "घ"
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**कृषि तथा सहकारिता विभाग**						
	(1) स्टेट फार्म्स कारपो० ऑफ इं० लि०, नई दिल्ली	—	—	—	—	10	4
2.	**वाणिज्य मंत्रालय**						
	(1) ने०टे०का० एवं इसकी सहायक कम्पनियां	—	—	*1383	—	169	33
3.	**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**						
	(1) पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि०	—	1	—	1	—	—
	(2) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो० लि०	4	3	5	5	2	—
	(3) स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	—	—	—	—	2	—
	(4) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि०	—	—	7	—	3	4
	(5) इण्डिया ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०	—	—	—	3	1	1
	(6) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	—	—	—	—	1	—

* इसमें 30.6.1983 तक समूह "ग" और "घ" में नियुक्त विकलांग कर्मचारी शामिल हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
	(7) भारतीय उर्वरक निगम एवं इसके एकक	—	2	—	—	2	—
	(8) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	1	3	3	1	—	—
4.	रक्षा मंत्रालय						
	(1) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	2	—	10	4	24	2
	(2) भारत अर्थ मूवर्स लि०	3	—	17	10	6	1
	(3) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	1	3	1	1	9	3
	(4) भारत डायनामिक्स लि०	—	—	—	—	1	—
5.	इलेक्ट्रोनिक विभाग						
	(1) सेमी कन्डक्टर कम्प्लेक्स लि०	—	—	—	—	2	—
	(2) कम्प्यूटर मेंटिनेंस कारपोरेशन	—	—	1	—	—	—
6.	भारी उद्योग विभाग						
	(1) मारूति उद्योग लि०	—	—	—	—	7	—
	(2) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारपो० लि०	53	11	5	16	10	6
	(3) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०	—	—	—	—	1	—
	(4) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि०	—	—	—	—	1	2
	(5) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि०	1	—	—	—	2	—
	(6) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स एवं इसके एकक	7	6	5	1	12	12
	(7) भारत वेगन एण्ड इंजी० कम्पनी लि०	—	—	—	—	—	1

1		3	4	5	6	7	8
7.	**उद्योग मंत्रालय**						
	(1) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०	—	—	—	—	1	2
	(2) हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०	—	2	—	—	2	1
	(3) हिन्दुस्तान फोटो मिल्स मैन्यु० कंपनी लि०	—	—	—	4	—	1
	(4) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०	1	1	—	—	—	—
	(5) भारतीय सीमेंट निगम लि०	5	6	2	1	—	—
	(6) भारत लेदर कारपोरेशन लि०	1	—	3	—	—	—
	(7) नेशनल इंस्ट्रूमेंटस, कलकत्ता	—	—	2	—	—	—
8.	**बिजली विभाग**						
	(1) नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०	—	—	—	—	2	—
	(2) सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथारिटी	—	—	—	—	2	—
	(3) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०	—	—	—	—	6	3
	(4) ग्राम विद्युतीकरण निगम लि०	1	—	1	—	—	—
	(5) नेशनल थर्मल पावर कारपो० लि०	2	—	7	2	—	—
9.	**पेट्रोलियम मंत्रालय**						
	(1) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	—	—	12	—	11	4
	(2) कोचीन रिफायनरीज लि०	—	—	—	—	1	—
	(3) भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	10	—	3	—	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	(4) इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपो० लि०	—	—	10	2	6	—
	(5) भारतीय तेल निगम (आर० एण्ड पी० प्रभाग), नई दिल्ली	1	7	13	5	6	1
	(6) आयल इंडिया लि०	—	—	3	1	—	2
	(7) भारतीय तेल निगम, विपणन प्रभाग, बम्बई	5	—	—	—	10	—
	(8) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	—	—	—	—	3	9
	(9) भारतीय तेल निगम लि०, अनसंधान एवं विकास केन्द्र	1	—	—	—	—	—
	(10) बोंगाईगांव रिफायनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि०	—	—	1	—	—	—
10.	इस्पात, खान तथा कोयला मंत्रालय						
	(1) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, भिलाई इस्पात संयंत्र	4	—	1	2	1	—
	(2) राउरकेला इस्पात संयंत्र	2	—	3	1	—	—
	(3) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	3	—	2	—	—	—
	(4) बोकारो इस्पात संयंत्र	21	21	—	—	—	—
	(5) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	16	1	—	—	—	—
	(6) भारत रिफ्रेक्ट्रीज	2	3	—	—	—	—
	(7) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	—	—	3	1	1	1
	(8) खनिज गवेषण निगम लि०	—	—	—	—	—	1
	(9) इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स	—	—	—	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	(10) नेशनल एल्यूमिनियम कारपो० लि०	—	—	—	—	1	—
	(11) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	—	—	—	—	1	3
11.	नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय						
	(1) पोर्ट ट्रस्ट्स	35	46	—	—	15	22
	(2) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम	—	—	—	—	—	1
12.	पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय						
	(1) इंडियन एयरलाइन्स	1	—	—	—	1	1
	(2) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	2	1	2	1	1	1
	(3) एयर इंडिया	—	—	—	1	—	—
13.	खाद्य विभाग						
	(1) केन्द्रीय भाण्डागार निगम	2	—	8	2	—	—
14.	परमाणु ऊर्जा विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	8	2	8	—	—	—
15.	संचार मंत्रालय						
	(1) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज	10	6	7	1	—	—
16.	आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)						
	(1) राष्ट्रीयकृत बैंक	377	217	82	16	—	—
17.	निर्माण और आवास मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1	1	—	—	—	—

बिहार से नेपाल को कोयले की तस्करी

3239. डा० गौरी शंकर राजहंस
श्रीमती प्रभावती गुप्त
श्री चित्त महाता
: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि बिहार से नेपाल को कोयले की तस्करी की जा रही है;

(ख) क्या बिहार में माइयान निगरानी चौकी पर हाल ही में एक ट्रक को रोका गया था जो कोयला लेकर नेपाल जा रहा था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार स्थित विभिन्न कोयला खानों से कोयले की तस्करी और चोरी रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) सरकार के पास बड़े पैमाने पर नेपाल को कोयले की तस्करी के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के प्राधिकारियों के सहयोग से कोयले की चोरी/उठाईगीरी रोकने के लिए काफी समय से प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं इस कार्रवाई में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(i) अचानक जांच करना।

(ii) "उड़न दस्तों" के जरिए जांच पड़ताल। इन उड़न-दस्तों में पुलिस, कोयला कम्पनियों के चौकीदारी और निगरानी कर्मचारी तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक रहते हैं।

(iii) कोलियरियों से आठ कि० मी० के इर्द-गिर्द स्थित गैर-सरकारी कोयला डिपो-धारियों के लाइसेंस जिला प्राधिकारियों द्वारा रद्द किया जाना।

(iv) उपभोक्ताओं को घरेलू कोयले की सप्लाई का अधिक कड़ा विनियमन।

(v) खान-मुहानों से रेलवे साइडिंगों तक कोयला/कोक के आंतरिक परिवहन का विभागीकरण।

नए न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करने के लिए न्यायालय प्रबन्ध संस्थान

3240. श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर
श्री एस०एम० भट्टम
: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

क्या नए न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करने के लिए एक न्यायालय प्रबन्ध संस्थान स्थापित करने का कोई विचार है जिससे कि मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : न्यायिक अधिकारियों को औपचारिक संस्थागत प्रशिक्षण देने के विषय पर सरकार विचार कर रही है। नई दिल्ली में 31 अक्तूबर और 1 सितम्बर, 1985 को हुए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के सम्मेलन में पारित एक संकल्प में यह सिफारिश की गई थी कि न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय सरकार एक संस्थान या अकादमी स्थापित करे जिसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायमूर्ति हो। केन्द्रीय सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से यह अनुरोध किया है कि वे यह सूचित करें कि इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और प्रस्तावित संस्थान/अकादमी के स्थापित किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार से किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है। उनका उत्तर अभी प्राप्त होना है।

अल्कोहल से चलने वाले आटोमोबाइल इंजनों का विकास

3241. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्कोहल से चलने वाले वाहन इंजनों का विकास करने हेतु अनुसंधान और विकास की कई परियोजनाओं का वित्त पोषण किया था, जैसा कि ब्राजील में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उस पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या अमरीका 10 प्रतिशत अल्कोहल (सिंथेटिक अथवा जैव रसायनिक) का प्रयोग करता है चूंकि इससे प्रदूषण कम होता है और यह बेहतर आक्टेन मूल्य सहित एन्टी नाक एजेन्ट के रूप में काम करता है तथा अमरीका में बायोगैस से प्रति वर्ष एक बिलियन गैलन अल्कोहल, ईंधन का उत्पादन किया जाता है;

(घ) दिल्ली में आयोजित विश्व जैव प्रौद्योगिकी विचार गोष्ठी में अमरीका के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अल्कोहल में ऊर्जा का निश्चयात्मक संतुलन है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी वर्तमान नीतियों की पुनरीक्षा करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) (i) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे ने दो अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं आरम्भ की थी। यथा (1) अल्कोहल मिश्रित डीजल का प्रयोग, और (2) औद्योगिक डीजल इंजनों में पावर अल्कोहल का प्रयोग। परियोजना (1) का उद्देश्य चुने हुए वर्ग के इंजनों पर डीजल-अल्कोहल मिश्रित ईंधनों की सम्भाव्यता और गहन अनुसंधान

के जरिए प्रयोग करना और साबित करना था जबकि परियोजना (2) का कृषि संबंधी डीजल इंजनों में डीजल के साथ पावर अल्कोहल का प्रयोग करके पेट्रोलियम संसाधनों की बचत करना था। इन दो परियोजनाओं की लागत क्रमश: 1.50 लाख और 1 लाख थी और इसके लिए वित्तीय सहायता आंशिक रूप से सरकार द्वारा दी गई है।

(ii) आई०ओ०सी० की फरीदाबाद स्थित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र ने 10% और प्रतिशत इथायल अल्कोहल और पेट्रोल का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत प्रयोगशाला और क्षेत्र परीक्षण किए। ऐसा स्थापित किया गया है कि 20% तक अल्कोहल का प्रयोग भारतीय कारों, स्कूटरों, मोटरसाइकलों और सेना की गाड़ियों में बिना किसी प्रकार ईंधन प्रणाली अथवा इंजन में परिवर्तन किए सन्तोषजनक रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है।

(iii) इण्डियन इन्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम देहरादून, इस समय इंजनों में अल्कोहल के प्रयोग से संबंधित परियोजना पर काम कर रहा है जिसके लिए आंशिक वित्तीय सहायता सी०एस० आई०आर० द्वारा दी गई है। परियोजना अभी अग्रिम चरणों में है और इसमें डीजल इंजनों और स्ट्रोक इंजनों में आंशिक रूप से और पूर्णत: अल्कोहल का ईंधन के रूप में प्रयोग करने की परिकल्पना है।

(ग) इथायल अल्कोहल को मिला ईंधन के साथ मिलाकर मोटर कार ईंधन के रूप में प्रयोग करने की तकनीक सम्भावयता ब्राजील, यूरोप और अमरीका में अच्छी प्रकार से स्थापित की गई है। अमरीका में कई राज्य प्रदूषण कम करने और आक्टेन को ईंधन के रूप में मूल्य बढ़ाने के लिए पेट्रोल में 10% अल्कोहल अथवा अन्य आक्सीजेनेटिड मिश्रण आदि का प्रयोग कर रही हैं।

(घ) अल्कोहल में उर्जा का निश्चयात्मक सन्तुलन होता है।

(ङ) चूंकि इस देश में अल्कोहल का ईंधन के रूप में प्रयोग औद्योगिक कच्चे माल का इष्टतम प्रयोग नहीं समझा गया है, सरकार इस समय 'आई०सी० इंजनों में अल्कोहल का ईंधन के रूप में प्रयोग करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

औषध विकास आयुक्त की नियुक्ति

3242. श्री एस०एम० भट्टम
श्री हरि कृष्ण शास्त्री
श्री सरफ राज अहमद
: क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औषध मूल्य नियंत्रण की योजना को कार्यान्वित करने हेतु लगभग दो वर्ष पूर्व औषध विकास आयुक्त का एक पृथक पद बनाया था;

(ख) यदि हां, तो इस पद को अब तक न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि अनेक औषध एकक औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 का घोर उल्लंघन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) विकास आयुक्त (औषध) के पद का सृजन 1978 में औषध नीति की घोषणा के बाद किया गया।

(ख) पद रिक्त नहीं है।

(ग) और (घ) सूचना 3 दिसम्बर, 1985 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 220 के उत्तर में पहले ही उपलब्ध की जा चुकी है।

भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों की सूची

3243. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों की सूची तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो पीड़ित व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भोपाल में गैस निस्राव त्रासदी से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 3 लाख से अधिक है। मध्य प्रदेश सरकार पीड़ितों के पूर्ण विवरण सहित एक सूची तैयार कर रही है।

एकाधिकार को बढ़ने से रोकने के प्रस्ताव

3244. **श्री डी० के० नायकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि भारत में अनेक एकाधिकार घराने फलफूल रहे हैं;

(ख) क्या उनका विचार एकाधिकार की प्रकृति को बढ़ने से रोकने का है ताकि औद्योगिक उत्पादन की किस्म और मात्रा का सुधार करने हेतु उचित प्रतिस्पर्धा हो सके; और

(ग) इस मामले में उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत रंजीकृत उपक्रम, नए उपक्रमों को स्थापित करने या सरकारी नीति और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के पैरामटीर के अन्दर केवल विस्तार करने के पात्र हैं।

(ख) और (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में एकाधिकारिक, अनुचित और अवरोधक व्यापार प्रथाओं जिनका उद्देश्य प्रतियोगिता को निश्चित करना है, को निषिद्ध करने की व्यवस्था है।

पिछड़ा जिला घोषित करने संबंधी मानदण्डों का पुनरीक्षण

3245. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने संबंधी मानदण्डों का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केरल में पालघाट जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया जाएगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभागों में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) :(क) से (ग) उद्योग रहित जिलों/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन संबंधी विद्यमान योजना की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीन का गठन किया गया है। यह समिति विकास केन्द्रों और दूरी संबंधी मापदण्डों की संकल्पना के आधार पर और पहाड़ी क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर व अन्य दूरस्थ क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से इन क्षेत्रों में स्थापना करने हेतु विभिन्न प्रकार के उद्योगों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही योजना के विशेष उपांगों से अवस्थापना के विकास पर बल देते हुए संशोधित प्रोत्साहन योजना तैयार करेगी।

समिति द्वारा इस वर्ष के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है। वे इसके साथ-साथ केरल में पालाघाट को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने के दावे की भी जांच करेगी।

[हिन्दी]

भोपाल में पर्यावरण में सुधार करने के लिए योजना

3246. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के गैस प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण में सुधार करने के लिए एक योजना तैयार की है और केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा; और

(ग) क्या सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण सुधार योजना पर लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है जिसमें पहुंच मार्ग, नालों का निर्माण, कम लागत पर स्वच्छता, स्ट्रीट लाईट, पानी के नल, शैल्टर सुधार, खुले मैदान का विकास पौधा रोपण, बेकार पदार्थों की ठोस निपटान व्यवस्थान, खुले कुओं में सुधार और निचले क्षेत्रों की सफाई करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) पर्यावरण सुधार योजना भोपाल गैस पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट का एक भाग है जिसे अपेक्षित वित्तीय सहायता देने के बारे में सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। योजना की अभी जांच की जानी है।

सीमेंट कारखानों में प्रदूषण पर नियंत्रण

3248. **श्री हरीश रावत**
श्री सोमनाथ रथ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट निगम के किसी एक भी उत्पादन केन्द्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए धूल नियंत्रक नहीं लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभागों में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय सीमेंट निगम के एककों को सीमेंट संयंत्र स्थापित करते समय उपलब्ध उपकरण और प्रौद्योगिकी के अनुरूप धूल नियंत्रण उपकरण प्रदान किए गए थे। जहां कहीं सम्भव और व्यवहार्य है अधिक जटिल प्रकार के वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण उत्तरोत्तर स्थापित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सिक्किम में लघु पन-बिजली ऊर्जा की सप्लाई की संभावना

3249. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम में लघु पन-बिजली ऊर्जा की सप्लाई की बहुत अधिक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक पूर्ण क्षमता का मूल्यांकन किया गया है; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें से कितनी क्षमता को अब तक काम में लाया जा चुका है और कितनी क्षमता सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काम में लाई जाएगी;

(घ) क्या उत्पादित ऊर्जा को छोटे पैमाने के उद्योगों और घरेलू उपयोग आदि के लिए पूरा उपयोग करने हेतु कोई योजनायें बनाई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सिक्किम की जल विद्युत शक्यता का निर्धारण 1.28 मिलियन किलोवाट किया गया है (60% भार अनुपात पर), जिसमें मिनी/माइक्रो जल विद्युत स्कीमों की शक्यता शामिल नहीं है। परिवर्तनशील कारणों की वजह से मिनी/माइक्रो जल विद्युत शक्यता का सही-सही निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

(ग) कुल 3296 किलोवाट प्रतिष्ठापित क्षमता की तीन मिनी/माइक्रो स्कीमें प्रचालन में हैं तथा कुल 3500 किलोवाट प्रतिष्ठापित क्षमता की दो स्कीमें निर्माणाधीन हैं। सातवीं योजना के दौरान सिक्किम में माइक्रो/मिनी/लघु जल विद्युत स्कीमों से 9500 किलोवाट का लाभ प्राप्त होने की आशा है।

(घ) और (ङ) ऐसी स्कीमों से उत्पादित विद्युत को औद्योगिक तथा घरेलू भारों सहित भारों की विभिन्न किस्मों को पोषित करने के लिए सामान्यतः स्थानीय ग्रिड के सबसे समीप के उपकेन्द्र में प्रेषित कर दिया जाता है।

हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में अल्प पूंजी उद्योगों की स्थापना

3250. **प्रो० सैफुद्दीन सोज :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में अल्प पूंजी उद्योगों की स्थापना व्यवहार्य है;

(ख) क्या ऐसा करने से कोई पारिस्थितिक असंतुलन हुए बिना इन पर्वतीय राज्यों के विकास में तेजी आएगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्वतीय राज्यों में ऐसे उद्योग लगाने के लिए कोई योजना तैयार करने का है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक एककों को स्थापित करने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिवेशीय प्रदूषणों की गहनता हमेशा पूंजी निवेश की मात्रा और उद्यमी और/अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा किए गए निरोधात्मक अभ्युपायों पर ही निर्भर न करके उद्योग की प्रवृति और आकार पर निर्भर करती है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों और संस्थानों का विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं में समाविष्ट प्रोत्साहनों और अभ्युपायों द्वारा अपने-अपने राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में उद्योगों के विकास में वृद्धि करने का प्रयत्न रहा है।

देश में पोलियो टीके का विकास

3251. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अगस्त, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकारी स्वामित्व वाले हाफकिन बायो-फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई ने देश में पोलियो टीके का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह टीका जनता के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हेफकीन बायो-फार्मास्युटिकल्स कार्पोरेशन लि० ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से ओरल पोलियो वेक्सीन्स कन्सेन्ट्रेट के उत्पादन के लिए सुविधाएं स्थापित की हैं :

(ग) उत्पादित की गयी वेक्सीन की किस्म का विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशिष्टताओं के अनुसार परीक्षण किया जाना है। परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के बाद, ओरल पोलियो वेक्सीन का वाणिज्यिक रूप से उत्पादन किया जाएगा और उसके फलस्वरूप उत्पादित वेक्सीन उपयोग के लिए जारी किए जायेंगे।

एकाधिकार घरानों की वृद्धि दर

3252. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में एकाधिकार घरानों की वृद्धि की दर क्या थी; और

(ख) सरकार ने जनसाधारण के हित के विरुद्ध धन तथा उत्पादन के साधनों के संकेन्द्रण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों की परिसम्पत्तियां अनुगामी वर्ष से परे 1982, 1983 और 1984 में क्रमश: 24.3%, 19.7% और 20.5% बढ़ गई।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उद्देश्य देश में एकाधिकारिक घरानों की वृद्धि को पूर्ण रूप से रोकना नहीं है किन्तु राष्ट्रीय, आर्थिक और औद्योगिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की वृद्धि धन के संकेन्द्रण तथा उत्पादन के सार्वजनिक तौर पर हानिकारक होने की परिणामी नहीं हो।

सरकारी उपक्रमों के कार्य का ठप्प पड़ना

3253. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों को उद्योग मंत्रालय को अन्तरित किए जाने के परिणामस्वरूप उनमें काम-काज ठप्प पड़ गया है जैसा कि 13 नवम्बर, 1985 के 'स्टेट्समैन' में छपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे अधिक यूनिटों के रुग्ण होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

गुजरात के तरनतार क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति

3254. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सुरेन्द्रनगर जिले के तरनतार क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार पाए गए हैं और क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1980 में इसके खनन की अनुमति मांगी थी और इस संबंध में क्या निर्माण किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सिद्धांत रूप में अनुमति देने का निर्णय किया था और यदि हां, तो इसके बाद अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने जो स्पष्टीकरण मांगा था गुजरात सरकार ने वह 1980 में दे दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) जुलाई, 1979 में केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया था कि सरकार के अपने उपक्रमों द्वारा देश में कोयले के खनन कार्य की वर्तमान नीति चालू रखने के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी "अलग-अलग छोटे-छोटे स्थानों पर" कोयले का खनन करने की अनुमति दी जाए किन्तु यह अनुमति इस संबंध में निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन रहे ।

फरवरी, 1980 में गुजरात की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि जिला सुरेन्द्र नगर के खखारथल, तारेनतार, चंद्रेलिया और बेलाला गांवों में कोयले के दोहन के लिए "गुजरात मिनरल्स डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि०" के पक्ष में खनन पट्टे की स्वीकृति दी जाए । इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि "गुजरात मिनरल्स डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि० जो कोयला निकाले उसे लागत+लाभ के आधार पर बेचने की अनुमति दी जाए । चूंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोयले की ग्रेड-वार कीमतों की बिक्री के संबंध में निर्धारित शर्तों में से एक शर्त पूरी नहीं की गई थी, इसलिए राज्य सरकार को यह सूचित कर दिया गया था कि कोयले की बिक्री से संबंधित शर्त में छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि कोयले की कीमतें सांविधिक रूप से केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है । राज्य सरकार ने फिर केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि गुजरात डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० को कोयले की कीमतों संबंधी शर्त में छूट देते हुये कोयले के खनन की अनुमति दी जाए । अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

मंद ताप विद्युत केन्द्र, मध्य प्रदेश को कोयले की सप्लाई

3255. **श्री सुभाष यादव :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1978 में सूचित किया था कि मंद-कण्ठार में और उसके आसपास के क्षेत्र में खोज कार्य चल रहा है और सही स्थिति का पता लगभग दो वर्षों के बाद ही चलेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अब यह बताएगी कि कोयले की उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट है अथवा नहीं क्योंकि तब से लेकर अब तक 6 वर्षों से अधिक का समय गुजर गया है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र से कोयले की सप्लाई प्राप्त करने में अन्यों की तुलना में मंद ताप विद्युत संयंत्र को प्राथमिकता दी गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पिछले चार-पांच वर्षों में मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्र के सिथरा, धर्मजयगढ़, खारगांव, कुल्मकल, अमगांव, चहूल क्षेत्रों में कोयले का क्षेत्रीय समन्वेषण किया है। प्रमाणित और इंगित वर्गों में 1390 मि० टन कोयले के भंडार का अनुमान लगाया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश के मांड ताप बिजली घर को कोयले के संयुजन पर तभी विचार किया किया जा सकता है जब योजना आयोग निवेश और कोयला संयुजन के लिए बिजली परियोजना को सिद्धांत रूप से मंजूर कर ले।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात को लेवी सीमेंट का आवंटन

3256. श्री एस०जी० घोलप
श्री सी०डी० गामित } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात को लेवी सीमेंट का तिमाही आवंटन कितना किया गया और कारखाने द्वारा वास्तव में इसकी कितनी सप्लाई की गई;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक कारखाने राज्य सरकारों के आवंटितों को लेवी सीमेंट सप्लाई नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो कम सप्लाई के लिए क्या कारंवाई की गई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात राज्यों को वर्ष 1984-85 के दौरान लेवी सीमेंट का तिमाही आवंटन और फैक्टरियों द्वारा की गई आपूर्ति नीचे दी गई है :—

'000 मी० टन में आंकड़े

	आई० एण्ड पी० सहित आवंटन	आई० एण्ड पी० सहित प्रेषण	प्रतिशतता
1	2	3	4
गुजरात			
(1) 1984 की दूसरी तिमाही	284	175	

1	2	3	4
(2) 1984 की तीसरी तिमाही	268	242	
(3) 1984 की चौथी तिमाही	290	308	
(4) 1985 की पहली तिमाही	287	260	
जोड़ :	1129	985	87.34
महाराष्ट्र :			
(1) 1984 की दूसरी तिमाही	425	383	
(2) 1984 की तीसरी तिमाही	412	391	
(3) 1984 की चौथी तिमाही	458	389	
(4) 1985 की पहली तिमाही	426	315	
जोड़ :	1721	1478	85.88
कर्नाटक :			
(1) 1984 की दूसरी तिमाही	202	163	
(2) 1984 की तीसरी तिमाही	210	229	
(3) 1984 की चौथी तिमाही	223	174	
(4) 1985 की पहली तिमाही	218	167	
जोड़ :	853	733	85.93

(ख) और (ग) इन राज्यों को आबंटन का 85 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक प्रेषण किया गया जो कि संतोषजनक माना जाता है।

आटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा घटिया किस्म के पुर्जों का प्रयोग

3257. प्रो० के० वी० थामस : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि आटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा घटिया किस्म के पुर्जों का प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या आटोमोबाइल के फालतू पुर्जों के मूल्य निर्धारित करने का कोई विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा घटिया किस्म के पुर्जों के प्रयोग के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। किन्तु फालतु पुर्जा बाजार में मोटरगाड़ियों के घटिया और नकली पुर्जों के निर्माण और बिक्री की घटना मोटर-गाड़ी हिस्सा-पुर्जा निर्माता संघ द्वारा सरकार की जानकारी में लाई गई हैं।

(ख) मोटर गाड़ियों के घटिया और नकली पुर्जों की बिक्री और निर्माण को हतोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार ने उद्योग को लाइसेंस मुक्त करके और इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण और नवीनतम प्रौद्योगिकी शुरू करके अच्छी किस्म के हिस्से-पुर्जों. के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं। अच्छी किस्म के हिस्से-पुर्जों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोटर-गाड़ी सहायक सामान को कुछ वित्तीय रियायतें भी दी हैं।

(ग) जी, नहीं।

कुटीर और लघु उद्योगों को सहायता

3258. **श्री सतीश चन्द्र सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने/उनको बनाए रखने के लिए मौजूदा तथा नए कुटीर और लघु उद्योगों को संवर्धनात्मक तकनीकी और वित्तीय सहायता तथा अन्य सेवायें देने में जिला उद्योग केन्द्रों की सहायता करने के लिए कोई योजना प्रस्यायोजित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) वर्ष 1980-85 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि क्या थी; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में इस संबंध में यदि कोई गिरावट आई है; तो उसके क्या कारण हैं?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जिला उद्योग केन्द्रों की सहायतार्थ संघ सरकार द्वारा कोई नई योजना प्रायोजित नहीं की गई है। फिर भी रोजगार के सृजन/पोषण हेतु जिला उद्योग केन्द्र विद्यमान एवं नए कुटीर तथा लघु उद्योगों/एककों को संवर्धनात्मक, तकनीकी, वित्तीय सहायता और अन्य सेवायें उपलब्ध कराते हैं।

(ख) से (घ) पूरे देश और पश्चिम बंगाल राज्य में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी 1983-84 तक उपलब्ध है और यह नीचे दी गई है :—

मद	कुल भारत 1980-81 से 1983-84	पश्चिम बंगाल 1980-81 से 1983-84
1	2	3
1. स्थापित किए गए नए एककों की संख्या	12,60,328	23,169

1	2	3
2. सृजित रोजगार (संख्याएं)	40,61,753	91,421
3. तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट (संख्याएं)	4,97,538	33,140
4. खोजे गए उद्यमी (सं०)	16,60,789	88,804
5. दी गई तकनीकी सहायता (संख्याएं)	4,41,480	20,561
6. वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई ऋण सुविधा (करोड़ रुपयों में)	1881.89	90.81

(ङ) कार्यक्रम के लिए लक्ष्य नहीं निर्धारित किए जाते। अत: पिछड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्यात

3259. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा कितने मूल्य के निर्यात किए गए हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है; और

(ग) क्या विभिन्न उपक्रमों के लिए निर्यातों का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) एच०एम०टी० तथा बी०एच०ई०एल० के निर्यात के मूल्य निम्नलिखित हैं :—

	1982-83	1983-84	1984-85
		(करोड़ रुपए में)	
एच०एम०टी०	19.16	19.32	18.94
बी०एच०ई०एल०			
(1) वास्तविक निर्यात	30.26	27.35	4.51
(2) माना गया निर्यात	52.78	120.25	212.97
योग : बी०एच०ई०एल०	83.04	147.60	217.48

(ख) सरकारी उद्यमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं—

(1) निर्यात हेतु उत्पादन के लिए उन्नत और आधुनिक प्रौद्योगिकी आयातों के लिए अनुकूल विवेचन करना।

(2) नकद प्रतिपूरक सहायता।

(3) इंजीनियरिंग तथा अन्य निर्यातोन्मुख उद्योगों की कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में ब्याज की रियायती दरों पर लदान-पूर्व ऋण की अवधि को 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करना।

(4) शुल्क की वापसी के वितरण में विलम्ब को कम करने के लिए नीतियों तथा प्रणालियों को सरल बनाना।

(5) इंजीनियरिंग माल के निर्यात को उनकी इस्पात की आवश्यकताओं की सप्लाई अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर की जा रही है। निर्यात होने के पश्चात् निर्यातकों को स्वदेशी कीमत और अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के बीच अन्तर को वापिस किया जाता है।

(6) एग्जिम बैंक द्वारा निर्यात ऋण का प्रावधान।

(7) इन्जीनियरिंग माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रकोष्ठों की स्थापना करना।

(ग) कुछ सरकारी उद्यमों के अपने निर्यात लक्ष्य हैं।

दिल्ली में मिट्टी के तेल के थोक डीलर

3260. श्री राम भगत पासवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम द्वारा दिल्ली में मिट्टी के तेल के कितने थोक डीलरों को मिट्टी के तेल की बिक्री के लिए एजेंसी दी गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन डीलरों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 31.10.1985 को दिल्ली संघ प्रदेश में केरोसीन के वितरण के लिए आई०ओ०सी० की एक केरोसीन—एल०डी०ओ० डीलरशिपें हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) आई०ओ०सी० ने दिल्ली संघ राज्य क्षत्र के निम्नलिखित स्थानों पर और 17 केरोसीन—एल०डी०ओ० डीलरशिपों को स्थापित करने की योजना बनाई है।

1. दिल्ली (त्रिनगर)

2. दिल्ली (कृष्णा नगर)
3. दिल्ली (नवीन शाहदरा)
4. दिल्ली (उत्तम नगर)
5. दिल्ली (शाहदरा)
6. दिल्ली (नारायणा)
7. दिल्ली (लोधी रोड)
8. दिल्ली (नरेला)
9. दिल्ली (मॉडल टाउन)
10. दिल्ली (शुक्कर पुर)
11. दिल्ली (महरौली)
12. दिल्ली (शक्ति नगर)
13. दिल्ली (जहांगीर पुरी)
14. दिल्ली (जनकपुरी)
15. दिल्ली (मुनीरिका)
16. दिल्ली-I
17. दिल्ली।II

खाना पकाने की गैस एजेन्सी के आवंटन के लिए बड़े गांवों तथा छोटे नगरों को चुनने के मानदण्ड

3261. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े गांवों और छोटे नगरों में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांव और नगर चुनने का मापदण्ड क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जिन नगरों की जनसंख्या 20,000 या इससे अधिक है तथा जहां आर्थिक रूप से व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिये पर्याप्त विपणन क्षमता है उन क्षेत्रों में तेल कंपनियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से भरण क्षमता में वृद्धि तथा अन्य इन्फास्ट्रक्चर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जा रही हैं ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन

3262. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री मानिक रेड्डी
श्री सुभाष यादव
श्रीमती जयन्ती पटनायक
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के संगठन और संरचना तथा कार्मिक नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह इस संगठन के कार्यचालन के लिए किस प्रकार अधिक उपयोगी सिद्ध होगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) आई०डी०पी०एल० ने, फाउण्डेशन फार आर्गनाइजेशन रिसर्च की सहायता से संगठनात्मक ढांचे तथा कार्मिक नीतियों का पुनरीक्षण आरंभ किया है।

[हिन्दी]

शीरे का उचित उपयोग

3263. **श्री जितेन्द्र सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई चीनी कारखानों और मिलों में शीरे का भंडार बेकार जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शीरे को बर्बाद होने से बचाने और उससे अन्य उप-उत्पाद तैयार करने की दृष्टि से जो कि देश के लिए लाभप्रद हो सकते हैं, एक दीर्घावधि नीति बनाने का है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि यह सही नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर बिहार में टेलीफोन प्रणाली का दर्जा बढ़ाना

3264. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन प्रणाली का दर्जा बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। उत्तरी बिहार के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन प्रणाली का विस्तार करने का कार्यक्रम है।

(ख) सीवान, किशनगंज, बेगूसराय और खगड़िया के सेंट्रल बैटरी वाले एक्सचेंजों को ऑटोमेटिक एक्सचेन्जों में बदलने के प्रस्ताव हैं। मधुबनी, सहरसा, माधेपुरा, हाजीपुर और

पुणिया के सेन्ट्रल बैटरी वाले एक्सचेन्जों को भी इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों में बदलने का प्रस्ताव है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान त्रिपुरा में दूर-संचार प्रणाली का विकास

3265. **श्री अजय विश्वास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा में दूर संचार प्रणाली के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए योजना आयोग ने 4010 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया है। राज्यों की यूनिटों को इस परिव्यय के आधार पर अपनी योजना तैयार करने के लिए मार्गनिर्देश दिए गए हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र की योजना को अंतिम रूप देने के बाद ही त्रिपुरा की योजनाओं के ब्यौरों का पता चल सकेगा।

[हिन्दी]

गैस-स्टोव और रेगूलेटर के निर्माताओं को लाइसेंस

3266. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैस स्टोव और रेगूलेटर के निर्माताओं को लाइसेंस जारी करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार घटिया किस्म के गैस स्टोव और रेगूलेटरों का निर्माण रोकने के लिए निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) लघु-उद्योग के क्षेत्र के विकास के लिये गैस स्टोव उद्योग आरक्षित है। अतः इसके लिये किसी भी आशय पत्र के आवेदन पत्रों/डी०जी०टी०डी० के पंजीकरण पर विचार नहीं किया जाता है। एल० पी०जी०रेगूलेटरों के निर्माण कार्य में संलग्न लघु उद्योग क्षेत्र की इकाईयों को छोड़ कर अन्य सभी इकाईयों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन एक लाइसेंस लेना आवश्यक है।

(ख) उपयुक्त मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना

3267. श्री के० राममूर्ति
श्री पी०एम० सईद
श्री सोमनाथ रथ
: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष मार्च से शुरू होने वाली सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागादारी की योजना का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह योजना केवल चरणों में क्षेत्र और निगमित स्तरों पर शुरू की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्तावित कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में श्रम मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1983 में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) :(क) इस योजना में यह प्रावधान है कि यूनियन का सदस्य बन चुका प्रत्येक कामगार गुप्त मतदान द्वारा यह बताएगा कि कामगार-हित पर वार्ता मंचों में कौन यूनियन उसका प्रतिनिधित्व करे। यूनियन का सदस्य बन चुके कामगारों के 10 प्रतिशत या उससे अधिक मत पाने वाली यूनियनें, प्राप्त मतों के अनुपात में, वार्ता-मंचों में अपने प्रतिनिधि नामित करेंगी। कोई भी शिल्प यूनियन अथवा जाति या संप्रदाय पर आधारित यूनियन इस योजना में सम्मिलित नहीं की जाएगी। केवल कर्मचारी ही कोलियरी स्तर पर नामित होने के हकदार होंगे।

(ख) और (ग) शुरू में, इस योजना को केवल यूनिट-स्तर पर मार्च, 1986 तक लागू कर देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य स्तरों को इस योजना के अधीन धीरे-धीरे चरणों में लाया जाएगा।

(घ) श्रम मंत्रालय की प्रश्नाधीन योजना में यह प्रावधान है कि शॉप और संयंत्र स्तरों पर केन्द्रीय सरकार के उद्यमों में कर्मचारियों की भागीदारी शॉप और संयंत्र स्तरों पर रहे और चुनींदा जगहों में बोर्ड स्तर पर भी रहे। कामगार और प्रबंध-मंडल दोनों को शॉप स्तर और संयंत्र स्तर के वार्ता-मंचों में बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना है। इस संबंध में, प्रबंध मंडल को ट्रेड यूनियनों के नेताओं से परामर्श करना है और आम सहमति के जरिए सभी स्तरों पर कामगारों के प्रतिनिधित्व के लिए तरीके तैयार करना है।

परमाणु ज्वारीय और सौर ऊर्जा का उत्पादन

3268. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी परमाणु, ज्वारीय और सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में ऐसी ऊर्जा का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) परमाणु बिजली घरों में विस्फोट तथा प्रदूषण रोकने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा पर स्थापित करने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सीमेंट का उत्पादन

3269. **श्री छोटू भाई गामित**
श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए सीमेंट उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य क्या था तथा उन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ख) इन लक्ष्यों को पूर्णरूप से प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीमेंट उत्पादकों को सरकार द्वारा विशेष अनुदेश जारी किए गए हैं अथवा जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट का उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार रहा :—

(दस लाख मी० टन)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1980—81	20.00	18.66
1981—82	22.23	21.00
1982—83	26.00	23.32
1983—84	28.00	27.07
1984—85	34.50	30.17

(ख) इन वर्षों में मुख्यत: बिजली और कोयले जैसी निविष्टियों से सम्बन्धित रुकावटों, कोयले और सीमेंट को लाने-ले जाने के लिए रेल वैगनों के न मिलने, कुछ नई परियोजनाओं/

विस्तारों के चालू होने में देर हो जाने, सामान्यत: नये एककों तथा विशेषत: 10 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता वाले एककों के सामने आने वाली आरम्भिक कठिनाइयों के कारण उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमेंट उत्पादकों को सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने हेतु निरन्तर सलाह दी जा रही है इस दिशा में, उद्योग को अपनी बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं में से लगभग 40% आवश्यकता को पूरी करने के लिए कैप्टिव [विद्युत संयंत्र स्थापित कर लेने की सलाह दी गई थी। सीमेंट उद्योग के विकास आयुक्त द्वारा भी सीमेंट के उत्पादन की बारीकी से मानीटरी की जाती है ताकि अवस्थापना सम्बन्धी अड़चनों को न्यूनतम करने के लिए समय पर उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

[अनुवाद]

रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों का प्रबन्ध ग्रहण करना

3270. श्री उत्तम राठौड़ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने किन-किन रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों/यूनिटों का प्रबन्ध ग्रहण किया है;

(ख) इनका आधुनिकीकरण करने तथा इनमें उत्पादन आरंभ हो सके इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन पिछले 2 वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किसी भी औद्योगिक एकक अभिग्रहीत नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक उत्पादन, जोड़े गए मूल्य, रोजगार और कारखानों की संख्या में पश्चिमी बंगाल का शेयर

3271. श्री भोला नाथ सेन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि के दौरान देश के कुल औद्योगिक उत्पादन, जोड़े गए मूल्य, रोजगार और कारखानों की संख्या में पश्चिम बंगाल का कितना शेयर था; और

(ख) पश्चिम बंगाल के शेयर में यदि कोई गिरावट आई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) वर्ष 1976-77 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान देश के कुछ औद्योगिक उत्पादन, जोड़े गए मूल्य, रोजगार और कारखानों की संख्या में पश्चिम बंगाल के हिस्से को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) औद्योगिक उत्पादन, जोड़े गए मूल्य रोजगार और कारखानों की संख्या के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के कार्य-निष्पादन में कुल मिलाकर सुनिश्चित सुधार देखने में आया है। तथापि, राज्य का आपेक्षिक हिस्सा अन्य राज्यों की तुलना में राज्य के समग्र कार्य-निष्पादन पर निर्भर करता है।

विवरण

देश के कुल औद्योगिक उत्पादन, जोड़े गए मूल्य, रोजगार और कारखानों की संख्या में पश्चिम बंगाल का हिस्सा

	कारखानों की संख्या		%	कर्मचारियों की संख्या		%	कुल उत्पादन		%*	जोड़े गए मूल्य		%
	अखिल भारत	प० बंगाल		अखिल भारत	प० बंगाल		अखिल भारत	प० बंगाल		अखिल भारत	प० बंगाल	
1976-77	81277	6173	7.6	6649250	882100	13.3	3409065	372134	10.9	731070	88218	12.1
1977-78	84918	5950	7.0	7094000	934848	13.2	3892000	407794	10.5	811600	93546	11.5
1978-79	88077	5909	6.7	7248109	932720	12.9	4434379	433984	9.8	955396	106820	11.2
1979-80	95126	6264	6.6	7678271	970344	12.6	5225785	512595	9.8	1086450	119145	11.0
1980-81	96503	6359	6.6	7714679	952026	12.3	6108403	599252	9.8	1192877	137494	11.5
1981-82	105037	7281	6.9	7777868	923427	11.9	7367247	676449	9.2	1455457	144196	9.9

स्रोत :—फैक्टरी क्षेत्र के लिए ए०एस०आई० के संक्षिप्त परिणाम।

पश्चिमी बंगाल में नए डाक तथा तारघर खोलना

3272. डा० फूलरेणु गुहा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1985-86 में पश्चिम बंगाल में कुछ नए डाकघर तथा तार-घर खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त वित्तीय वर्ष के दौरान मिदनापुर जिले में खोले जाने वाले प्रस्तावित नए डाकघरों तथा तारघरों की संख्या कितनी है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तारघर (संयुक्त डाक-घर) खोले जाने का प्रस्ताव है। जहां तक डाकघरों का संबंध है नए पदों के सृजन पर लगी मौजूदा पाबंदी के कारण किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) मिदनापुर जिले में वर्ष 1985-86 के दौरान 5 तारघर (संयुक्त डाक तारघर) खोले जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

फूलपुर (उत्तर प्रदेश) में भारी उद्योगों की स्थापना

3273. श्री रामपूजन पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र में सोराव और हांडिया तहसीलों में भारी उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ख) उद्योगों की स्थापना के मामले में इस पिछड़े क्षेत्र की अब तक उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के सोरांव और हंडिया तहसीलों में सरकारी क्षेत्र में किसी भी भारी उद्योग के स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। इन क्षेत्रों में उद्योगों को लगाने के लिए लाइ-सेंस आदि के बारे में यदि कोई आवेदन हो तो उन पर क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

बाड़मेर जिले को राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग प्रणाली से जोड़ना

3274. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बाड़मेर जिले में बाड़मेर तथा बालोतरा नगरों को जोधपुर से डिजिटल कोएक्सिल केबल सिस्टम द्वारा कब तक जोड़ दिया जाएगा; और

(ख) बाड़मेर जिले को राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग प्रणाली से कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) बाड़मेर और बालोतरा को सातवीं योजना के अन्त तक बाड़मेर—बालोतरा—जोधपुर—मथानिया—फालोदी-पोकरन—

जैसलमेर डिजिटल कोएक्सिअल प्रणाली द्वारा जोधपुर के साथ जोड़े जाने की संभावना है बशर्ते कि केबिल और उपस्कर समय पर मिल जाएं।

(ख) बाड़मेर जिला मुख्यालय को सातवीं योजना के अन्त तक राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग प्रणाली से जोड़े जाने की संभावना है बशर्ते कि उपर्युक्त डिजिटल कोएक्सियल प्रणाली का कार्य पूरा हो जाए।

[अनुवाद]

ग्रीसोफलुविन को लाइसेंस प्राप्त और स्थापित क्षमता

3275. श्री हरिकृष्ण शास्त्री : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को "ग्रीसोफलूविन" का उत्पादन करने का लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस प्राप्त और स्थापित क्षमता क्या है;

(ग) इस औषधि का उत्पादन करने के लिए संयंत्र कब लगाया गया था और संयंत्र और मशीनों की मूल लागत क्या थी;

(घ) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा कोई प्रौद्योगिकी खरीदी गई थी और यदि हां, तो किससे और उसके लिए क्या मूल्य दिया गया।

(ङ) वर्ष 1985-86 के दौरान इस औषधि की कितनी मांग होने का अनुमान है;

(च) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की किसी कम्पनी को इस औषधि की भारी क्षमता की सिफारिश की है;

(छ) यदि हां, तो कितनी क्षमता और किस स्तर पर निर्माण की सिफारिशें की गई है और यदि इस कम्पनी में कोई विदेशी साम्य पूंजी भी है; और

(ज) उस कम्पनी का नाम क्या है और उसमें कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रिस्योफलविन के लिए आई०डी०पी०एल० की लाइसेंसशुदा और स्थापित क्रमशः 6.00 मी०ट० और 1.00 मी० ट० है जो बार 10 एम फर्मेन्ट्स और 3500 यू०/मि०लि० के क्रियाकलाप स्तर पर आधारित है।

(ग) संयंत्र 1975-76 में स्थापित किया गया था। संयंत्र और मशीनरी में प्रारम्भिक निवेश 9.59 लाख रु० का था।

(घ) जी, नहीं/तथापि आई०डी०पी०एल० ने ऋषिकेश में एन्टीबायोटिक्स संयंत्र की स्थापना के लिए किए गए करार के एक भाग के रूप में सोवियत संघ से पैकेज डील के अधीन

स्ट्रेन और प्रौद्योगिकी प्राप्त किए।

(ङ) 20.92 मी० टन।

(च) से (ज) मै० ग्लैक्सो को लाइसेंसिंग और औषध नीतियों के अनुसरण में मूल अवस्था से 20 टन ग्रिस्योफुलविन का निर्माण करने हेतु एक आशय-पत्र जारी किया गया है। इस कम्पनी की विदेशी साम्यता 40 प्रतिशत है।

बांलागीर जिला (उड़ीसा) में वन पर आधारित उद्योग की स्थापना

3276. श्री सोमनाथ रथ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बांलागीर जिले की स्थिति वनों पर आधारित उद्योगों के लिए आदर्श है;

(ख) यदि हां, तो उस जिले में इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जिला उद्योग केन्द्र, बांलागीर की कार्य योजना के अनुसार जिले में वनों पर आधारित लघु एकक स्थापित करने की गुंजाइश है। मार्च, 1984 तक जिले में आरामशीन, बीड़ी बनाने, लकड़ी के फर्नीचर, बढ़ईगिरी, टोकरी बनाने, रस्सी बनाने आदि के लिए 125 वनों पर आधारित लघु एकक पंजीकृत थे।

गुजरात में दूरसंचार सुविधायें

3277. श्री रणजीत सिंह गायकवाड : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगले पांच वर्षों के दौरान गुजरात के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करने का है;

(ख) अगले पांच वर्षों के दौरान गुजरात में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि खर्च करने का विचार है;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के चुने हुए जिलों में एकीकृत डिजिटल नेटवर्क शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी, हां।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही सर्किलों को प्रतिवर्ष निधि का आबंटन

किया जाता है। गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में 1985-86 के दौरान दूरसंचार सुविधायें प्रदान करने के लिए लगभग 1.4 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र में कुप्रबन्ध

3278. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में कुप्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गए हैं अथवा निकट भविष्य में क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों में कुप्रबन्ध में सुधार करने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अध्याय VI (धारा 397-409) में उपबन्धों का उल्लेख किया गया है। शेयर-धारियों और ऋणदाताओं को भी उसके अन्तर्गत कतिपय स्थितियों में अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के कुप्रबन्ध की दशा में उच्च न्यायालय या कम्पनी विधि बोर्ड में जाने का अधिकार प्राप्त है। सरकारी कम्पनियों में भी सरकार प्रबन्धकीय कार्मिकों नामशः प्रबन्धनिदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबन्धक की नियुक्ति तथा नियुक्ति की शर्तों और स्थितियों को विनियमित करती है तथा इस प्रकार के प्रस्तावों की परीक्षा करने पर, सरकार प्रस्तावित नियुक्ति के योग्य और उचित चरित्र पर विचार करती है।

वर्ष 1985 में जारी औद्योगिक लाइसेंस और आशयपत्र

3279. **श्री पी०एम० सईद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कितने औद्योगिक लाइसेंस और आशय-पत्र जारी किए गए हैं, और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस समय औद्योगिक लाइसेंसों और आशय पत्रों के कितने आवेदन पत्र लंबित हैं और इन आवेदन पत्रों के निपटान में कितना समय लगने की संभावना है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) अप्रैल-नवम्बर, 1985 की अवधि में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत 820 आशय-पत्र और 689 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। जारी किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में ब्यौरे जैसे उपक्रम का नाम और पता, निर्माण-स्थल जिला/राज्य क नाम सहित (निर्माण की वस्तुयें और क्षमता आदि इंडियन इनवेस्टमेंट सेंटर द्वारा उनके "मंथली न्यूजलेटर में नियमित रूप से प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।"

(ख) 1.12.85 को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आशय-पत्रों औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए प्राप्त 884 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन विचारणा की विभिन्न स्थितियों में थे। सरकार की लगातार कोशिश ऐसे सभी औद्योगिक लाइसेंसों को शीघ्र निपटान करने की होती है। इसे ध्यान में रखते हुए क्रियाविधि को सरल और कारगर बना दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में पनबिजली संसाधन

3280. श्री० के० डी० सुल्तानपुरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में पन बिजली उत्पादन के अनेक संसाधन उपलब्ध हैं;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने राज्य में पन बिजली उत्पादन के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है, यदि हां, तो इन योजनाओं को कार्यान्वित करने पर कितनी बिजली का उत्पादन होने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उन योजनाओं के लिए धन न दिए जा सकने की स्थिति में क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को उन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए अन्य पार्टियों/उपक्रमों के साथ समझौता करने की अनुमति देने की है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हिमाचल प्रदेश में भारी मात्रा में जल विद्युत क्षमता है। 60% भार अनुपात पर अनन्तिम रूप से इसका अनुमान 11.6 मिलियन किलोवाट लगाया गया है।

(ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रमुख रूप से यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह अपनी जल विद्युत क्षमता का विकास करने के लिए साधनों का पता लगाए। यदि राज्य और केन्द्र सरकार के बीच आपसी सहमति हो तो कुछ बृहत परियोजनाओं का क्रियान्वयन केन्द्रीय क्षेत्र में किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। यदि सम्बन्धित पार्टियां इच्छुक हों तो राज्य सरकार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पड़ोसी राज्य सरकारों के साथ भी समझौता कर सकती है। तथापि, विदेशी एजेंसियों अथवा प्राइवेट पार्टियों के साथ भी समझौतों के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे मामलों के बारे में गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा जो कि साधनों की उपलब्धता, विदेशी वित्त व्यवस्था की मात्रा और उसके स्वरूप आदि जैसे पहलुओं पर निर्भर करता है।

विवरण

नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) के अलावा, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं की केन्द्रीय प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जांच की जा रही है :—

परियोजना	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	वार्षिक ऊर्जा (मेंगावाट आवर)
उहन चरण-तीन	70	294
लार्जी	126	570
चमेरा—चरण-दो	273	1192
धानवी	15	95
संजय विस्तार	—	54

"ब्राड बैंडिंग" योजना में संशोधन

3281. श्री आनन्द सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ ने सरकार से लाइसेंस तन्त्र को अधिक लचीला बनाने के लिए निर्माण के मदों की "ब्राड बैंडिंग" योजना में संशोधन करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो संघ की मुख्य मांग क्या है;

(ग) क्या निर्मित होने वाले मदों की विभिन्न श्रेणियों सम्बन्धित ब्राड-वाणिज्य योजना में पहले ही संशोधन किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ द्वारा सितम्बर, 1985 में व्यापक समूह बनाने सम्बन्धी एक चर्चा आयोजित की गई थी जिसमें व्यापक समूह बनाने की योजना का स्वागत करने के साथ-साथ व्यापक समूह बनाने की नीति के और उदारीकरण, प्रत्येक उद्योग के लिए एक न्यूनतम आर्थिक क्षमता निर्धारित करने और एम०आर०टी०पी०/फेरा कम्पनियों के सम्बन्ध में व्यापक समूह बनाने की योजना की प्रणालियों के सरलीकरण का भी सुझाव दिय गया था ।

(ग) और (घ) औद्योगिक नीति का अभिवर्द्धन और सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है और इस सम्बन्ध में पैनल द्वारा दिए गए सुझावों सहित सभी सुझावों को औद्योगिक नीति के अनुसार आगे उपायों पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाता है ।

आंध्र प्रदेश में तेल की खोज

3282. श्री बी० तुलसी राम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश की बड़ी जलाशय सम्पन्न नदियों के बेसिन में तेल तथा गैस की खोज करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चुने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) और (ख) ओ०एन०जी०सी० द्वारा आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसीन में तेल और गैस की खोज की जा रही है। नरसापुर, राजोले, अकलापुरम, भीकानपल्ली, कैकालुर मोंवी तथा काजा में कुएं खोदे गए हैं। तातीपाका, मतसापुरी तथा भीमानपल्ली में खुदाई चल रही है। इसके अतिरिक्त भविष्य में निम्नलिखित क्षेत्रों को खुदाई के लिए इंगित किया गया है :—वसरल्लापुड़ी, पल्लाकोल, द्रक्षारम, सुरसरयानम, पुल्लेतीहुरु, वेल्लापलम, बड़ापारु, मन्दापला, मगतापल्ले, करमुगुदम, तथा अछंता।

(ग) और (घ) वर्ष 1985-86 में 7 कुएं तथा 1986-87 में 9 कुएं खोदने का प्रस्ताव है। सम्पूर्ण सातवीं योजना के दौरान खुदाई कार्य चलेगा।

केरल को मिट्टी के तेल का आवंटन

3283. **श्री के० कुन्जम्बु**
श्री के०पी० उन्नी कृष्णन } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मिट्टी के तेल की प्रति माह कुल कितनी मांग है;

(ख) इस समय कितना मिट्टी का तेल सप्लाई किया जा रहा है;

(ग) क्या केरल सरकार ने अधिक मिट्टी का तेल आवंटित करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो मांग की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) सामान्यतः केरोसीन की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग का निर्धारण पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान चार माह के ब्लाक के आधार पर किए गए आबंटन पर 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर किया जाता है।

नवम्बर, 1985 से फरवरी, 1986 तक के वर्तमान शीतकालीन ब्लाक के लिए राज्य सरकार द्वारा संभावित मांग की पूर्ति के लिए 7½ प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से आबंटन किया गया है। तदनुसार, केरल को शीतकालीन ब्लाक के लिए 17240 मी० टन प्रतिमाह की मात्रा आबंटित की गई है जबकि केरल सरकार द्वारा सितम्बर, 1985 में 16840 मी० टन की मांग की गई थी।

टायर के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के उपाय

3285. श्री अनिल बसु
श्री सोमजीभाई डामोर } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग की सरकार के साथ हुई अनौपचारिक सहमति के बावजूद इसके द्वारा हाल ही में टायरों के मूल्यों में की गई वृद्धि उक्त उद्योग के विभिन्न निवेशों की लागत में वृद्धि के अनुपात में बिल्कुल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग पर दबाव डालकर उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर टायरों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि कोई उपाय किए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अब कुछ उपाय किए जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) उद्योग द्वारा मार्च, 1985 में की गई मूल्य वृद्धि प्रत्येक एकक में तथा प्रत्येक एकक की प्रत्येक किस्म में भिन्न-भिन्न है । किन्तु, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार, टायरों के मूल्यों में मार्च, 1985 में हुई वृद्धि कुल मिलाकर सामान्यतः 1985-86 के बजट के परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि के अनुपात के अनुरूप नहीं हुई है। मार्च, 1985 से उत्पादकों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) से (ङ) कच्चे माल के मूल्यों और परिवर्तन लागतों पर नियंत्रण न होने और प्रतियोगितात्मक बाजार, जिसमें अधिष्ठापित क्षमता बाजार में निरन्तर बनी रखी जाने वाली क्षमता से अधिक है, की विद्यमान स्थिति को देखते हुए सरकार टायरों के मूल्यों/वितरण में हस्त-क्षेप करना आवश्यक नहीं समझती । फिर भी, कच्चे माल और अन्य निविष्टियों के मूल्यों को स्थिर करने तथा अप्रत्यक्ष करों की घटना के लिए अपेक्षित उपायों की सरकार निरन्तर समीक्षा करती है, ताकि टायर उद्योग टायरों के मूल्यों को उपयुक्त स्तर तक बनाए रख सके । मोटर गाड़ियों के टायरों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस अन्तर्गत रखा गया है ।

[हिन्दी]

डालमिया नगर (बिहार) में रोहतास ग्रुप के उद्योगों को नियंत्रण में लेना

3285. श्री विजय कुमार यादव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डालमिया नगर (बिहार) में रोहतास ग्रुप उद्योगों के लम्बे समय से बन्द होने के कारण 20 हजार मजदूरों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका प्रबन्ध अपने हाथों में लेने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) डालमिया नगर की रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जिसमें लगभग 15,000 कर्मचारी नियुक्त हैं, 9.9.1984 से बन्द पड़ी है।

(ख) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन एकक को अभिग्रहीत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

अल्यूमिनियम की तिपहिया कार का उत्पादन

3286. श्रीमती डी० बालमीकि : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अल्यूमिनियम तिपहिया कार का उत्पादन किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में निर्धनों को विधिक सहायता देने के लिए बोर्डों की स्थापना

3287. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां निर्धनों की सहायता के लिए विधिक सहायता बोर्डों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या इन बोर्डों द्वारा किए गए कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्धनों की विधिक सहायता के लिए कोई व्यापक विधान बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार :—

(क) नागालैंड राज्य के सिवाय सभी राज्यों ने विधिक सहायता के लिए बोर्ड स्थापित कर लिए हैं। इस बाबत नागालैंड राज्य में भी कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्तर के एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी से राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। इस बाबत कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि मूल्यांकन रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) और (ङ) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति, निर्धनों को विधिक सहायता और सलाह दिए जाने के लिए एक व्यापक विधेयक तैयार करने के संबंध में सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस प्रक्रम पर, इस बाबत ब्यौरे सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं ?

औषध निर्माण और वितरण का राष्ट्रीयकरण

3288. श्री चित्त महाता : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में औषधों के निर्माण और वितरण का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार का विचार है कि इस समय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पिछड़े राज्यों का औद्योगिकीकरण

3289. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल सहित पिछड़े राज्यों के औद्योगिकीकरण किए जाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले एक साल के दौरान इस बारे में कोई विशेष प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सरकार की नीति पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने की है। इस सम्बन्ध में सरकार अनेक योजनायें चला रही है अर्थात् केन्द्रीय निवेश राज सहायता, परिवहन राज-सहायता और ब्याज राज सहायता आदि। इन सभी योजनाओं का ब्यौरा प्रेस नोट सं० 14/2/83-डी० बी० ए०—1 दिनांक 9.4.85 के साथ पठित "इन्सेंटिव्स फॉर इन्डस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज" नामक पुस्तिका में दिया है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) जैसा कि निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1984 की तुलना में वर्ष 1985 के दौरान क्षेत्रों के लिए जारी हुए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि हुई—

वर्ष	सभी पिछड़े क्षेत्र		केरल के पिछड़े क्षेत्र	
	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1984	627	323	5	13
1985 (जनवरी-अक्टूबर)	625	377	15	13

बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलना

3290. डा० सी० पी० ठाकुर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के विस्तार पर कोई सम्पूर्ण रोक लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान बिहार में कितने डाकघर खोले गए ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान बिहार में खोले गए डाक घरों की संख्या नीचे दी गयी है :—

1982-83	—	121
1983-84	—	212
1984-85	—	6

आंध्र प्रदेश में तांदूर में सीमेंट संयंत्र लगाना

3291. श्री के० एस० राव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तांदूर में प्रतिदिन 3000 टन क्षमता वाले सीमेंट संयंत्र को लगाने में अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सिविल और उपकरण मशीनी कार्य इन एजेंसियों द्वारा काफी बड़ी धनराशि की अदायगी को रोक देने के कारण निर्धारित समय के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा गैर-परियोजना कार्य को तत्काल शुरू करने, जहां पर सरकार पहले ही 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है, के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश में तांदूर में प्रतिदिन 3000 टन क्षमता वाले सीमेंट संयंत्र को निर्धारित समय में लगाने की संभावना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में मिट्टी के तेल और खुदरा केन्द्र खोलना

3292. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े राज्यों में मिट्टी के तेल की सप्लाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश को मिट्टी के तेल की कम सप्लाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में मिट्टी के तेल के कुछ और खुदरा केन्द्र खोलने का है; और

(घ) वर्ष 1985-86 में मध्य प्रदेश में ऐसे कितने खुदरा केन्द्र खोलने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल कंपनियां मिट्टी के तेल की आवंटित मात्रा की पिछड़े राज्यों सहित सभी राज्यों को आपूर्ति करने का प्रयास करती हैं । वर्ष 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश को की गई आपूर्ति पर्याप्त रूप से वर्ष 1983-84 की तुलना में अधिक थी ।

(ग) और (घ) तेल उद्योग की विपणन योजना 1984-85 के अंतर्गत 12 केरोसीन/एल० डी०ओ० की डीलरशिपें मध्य प्रदेश में स्थापित की जानी हैं । प्रत्येक डीलरशिप के चयन तथा स्थापित करने से सम्बन्धित विभिन्न कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए यह बताना व्यावहारिक नहीं होगा कि वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी डीलरशिपें चालू हो जाएंगी ।

कोयला तथा ईंधन तेल की बचत करने हेतु उर्वरक संयंत्रों को गैस की सप्लाई

3293. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को बम्बई-हाई से रियायती दर पर प्राकृतिक गैस सप्लाई करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उर्वरक संयंत्रों को किस दर पर प्राकृतिक गैस बेची जाएगी;

(ग) क्या उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की इस सप्लाई से उर्वरक संयंत्रों द्वारा ईंधन तेल तथा कोयले की खपत कम होगी;

(घ) यदि हां, तो कोयले तथा ईंधन तेल की कितनी मात्रा की बचत होगी; और

(ङ.) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) विभिन्न उपयोगों के लिए प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ.) गैस पर आधारित 1350 टन प्रतिदिन अमोनिया और 2200 टन प्रतिदिन यूरिया वाले प्रत्येक संयंत्र 4000 के कैल/कि० ग्रा० के कैलोरिफिक मूल्य के 0.4 मि० टन कोयला प्रतिवर्ष और करीब 20,000 टन ईंधन तेल प्रति वर्ष खपत कर लेते यदि उनकी वाष्प और विद्युत उत्पादन सुविधाएं कोयला रूपी ईंधन पर आधारित होतीं । अब ये सुविधाएं गैस रूपी ईंधन पर आधारित हैं और उनकी दैनिक गैस की मांग प्रत्येक संयंत्र के लिए लगभग 0.4 मि० घन मीटर प्रति दिन होगी । उस गैस टरबाइन से विद्युत का उत्पादन होगा जिसकी संसाधन के दौरान प्रयोग हेतु वाष्प उत्पन्न करने की हीट रिकवरी यूनिट होगी, और उससे गैस के उपयोग में उच्च तापीय क्षमता प्राप्त होगी ।

केरल के कसरगोड तथा पथानमथिट्टा जिलों को "उद्योगविहीन जिले" घोषित करना

3294. **श्री पी० ए० एण्टनी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल कसरगोंड तथा पथानमथिट्टा जिलों को "उद्योगविहीन जिले" घोषित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 31.3.83 तक सृजित एवम् 1979-80 को बड़े अथवा मझोले उद्योग रहित जिलों को "उद्योग रहित जिले" माना गया है। केरल के कसरगोड तथा पथानमथिट्टा जिले इस मानदण्ड को पूरा नहीं करते। केरल सरकार को तद्‌नुसार सूचित कर दिया गया है।

कोडागू जिले में बारापोले पन-बिजली परियोजना का निर्माण

3295. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोडागू जिले में बारापोले पन-बिजली परियोजना का निर्माण किए जाने से वर्षा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप वन तथा बागान जलमग्न हो जायेंगे और परिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कोडागू जिले में बारापोले जल विद्युत परियोजना की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी आर्थिक जांच के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपारंपरिक ऊर्जा का उपयोग

3296. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों की रक्षा के उद्देश्य से जनता के बीच सौर ऊर्जा जैसे अपारम्परिक ऊर्जा साधनों के उपयोग का प्रचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या घरेलू प्रयोजनों के लिए ऊर्जा की खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ग) यदि परिवर्तन वांछित सीमा तक नहीं हुआ है तो जनता में ऊर्जा के अपारम्परिक साधनों के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, हां। बायोगैस, बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और शहरी कूड़ा करकट जैसे कई कार्यक्रमों को, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग के लिए कार्यान्वित कर रहा है। बायोगैस संयंत्र, उन्नत प्रकार के चूल्हे, सौर कुकर, सौर जल तापीय प्रणालियों, टिम्बर भट्टियों, पवन पम्प आदि जैसी युक्तियों और प्रणालियों की विविधता को, तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता, प्रदर्शन और जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों के द्वारा लोकप्रिय बनाया जा रहा है। लगभग 5 लाख बायोगैस संयंत्र और 9 लाख उन्नत प्रकार के चूल्हों की स्थापना की जा चुकी है और इन युक्तियों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऊर्जा खपत को प्रभावित करने की यह शुरूआत है। राशि की उपलब्धता के अनुसार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

डाक विभाग में विधवाओं के लिए परिवार पेंशन

3297. **श्री कमला चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 नवम्बर, 1985 तक परिवार पेंशन के लिए पेंशन यूनिट संबंधी सरकारी ज्ञापन संख्या (ii) 85 के अन्तर्गत संबंधित सुविधाओं से परिवार पेंशन के लिए डाक विभाग में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उस ज्ञापन के पश्चात् अब तक कितनी विधवाओं को परिवार पेंशन दी गई है; और

(ग) बकाया मामलों को निपटाने के लिए कितना समय लगने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) लगभग 1600 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(ख) 173 मामलों को निपटा दिया गया है।

(ग) इन्हें 3-4 महीने की अवधि के दौरान निपटाए जाने की सम्भावना है।

बिहार में दूर संचार सेवा का विस्तार

3298. **श्री कुंवर राम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में दूर संचार सेवाओं के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-सी परियोजनाएं शामिल की हैं अथवा की जा रही हैं;

(ख) इस पर कितनी अनुमानित लागत आएगी; और

(ग) इन परियोजनाओं के कारण विभिन्न सर्किलों में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में दूर संचार सेवाओं के लिए योजना आयोग ने 4010 करोड़ रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी है। राज्य की यूनिटों को इस परिव्यय के आधार पर अपनी योजनाएं तैयार करने के लिए मार्गनिर्देश दिए गए हैं। बिहार सर्किल की योजनाओं की जांच करने के बाद ही बिहार की परियोजना का ब्यौरा मिल पाएगा। योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही इस बात का पता चल सकेगा की विभिन्न सर्किलों की परियोजनाओं में कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैशर लिमिटेड, इलाहाबाद का उत्पादन लक्ष्य

3299. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद में भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैशर लिमिटेड वर्ष 1984-85 के दौरान अपने उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में सफल नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान यह अपना उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लेगा; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन लक्ष्य में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की भारी कटौती लागू कर देना और जनवरी तथा फरवरी, 1985 में गैर-कानूनी औजार छोड़ो हड़ताल के कारण उत्पादन की हानि, ऐसे प्रमुख हैं जिनकी वजह से 1984-85 में उत्पादन कम हुआ। कम्पनी ने उत्पादिता में सुधार करने के लिए कई कदम उठाये हैं और उसे विश्वास है कि चालू वर्ष का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लेगी।

स्कूटर इण्डिया लिमिटेड

3300. श्री एन० वेंकट रत्नम
श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल
श्री जनकराज गुप्त
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर इंडिया लिमिटेड बिक्री की स्थिति में पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कम्पनी और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) स्कूटर्स इंडिया लि० को घाटा हो रहा है और इस एकक को जीव्य बनाने के उद्देश्य से इसके ढांचे का पुनर्गठन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

दिल्ली में दूर संचार सर्किलों के प्रमुखों का सम्मेलन

3301. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दूरसंचार सर्किलों के प्रमुखों का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा हुई उनका ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नवम्बर 1985 के प्रारंभ में दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधकों की एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ख) बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :—

(एक) स्वचल और समयबद्ध कार्यक्रमों को विशेष महत्व देते हुए टेलीफोन और तार सेवाओं में सुधार लाना।

(दो) स्टाफ द्वारा किया गया उत्पादन।

(तीन) सातवीं पंचवर्षीय योजना।

(चार) प्रशिक्षण

(पांच) अनुशासन

(छः) कार्मिक एवं वित्तीय प्रबंध ।

विचार-विमर्श से दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और उनमें सुधार लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर अच्छा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।

[हिन्दी]

बिहार में नए डाकघर खोलने के लिए धन का अभाव

3302. श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन के अभाव के कारण बिहार में नए डाकघर नहीं खोले जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अनेक स्थानों पर लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विभाग द्वारा इन स्थानों पर नए डाकघर खोलने की सर्वेक्षण किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) : संसाधनों की कठिनाई के अलावा, पदों के सृजन पर भी पाबंदी लगी है। इसके कारण नए डाकघर खोलने का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है । वैसे, बिहार के डाक नेटवर्क में अच्छा विकास हुआ है तथा यह नहीं कहा जा सकता है कि नए डाकघरों के न खोले जाने से जनता को कठिनाई हो रही है ।

(ख) आमतौर से नए डाकघर खोलने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की यह देखने के लिए जांच की जाती है कि क्या वे निर्धारित विभागीय मानदंडों को पूरा करते हैं ।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) में बताया गया है, निधि प्राप्त करना ही एकमात्र दिक्कत नहीं है । प्रस्तावों पर तभी विचार किया जा सकता है जब पदों के सृजन पर लगी मौजूदा पाबंदी को हटा दिया जाएगा या उसमें ढील दी जाएगी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

विस्फोटकों सम्बन्धी नियम

3303. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्फोटों संबंधी नियम 1983 के नियम 7 और 37 के उपनियम 2 में क्रमशः

इस बात का प्रावधान है कि सुपर्दगी किए गए अथवा भेजे गए विस्फोटों (आतिशबाजी) की मात्रा लाइसेंस सहित अथवा बिना लाइसेंस पास रखने की प्राधिकृत मात्रा से अधिक नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति रेलवे प्रशासन को कोई भी आतिशबाजी तब तक नहीं भेजेगा, जब तक उसे विस्फोटों को तुरन्त प्राप्त करने के लिए तैयार रहने के बारे में प्रेषिती से पुष्टि न प्राप्त हो गई हो;

(ख) यदि हां, तो निर्माताओं द्वारा प्राधिकृत मात्रा में अधिक आतिशबाजी भेजे जाने और प्रेषितयों द्वारा आगमन के 12 घंटे के भीतर उनकी सुपुर्दगी न लेने तथा नियमों के अंतर्गत प्रेषिती को आतिशबाजी लौटाने में रेलवे प्रशासन के विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ग) अधिनियम और नियमों को कठोरता से लागू करने और कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) लाइसेंस धारक द्वारा अपने पास कितनी मात्रा रखी जा सकती है; और

(ङ) क्या थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता को जारी किये गये लाइसेंस के नमूने की प्रति जिसमें फार्म नंबर और शुल्क लिखा हो, सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विस्फोटक सामग्री विभाग को ऐसे मामलों की जानकारी नहीं है। किन्तु नियमों का उल्लंघन करने की जानकारी जब भी विस्फोटक सामग्री विभाग को दी जाती है तब नियमों के अधीन प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। विस्फोटक सामग्री नियमावली के अनुसार कार्यवाही करने के लिए मामला स्थानीय जिलाप्राधिकारियों को भी भेजा जाता है।

(घ) एक लाइसेंसधारी उतनी मात्रा में विस्फोटक सामग्री अपने पास रख सकता है जितनी लाइसेंस पर पृष्ठांकित की गई हो।

(ङ) सभी लाइसेंस फार्मों के नमूने विस्फोटक सामग्री नियमावली, 1983 में सम्मिलित हैं। विस्फोटक सामग्री नियमावली के अनुसार थोक व खुदरा व्यापारियों के बीच कोई अन्तर नहीं है और एक ही किस्म के फार्मों का उपयोग किया जाता है। लाइसेंस फार्मों पर फार्म संख्या मुद्रित रहती हैं। लाइसेंस देते समय प्रत्येक लाइसेंस की फीस का उल्लेख लाइसेंस फार्म पर कर दिया जाता है। यह उस मात्रा पर निर्भर होती है जिसके लिये लाइसेंस जारी किया जाये।

[हिन्दी]

ब्यास बोर्ड को निर्माण शाखा के कर्मचारियों और ठेकेदारों को बकाया राशि और वेतनों का भुगतान

3304. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास बोर्ड (निर्माण शाखा) के कर्मचारियों और ठेकेदारों को गत एक वर्ष से उनकी बकाया और वेतन आदि नहीं मिले हैं जो करीब 15 लाख रुपये हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में संबंधित कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने सरकार से गत मई माह से करीब छः सौ कर्मचारियों को उनके वेतनों की बकाया राशि अदा करने का आग्रह किया है;

(ग) उपर्युक्त बकाया राशि की अदायगी के संबंध में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस राशि को कब तक अदा कर दिये जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कुछ वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों द्वारा पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ते/आवास किराया भत्ते के लिए किये गये दावे से संबंधित 1.5 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि परियोजना प्राधिकारियों के अनुसार ये कर्मचारी इस भत्ते के हकदार नहीं हैं। इन भत्तों को छोड़कर अन्य सभी भुगतान की जा रही हैं। ठेकेदारों को लगभग 2 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि इन ठेकेदारों ने कुछ औपचारिकताएं/प्रलेखन पूरे नहीं किये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) बकाया अदायगियों का शीघ्र भुगतान करने के लिये परियोजना प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

जूनागढ़ में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में बदलना

3305. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जूनागढ़ में स्थित मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) स्वचालित एक्सचेंज कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) 4000 लाइनों के क्रासबार एक्सचेंज की संस्थापना की जा रही है और लगभग दो-तिहाई आन्तरिक संस्थापना कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) स्वचल एक्सचेंज के मार्च, 1986 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन के लिए कूड़े-कचरे पर आधारित संयंत्रों की स्थापना

3306. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिये कूड़े कचरे पर आधारित संयंत्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये संयंत्र स्थापित किये गये हैं;

(ग) यदि नही, तो क्या सरकार का विचार ऐसे संयंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं। 300 मीटरी टन के कूड़े-कचरे के भष्मीकरण और 3.75 मेगावाट ऊर्जा के प्रजन्न के लिये एक संयंत्र इस समय तिमारपुर, दिल्ली में स्थापना के अधीन है।

(ग) अन्य शहरों में ऊर्जा के प्रजनन के लिये कूड़े-कचरे के आधार पर संयंत्रों की स्थापना के लिये कूड़े-कचरे का विश्लेषण प्रगति पर है।

(घ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

आवश्यक औषधियों का मूल्य निर्धारण

3307. **श्री रेणुपद दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने नई औषध नीति के तैयार किए जाने को ध्यान में रखते हुए आवश्यक औषधियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो अध्ययन कब किया जायेगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) :(क) से (ग) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो समय-समय पर प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशन के मूल्यों का अध्ययन कर रहा है। मूल्य निर्धारण नीति पर निर्णय लेते समय सरकार इन अध्ययनों को ध्यान में रखती है।

इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक तथा बानसुरा सागर योजना का पूरा होना

3308. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक तथा बानसुरा सागर (विनाड जिला) योजना पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) इदुक्की जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण 1976 से प्रचालनाधीन है। चरण-दो के अन्तर्गत आने वाली पहली यूनिट को चालू कर दिया गया है तथा शेष दो यूनिटें 1986 में चालू की जाएंगी। परियोजना का तीसरा चरण 1987 में पूरा होगा। तीसरे चरण के पूरा होने में विलम्ब का मुख्य कारण इराट्टयार बांध के क्रियान्वयन में संविदा संबंधी समस्याएं हैं।

बानसुरा सागर बांध 1989-90 के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है। विलम्ब के मुख्य कारण भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब तथा निधियों की कमी होना है।

उर्वरक उद्योगों के क्लोरिन संयंत्र

3309. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उर्वरक उद्योगों के संयंत्र घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तथा भीड़-भाड़ वाली प्रमुख सड़कों के साथ हानिकारक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) क्लोरीन संयंत्र उर्वरक संयंत्रों से स्वतन्त्र है और इसलिए दोनों में कोई संबंध नहीं है। इसलिए उर्वरक उद्योग में क्लोरीन संयंत्र के खतरनाक होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में "यूनिडो" जानकारी केन्द्र

3310. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जानकारी केन्द्र की स्थापना किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा एकक सिक्किम में स्थापित किया जाएगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योग

3311. श्री अमल दत्त : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1965-66 से अब तक नये आधुनिक,

उद्योग स्थापित करने के लिए सामान्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान स्थापित नये आधुनिक उद्योगों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) अनुमानत: माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में पूंजी निवेश से है ।

लोक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार 31.3.1966 एवं 31.3.1984 को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में पूंजी निवेश इस प्रकार था :—

31.3.1966 को

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र का नाम	सकल परिसम्पत्ति
	(करोड़ रु० में)
1. पश्चिम बंगाल	329.3
2. बिहार	324.1
3. उड़ीसा	260.4
4. असम	27.9

31.3.1994 को

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र का नाम	सकल परिसम्पत्ति
	(करोड़ रु० में)
1. पश्चिम बंगाल	2909.87
2. बिहार	5151.79
3. उड़ीसा	2164.55
4. असम	1930.10
5. मणिपुर	123.58
6. त्रिपुरा	78.63
7. नागालैंड	72.90

(ख) ये पूंजी निवेश इस्पात, कोयला, अलोह धातुओं, बिजली, उर्वरक एवं रसायनों, इंजीनियरी, पेट्रोलियम, परिवहन-उपस्कर, उपभोक्ता माल आदि जैसे उद्योगों से सम्बन्धित हैं।

(ग) और (घ) सरकारी उद्यमों के स्थान तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं।

कोयले से बिजली पैदा करना

3313. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेगनेटो हाइड्रोडाइनेमिक मेथड के माध्यम से कोयले से सीधे बिजली पैदा करने के सम्बन्ध में भारत और अन्य देशों में परीक्षण किए गए हैं ;

(ख) इस तरीके में क्या क्षमताएं हैं और अब तक किए गए परीक्षणों से क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन कब से शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या इस स्रोत से प्राप्त बिजली सस्ती होगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा समर्थित कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिचिरापल्ली में 5 मेगावाट क्षमता वाले एक प्रयोगिक चुम्बकीय द्रवगतिक संयंत्र की स्थापना की गई है। ऐसा अनुमान है कि पारम्परिक और एम० एच० डी० प्रक्रिया वाले संयंत्रों के संयोग से 50 से 60 प्रतिशत तक की कुशलता को लगभग 400-500 मेगा-वाट के आकार में प्राप्त किया जा सकता है वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रचालन सम्बन्धी आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए तिरुची प्रायोगिक परियोजना में कई प्रकार के प्रयोग प्रगति पर हैं। वाणिज्यिक स्तर के संयंत्रों की स्थापना की सम्भावना का पता, प्रायोगिक संयंत्र पर उत्पादित पर्याप्त आंकड़ों और प्रयोगों के पश्चात् ही, लगाया जा सकता है।

भोपाल गैस दुर्घटना पीड़ितों के दावे

3314. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों की ओर से अब तक कितने दावे प्राप्त हुए हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा राहत, पुनर्वास और प्रतिभूति के लिए अब तक पृथक-पृथक, कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) यूनियन कार्बाइड संयंत्र के कितने कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दे दिया गया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) दावे आयोग और पीड़ित के लिए कल्याण उपायुक्त के समक्ष भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का पंजीयन और प्रक्रिया) योजना 1985 के अधीन प्रस्तुत किए जाने हैं। केन्द्र सरकार द्वारा कोई दावा प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को अभी तक 40 करोड़ रुपये दिए हैं जिसमें 20 करोड़ रुपये मध्यावधि ऋण के रूप में और 20 करोड़ रुपये राहत कार्यों हेतु, साधन और स्रोत जुटाने के लिए राहत और पुनर्वास पर धनराशि खर्च कर रही है। इनमें अनुगृहपूर्वक राहत और अनाज का वितरण, चिकित्सा सुविधाएं, व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ स्वतः रोजगार अथवा रोजगार के साधन सम्मिलित हैं।

(ग) राज्य सरकार से उपलब्ध हुई सूचना के अनुसार यू० सी० आई० एल० के 632 कर्मचारियों में से 525 को वैकल्पिक रोजगार का अवसर दिया गया था।

वाहनों के डिजाइन में सुरक्षा उपाय और विशिष्टता शुरू करना

3315. श्री मानिक रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहनों के डिजाइन में सुरक्षा उपाय और विशिष्टता शुरू करने के लिए विशेष कर छोटी कारों, वाणिज्यिक वाहनों, मोटर साईकिलों, तिपहियों, साइकिल रिक्शा, बैलगाड़ी, साइकिल और अन्य वाहनों सहित धीमी गति से चलने वाले वाहनों के लिए ब्रेक, स्टीयरिंग ह्वील, विंडशील्ड, इंस्ट्रूमेंटल पेनल, विंड मिरर, रोशनी प्रणाली आदि के संबंध में सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश पर डी० जी० टी० डी० के अन्तर्गत एक स्थायी समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किए गए कार्य का पूर्ण ब्योरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) मोटर वाहनों के लिए सुरक्षा मानक तैयार करने हेतु भारतीय मोटर अनुसंधान मोटर संघ के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अब तक 27 वस्तुओं के लिए मानक मसौदे तैयार किए हैं।

हुगली डाक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड का नवीकरण

3316. श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम, हुगली डाक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड द्वारा अपने पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत परिसर का आधुनिकीकरण करने की दृष्टि से पुनरुत्थान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) बनाई गई योजना, यदि कोई है तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा क्या कोई विदेशी सहयोग के लिए करार हुआ है और इसमें कितनी पूंजी खर्च होगी; और

(ग) इसको कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड ने कम्पनी की जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक विख्यात विदेशी परामर्शदाता की नियुक्ति की है। आधुनिकीकरण की योजना को अन्तिम रूप देने पर ही कम्पनी द्वारा परियोजना का ब्यौरा तथा निवेश की मात्रा तैयार की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1986 तक तैयार हो जाने की आशा है।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० द्वारा स्थापित क्षमता का उपयोग किया जाना

3317. **श्री शांति धारीवाल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बल्क औषधियों के नाम क्या हैं जिनके लिए इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि० और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० को लाइसेंस दिया गया है और जिसके लिए अब तक क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए हैं;

(ख) प्रत्येक औषध का लाइसेंस और स्थापित क्षमता कितनी है और तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक औषध का उत्पादन कितना है;

(ग) प्रत्येक औषध के लिए स्थापित संयंत्र और मशीनरी की मूल लागत कितनी थी और प्रत्येक संयंत्र कब स्थापित किया गया था;

(घ) उन बल्क औषधियों के नाम क्या हैं जिनके लिए विदेशी जानकारी प्राप्त की गई थी और प्रत्येक माल में कुल कितना शुल्क दिया गया था; और

(ङ) प्रत्येक मामले में उपलब्ध क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं और उनके मन्त्रालय द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कोकिंग कोयले की वार्षिक आवश्यकता, उत्पादन और आयात

3318. **श्री अमर सिंह राठवा** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोकिंग कोयले की वार्षिक आवश्यकता और वास्तविकता उत्पादन क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को वर्षवार कितने कोयले की सप्लाई की गई और उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में कितनी मांग की गई थी ;

(ग) क्या मांग को पूरा करने के लिए कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में कोकिंग कोयले का आयात किया गया और उस पर कितनी राशि व्यय हुई ; और

(ङ) मांग को पूरा करने के लिए देश में कोकिंग कोयले का उत्पादन बढ़ाने और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इसका आयात न हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) योजना आयोग के अनुमान के अनुसार इस्पात संयंत्रों और धातुकर्मी उद्योगों के लिए वर्ष 1985-86 की कोककर कोयले की कुल जरूरत 30.40 मिलियन टन है और इस मांग की पूर्ति के लिए 34.62 मिलियन टन कोककर कोयले का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) कोककर कोयले की मांग राज्य सरकार नहीं बताती है बल्कि इसका निश्चय केन्द्रीय सरकार करती है। कोककर कोयले की सप्लाई भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के अधीनस्थ इस्पात संयंत्रों को और दुर्गापुर परियोजना लि० को भी की जाती है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों की इकाइयां बीहाइव और बीहाइव प्रीमियम हार्ड कोक के निर्माण में भी कोककर कोयले का प्रयोग करती हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र (कोक भट्ठियों सहित) द्वारा कोककर कोयले का वास्तविक उठान निम्नलिखित था :—

	(आंकड़े मिलियन टनों में)
1982-83	23.20
1983-84	24.42
1984-85	23.75

(ग) और (घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० देशी कोयले के साथ मिश्रण के लिए कम राख अंश वाला कोककर कोयला आयात करता रहा था ताकि कोक की किस्म को सुधारा जा सके। यह आयात इसलिए भी किया जाता था क्योंकि अपेक्षित किस्म का पर्याप्त कोककर कोयला उपलब्ध नहीं था। पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" द्वारा कोककर कोयले के आयात और साथ ही उसका अनुमानित "भाड़ा सहित लागत" मूल्य निम्नलिखित है :

वर्ष	मात्रा	मूल्य
	(मिलियन टनों में)	(रुपये करोड़ में—लगभग)
1982-83	1.380	124.5
1983-84	0.463	37.5
1984-85	0.665	55.8

(ङ) इस्पात संयंत्रों को कोककर कोयले की सप्लाई बढ़ाने की दृष्टि से, कोल इंडिया लि०

कोककर कोयला खानों के लिए नई परियोजनाएं शुरू करने और साथ ही नई वाशरियों के निर्माण का काम अपने हाथ में लेता रहा है।

बड़ौदा, गुजरात में ग्रामीण संचार विकास योजना

3319. श्री अमर सिंह राठवा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश भर में ग्रामीण संचार विकास के लिए एक नई योजना अपनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है और उस पर अनुमानित कितना व्यय होगा; और

(घ) गुजरात में और विशेषकर बड़ौदा जिले में इसके अन्तर्गत कितने ग्रामों और क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश के ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए दिसम्बर, 1982 में एक संशोधित योजना अपनाई गई थी।

(ख) इस योजना मे अधिकांश आबाद ग्रामों में 5 कि० मी० के भीतर सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ग) देश में इस समय 5 कि० मी० षटभुजाकार में 52210 क्षेत्र हैं। इस संख्या में मामूली परिवर्तन हो सकता है। 23742 क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा पहले ही प्रदान कर दी गई है। सातवीं योजना के दौरान शेष में से लगभग 9000 क्षेत्रों में ये सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है और शेष क्षेत्रों में बाद की योजनाओं में यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। इस पर कुल 32.5 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

(घ) सातवीं योजना में गुजरात के नीचे दिए गए षटभुजाकार क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी :—

गुजरात राज्य	...	471
बड़ौदा जिला	...	18

पी० ए० एस० से बनी औषधियों का अभाव और निर्माताओं द्वारा इस औषध से बनी औषधियों का अधिक मूल्य वसूल किया जाना

3320. डा० गुलाम याजदानी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में पी० ए० एस० से बनी औषधियों का अभाव है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कतिपय निर्यात इन उत्पादों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेच रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय ने प्रत्येक पैक और मात्रा का कितना मूल्य निर्धारित किया है और विर्माता कितना मूल्य वसूल कर रहे हैं;

(घ) उन प्रमुख कम्पनियों के नाम क्या हैं जो इस औषध पर आधारित परिष्कृत फार्मूलेशन बना रहे हैं और इस औषध से बने प्रत्येक पैक और मात्रा का कितना मूल्य निर्धारित किया गया है और बाजार में ये औषधियां किस मूल्य पर बिक रही हैं; और

(ङ) इस औषध से बनने वाले औषधों और औषधियों के अभाव तथा इन औषधियों का अधिकतम मूल्य वसूली करने के क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के ध्यान में कोई मामला नहीं आया है।

(ग) और (घ) पी० ए० एस० के मुख्य फार्मूलेटरों के नाम, अधिसूचित लीडर मूल्य तथा बिक्री मूल्य, इंडियन फार्मेस्युटिकल गाइड के अनुसार, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक उत्पादकों के नाम	उत्पाद का नाम	पैक साइज	अधिसूचित लीडर मूल्य	जिस मूल्य पर विपणन किया जा रहा है, इंडियन फार्मेस्युटिकल 1985 के अनुसार
1. मै० आई डी पी एल	सोडियम पी ए एस ग्रेन्यूल्स 80 प्रतिशत	100 ग्राम	15.68	15.68
2. फाइजर लि०	—वही—	100 ग्राम	15.68	15.68
3. मै० आई डी पी एल	—वही—	250 ग्राम	36.96	36.96
4. मै० आई डी पी एल	—वही—	1 किग्रा०	142.63	142.63
5. बायोलोजिकल इवेन्स	पी ए एस सोडियम गोलियां 500 मिग्रा/गोलियां	1000 का	86.34	86.34

रियायती सीमा शुल्क पर टी० आई० ओ० सी० का आयात

3321. श्री गुलाम याजदानी : क्या उद्योग मन्त्री एरीथ्रोमाइसिन के उत्पादन के बारे में 20 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 4160 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कम्पनियों ने सितम्बर, 1984 से पहले टी०आई०ओ०सी० की भारी मात्रा में रियायती सीमाशुल्क पर आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो ये कम्पनियां कौन-सी हैं तथा अप्रैल, 1984 से सितम्बर, 1984 तक प्रत्येक द्वारा कितनी मात्रा में उसका आयात किया गया ;

(ग) रियायती सीमा शुल्क पर आयात की गई टी०आई०ओ०सी० के आधार पर प्रत्येक कम्पनी द्वारा परिष्कृत बल्क औषध का कितना उत्पादन किया गया और उसे किस कीमत पर बेचा गया तथा उसके खरीदारों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या जनता तक कम शुल्क के लाभों को पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि टी०आई०ओ०सी० का आयात ओ० जी० एल० में है, इसलिए यथावांछित ब्यौरों के संकलन में अन्तर्ग्रस्त समय और प्रसाय उपलब्ध संभावित नतीजों के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) और (ङ) इरिथ्रोमाइसिन और इसके लवणों और उन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य टी० आई० ओ० सी० पर प्रचलित सीमा शुल्क को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए थे।

उड़ीसा में ऊर्जा की कमी

3322. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की वर्ष 1989-90 तक की ऊर्जा आवश्यकता 1786 मेगावाट और ऊर्जा उपलब्धता 731 मेगावाट आंकी गई है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों की अवधि के दौरान ऊर्जा की मांग में तिगुनी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार ने ऊर्जा की मांग तथा उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) बारहवीं विद्युत सर्वेक्षण समिति ने सूचित किया था कि 1989-90 तक उड़ीसा में व्यस्ततमकालीन भार और व्यस्ततम-कालीन उपलब्धता क्रमश: 1771 मेगावाट और 1417 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया था ; 1979-80 से 1984-85 तक की अवधि के दौरान मांग में औसतन लगभग 11 प्रतिशत की संयुक्त वृद्धि दिखाई देती है ।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने ईब ताप विद्युत केन्द्र को हाथ में लेने के लिए आई० डी० बी० आई० से संस्थागत वित्त व्यवस्था की सहायता लेने का सुझाव दिया है । यह पाया गया था कि योजना निधियों को बढ़ाया नहीं जा सकता तथा आई० डी० बी० आई० और अन्य वित्तीय संस्थान विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था नहीं कर सकेंगे । उड़ीसा में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से सातवीं योजनावधि के दौरान 483.5 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू किए जाने का कार्यक्रम है । इसके अतिरिक्त, उड़ीसा को भूटान में चुखा जल विद्युत परियोजना (4 × 84 मेगा०) से 31 मेगावाट तथा फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण 1 (3 × 210 मेगा०) से 75 मेगा० हिस्सा प्राप्त होगा, जब ये यूनिटें सातवीं योजना में चालू हो जाएंगी । तलचेर ताप विद्युत केन्द्र का आधुनिकीकरण तथा नवीकरण करने के लिए केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है । समय समय पर राज्य में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए उड़ीसा को पड़ोसी राज्य से भी सहायता प्राप्त होती है । केन्द्रीय क्षेत्र में ईब ताप विद्युत केन्द्र और तलचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दे दी है ।

सरकारी क्षेत्र के रसायन एककों का कार्य-निष्पादन

3323. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के रसायन एककों का कार्य-निष्पादन उनकी स्थापित क्षमता से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) 1 जून, 1985 को प्रत्येक संयंत्र की स्थापित क्षमता क्या थी और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ तथा कम उत्पादन होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन संयंत्रों को सहकारी क्षेत्र को सौंपने का है जो काफी अच्छा कार्य कर रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का इन एककों के कार्य-निष्पादन में सुधार के क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है । उत्पादन में कमी निम्न कारणों से हुई :

1. हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० :

दिल्ली एकक में उत्पादन व्यय रहा क्योंकि व्यापक भवन मरम्मत तथा अपरिहार्य रख-रखाव कार्य को करने के लिए संयंत्र 15.4.85 से बन्द हो गया उद्योगमण्डल एवं रसायनी एककों में कच्चे माल की कमी, पावर खराबी और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से कम आर्डरों के कारण उत्पादन में कमी हुई। इसके अतिरिक्त, उत्पादन कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाते हैं जिनसे बाजार अपेक्षाओं को पूर्ण किया जा सके और अत्यधिक वस्तुसूची से बचा जा सके ।

3. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० :

पावर खराबी, कच्चे माल की कमी और मरम्मत कार्यों के लिए कुछ संयंत्रों को बन्द कर देने के कारण उत्पादन कम था ।

(ख) और (ङ) दिल्ली एकक में भवन मरमम्मत और यांत्रिक रख-रखाव का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है । कम आपूर्ति वाले कच्चे मालों को उपलब्ध करने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा उठान में वृद्धि करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं । हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि० तथा आर्गेनिक कैमिकल्स लि० में उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चे माल और रख-रखाव उपकरण की सप्लाई में सुधार करने हेतु उपचारी कदम उठाए जा रहे हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

विवरण

(आंकड़े 000 मी० टन में)
31.5.1985 (1985-86) तक

क्रमांक	एकक का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता			उत्पादन		
		डीडीटी तकनीकी	बीएचसी तकनीकी	मालाथियन तकनीकी	डीडीटी तकनीकी	बीएचसी तकनीकी	मालाथियन तकनीकी
1	2	3	4	5	6	7	8
हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लि०							
1.	दिल्ली	2.744	—	—	0.072	—	—
3.	उद्योगमण्डल	1.344	3.0	—	0.046	0.440	—
3.	रसायनी	5.0	—	1.8	0.476	—	0.162

		(आंकड़े 000 मी० टन में)	
		जून, 1985 (1985-86 तक)	
क्रमांक	एकक का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता	उत्पादन
हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमिकल्स लि०			
1.	रसायनी	134.250	9.685

जूनागढ़ में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

3324. **श्री मोहनभाई पटेल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जूनागढ़ में कितनी टेलीफोन लाइनें हैं ;

(ख) नए कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र बकाया पड़े हैं;

(ग) यह आवेदन-पत्र कितने समय से विचाराधीन पड़े हैं;

(घ) नए कनेक्शन कब से मंजूर नहीं किए गए; और

(ङ) क्या जूनागढ़ में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता को बढ़ाने या नया टेलीफोन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31.10.1985 को जूनागढ़ में चालू टेलीफोन लाइनों की संख्या 3160 है।

(ख) नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 534 आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं।

(ग) सबसे पुराना आवेदक 16. 7. 1983 से टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहा है।

(घ) चालू वर्ष सत सहित पिछले वर्षों में अनेक टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए हैं।

(ङ) मौजूदा 3200 लाइनों के मैनुअल एक्सचेंज को 4000 लाइनों के क्रासबार किस्म के ऑटोमेटिक एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं में प्रगति

3325. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में नवीनतम प्रगति क्या है :

(एक) यू०एच०एफ० × वी०एच०एफ० के बीच सम्पर्क ;

(दो) हमीरपुर और जालंधर, (दो) ऊना और जालंधर;

(तीन) धर्मशाला और जालंधर।

(ख) प्रत्येक परियोजना की स्वीकृति की तारीखें क्या हैं; और

(ग) उनके पूरा होने की सम्भावित तारीखें क्या हैं और विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) तीन यू० एच० एफ० प्रणालियों के संबंध में हुई प्रगति इस प्रकार से है :—

(एक) हमीरपुर-जालंधर यू० एच० एफ० प्रणाली :

इस योजना का कार्य चल रहा है और संभवत: 1986-87 के दौरान पूरा हो जाएगा। परियोजना प्राक्कलन की मंजूरी नवम्बर, 1982 में दी गई थी। इसके क्रियान्वयन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(दो) ऊना-जालंधर यू० एच० एफ० प्रणाली।

फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो गया है। परियोजना प्राक्कलन को मंजूरी दी जा रही है और यह प्रणाली सम्भवत: 7वीं योजना के अन्त तक चालू कर दी जाएगी बशर्ते कि भूमि और भवन समय पर उपलब्ध हों।

(तीन) जालंधर-धर्मशाला यू० एच० एफ० प्रणाली :

यह प्रणाली सितम्बर, 1984 से, पहले ही कार्य कर रही है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के परियोजना कार्यालय का हिमाचल प्रदेश से जम्मू जाना

3326. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी स्थित परियोजना कार्यालय के वहां से जम्मू ले जाने की प्रस्तावित योजना से लोगों में भारी रोष है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर और पंजाब में बड़ी संख्या में प्राकृतिक गैस आयोग पेट्रोलियम की खोज कार्यों जहां ज्वालामुखी से आसानी से जाया जा सकता है को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर पुन: विचार करने और परियोजना कार्यालय में ही रहने देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के दो अलग-अलग परियोजना कार्यालय हैं जो हिमाचल प्रदेश

के ज्वालामुखी और जम्मू में काम कर रहे हैं। इस समय ज्वालामुखी में काम कर रहे परियोजना कार्यालय को जम्मू में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री नैना देवी और बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क

3327. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक हित और प्रशासकीय कारणों के आधार पर की जा रही निरन्तर मांग के कारण हिमाचल प्रदेश में श्री नैना देवी और बिलासपुर के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्पर्क की मंजूरी किस तारीख को दी गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक मंजूरी दिए जाने और सम्पर्क स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

(ग) श्री नैना देवी और बिलासपुर के बीच प्रतिमाह 4 से 5 ट्रंक कालें की जाती हैं। इतने कम ट्रंक परियात से श्री नैना देवी और बिलासपुर के बीच सीधी टेलीफोन लाइन प्रदान करने का औचित्य नहीं बनता है।

विभागेतर अथवा विभागीय डाकघरों को बंद करना और उनका दर्जा बढ़ाना

3328. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान किसी विभागेतर अथवा विभागीय डाकघरों का अनेक वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करने के बावजूद घाटे में चलने के कारण दर्जा घटाया गया है अथवा उन्हें बन्द किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सभी मामलों पर पुनर्विचार किया जाएगा और उनके बन्द किए जाने/दर्जा घटाए जाने को स्थगित किया जाएगा ताकि वे इन क्षेत्रों में डाक सेवाएं जारी रख सकें ; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें उक्त अवधि के दौरान बन्द किए जाने/दर्जा घटाया जाने की कार्यवाही की गई है, और इस बारे में राज्यवार ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :(क) 1984-85 और 1985-86 के दौरान ग्रामीण इलाकों में अनेक कारणों जिनमें कुछ नीचे दिए गए है, से कई डाकघर बन्द किए गए या उनका दर्जा घटाया गया :—

(एक) एन० आर० सी० के आधार पर खोले गए। दर्जा बढ़ाए गए डाकघर वाले मामलों में एन० आर० सी० का भुगतान न करना।

(दो) सार्वजनिक टेलीफोनघर की सुविधा समाप्त करना; तथा

(तीन) कार्यभार के निर्धारित मानदण्ड और घाटे की पूर्ति न करना।

(ख) जी, नहीं। ऐसे मामलों पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वैसे इन इलाकों में विभिन्न साधनों द्वारा डाक सेवाएं बराबर प्रदान की जा रही हैं।

(ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में दूरसंचार सेवाएं

3329. श्री चिन्तामणि जेना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अक्तूबर के दौरान उड़ीसा में आए बवंडर के कारण प्रभावित दूरसंचार सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन सेवाओं को फिर से बहाल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) उन पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(घ) उक्त दूरसंचार सेवाएं कब तक फिर से शुरू हो जाएंगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस वर्ष अक्तूबर में उड़ीसा में तूफान आने के कारण प्रभावित दूरसंचार सेवाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) प्रभावित टेलीफोन लाइनों की संख्या	...	1980
(2) प्रभावित लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या	...	36
(3) प्रभावित ट्रंक सर्किटों की संख्या	...	28
(4) प्रभावित पट्टे पर दिए गए सर्किटों की संख्या	...	7

(ख) तूफान के बाद सेवाओं को पुन: चालू करने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई।

(ग)	(1) भण्डार में	...	3,06,000 रुपये
	(2) नकदी में	...	94,000 रुपये

(घ) 2 सार्वजनिक टेलीफोनों को छोड़कर, जिन्हें 30.10.85 को चालू किया गया बाकी सभी दूरसंचार सेवाएं 19.10.85 को चालू कर दी गई थीं।

भुवनेश्वर में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए बकाया आवेदन-पत्र

3330. श्री चिन्तामणि जेना : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भुवनेश्वर में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ख) भुवनेश्वर में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन-पत्र बकाया हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भुवनेश्वर में कोई नया टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया जाएगा;

(घ) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर के लिए 4000 लाइनों वाले एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज का आश्वासन दिया गया है; किन्तु यह अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उपर्युक्त एक्सचेंज कब स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-10-1985 को भुवनेश्वर में 5,886 टेलीफोन कनेक्शन कार्य कर रहे थे।

(ख) 31-10-1985 को भुवनेश्वर में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 1,250 आवेदन-पत्र लम्बित थे।

(ग) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपस्कर मनकापुर स्थित आई० टी० आई० की नई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टरी से सप्लाई किया जाना है। भुवनेश्वर के लिए उपस्कर को 1986-87 के सप्लाई कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(च) 1989-90 के दौरान 4,000 लाइनों का इलेक्ट्रॉनिक ई-10 बी एक्सचेंज स्थापित करने व चालू करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में तेल छिद्रण कार्य

3331. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल इंडिया पर विचार अगले साल के मध्य तक उड़ीसा में पुरी, कटक और बालासोर जिलों में छिद्रण कार्य शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए पता लगाए गए स्थानों के सही नाम क्या हैं ;

(ग) क्या छिद्रण के प्रयोजन के लिए इनमें से कुछ स्थानों का पता पहले सरकार ने लगाया था; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थानों पर तेल छिद्रण के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) 1986-87 के मध्य तक ऑयल इंडिया का पुरी, कटक और बालासोर जिलों में छ: स्थानों पर खुदाई आरम्भ करने का प्रस्ताव है। सही स्थान अभी तक निश्चित नहीं किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

3331. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कुल कितने गांव हैं और उनमें से कितने गांवों का अब तक विद्युतीकरण हो गया है;

(ख) क्या इस जिले में शेष गांवों में बिजली पहुंचाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कुल 884 आबाद गांवों में से अक्तूबर, 1985 के अन्त तक 654 गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तारों के बुक करने के समय में परिवर्तन

3333. श्री अमल दत्त : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारों के बुक करने के समय में हाल ही में कुछ परिवर्तन किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ तारघरों ने कुछ निश्चित घंटों के बीच कार्य करना रोक दिया है ;

(घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ग) में उल्लिखित परिवर्तन लाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसका सेवा की कार्यकुशलता, समय की बरबादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) मृत्यु, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य सार्वजनिक टर्मिनलों पर आगमन और प्रस्थान तथा बीमारी और संबंधियों को बुलाने वाली सूचना सहित दुर्घटनाओं आदि की सूचना, साक्षात्कार के लिए बुलाने, परिक्षा परिणामों की सूचना देने वाले तारों सहित नौकरी के आवेदन

पत्र तथा नियुक्ति पत्रों वाले प्राथमिकता और व्यक्तिगत श्रेणी वाले तारों को छोड़कर बाकी साधारण तारों को 17.00 बजे से 07.00 बजे के बीच बुक नहीं किया जाता है। फिर भी, एक्सप्रेस और अन्य उच्च श्रेणी की तारों को कार्यालय के पूरे कार्यसमय में बुक किया जाता है।

(ग) जी, नहीं। कुछ कार्यालयों में ही कार्य समय को पुन: निर्धारित किया गया है।

(घ) कलकत्ता तार परियात डिवीजन के सात क्षेत्रीय विभागीय तारघरों का कार्य समय पुन: निर्धारित करके 07.00 से 22.00 के बीच रखा गया है। फिर भी, इस क्षेत्र के लिए वितरित की जाने वाली तारें केन्द्रीय कार्यालय से भेजी जा रही हैं।

(ङ) (क) उपर्युक्त समय, दूरसंचार समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है ताकि सेवा के स्तर में सुधार लाने के लिए परियात का प्रवाह बराबर रखा जा सके।

(ग) इन क्षेत्रों में रात्रि के समय बुक और वितरण करने के लिए नगण्य तार होने के कारण यह समय लागू किया गया है।

(घ) 17.00 बजे के बाद सामान्य तारों को बुक करने पर लगाए गए इस प्रतिबन्ध के फलस्वरूप तार सेवा के स्तर में सुधार हुआ है। तार परियात में रुकावट और अभाव पैदा हो जाने तथा विलम्ब में कमी हुई है। डाक से भेजी गई तारों की प्रतिशतता में भी काफी कमी आई है। कलकत्ता के क्षेत्रीय विभागीय तारघरों में कार्य समय में कटौती करने के फलस्वरूप तार सेवा में कुल मिलाकर सुधार हुआ है। उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप तारों का कोई अभाव नहीं हुआ है।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी सम्बन्धी नीति के कार्यान्वयन में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की भूमिका

3334. श्री वाई० एस० महाजन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या एल० 56012/1/83-डेस्क 1 (बी) में की गई घोषणा के अनुसार प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी संबंधी सरकार की घोषित नीति के कार्यान्वयन में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की क्या भूमिका है;

(ख) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों में यह योजना कहां तक कार्यान्वित हुई है, और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जहां यह कार्य कर रही है ; और

(ग) क्या सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने इस बात का कोई मूल्यांकन किया है कि प्रबन्धकों और श्रमिकों/कर्मचारियों ने इस योजना की उपयोगिता को कहां तक समझा है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय ने प्रशासनिक मंत्रालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को श्रम मंत्रालय

को 30 दिसम्बर, 1983 की एस० 56011/1/83-डेस्क 1 (बी) संख्यक अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी सम्बन्धी सरकार की घोषित नीति कार्यान्वित करने की सलाह दी है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों ने इस योजना को निर्माणशाला एवं संयंत्र स्तरों पर कार्यान्वित किया हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है। 7 कम्पनियों के निदेशक मण्डल में कामगारों/श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इस योजना की उपयोगिता की सराहना करते हैं तथा वे कामगारों की यथासम्भव अधिकतम भागीदारी शामिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

विवरण-1

सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम जिन्होंने योजना को कार्यान्वित कर दिया है।

1. माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड
2. खनिज एवं धातु व्यापार निगम
3. हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लि०
4. इण्डियन टेलीफोन इण्डिस्ट्रीज लि०
5. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
6. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि०
7. भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि०
8. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०
9. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि०
10. बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लि०
11. भारत प्रोसेस एण्ड मकेनिकल इन्जीनियर्स लि०
12. भारतीय सीमेंट निगम लि०
13. हिन्दुस्तान फोटो-फिल्मस मै० कं० लि०
14. नेशनल बाइसाइकिल कारपो० आफ इं० लि०
15. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
16. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०
17. हिन्दुस्तान केबल्स लि०
18. हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०

19. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०
20. साइकिल कारपो० आफ इण्डिया लि०
21. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०
22. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०
23. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
24. मद्रास रिफायनरीज लि०
25. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
26. ड्रेजिंग कारपो० आफ इण्डिया लि०
27. दिल्ली परिवहन निगम
28. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०
29. कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि०
30. मैंगनीज ओर इण्डिया लि०
31. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०
32. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०
33. स्पंज आयरन इण्डिया लि०
34. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि०
35. भारत गोल्ड माइन्स लि०
36. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०
37. यूरेनियम कारपो० आफ इण्डिया
38. नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
39. सिंगरैणी कोलफील्ड्स लि०
40. नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन
41. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि०
42. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल माहे) लि०
43. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०
44. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (गुजरात) लि०
45. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (मध्य प्रदेश) लि०
46. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (महाराष्ट्र नार्थ) लि०
47. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (महाराष्ट्र साउथ) लि०

48. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (तमिलनाडु, पांडिचेरी) लि०
49. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (उत्तर प्रदेश) लि०
50. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (प० बंगाल, बिहार, असम एवं उड़ीसा) लि०
51. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०
52. पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि०
53. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
54. भारतीय राज्य फार्म निगम
55. हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लि०
56. भारतीय उर्वरक निगम
57. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि०
58. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो० लि०
59. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्युटिकल्स लि०
60. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०
61. मारुति उद्योग लि०
62. एच० एम० टी० लि०
63. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन]
64. इण्डियन आयल ब्लेंडिंग लि०
65. इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो० लि०
66. हिन्दुस्तान कॉपर लि०
67. हिन्दुस्तान जिंक लि०
68. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
69. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०
70. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
71. भारत कोकिंग कोल लि०
72. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम

विवरण-2

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की सूची जहां निदेशक मण्डलों में श्रमिक नेता कामगारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कम्पनी का नाम

1. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि०

2. एल्गिन मिल्स

3. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०

4. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (गुजरात) लि०

5. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (साउथ महाराष्ट्र) लि०

6. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (प० बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा) लि०

7. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०

कोयले की ढुलाई के लिए रेल वैगनों की आवश्यकता

3335. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला विभाग ने वर्ष 1985-86 के दौरान कोयले की ढुलाई के लिए रेल वैगनों की सम्भावित आवश्यकता का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग को आवश्यकता के बारे में सूचित कर दिया गया है; और

(ग) क्या रेल विभाग आवश्यकता पूरी करने के लिए सहमत हो गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) योजना आयोग ने वर्ष 1985-86 के लिए कोयले की सेक्टर-वार मांग 163.80 मि० टन कच्चा कोयला तथा 5.10 मि० टन बाजारी मिडलिंग्स निर्धारित की थी। इस मांग के आधार पर 124.54 मि० टन कोयले के रेल से प्रेषण के लिए प्रतिदिन 14,945 चार-पहिया वैगनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। इस मात्रा में 4.00 मि० टन मिडलिंग्स शामिल है तथा 1.00 मि० टन आयातित कोयला शामिल नहीं है। इस आवश्यकता की सूचना रेल विभाग को दे दी गई थी। परन्तु रेल विभाग ने साधनों की कठिनाई के कारण वर्ष 1985-86 के दौरान लगभग 110.0 मि० टन कोयले के संचलन के लिए सहमति दी है।

बर्न स्टैण्डर्ड, जेसप और ब्रेथवेट के पुनरुत्थान की योजना

3336. श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल की तीन केन्द्रीय इंजीनियरिंग कम्पनियों अर्थात् बर्न स्टैण्डर्ड, जेसप और ब्रेथवेट में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक व्यापक पुनरुत्थान योजना पर कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) संकट से निकलने में इन एककों को कितना समय लगेगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) तीन कम्पनियों के प्रबन्धक उत्पादन तेज करने और उत्पादिता में सुधार करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इनमें विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग, आधुनिकीकरण, निर्माण की नई वस्तुओं का विविधीकरण, अप्रचलित मशीनों का प्रतिस्थापन आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कुछ वित्तीय रियायतें दी गई हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप यह आशा है कि निकट भविष्य में जेसप और ब्रेथवेट में घाटा होना बन्द हो जाएगा। बर्न स्टैण्डर्ड पहले ही पिछले तीन वर्षों से लाभ कमा रही है।

6-ए० पी० ए० की मांग, स्वदेशी उत्पादन और आयात

3337. श्री सरफराज अहमद : क्या उद्योग मन्त्री कम सीमा शुल्क टैरिफ के कारण देश में 6-ए०पी०ए० के उत्पादन को आघात के बारे 13 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 3248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6-ए०पी०ए० के स्वदेशी उत्पादन के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) 6-ए०पी०ए० का पहुंच मूल्य क्या है ;

(ग) राज्य व्यापार निगम 6-ए०पी०ए० किस मूल्य पर जारी कर रहा है;

(घ) क्या एम्पिसिलिन इसके लवणों और एमोक्सीलिन का उत्पादन करते समय 6 ए०पी०ए० की लागत को ध्यान में रखा जाता है; और

(ङ) अप्रैल, 1985, मार्च, 1986 की अवधि के लिए 6-ए०पी०ए० की अनुमानित मांग और अनुमानित स्वदेशी उत्पादन क्या था और इस अवधि की मांग को पूरा करने के लिए यह कितनी मात्रा का आयात किया जा रहा है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) 6-ए०पी०ए० के स्वदेशी उत्पादन के लिए निर्धारित मूल्य 2100 रुपये प्रति कि० ग्रा० है।

(ख) आयात की अवतरित लागत मूल्य सी०आई०एफ० आयात के मूल्य आधार पर प्रेषण अथा के लिए भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन 6-ए०पी०ए० को 1230 रुपये प्रति कि० ग्रा० के पूलड मूल्य पर बेच रहा है।

(घ) एम्पीसिलिन तथा एनोक्सीसाइक्लिन के मूल्य 1232 रुपये प्रति कि० ग्रा० के पूलड मूल्य आधारित है।

(ङ) 6-ए०पी०ए० की मांग का मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस मध्यवर्ती की अपेक्षाओं को आंशिक रूप से स्वदेशी उत्पादन तथा आंशिक रूप से आयातों द्वारा पूरा किया जाता है तथा यह स्थिति वर्ष 1985-86 के दौरान जारी रहेंगे।

सरकारी क्षेत्रों के एककों में घाटा

3338. श्री मूल चन्द डागा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घाटे में चल रही 18 एककों में से कितने गत (1) दस वर्षों से और (दो) पन्द्रह वर्षों से घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या घाटे में चल रहे एककों के कामगारों को उत्पादन बोनस सहित सभी सेवा लाभ मिल रहे हैं अथवा वे अपनी कमाई में से धनराशि कटवाकर घाटे में हिस्सा देते हैं ;

(ग) घाटे में चल रहे 18 एककों में से कितने एकक अपने अनुसंधान और विकास एकक चला रहे हैं और गत पांच वर्षों के दौरान इस एकक पर उन्होंने कितना खर्च किया ;

(घ) क्या उनके कार्यकरण की जांच के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सम्भाविन घाटे में कमी करने के लिए कितने अनुसंधान तथा विकास एककों को बंद किया गया ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

क्लोस, लाइरामाइसीन और इरीथोसीन के ऊंचे दाम

3339. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्लोस कैपसूल, लाइरामाइसीन कैपसूल, इट्रोसीन टेबलेट और इरीथोसीन कैपसूल तथा ग्रेन्यूसूल के दाम बहुत अधिक हैं ;

(ख) उनके मन्त्रालय द्वारा क्या दाम निश्चित किए गए हैं और प्रत्येक किस दाम पर बेचा जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ कम्पनियों ने मूल्य संबंधी मंजूरी नहीं ली है और पिछले कई वर्षों से उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य ले रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) सरकार लाइरामाइसिन कैप्सूलों और इरियोमाइसिन कैप्सूलों तथा ग्रेन्यूल्स नामक उत्पादों से अवगत नहीं है । शेष उत्पादों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में माइक्रोवेव टेलीफोन प्रणाली से जोड़े जाने वाले स्थान

3340. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में माइक्रोवेव टेलीफोन प्रणाली से

किन-किन स्थानों को जोड़ा जाएगा ; और

(ख) माइक्रोवेव लाइन से किन-किन क्षेत्रों की टेलीफोन लाइनें जोड़ी जाएंगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) महाराष्ट्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जिन माइक्रोवेव योजनाओं पर कार्य करने की अस्थाई तौर पर योजना बनाई गई है उसकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) माइक्रोवेव प्रणाली से टेलीफोन लाइनें सीधे नहीं जोड़ी जाएंगी । तथापि, लम्बी दूरी की काल मिलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रंक सर्किट प्रदान करने के लिए माइक्रोवेव प्रणाली का उपयोग किया जाता है ।

विवरण

उन माइक्रोवेव परियोजनाओं की सूची जिन पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्य किया जाना है

1. प्रभादेवी-कालवा—न्यू बम्बई
2. पुणे—शोलापुर
3. शोलापुर—उस्मानाबाद-लातूर
4. नागपुर—चांदा
5. नागपुर—छिंदवाड़ा
6. सिकन्दराबाद—चांदा
7. पुणे—रतनगोरी
8. पुणे—बारामती

डाक और तार विभाग में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों की सेवाओं का नियमित किया जाना

3341. श्री राज कुमार राय : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लगातार कितने दिन काम करने के बाद नियमों के अनुसार दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला कोई श्रमिक नियमित किए जाने का पात्र हो जाता है;

(ख) क्या डाक और तार विभाग में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत श्रमिकों की सेवाओं को 8-10 वर्ष तक लगातार सेवा करने के बाद भी नियमित नहीं किया गया है; और

(ग) क्या इतने दिन तक लगातार सेवा करने के बाद भी इन श्रमिकों को बीमा, चिकित्सा, वर्दी, अन्तरिम सहायता आदि कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं;

(घ) इन श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) इन श्रमिकों की सेवाएं कब तक नियमित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस विभाग का कोई भी नैमित्तिक मजदूर लगातार दो वर्षों में प्रति वर्ष 240 दिन कार्य करते रहने पर नियमित नियुक्ति का पात्र हो जाता है।

(ख) जी, हां। नियमित रिक्त पदों के उपलब्ध न होने पर ऐसे मामले होते हैं।

(ग) जी, हां। ये सुविधाएं केवल नियमित कर्मचारियों को ही दी जाती हैं।

(घ) जिन नैमित्तिक मजदूरों ने 720 दिन—1200 दिन की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पहले से ही विभाग के समकक्ष नियमित कर्मचारी के न्यूनतम वेतन के 1/30 के पूरी 3/4 की दर से बढ़ा हुआ वेतन दिया जा रहा है।

(ङ) जैसे ही नियमित रिक्त पद उपलब्ध होंगे, उन्हें नियमित आधार पर खपा लिया जाएगा।

[अनुवाद]

आयातित ओक्सीटोसिन पावडर के सम्बन्ध में मूल्य अन्तरण

3342. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी इक्विटी शेयर धारक कुछ कम्पनियों ने अपनी प्रधान कम्पनी से भारतीय कम्पनी के मूल्य की तुलना में अधिक मूल्य पर ओक्सीटोसिन पावडर का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस औषधि के मूल्य अन्तरण का मामला उनके मन्त्रालय के ध्यान में आया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कारंवाई की गई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) उपलब्धि की सीमा तक मै० सैंडोज (इण्डिया) लि० द्वारा अपने मूल मालिकों से किए गए आयातों के विवरण नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	आयातित मात्रा	सी० आई० एफ० मूल्य
1982	26400	44 39
1983	21600	44.07
1984	14400	42.99

(ग) और (घ) वर्ष 1982-83 के दौरान कुल आयातों के आधार पर औसत आयात मूल्य 42.87 रुपये प्रति के०ई० था तथा 1983-84 में 43.87 रुपये प्रति के०ई० था। मै० सैंडोज (इण्डिया) लि० द्वारा अपने मूल मालिकों के किए गए आयात मूल्य तथा सभी एककों के समग्र औसत आयात मूल्य में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है।

संसद सदस्यों को बिना पारी के यात्री वाहनों का आवंटन

3343. डा० बी० विजय रामाराव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों को सरकारी क्षेत्र के एककों सहित भारतीय निर्माताओं से बिना पारी के यात्री वाहनों का आवंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मार्ग-निदेश क्या हैं; और कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने वाहन आवंटित किए गए;

(ग) क्या संसद सदस्यों से सरकारी क्षेत्र के एककों के वाहनों के विभिन्न माडलों के लिए आवेदन-पत्र मांगे गए थे;

(घ) यदि हां, तो कार और स्टेशन वैगनों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए; और वास्तव में कितने आवंटित किए गए और कितनों की डिलीवरी ली गई ; और

(ङ) क्या कोई वाहन कुछ ही संसद सदस्यों को दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) मोटर गाड़ियों पर कानूनी वितरण नियन्त्रण न होने से सरकार के पास संसद सदस्यों सहित प्राथमिकता प्राप्त उपयोक्ताओं की किसी भी श्रेणी की आवंटन करने के लिए कोई कोटा नहीं है। किन्तु मोटरगाड़ी निर्माता संसद सदस्यों को उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए गाड़ियों के प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने के अनुरोधों पर सामान्यतया विचार करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण मारुति उद्योग लिमिटेड पिछले एक साल से अपने विवेकाधीन कोटे से गाड़ियों का आवंटन नहीं कर सका है।

राजधानी में लोक अदालत

3344. डा० बी० एल० शैलेश : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में 6 अक्तूबर, 1985 को न्यायपालिका द्वारा आरम्भ की गई लोक अदालतों के प्रयोग से सरकार को क्या अनुभव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ वकीलों तथा मुवक्किलों से किए गए संयोगिक सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि उन दावेदारों को जिन्होंने दिल्ली में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के समक्ष

मोटर यान अधिनियम के अधीन प्रतिकर के लिए दावे दायर किए थे, लोक अदालत द्वारा दी गई धनराशि में से 15 से 25 प्रतिशत तक राशि वकीलों को मिली है;

(ग) लोक अदालतों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए कौन-सा प्रभारी प्राधिकारी है ;

(घ) क्या सरकार राजधानी में हाल ही में हुए "लॉ एशिया" सम्मेलन में विचार-विमर्श को देखते हुए ऐसे सुधार करने की तात्कालिक अनिवार्यता से अवगत है, जिनसे कि प्रारम्भ में जिला न्यायालयों में वास्तविक तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का विचार क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति (वि० सहू० स्कीम का० स०) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार :—

(क) मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावों पर पहली लोक अदालत, भारतीय साधारण बीमा निगम और दिल्ली परिवहन निगम के सहयोग से दिल्ली में 6.10.1985 को दिल्ली विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी। इसके परिणाम काफी उत्साहवर्धक थे। 116 मामले निपटाए गए थे जिनमें दावेदारों को प्रतिकर के रूप में 35,18,500 रुपए की राशि के संदाय का आदेश किया गया।

(ख) ऐसा कोई अभिकथन विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति के ध्यान में नहीं लाया गया है। वि० स० स्कीम का० स० ने एक पद्धति निकाली है जिसके अधीन प्रदत्त प्रतिकर का पर्याप्त भाग दावेदार के फायदे के लिए सावधि जमा में रख दिया जाता है।

(ग) दिल्ली में लोक अदालतों के कार्यों को मानिटर करने का भार साधक दिल्ली विधिक सहायता और सलाह बोर्ड है।

(घ) और (ङ) सरकार ने साधारण जनता का शीघ्र और कम खर्चीला न्याय दिलाने की दृष्टि से न्यायिक सुधार के लिए एक आयोग स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

बल्क औषधियों के लिए नियमों को कार्यान्वित करना

3345. **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 अक्तूबर, 1985 के 'इकानामिक टाइम्स' बंगलौर में आउट टू मल्टीनेशनल शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने विदेशी कम्पनियों द्वारा बल्क औषधियों के निर्माण सम्बन्धी नियमों को कड़ाई से लागू नहीं किया और आय की खुली छूट दे दी तथा अन्तरण मूल्य विधि के माध्यम से भारत में दवाईयों का बहुत अधिक मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बल्क औषधियों का आधारभूत स्तर से निर्माण करने के लिए औषधि नीति के संगत के प्रावधानों को कार्यान्वित नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1978 की औषध नीति की घोषणा के पश्चात, किसी भी फेरा कम्पनी को मूल स्तर से भिन्न प्रपंज औषध के उत्पादन के लिए आशय पत्र जारी नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोहिया मशीन्स की लाभदायकता में सुधार के लिए "ब्राण्ड-बैन्डिंग" नीति

3346. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की "ब्रांड-बैन्डिंग" की नई नीति के माध्यम से घरेलू उद्योगों में लचीलापन लाने के सरकार के हाल ही में किए गए निर्णय से लोहिया मशीन्स लिमिटेड का आवश्यकता में सुधार होने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि लोहिया मशीन्स लिमिटेड ने स्कूटरों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में जनता से भारी धनराशि इकट्ठी की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक जमाकर्ताओं को उनकी धनराशि नहीं लौटाई गई है क्योंकि वह जमाकर्ताओं को स्कूटरों की सप्लाई करने में असमर्थ है ; और

(घ) लोहिया मशीन्स लिमिटेड के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार ने क्या कोई कार्रवाई की है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) यह सम्बन्धित कम्पनियों का काम है कि वे ब्रांड बैन्डिंग स्कीम का लाभ उठाएं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कम्पनी ने बताया है कि 60 दिन की निर्दिष्ट अवधि के अन्दर आवेदकों को धनराशियां लौटाई जा रही हैं।

[हिन्दी]

खाना पकाने की गैस के डीलरों द्वारा नए हथकंडे

3347. **श्री विलास मुत्तेमवार**
श्री काली प्रसाद पांडेय
श्री मोती लाल सिंह
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 1985 के "जनसत्ता" में "खाना पकाने की गैस के विक्रेताओं के नए हथकण्डे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समाचार में उल्लिखित विभिन्न कदाचारों के लिए ऐसे कितने विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को विक्रेताओं से गैस का चूल्हा खरीदने पर मजबूर न किया जाए और बिना अवैध अदायगी किए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं, कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान उन्हें गैस विक्रेताओं के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) तेल कम्पनियों द्वारा एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों को यह निदेश दिए गए हैं कि नये गैस कनेक्शन को रिलीज करते समय ग्राहक पर संबंधित डीलर से ही गैस स्टोव खरीदने के लिए जोर न डाला जाए तथा ग्राहकों को आई० एस० आई० मार्क का चूल्हा खरीदने का स्वतन्त्रता है। कभी-कभी इस सम्बन्ध में नाजायज जोर देने की शिकायतें भी आती हैं इन शिकायतों पर पूछताछ की जाती है तथा दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध एल०पी०जी० विपणन अनुशासन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

ज्वारीय विद्युत परियोजनाएं

3348. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ज्वारीय बिजली पैदा करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) देश में लगाई जाने वाली ज्वारीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये किन क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारत में ज्वारीय विद्युत का विकास अनुसंधानात्मक स्थिति में है तथा यह कार्य कच्छ की खाड़ी में शुरू किया गया है। परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण, गणितीय तथा भौतिक माडल संबंधी अध्ययन और सिविल एवं विद्युत इन्जीनियरी अध्ययन किए जा रहे हैं।

ओ० जी० एल० सूची से डी० एम० टी०/टी० पी० ए० को निकाला जाना

3349. डा० ए० के० पटेल
श्री दिनेश सिंह } क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एस० एफ० तथा पी० एफ० आई० को ओ० जी० एल० सूची में रहने दिया गया है जबकि डी० एम० टी०/टी० पी० ए० को उस सूची से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में एक टन डी० एम० टी०/पी० टी०ए० की लागत क्या तथा एक टन पी० एस० एफ० एवं पी० एफ० आई० आयात करने की लागत कितनी है; और

(ग) एक टन पी० एस० एफ० तथा पी० एफ० वाई० का आयात करने की तुलना में एक टन डी० एम० टी०/पी० टी० ए० का आयात करने में देश को क्या तुलनात्मक लाभ है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टी० पी० ए० का आयात

3350. डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तकनीकी विकास महानिदेशालय के कार्यालय में 10 जून, 1985 को दिल्ली में हुई बैठक में टी० पी० ए० के उपयोगकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि पी० पी० ए० की उनकी सम्पूर्ण आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपना आश्वासन पूरा किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) 10 जून, 1985 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया था कि तकनीकी विकास महानिदेशालय डी० एम० टी०/टी० पी० ए० के आयात के लिए प्रत्येक आवेदन की जांच नीति की शर्तों और गुणावगुण के आधार पर करेगा।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल में नई खानों का चालू किया जाना

3351. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान भूमि उपलब्ध न होने के कारण पश्चिम बंगाल में नई खानें चालू करने में विफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) भूमि के उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं;

(घ) कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा ऐसी खानों में कितना निवेश करने का विचार है; और

(ङ) इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ) जी, हां। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में चोरा ओपेनकास्ट परियोजना नामक एक परियोजना सितम्बर, 1979 में रुपये 3.09 करोड़ की लागत से मंजूर की गई थी किन्तु उसके पूरा होने में चार वर्ष की देरी हुई। इस देरी का कारण भूमि का उपबन्ध नहीं होना तथा स्थानीय युवकों द्वारा आन्दोलन है। इस परियोजना के वर्ष 1985-86 के दौरान पूरा होने की आशा है।

सिंथेटिक रेशों के उत्पादन के लिए लघु उद्योग को धनराशि आवंटन

3352. **डा० सुधीर राय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिंथेटिक रेशों के उत्पादन के लिए उदार लाइसेंस नीति के अन्तर्गत लघु उद्योग को धनराशि आवंटित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सिंथेटिक फाईबर उद्योग अधिक पूंजी लागत वाला उद्योग है तथा आर्थिक रूप से लाभप्रद एकक को लघु क्षेत्र में स्थापित नहीं किया जा सकता।

मिश्रित वस्त्र फिलामेंट वस्त्र पर सिंथेटिक फाइबर के लिए शुल्क में दी गई छूट का प्रभाव

3353. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंथेटिक फाइबर के सम्बन्ध मे मिश्रित वस्त्र और फिलामेंट वस्त्र पर अगस्त, 1985 में शुल्क में दी गई छूट का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि फिलामेंट वस्त्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो इस नीति को अपनाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सिंथेटिक फाइबर्स पर उत्पाद-शुल्क घटाने के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंथेटिक फिलामेंट धागे पर शुल्क में कटौती

3354. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में सिंथेटिक वस्त्रों की व्यवस्था में सिंथेटिक फिलामेंट धागे तथा विकेन्द्रीकृत विद्युत चालित करघा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो केवल पालिस्टर स्टेपल रेशे, पालिस्टर स्टेपल रेशा मिश्रित धागे तथा पोलिस्टर स्टेपल रेशा मिश्रित वस्त्रों के सम्बन्ध में शुल्क में अगस्त, 1985 में घोषित छूट का सिंथेटिक धागे के 1.20 लाख टन के कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सिंथेटिक वस्त्रों के मूल्यों में कमी करने में इस छूट की क्या भूमिका होगी तथा उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों में कितने प्रतिशत की कमी होगी ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक सिंथेटिक यार्न के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ है।

(ग) सिंथेटिक फाईबर पर, उत्पाद शुल्क रियायत इस आशा से दी गई है कि यह लाभ फैब्रिकों के अन्तत: उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा।

कश्मीर में लिग्नाइट के भण्डार

3355. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में लिग्नाइट की उपलब्धता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या है; और

(ग) क्या काश्मीर में लिग्नाइट के भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो एवं जम्मू और काश्मीर सरकार के भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय ने अपने प्रारम्भिक सर्वेक्षणों के फलस्वरूप राज्य के बारामुला जिले में स्थित निचाहोम क्षेत्र में लिग्नाइट के भंडार होने का संकेत दिया है। जुलाई, 1985 में कोयला विभाग (भारत सरकार) ने एक "कार्य

बल" नियुक्त किया है जिसे यह काम सौंपा गया है वह उपलब्ध आंकड़ों की पुनरीक्षा करे एवं निचाहोम भंडार के विभिन्न स्थलों एवं क्षितिजों के लिग्नाइट भंडारों की किस्म मात्रा का विश्वसनीय अनुमान प्रस्तुत करे। यह "कार्य-बल" जम्मू काश्मीर राज्य के उन क्षेत्रों को भी निर्दिष्ट करेगा जहां लिग्नाइट क्षेत्र के नमूनों के तरलीकृत तल प्रदहन-ब्वायलरों में परीक्षण की सिफारिश की है। इन परीक्षणों के परिणाम के आधार पर लिग्नाइट भंडारों की आगे की जांच-पड़ताल की योजना बनाई जा सकती है।

भारतीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियन्त्रणाधीन "साफ्ट ड्रिंक्स" के ब्रांड

3356. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के नियन्त्रणाधीन "साफ्ट ड्रिंक्स" की ब्रांडों के पृथक पृथक नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक उत्पादन का वर्ष 1983-84 और 1984-85 का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने देश में फलों से "साफ्ट ड्रिंक्स" तैयार करने का काफी प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो कब, कहां और उसके क्या परिणाम निकले ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) भारत में तरल पेयों का उत्पादन करने में लगी कोई भी कम्पनी इस समय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की सीमा में नहीं आती। तरल-पेयों के महत्वपूर्ण भारतीय ब्रांड निम्नलिखित हैं :—

(1) पार्ले का—गोल्डस्पॉट, थम्स अप, लिम्का और रिमझिम।
(2) कैम्पा —कोला, लेमन, ऑरेंज तथा ड्रिप।
(3) 77/नोवा
(4) मेक डोवेल का—रस, थ्रिल और स्प्रिन्ट।
(5) ड्यूबरस
(6) स्पेनसर्स
(7) रॉजर्स
(8) 21

(ख) तरल पेयों के उत्पादन का ब्रांड वार ब्यौरा नहीं रखा जाता। तथापि, तकनीकी विकास के महानिदेशालय को प्रस्तुत की गई उत्पादन विवरणियों के अनुसार, संगठित क्षेत्र में, 1983-84 और 1984-85 के वर्षों में क्रमशः 9420 लाख बोतलों और 10,420 लाख बोतलों का आयात हुआ है।

(ग) और (घ) ऐसा समझा जाता है कि फलों के कार्बोनेट अम्लयुक्त पेय (कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स) विशेष रूप से सेबों को सम्मिश्रित करके पेय तैयार करने के लिए मैसर्स पार्ले एक्सपोर्ट्स द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं। लेकिन यह उत्पाद आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

3357. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि श्री बी० तुलसी राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के यूनिटों द्वारा प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी संबंधी योजना के कार्यान्वयन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों और यूनिटों के मुख्य कार्याधिकारियों ने इस सम्बन्ध में अपनी असंतुष्टि व्यक्त की है और श्रमिकों की भागीदारी के विरुद्ध राय दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी, निर्माणशाला एवं संयंत्र स्तर पर उनकी अन्तर्ग्रस्तता के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

नियोजकों द्वारा औद्योगिक उपक्रमों का कुप्रबन्ध

3358. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नियोजकों द्वारा औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध को रोकने के लिए एक विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की मुख्य बात क्या हैं; और

(ग) इसे कब लाया जाएगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान में गांवों का विद्युतीकरण

3359. **श्री शांति धारीवाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में प्रत्येक गांव को बिजली लगाने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान में अधिकांश गांवों में अभी भी बिजली नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन गांवों में बिजली लगाने का है जो फीडर लाइन के निकट स्थित हैं और जो बिजली लगाए जाने की प्रतीक्षा में हैं;

(घ) यदि हां, तो राजस्थान में ऐसे गांवों का ब्यौरा क्या है और उन गांवों में बिजली लगाने के बारे में जहां आसानी से बिजली लगाई जा सकती है सरकार का क्या मत है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) यथासम्भव शीघ्र देश में सत-प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण पूरा करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ख) राजस्थान राज्य में कुल 33,305 गांवों में से 30.9.1985 की स्थिति के अनुसार केवल 13,491 गांवों को विद्युतीकृत किया जाना है।

(ग) से (ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राजस्थान में 7515 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें फीडर लाइनों के बिल्कुल समीप स्थित गांव शामिल हैं।

राजस्थान के गांवों में पत्रों तथा तारों का वितरण

3360. **श्री शांति धारीवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांवों में पत्रों तथा तारों का वितरण प्रतिदिन नहीं किया जाता और महीने में यदा-कदा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में ऐसे कितने गांव है जहाँ डाक तथा तार विभाग द्वारा पत्र आदि महीने में केवल एक या दो बार वितरित किये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक गांव में पत्रों का प्रतिदिन वितरण सुनिश्चित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। यह सच नहीं है।

(ख) शून्य।

(ग) राजस्थान के सभी गांवों में दैनिक डाक वितरण की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है तथा विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा इसकी नियमित जांच की जाती है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों में केन्द्रीय योजना के अंतर्गत स्थापित प्रमुख उद्योग

3361. **श्री गुरुदास कामत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत कितने प्रमुख उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) उनमें से कितने उद्योगों ने अब तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है;

(ग) इन उद्योगों में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के आधार पर 1.4.1980 से 31.3.1985 की अवधि में स्थापित किए गए केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के नाम उनके निगमन की तारीख 31.3.1985 को प्रत्येक में रोजगार की स्थिति और प्रत्येक के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

उपर्युक्त अवधि में स्थापित किए गए 18 नए उपक्रमों में से 12 उपक्रमों ने उत्पादन/कार्य-संचालन शुरू किया है। इनमें से 17 उपक्रमों ने 31.3.1985 तक कुल 9,184 कार्मिकों को रोजगार दिया है।

विवरण

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	निगमन की तारीख	पंजीकृत कार्यालय	रोजगार	अभी निर्माण कार्य चल रहा है।
1	2	3	4	5	6
1.	नार्थ ईस्टन रीजनल एग्रीकल्चरल मार्किटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	31.3.1982	गोहाटी	18	
2.	कार्डमोम ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०	अक्टूबर, 1982	बंगलौर	23	
3.	दि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	22.2.1983	लखनऊ	76	
4.	गोआ एंटीबायोटिक्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	9.12.1980	गोआ	140	
5.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	13.3.1981	बंगलौर	167	
6.	पारादीप फास्फेटस लिमिटेड	24.12.1981	नई दिल्ली	175	निर्माण कार्य चल रहा है।
7.	हास्पिटल सर्विसेज कंसलटेंसी कारपोरेशन (भारत) लिमिटेड	30.3.1983	नई दिल्ली	25	
8.	मारुति उद्योग लिमिटेड	24.2.1981	नई दिल्ली	2130	
9.	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड	1981	जयपुर	उपलब्ध नहीं	
10.	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	27.3.1982	भुवनेश्वर	77	निर्माण कार्य चल रहा है।

1	2	3	4	5	6
11.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	18.2.1982	विशाखापटनम	3341	—वही—
12.	वायुदूत लिमिटेड	20.1.1982	नई दिल्ली	150	
13.	एयरलाईन एलाईड सर्विसेज लि०	13.9.1983	नई दिल्ली	शून्य	निर्माण कार्य चल रहा है।
14.	नेशनल एलूमीनियम कम्पनी लि०	7.1.1981	भुवनेश्वर	1425	—वही—
15.	एजूकेशनल कंसलटेंटस इंडिया लि०	17.6.1981	नई दिल्ली	26	
16.	विजय नगर स्टील लिमिटेड	18.12.1982	बंगलौर	54	निर्माण कार्य चल रहा है।
17.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	7.6.1983	कोट्टयम (केरल)	938	
18.	गैस अथारिटी आफ इंडिया लि०	16.8.1984	नई दिल्ली	419	
	जोड़			9184	

छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन क्षमता में गिरावट

3362. श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लक्ष्य की प्राप्ति में कोई गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छठी योजनावधि के दौरान अन्य राज्यों तथा समस्त भारत में प्लांट लोड फैक्टर की औसतन सुधार की तुलना में पश्चिमी बंगाल के विद्युत संयंत्र के प्लांट लोड फैक्टर में क्या सुधार हुए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए पश्चिम बंगाल में राज्य क्षेत्र में 1368 मेगावाट की नई विद्युत उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई थी इसकी तुलना में उपलब्धि 788 मेगावाट थी। इस कमी का ब्यौरा और कारण संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) छठी योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों के ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-I

पश्चिम बंगाल के वे ताप विद्युत/जल विद्युत उत्पादन यूनिटें जो छठी योजनावधि के दौरान चालू नहीं की जा सकीं

क्रम सं०	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	पिछड़ जाने के मुख्य कारण
1	2	3	4
1.	कोलघाट यूनिट-2 यूनिट-1 (पश्चिम बंगाल)	210 210	(1) यूनिट-3 को देर से चालू करने का प्रभाव यूनिट-2 को चालू करने पर पड़ा (2) यूनिट-2 और 1 के बायलर उत्थापन संबंधी कार्यों में धीमी गति से प्रगति होना (3) ए०बी०एल० द्वारा बायलर की क्षतिग्रस्त/गुमशुदा/अंगोपयोग की गई मदें सप्लाई किया जाना। (4) श्रमिक अशांति
2.	दुर्गापुर (डी०पी० एल०) यूनिट-6 पश्चिम बंगाल	110	(1) पूरा करने में विलम्ब/जल शीतलन पम्पघरों को तैयार करने नियन्त्रण कक्ष और अन्य सिविल कार्यों में विलम्ब।

1	2	3	4
			(2) संवेदनशील पाइपिंग, जल शीतलन पाइपिंग केबलिंग संबंधी उत्थापन कार्य में देरी।
			(3) राख हैण्डलिंग संयंत्र के सप्लाई और उत्थापन कार्य में देरी
			(4) श्रमिक अशांति
3.	पश्चिम बंगाल में रम्मन चरण-दो	50	भूगोलिक दुष्कर परिस्थितियों और ठेके देने में विलम्ब।

विवरण-2

वर्षवार संयंत्र भार अनुपात

बोर्ड	वर्ष	संयंत्र भार अनुपात
1	2	3
I. बिजली बोर्ड/यूटिलिटी :		
1. डेसू	1980-81	60.0
	1981-82	50.0
	1982-83	51.0
	1983-84	47.7
	1984-85	58.9
2. हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	1980-81	31.7
	1981-82	37.3
	1982-83	32.2
	1983-84	31.1
	1984-85	34.7
3. जम्मू और कश्मीर	1980-81	2.0
	1981-82	9.1
	1982-83	1.0
	1983-84	1.5
	1984-85	0.0

1	2	3
4. राजस्थान रा०वि० बोर्ड	1983-84	41.2
	1984-85	57.2
5. पंजाब रा०वि० बोर्ड	1980-81	37.6
	1981-82	41.8
	1982-83	51.0
	1983-84	57.0
	1984-85	64.3
6. उत्तर प्रदेश रा०वि० बोर्ड	1980-81	36.5
	1981-82	37.6
	1982-83	39.6
	1983-84	35.1
	1984-85	31.6
7. गुजरात बिजली बोर्ड	1980-81	50.0
	1981-82	53.6
	1982-83	57.9
	1983-84	55.3
	1984-85	54 0
8. मध्य-प्रदेश बिजली बोर्ड	1980-81	52.4
	1981-82	49.9
	1982-83	58.5
	1983-84	53.1
	1984-85	51.7
9. म०रा०वि०बो०	1980-81	52.6
	1981-82	49.4
	1982-83	50.2
	1983-84	51.0
	1984-85	46.6
10. आ०प्र०वि०बो०	1980-81	36.3

1	2	3
	1981-82	46.6
	1982-83	51.1
	1983-84	54.6
	1984-85	54.4
11. त०ना०वि०बो०	1980-81	34.5
	1981-82	37.8
	1982-83	44.0
	1983-84	39.4
	1984-85	49.0
12. कर्नाटक		—
13. वि०रा०वि०बो०	1980-81	31.4
	1981-82	35.5
	1982-83	38.5
	1983-84	32.8
	1984-85	30.5
14. उ०रा०वि०बो०	1980-81	34.0
	1981-82	35.9
	1982-83	35.2
	1983-84	33.3
	1984-85	32.2
15. पं०बं०रा०वि०बो०	1980-81	42.1
	1981-82	37.6
	1982-83	38.5
	1983-84	35.9
	1984-85	36.5
16. दु०परि०लि०	1980-81	29.0
	1981-82	31.0
	1982-83	36.0

1	2	3
	1983-84	30.3
	1984-85	28.7
17. अ०रा०वि०बो०	1980-81	36.5
	1981-82	34.8
	1982-83	36.9
	1983-84	34.2
	1984-85	29.6
II. केन्द्रीय क्षेत्र :		
1. रा०ता०वि०नि०	1980 81	46.0
	1981-82	49.7
	1982-83	48.7
	1983-84	53.5
	1984-85	53.6
2. नेवेली	1980-81	60.0
	1981-82	65.0
	1982-83	73.0
	1984-84	74 2
	1984-85	77.2
3. दा०घा०नि०	1980-81	37.5
	1981-82	51.7
	1982-83	49.6
	1983-84	46.1
	1984-85	48 6
III. निजी क्षेत्र :		
1. अ०वि० कम्पनी	1980-81	55.0
	1981-82	57.0
	1982-83	69.1
	1983-84	77.3

1	2	3
	1984-85	71.3
2. साबरमती	1980-81	58.0
	1981-82	67.0
	1982-83	77.4
	1983-84	73.2
	1984-85	71.4
3. ट्रोम्बे	1980-81	70.0
	1981-82	77.0
	1982-83	75.1
	1983-84	75.1
	1984-85	65.7
4. डी०ई०एस०सी० टीटागढ़ सहित	1980-81	57.0
	1981-82	57.0
	1982-83	57.6
	1983-84	52.7
	1984-85	54.0
IV. अखिल भारत :	1980-81	44.2
	1981-82	46.4
	1982-83	49.4
	1983-84	47.9
	1984-85	50.1

पालियस्टर फिलामेंट यार्न के मूल्यों में वृद्धि

3363. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पावरलूम एककों से इस बात की शिकायतें मिली हैं कि पालियस्टर फिलामेंट यार्न निर्यातकों द्वारा अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से इसके मूल्यों में वृद्धि किए जाने के परिणामस्वरूप पालियस्टर फिलामेंट यार्न के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पालियस्टर फिलामेंट यार्न के मूल्यों में गत तीन वर्षों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत में बने विदेशों से आयातित पालियस्टर फिलामेंट यार्न का वर्तमान तुलनात्मक मूल्य क्या है; और

(ङ) पावरलूम एककों को उचित दामों पर पालियस्टर फिलामेंट यार्न उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सामान्यत: अभ्यावेदन ये थे कि पालियस्ठर फिलामेंट यार्न के मूल्य ने वृद्धि का रूख दर्शाया है। यह भी बताया गया है कि हाल ही में पालियस्टर फिलामेंट यार्न पर कोई कमी किये बिना सिन्थेटिक फाइबर पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई है और इस प्रकार शुल्कों में कमी की जानी चाहिए।

(ग) डेनियर पर निर्भर करते हुए प्रथम श्रेणी के फिलामेंट यार्न (बम्बई) का औसत बाजार मूल्य गत तीन वर्षों के दौरान निम्न प्रकार सूचित किया गया है :—

(लगभग/प्रति कि०ग्रा०)

1983—रु० 132.20 से रु० 174.10 तक

1984—रु० 119.90 से रु०179.30

1985—रु० 183.90 से रु० 194.80
(जनवरी-मार्च)

(घ) वर्ष, 1985 (जनवरी-मार्च) के दौरान पालियस्टर फिलामेंट यार्न के औसत बाजार मूल्य (बम्बई) 183.60 रु० से 194.80 रु० प्रति कि० ग्रा० (लगभग) सूचित किया गया है। वर्ष 1984-85 के दौरान आयातित पालियस्टर फिलामेंट यार्न (पीओव यार्न सहित) का सी० आई०एफ० मूल्य 35.90 रु० प्रति कि०ग्रा० है। तथापि, अवतरित लागत अधिक होती क्योंकि उसमें इस समय प्रचलित आयात शुल्क, समान शुल्क आदि शामिल होंगे।

(ङ) पालियस्टर फिलामेंट यार्न के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाये रखने के उपायों की निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है।

कुछ कंपनियों के एकाधिकार वाली औषधियों को लाइसेंस से मुक्त किया जाना

3364. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में उन औषधियों को जिन पर कुछ कम्पनियों का एकाधिकार है और जिनका आयात करना पड़ता है; लाइसेंस मुक्त किये जाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं; और

(घ) कुछ कम्पनियों के एकाधिकार वाली ओषधियों और ऐसी औषधियों जिनका देश में उत्पादन नहीं होता है और उन्हें आयात करना पड़ता है, ब्यौरा क्या है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) लाइसेंस समाप्ति की योजना का विस्तार/पुनरीक्षा करने हेतु एक भारतीय औषध निर्माता संघ सहित सरकार को विभिन्न सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। भारतीय औषध निर्माता संघ के सुझावों के ब्यौरे दिनांक 19.11.85 के लोक सभा के तारांकित प्र०सं० 35 के उत्तर में पहले ही दिये जा चुके हैं।

(ग) सरकार ने विभिन्न अभ्यावेदनों पर अभी तक कोई दृष्टिकोण नहीं बनाया है।

(घ) जहां उत्पादन केवल एक निर्माता द्वारा ही किया जा रहा है, बल्कि औषधों का आयात-निर्यात नीति के ओ०जी०एल० पर है ताकि एकाधिकार कायम न हो सके। आयातों के ब्यौरे भारत के विदेश व्यापार की सांख्यिकी खण्ड/-II में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद ग्रंथागार में उपलब्ध हैं।

विद्युत की कमी

3365. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस ग्रीष्म ऋतु में विद्युत की गंभीर कमी की आशा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986 में ग्रीष्म ऋतु के लिए विद्युत की राज्य-वार मांग और उपलब्धता क्या होगी; और

(ग) उक्त अन्तर को किस प्रकार पूरा करने का विचार है?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में केरल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर देश के विभिन्न भागों में 1986 की गर्मियों में भिन्न-भिन्न मात्रा में ऊर्जा की कमी होने की सम्भावना है। विद्युत की उपलब्धता का सही-सही आकलन नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह ताप विद्युत यूनिटों के कार्य-निष्पादन और मौसम संबंधी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। विद्यमान ताप विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध लागू करके मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने का प्रस्ताव है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति

3366. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में उनके मंत्रालय के अधीन हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड और माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड जैसे भारी औद्योगिक यूनिट घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन यूनिटों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए ब्याज में भारी छूट दी है;

(ग) क्या उनके घाटे में चलने का मुख्य कारण पर्याप्त क्रयादेश न मिलना है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची जो बिहार में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है को हानियां हो रही हैं ।

(ख) विगत समय में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को सरकारी ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की अवधि में छूट और एक सीमित अवधि के लिए ऋण के पुनर्भुगतान पर स्थगन प्रदान किया गया था ।

(ग) इस एकक में हानियों के कारणों में से एक कारण है पर्याप्त क्रयादेशों का न होना ।

(घ) उत्पादकता में वृद्धि करने और यथा आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जो कदम उठाए गए हैं उनमें कोयला क्षेत्र से भी क्रयादेश प्राप्त करना, प्रबंध को मजबूत बनाना, केप्टिव पावर सप्लाई एककों की स्थापना करना, औद्योगिक संबंधों और अनुशासन में सुधार लाना शामिल है ।

गुजरात में ताप विद्युत संयंत्रों को गैस की सप्लाई

3367. **श्री डी०पी० जडेजा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात बिजली बोर्ड ने अपने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए इंधन तेल की सप्लाई हेतु उनके मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है;

(ख) क्या गुजरात बिजली बोर्ड के लिए आवश्यक गैस आवंटित करने से इंकार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इस समय धुरवारन और उतरन के विद्युत स्टेशनों के लिए प्रतिदिन 0.35 मि०मी० घन मी० प्राकृतिक गैस की सप्लाई कर रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधीन बनाए गए नियम

3368. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 से संबंधित नियम बना दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अधिनियम का कार्यान्वयन राज्यों की अधिकारिता में कर दिया गया है ।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अधीन क्रमशः उच्च न्यायालय, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है । केन्द्रीय सरकार को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अन्य अर्हताएं विहित करने की बाबत नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है । सरकार इस विषय में कार्रवाई कर रही है ।

राज्य सरकारों को उच्च न्यायालयों के परामर्श से कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए सशक्त किया गया है । अभी तक केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान राज्य में कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के प्रवर्तन की तीरीख 19 नवम्बर, 1985 नियत की है ।

विभागेतर कर्मचारियों द्वारा सेवायें नियमित किए जाने की मांग

3369. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक विभाग में मजदूर संघ पिछले कई वर्षों से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि विभागेतर सेवाओं को नियमित किया जाए ताकि संबंधित डाक कर्मचारी अन्य डाक कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों के हकदार बन सकें; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा विभागेतर सेवाओं के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस आधारभूत मांग पर विचार किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां । इस संबंध में यूनियनों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जी, नहीं । इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है तथापि डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय प्रणाली की कार्य पद्धति की जांच करके आवश्यकतानुसार ऐसे संशोधन करने तथा सुधार लाने के लिए सुझाव देगी जो मितव्ययिता के अनुरूप प्रणाली को कुशल बनाने में सक्षम हों ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में डाक वाहन और रोकड़ वाहनों की कमी

3370. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में डाक वाहनों और रोकड़ वाहनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने वाहनों की आवश्यकता है; और

(ग) डाक और तार विभाग द्वारा ऐसी वाहनों की कब तक खरीद किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आजमगढ़ जिले में विभागीय डाक मोटर सेवा चालू नहीं की गई है। वहां डाक ढुलाई की मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गोदावरी बेसिन में छिद्रण कार्य

3371. **श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में कोनावरण, भीमानापल्ली और राजोले क्षेत्रों गोदावरी बेसिन में छिद्रण कार्य काफी तेजी से हो रहा है;

(ख) इस समय छिद्रण कार्य की स्थिति क्या है; और

(ग) पहले से ही पूरे किए गए कार्य के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) कोनावरअ में एक कुएं की, भीमानापल्ली में एक कुएं की तथा राजोले में दो कुओं की खुदाई का कार्य पूरा किया जा चुका है।

इस समय भीमानापल्ली-2 में खुदाई का कार्य चल रहा है।

(ग) पूर्ण रूप से खुदाई किए गए चार कुओं में से भीमानापल्ली-1, राजोले-1 और राजोले-2 में गैस होने के संकेत मिले हैं। घेनावरम में खोदा गया कुआं सूखा साबित हुआ है।

दिल्ली छावनी स्थित टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रोनिक माइक्रोवेव चालित एक्सचेंज में बदलना

3372. **श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी स्थित टेलीफोन एक्सचेंज अब बहुत पुराना हो गया है;

(ख) क्या इस कारण जनता को एक्सचेंज के अधीनस्थ नम्बर मिलाने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली छावनी स्थित टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक/माइक्रोवेव चालित एक्सचेंज में बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) 7वीं योजना अवधि के दौरान दिल्ली छावनी एक्सचेंज को बदलने की योजना है जबकि इसके उपस्कर इतने पुराने हो जाएंगे कि उनको बदलना आवश्यक हो जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में अमलापुरम में सीधी डायल सेवा सुविधा

3373. श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक भी ऐसा कस्बा नहीं है जहां सीधी डायल सेवा सुविधा उपलब्ध हो;

(ख) क्या उक्त स्थान के लिए सीधी डायल सेवा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो वहां सीधी डायल सेवा सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी, हां। इस समय आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के अमालापुरम के किसी भी टाउन में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) संसाधन सीमित होने के कारण अभी तक केवल जिला मुख्यालयों में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान नहीं की गई है और सातवीं योजना अवधि के दौरान 1.4.84 तक 1000 लाइनों से अधिक क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधाएं प्रदान करने की योजना है।

बम्बई हाई से तेल निकाले जाने के बाद तेल की मांग पूरी करने की योजना

3374. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की वर्तमान तीन चौथाई तेल की खपत का 3/4 भाग बम्बई हाई से पूरा किया जाता है;

(ख) क्या तेल के तेजी से निकाले जाने के कारण इसके 15 या 20 वर्ष और चलने की भी संभावना नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो जब भारत 21वीं सदी में प्रवेश करेगा, तेल की निरन्तर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या योजनायें तथा सम्भावनायें तैयार की गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) बम्बई हाई तथा इसके संलग्न क्षेत्रों में उत्पादित क्रूड ऑयल द्वारा देश में उपभोग किए गए पेट्रोलियम पदार्थों (इन संदर्भ में क्रूड आयल के बराबर) की 43 प्रतिशत पूर्ति हुई। चालू उत्पादन दर से इन क्षेत्रों के भण्डारों का 15 वर्षों में समाप्त होने का अनुमान है। फिर भी इस बीच और भण्डारों की प्राप्ति की संभावना है।

(ग) देश में क्रूड आयल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदम इस प्रकार हैं :

(i) वृद्धिमान तेल प्राप्ति के तरीकों को प्रयोग में लाना।

(ii) संचालक के कार्यों को तीव्र करना।

(iii) उत्पादन वृद्धि के लिए खोज कार्यों में तीव्रता लाना।

(iv) उन्नत प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाना। तेल का खोज कार्य उच्च संभावना मूलक प्रकृति का होता है तथा वह सुनिश्चित तौर पर नहीं जा सकता है कि इस क्षेत्र में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाएगी।

खाद्य पदार्थ परिरक्षण उद्योग लाइसेन्स नीतियों के बारे में पुनरीक्षण

3375. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय (डी०जी०टी०डी०) ने खाद्य पदार्थ परिरक्षण उद्योग की नियन्त्रण सम्बन्धी लाइसेंस नीतियों में असंगतता को दूर करने के लिए समस्त खाद्य पदार्थ परिरक्षण उद्योग का पुनरीक्षण किया है/पुनरीक्षण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्धारण करते हुए कि भौतिक नियंत्रणों को वित्तीय नियन्त्रणों में कैसे बदला जा सकता है, पुनरीक्षण विभिन्न उद्योगों के बारे में, विशेष रूप से निवेश रोजगार तथा उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से अब तक क्या निष्कर्ष निकला है;

(ग) क्या कुछ औद्योगिक घराने भी भारत में एक बड़े संयुक्त उद्यम खाद्य पदार्थ परिरक्षण एकक को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरीका के खाद्य पदार्थ परिरक्षण के किसी बड़े उद्योगपति से बातचीत कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये घराने कौन से है और ऐसे उद्यमों को स्थापित करने के लिए क्या मूलाधार हैं जबकि देश में पहले ही अनेक खाद्य पदार्थ परिरक्षण उद्योग हैं और 65 प्रतिशत से भी अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं ?

रसायन तथा पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए तकनीकी विकास का महानिदेशालय विभिन्न उद्योगों की स्थिति की समय-समय पर संवीक्षा करता रहता है।

(ग) और (घ) सरकार के समक्ष इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में कुछ श्रेणियों के लोगों को पेट्रोल पम्प गैस एजेंसियों ने आबंटन हेतु सरकार द्वारा जारी मार्ग निदेश

3376. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों के आबंटन के मामले में (एक) महिलाओं (दो) विकलांग व्यक्तियों (तीन) स्वतन्त्रता सेनानियों (चार) युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं (पांच) भूतपूर्व सैनिकों (छ:) अनुसूचित जातियों और जनजातियों (सात) अल्पसंख्यक समुदायों को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए मार्ग निदेश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किये गये मार्ग निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका किस हद तक क्रियान्वयन किया गया है;

(घ) उक्त श्रेणियों के कितने व्यक्तियों को गुजरात तथा अन्य राज्यों में 1 जनवरी, 1983 से 18 नवम्बर, 1985 तक की अवधि में पेट्रोल पम्प/गैस एजेन्सियां आबंटित की गई हैं; और

(ङ) 1 दिसम्बर, 1985 से 30 दिसम्बर, 1985 तक के लिए उनका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) डीलरशिप की नियुक्तियों के लिए वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नलिखित आरक्षण किए गए हैं :—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एस०टी०/एस०सी०)	25%
बेरोजगार स्नातक/बेरोजगार इन्जीयरिंग स्नातक	25%
डिफेंस श्रेणी	7½%
विकलांग	7½%
स्वतन्त्रता सेनानी	5%
अन्य	30%

महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अतः इसके लिए कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ग) तेल उद्योग उपर्युक्त आरक्षणों को सख्ती से कार्यान्वित करता है।

(घ) वांछित सूचना अनुबंध के रूप में संलग्न विवरण पत्र में दी जा रही है।

(ङ) तेल उद्योग वित्तीय वर्ष के आधार पर अपनी विपणन योजना तैयार करता है। अतः 1 दिसम्बर, 1985 से 30 दिसम्बर, 1985 तक के लिए अलग से कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

एल०पी०जी०					
राज्य का नाम	अ० जा०	अ० जन०	बे० स्ना०/ बे०ई०स्ना०	शा० वि०/ वि०र०का० डब्लू०डब्लू०	सा० का०/ स्व०से०
गुजरात	7	14	18	12	3
राज्य (गुजरात को छोड़कर)	187	58	236	145	50

खुदरा बिक्री केन्द्र					
राज्य का नाम	अ०जा०	अ०जन०	बे०स्ना०/ बे०ई०स्ना०	शा०वि०/ वि०र०का/ डब्ल० डब्लू०	सा० का०/ स्व०से०
गुजरात	10	7	25	10	2
राज्य (गुजरात को छोड़कर)	223	67	246	123	36

अ० ज०—अनुसूचित जाति

अ० जन०—अनुसूचित जनजाति

बे० स्ना०—बेरोजगार स्नातक

बे० ई० स्ना०—बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातक

शा०वि०/वि०र०का०/डब्लू०डब्लू०—शारीरिक विकलांग/विकलांग रक्षा कर्मचार/वार विडो।

सा० का०—सामाजिक कार्यकर्ता।

स्व० से०—स्वतन्त्रता सेनानी।

लघु उद्योग क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन

3378 : श्री बी० बी० देसाई
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने लघु उद्योग क्षेत्र की कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए उनका तकनीकी विकास करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि लघु उद्योग क्षेत्र को अपना प्रभाग क्षेत्र बढ़ाने के लिए अच्छी किस्म के उत्पादों की वृद्धि करनी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता और राहत उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का आश्वासन दिया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी. हां।

(ख) जी, हां।

(ग) लघु उद्योग विकास संगठन लघु उद्योग सेवा संस्थानों, विस्तार केन्द्रों, कार्यशालाओं, प्रक्रिया सह-उत्पादन विकास केन्द्रों, क्षेत्रीय जांच केन्द्रों और क्षेत्रीय जांच स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से लघु एककों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन और उत्पादों की किस्म में सुधार करने में सहायता के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। सातवीं योजना अवधि के दौरान इन सुविधाओं को और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

नागपुर जिले के हिगना के समीप एक कोयला क्षेत्र का पता लगाना

3379. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नागपुर जिले में हिगना के समीप 50 से 70 मीटर मोटाई के एक कोयला क्षेत्र का पता लगा है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में और कोयला के लिए आगे समन्वेषण कार्य रोक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल रख दी जाएगी।

सत्यपाल समिति की सिफारिशें

3380. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्यपाल की समिति की सिफारिशों पर, जो सरकार के विचाराधीन थी, अब अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सिफारिशों का कार्यान्वयन कब तक किया जाएगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) :(क) जी, नहीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सत्यपाल समिति के निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा विचार किया गया था और इन्हें टायर तथा ट्यूब सम्बन्धी विकास परिषद को भी भेजा गया था।

विवरण

टायर उद्योग संबंधी विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशों का सारांश :

(1) क्योंकि टायर उत्पादन की लागत में प्राकृतिक रबड़ की कीमत का अंश महत्वपूर्ण होता है इसलिए प्राकृतिक रबड़ के उचित एवं स्थिर मूल्य स्थापित करने के वास्ते एक युक्तियुक्त नीति तैयार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अत: यह सिफारिश की जाती है कि प्राकृतिक रबड़ के वर्तमान मूल्य स्तर के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाने के लिए एक गहन अध्ययन किया जाए और प्राकृतिक रबड़ के मूल्य हेतु समुचित कार्य ढांचे का विकास किया जाए।

(2) प्राकृतिक रबड़ में औचित्यपूर्णता और स्थिरता होने के साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि नीति संबंधी कार्य-ढांचे में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन काफी बढ़ाने की व्यवस्था हो।

(3) जहां तक संश्लिष्ट रबड़ का प्रश्न है, भविष्य में इसके लिए की जाने वाली कार्रवाई इस प्रकार होगी; सर्वप्रथम संश्लिष्ट रबड़ उत्पादन की क्षमता में पर्याप्त विस्तार किया जाए, दूसरे इसकी उत्पादन लागत कम की जाए जिससे संश्लिष्ट रबड़ की कीमत कम की जा सके। संश्लिष्ट रबड़ की कीमतों में पर्याप्त कमी तभी हो सकती है जबकि बहुत बड़े-बड़े एकक स्थापित किए जायें जिससे कि मात्रा में उत्पादन करने के लाभ प्राप्त हो सकें।

(4) कीमतों में कुछ स्थिरता लाने का एक विचारणीय तरीका यह हो सकता है कि प्राकृतिक रबड़ किसी सरकारी व्यापारिक कम्पनी के माध्यम से मार्गीकरण के आधार पर आयात किया जाए और आयातित प्राकृतिक रबड़ को उस कीमत पर तथा उनकी मात्रा में बेचा जाए जिससे कि पूरे वर्ष प्राकृतिक रबड़ की कीमतें एक उचित स्तर पर बनी रहें। यह प्राकृतिक रबड़ के उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए ही लाभकारी होगा।

(5) इस बात की जांच करना आवश्यक होगा कि उद्योग को किस सीमा तक राहत दी जाए जिससे कि प्राकृतिक रबड़ मूल्य को उचित स्तर पर बनाए रखने और प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रबड़ उत्पादकों की जीव्यता पर अनावश्यक प्रभाव न पड़े।

(6) सरकारी गजट अधिसूचना में जो भार रेटिंग निर्धारित की गई है वह पहले ध्यान में रखी जा रही रेटिंग से अधिक है इसलिए ड्राफ्ट मानकों में संशोधन करना आवश्यक होगा, इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक संस्थान आटोमोबील टायरों हेतु मानकों को अन्तिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसमें शीघ्रता की जानी चाहिए।

(7) सिफारिश की जाती है कि निम्नलिखित उद्देश्य हेतु इस समय उपलब्ध विभिन्न अधिनियमों के अधीन कानूनी आदेश के द्वारा टायर उत्पादकों को अनिवार्य आई०

एस०आई० प्रमाणीकरण चिन्ह योजना के अन्तर्गत लाया जाए। इससे उद्योग द्वारा मानकों का ठीक से लागू किया जाना सुनिश्चित होगा।

(8) यह सुझाव दिया जाता है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु टायरों पर पक्के चिन्हांकन हों जिससे कि आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके जैसे कि :—

(क) नामिक (नोमिनल) आकार, किस्म यदि कोई हो, डाइरेक्शनल टाइप टायरों के लिए रोटेशन की ओर डाइरेक्शन जिससे कि इस्तेमाल करने में मार्गदर्शन मिले।

(ख) बनाए जाने की तारीख (जो कि सूचक संख्याओं द्वारा दी जा सकती है) क्योंकि टायर में अधिक भाग रबड़ का होता है और आयु वृद्धि प्रभाव के कारण रबड़ समय बीतने के साथ-साथ खराब होता रहता है।

(ग) अधिकतम स्वीकार्य भार (प्लाई रेटिंग के साथ-साथ अथवा प्लाई रेटिंग के स्थान पर चूंकि प्लाई रेटिंग की अवधारणा अब पुरानी पड़ती जा रही है)।

(घ) उत्पादक का नाम/मान्यता प्राप्त ट्रेड मार्क या ब्राण्ड नाम जिससे कि उत्पादक के साथ टायर की पहचान हो सके।

(ङ) टायर उपयोग के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष अवरोध गहराई (रिमेनिंग स्किड डेप्थ) सम्बन्धी जानकारी सुरक्षा के उद्देश्य से अंकित किया जाना चाहिए। इससे भी उपभोक्ता को यह सूचना देने का उद्देश्य पूर्ण होगा कि किस सीमा के बाद टायर को उपयोग करते रहना ठीक नहीं है या टायर को कब तक रिट्रीड कराना ठीक रहेगा, अतः इसके लिए परिधि पर अलग से रेखांक होना चाहिए।

चिन्हांक/लेबल लगाने संबंधी उपर्युक्त सभी अनिवार्यताएं संबंधित भारतीय मानकों में सम्मिलित की जाएं जिनके लिए कार्रवाई आरम्भ करने हेतु भारतीय मानक संस्थान को निदेश दिए जायें।

(9) सड़क यातायात के केन्द्रीय संस्थान और रक्षा मंत्रालय की वाहन अनुसंधान विकास संस्था में स्वतंत्र जांच सुविधायें उपलब्ध होने से यह सम्भव होना चाहिए कि देश में उत्पादित टायरों का स्वतन्त्र रूप से मूल्यांक हो और देश तथा विदेशों में उत्पादित एक ही किस्म के टायरों पर किए गए परीक्षणों से प्राप्त परिणामों की समय-समय पर संवीक्षा करके स्वदेशी टायरों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए।

(10) "टायर का जीवन काल और सुरक्षा की दृष्टि से इनके उपयोग की सुरक्षित अवधि" एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। इस उद्योग को आगे आने के लिए राजी किया जाना चाहिए कि वह स्वयं अपनी वास्तविक सेवा परिस्थितियों के अनुभवों के आधार पर इस बात की गारंटी दे कि विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयोग किए

जाने पर कोई टायर विशेष कम से कम कितने किलोमीटर तक चलेगा। इसे भारतीय मानकों में भी प्रतिबिम्बित किया जाए और उत्पादक द्वारा उपभोक्ता को दी जाने वाली गारन्टी का एक अंग बना दिया जाए।

(11) भारतीय मानकों के अलावा उद्योग अथवा एसोसियेशन स्तर पर भी मानकों की आवश्यकता है। यह सिफारिश की जाती है कि भारतीय आटोमोबील टायर उद्योग सभी संबंधित हितों के परामर्श से अपनी तकनीकी समितियों के माध्यम से एसोसियेशन स्तर पर ऐसे मानक विकसित करने का दायित्व अपने ऊपर ले जैसे कि विश्व में अन्य देशों के टायर उद्योग द्वारा विकसित किए गए हैं।

(12) यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि युक्तिसंगत, न्यायोचित और स्वस्थ व्यापार व्यवस्था पुन: लागू की जाए अथवा नए सिरे से शुरू की जाए और टायर डीलरों की वास्तविक शिकायतों पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए उद्योग तथा सरकार दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी हैं और समिति आशा करती है कि फैडरेशन द्वारा की गई इन कुछ शिकायतों पर उद्योग पूरा ध्यान देगा और यथा संभव सुधारोपाय यथाशीघ्र करेगा।

(13) कदाचार और असंतोष के संबंध में डीलरों द्वारा की गई शिकायतें दूर करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उद्योग स्व-अनुशासन के उपाय लागू करे और इस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए जो कि न केवल निष्कपटपूर्ण हो वरन् देखने में भी न्यायोचित और भेदभावरहित लगे। इस बात से काफी सहायती मिल सकनी है यदि उद्योग स्वेच्छा से एक ऐसी प्रणाली अपनाए जिसके अन्तर्गत यह समय-समय पर ट्रेड सर्कुलरों और सार्वजनिक विज्ञापनों के माध्यम से डीलर और खुदरा मूल्यों तथा डीलर को मिलने वाले डिस्काउंट और सुविधाओं की घोषणा करे जिससे कि कीमतों के बारे में तथा सभी डीलरों और उपभोक्ताओं को भेदभावरहित आधार पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जन सामान्य, डीलरों और सरकार को जानकारी मिलती रहे। यदि उद्योग स्वैच्छिक रूप से ऐसा नहीं करता तो यह सरकार के लिए उपयुक्त रहेगा की वह इसे प्रत्येक कम्पनी के लिए अनिवार्य बना दे। सार्वजनिक रूप से घोषित व्यवहार संहिता को कार्यरूप देना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह भी सिफारिश की जाती है कि सरकार एक ऐसा मानिटरिंग तंत्र स्थापित करें जो कि स्वयं अपनी ओर से अथवा प्राप्त हो सकने वाले अभ्यावेदनों के आधार पर सावधिक जांच कार्य करता रहे।

(14) विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति यह सिफारिश करेगी कि उच्चतर प्लाई रेटिंग वाले टायर बनाने के मामले में टायर उद्योग पर कोई विशेष प्रतिबंध न लगाया जाए किन्तु साथ ही यह भी सुझाव दिया जाता है कि यात्रियों और जनसाधारण की सुरक्षा में अड़चन डाले बगैर कम प्लाई रेटिंग टायर बनाना भी डायर उद्योग के लिए आवश्यक हो।

(15) मध्य कालिक विचार की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उद्योग को इस बात के लिए

राजी किया जाए अथवा आदेश दिया जाए कि वह :—

(क) अपना निर्यात बढ़ाए और अपनी क्षमता का और अधिक उपयोग करे; तथा

(ख) लागत घटाने के उद्देश्य से अपनी उत्पादन प्रक्रिया और प्रबन्ध विधि का आधुनिकीकरण करें।

(16) निर्यात संवर्धन का सुनिश्चय करने और देशी बाजार में सुप्रभावी प्रतियोगिता के माध्यम से उपभोक्ताओं की रक्षा करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इसे मांग की बढ़ोतरी से आगे रखने के लिए उद्योग को काफी क्षमता की स्वीकृति दी जाए। समिति का विचार यह है कि अधिक क्षमता के सृजन हेतु अग्रिम नियोजन की प्रक्रिया आगामी दस वर्षों को ध्यान में रखते हुए चलनी चाहिए क्योंकि नई क्षमता स्थापित होने में काफी समय लगता है। यह भी आवश्यक है कि विद्यमान एककों को विस्तार के मामले में अधिमान दिया जाए जिससे कि वे अधिक जीव्य और लाभकारी बन सकें।

(17) समिति इस बात की सिफारिश नहीं करेगी कि कीमतें एकदम जाम कर दी जाएं अथवा घटा दी जाएं जिससे कि अब तक मिलने वाले डिस्काउन्ट जारी रहें और इन्हें नए मूल्य स्तर की मान्यता मिलनी चाहिए। विकट परिस्थिति में लागत को ठीक बनाए रखना और कीमतों को स्थिर रखना कठिन है तथा समिति के विचार से मूल्य नियंत्रण लागू करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि उत्पादन की किस्में अधिक हैं और इसका बाजार बहुत विस्तृत है इसलिए मूल्य नियंत्रण का समग्र कार्य देख पाना प्रशासनिक दृष्टि से अत्यन्त कठिन होगा। इसके अलावा मूल्य नियंत्रण के साथ-साथ अंततः वितरण नियंत्रण भी करना ही होगा, जो कि उपभोक्ता और डीलर के लिए हानिकारक रहेगा।

(18) मूल्य और वितरण नियंत्रण लागू किए जाने के अभाव में समिति सिफारिश करेगी कि सरकार के पास एक सुप्रभावी तन्त्र हो, बेहतर होगा कि यह तन्त्र उद्योग मंत्रालय में हो जो कि क्षमता, उत्पादन, उत्पाद-मिश्र, लागत, मूल्य, गुणवत्ता, विपणन, वितरण, उपलब्धता स्थिति और टायर उद्योग के निर्यात की मानिटरिंग करेगा, इसके सामान्य कार्यनिष्पादन को समग्रतः देखेगा और समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले सुधारोपायों की खोज करके तदनुसार सरकार को सलाह देगा।

(19) पर्याप्त प्रौद्योगिकीय आधार के अभाव में विदेशी सहयोगकर्ताओं से सम्पर्क टूट जाने के परिणामस्वरूप उद्योग अपंग-सा होकर पुराना पड़ जाएगा और इससे न केवल भारतीय उपभोक्ता गत प्रयोग और घटिया उत्पादन को कण्ठम करेगा बल्कि निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाएं भी पूर्णतया नष्ट हो जायेंगी।

(20) उद्योग की प्रतियोगितात्मकता बनाए रखने के उद्देश्य से न केवल यह आवश्यक है कि विद्यमान एककों का विस्तार करके उन्हें लाभकारी आकार देना सुनिश्चित

किया जाए, वरन् नए एककों के लिए भी योजनाएं बहुत बड़े पैमाने पर आदित: बनाई जानी चाहिएं जिससे कि बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त हो सकें।

(21) उद्योग को तकनीकी रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से पुराने एककों का आधुनिकीकरण यथाशीघ्र किया जाना आवश्यक है। वर्तमान कीमतों के अनुसार आधुनिकीकरण की ऊंची लागत को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि विद्यमान एककों को आधुनिकीकरण सहित विस्तार करने हेतु वैसे ही वित्तीय प्रोत्साहन देने पर किया जाए जैसे कि इस उद्योग में स्थापित होने वाले नए एककों को दिए जाते हैं।

(22) इस प्रकार के आधुनिकीकरण के अलावा यह भी आवश्यक है कि भारतीय उद्योग में जो थोड़े से अनुसंधान और विकास के प्रयास हो रहे हैं और जो योग्यताएं इस समय उपलब्ध हैं उन्हें निरन्तर आधार पर विदेशी प्रौद्योगिकी के सम्पर्क में आने की सुविधा दी जाए जिससे कि प्रौद्योगिकी में होने वाले सुधारों का लाभ प्राप्त किया जा सके और सुविधा तब तक उपलब्ध रहनी चाहिए जब तक कि उद्योग के भीतर उपलब्ध अनुसंधान एवं विकास योग्यतायें उपयुक्त स्तर तक न पहुंच जाएं। अत: वर्तमान स्थिति में सर्वोत्तम हल यह नहीं होगा कि विदेशी प्रौद्योगिकी को बिल्कुल रोक दिया जाए बल्कि दोहरी नीति अपनानी होगी जिसके अनुसार एक ओर तो देश के भीतरी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ाकर उचित पैमाने तक पहुंचाने का प्रयत्न होना चाहिए और दूसरी ओर आधारभूत और प्रायोगिक तकनोलोजी के मामले में विदेशी निर्भरता धीरे-धीरे कम करनी चाहिए।

(23) आटोमोबील टायर उद्योग के बड़े आकार और इसके पण्यावर्त के अनुरूप इस उद्योग में अनुसंधान और विकास के लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि उद्योग को आवश्यक सहायताकारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इस संस्थान की स्थापना का कार्य केन्द्रीय दायित्व में होना चाहिए और इसकी व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए; किन्तु अनुसंधान संस्थान की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के मामले में उद्योग को भी निकट का सहभागी बनाया जाना चाहिए। इसका आंशिक विधियन उद्योग द्वारा इस पर उपकर लगाकर किया जाना चाहिए। इस प्रकार वसूल किए गए उपकर के बराबर सरकार को भी अपनी ओर सामान अंशदान देना चाहिए।

(24) उद्योग के समग्र विकास हेतु संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के अलावा एकात्मक आधार पर व्यक्तिगत उपक्रमों की विशिष्ट समस्याएं हल करने के लिए प्रायोजित अनुसंधान करने के मामले में अनु० एवं विका० संस्थान को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(25) अनुसंधान एवं विकास संस्थान को अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा साथ ही

उद्योग के भीतर संभावित अनुसंधान एवं विकास संगठनों से भी सहयोग करते हुए कार्य करना चाहिए।

(26) संस्थान में विशद जांच-सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि न केवल इसके अपने अनुसधान एवं विकास कार्यों के लिए पर्याप्त हो वरन् मांग किये जाने पर उद्योग के भीतर विद्यमान ऐसे उपक्रमों और अन्य सहायक संस्थानों के लिए भी उपलब्ध रहें जो कि आटोमोबाइल टायर उद्योग संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में लगे हुए हैं।

(27) रेडियल टायर जैसे सुधरी हुई किस्म के टायरों से अर्थव्यवस्था को होने वाले महत्वपूर्ण लाभों को देखते हुए समिति यह अनुभव करती है कि देश के भीतर रेडियल टायर बनाने का कार्य तेजी से आरम्भ किया जाना चाहिए।

(28) जिस गति से सड़क परिवहन का विकास हुआ है उसके अनुरूप सड़कों का विकास और रख-रखाव नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप राजमार्ग (हाइवे) प्रणाली में गंभीर खामियां उत्पन्न हो गई हैं जैसे कि भीड़भाड़ से रुकावटें, विलम्ब, टूटी-फूटी सड़क सुरक्षा, ईंधन की बर्बादी और वाहन चलाने की ऊंची लागत। इन खामियों को दूर करने में किया जाने वाला निवेश मुख्यतया लागत सुप्रभावी है और इससे आर्थिक लाभ होंगे। अन्य लाभों के साथ-साथ इससे टायरों का जीवन काल भी बढ़ेगा। अत: सड़क क्षेत्र के विकास और रख-रखाव हेतु वित्तीय परिव्यय में उपयुक्त वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है।

(29) जैसाकि एक्सल भार अध्ययन में इसका उल्लेख किया गया एक्सल अतिभार एक गंभीर समस्या है। अत: इस पर एक प्रभावी और सख्त प्रवर्तक प्रणाली लागू करने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि बेहतर बचाव विनियमन के लिए अतिभार को रोका जा सके और वाहनों के कार्य संचालन के हालातों में सुधार किया जा सके।

(30) सड़क परिवहन के लिए दो एक्सल वाले मजबूत ढांचे का ट्रक अत्यधिक सुचारू रूप से माल ढोने वाला वाहन नहीं है। बहु-एक्सल वाले वाहनों का उपयोग करके काफी किफायत लायी जा सकती है। बहु-एक्सल वाले वाहनों के अनेक लाभों को ध्यान में रखते हुए, सड़क परिवहन में किफायत लाने के लिए इन उपयोगों का प्रचार करने के लिए अभ्युपाय करने की आवश्यकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि बहु-एक्सल वाले वाहनों को लागू करने के मार्ग में आने वाली विभिन्न अड़चनों की जांच करने और सरकार के विचारार्थ उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय दल का गठन किया जा सकता है।

(31) संख्या के आधार पर क्षमता को लाइसेंस देने की वर्तमान प्रणाली संतोषजनक नहीं है। समिति को यह प्रतीत हुआ है कि क्षमता की और अधिक ठीक ढंग से परिभाषा

करना यह होगा कि इसे बनाए गए टायरों के कुल वजन से सम्बन्धित कर दिया जाये। साथ ही, कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए, टायरों के उत्पादन की संख्या में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। समिति को यह महसूस हुआ है कि अतः लाभ का संतुलन विद्यमान क्षमता की पुन: परिभाषा पर और क्षमता की पूर्णतया के संख्या के अनुसार परिभाषा करने की वर्तमान प्रक्रिया के अलावा, टायरों के उत्पादन संबंधी एक या उससे अधिक कठिन कार्यसंचालन में सामग्री के वजन के आधार पर भावी क्षमता के लिए लाइसेंस देने पर निर्भर करेगा।

(32) साथ ही, टायरों के विनिर्माण के लिए विशिष्ट रूप से अन्यथा लाइसेंस प्राप्त कम्पनियों को किसी विशेष संदर्भ के या लाइसेंस देने की दृष्टि से सरकार द्वारा स्वीकृति लिए बिना उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यही विचारधारा विद्यमान उत्पादकों द्वारा उत्पादन का रेडियल टायरों में विविधीकरण पर भी लागू होगी।

(33) यद्यपि समिति मूल्यों पर और वितरण पर नियंत्रण लगाने के पक्ष में नहीं है, फिर भी यह आवश्यक लगता है कि टायरों के मूल्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप कुछ हद तक लाए जाने की दृष्टि से उपाय करना आवश्यक होगा। टायर परिवहन उद्योग का न केवल कार्य की दृष्टि से बल्कि लागत की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण उपांग है। अत: एक अवस्थापना संबंधी सुविधा जिसका आर्थिक विकास के अनुरूप विस्तार और संवर्धन करना आवश्यक है के एक अंग के रूप में टायरों के मूल्यों को उपयुक्त सीमा में रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा।

(34) इस बात को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि समिति पूर्णतया यह अनुरोध करती है कि उद्योग द्वारा लागत को कम करने के लिए अनेक उपाय करने चाहिएं, फिर भी समिति यह सिफारिश भी करनी चाहेगी कि सरकार द्वारा राजकोषीय शुल्कों की समीक्षा की जाए और कच्चे माल के मूल्य कम करने के संबंधी उपायों की जांच की जाए तथा टायरों के उत्पादन की जांच की जाए।

मुर्शिदाबाद जिले में ताप बिजलीघर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव

3381. श्री अतीश चन्द्र सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रस्तावित 5×210 मेगावाट +2×500 मेगावाट के ताप बिजली घर का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर अनुमानित व्यय कितना होगा;

(घ) इस मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) इस परियोजना को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नए संस्थानों के निरीक्षण पर लगाए गए प्रतिबन्ध

3382. **श्री सतीश चन्द्र सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नए संस्थानों के निरीक्षण पर और/अथवा आयोग के प्रमाणपत्र देने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल में वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान कितने संस्थानों का निरीक्षण किया गया और कितने संस्थानों को प्रमाणपत्र दिए गए ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नये संस्थानों के निरीक्षण अथवा उन्हें प्रमाण-पत्र देने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं। उत्पादन में लगे और/या खादी की बिक्री में लगे संस्थानों को खादी के कार्य को शुरू करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग केन्द्रीय प्रमाणीकरण समिति से प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन्हें प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करना होगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है।

भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम में संशोधन

3383. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 को संशोधित करने के लिए कोई विधान बनाने का है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 का संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विद्युत शुल्क की दरों में भिन्नता

3384. प्रो० के० वी० थामस : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत शुल्क की दरें भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं; और

(ख) यदि हां, तो सभी राज्यों में विद्युत शुल्क की दरें एक समान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की दर निर्धारित करने का राज्य बिजली बोर्डों को अधिकार है जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत इस विषय में जारी किए गए नीति सम्बन्धी निदेशों के अधीन है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा

3385. श्री राम भगत पासवान : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में कितने गांवों में स्वतन्त्रता से लेकर अब तक टेलीफोन सेवायें प्रदान की है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने गांवों में टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने का विचार है; तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधायें प्रदान करने के लिए वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त बहुत-सी अन्य कठिनाइयां सामने आती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या योजनायें हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) स्वतन्त्रता प्राप्ति से 31.3.85 तक 22906 ग्रामों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ख) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9000 ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) (एक) मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणालियों का इस्तेमाल दूरवर्ती ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(दो) जहां-कहीं भी व्यवहार्य होगा, सौर ऊर्जा प्रणालियों का इस्तेमाल करके बिजली की कमी को दूर किया जाएगा।

टेलीफोन के गलत और बढ़े हुए बिलों के सम्बन्ध में शिकायतें

3386. **श्री राम भगत पासवान** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सम्बन्धित व्यक्तियों से उनके गलत और बढ़े हुए टेलीफोन बिलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की गलत बिल बनाने वालों द्वारा ही जांच कराई जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी शिकायतों की जांच करने के पश्चात लोगों को प्रत्येक मामले में हमेशा यही उत्तर दिया जाता है कि बढ़े हुए बिलों की शिकायतों की जांच कराई गई हैं और बिल की राशि को सही पाया गया है;

(ग) फरवरी, 1981 से सितम्बर, 1985 तक के दौरान सरकार को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और कितने लोगों की शिकायतें सही पाई गई और कितनी गलत पाई गई;

(घ) उपयुक्त अवधि के दौरान गलत बिल बनाने के लिए कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया; और

(ङ) कितने मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा अदा की गई अधिक राशि उन्हें वापस की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उपभोक्ताओं के बिल टेलीफोन एक्सचेंजों द्वारा मीटर रीडिंग तथा बुक की गई ट्रंक कालों के बारे में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कम्प्यूटेशन या बिल तैयार करने में होने वाली लिपिकीय गलतियों के अलावा, बिल तैयार करने वाले अनुभाग द्वारा गलत बिल या बढ़े-चढ़े बिल जारी करने की कोई संभावना नहीं होती है। उपभोक्ताओं से मिली शिकायतों की जांच पहले बिल तैयार करने वाला अनुभाग करता है जिससे यह पता चल सके कि बिल जारी करने में कोई लिपिकीय गलती तो नहीं हुई है। यदि ऐसा हुआ तो बिलों को सही करके उपभोक्ताओं को संशोधित बिल भेज दिया जाता है। यदि इस प्रकार की कोई गलती न पाई जाए, तो शिकायतों को आगे यह जांच करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है कि कहीं उसमें कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है जिससे तथाकथित अधिक राशि के बिल तैयार किए गए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अप्रैल, 1981 से सितम्बर 1985 के बीच सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1	2
1981-82	1,87,000
1982-83	80,000

1	2
1983-84	1,07,000
1984-85	89,879
1985-86 (सितम्बर, 85 तक)	44,885

फरवरी, 1981 और मार्च, 1981 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा सही पाई गई शिकायतों की संख्या तथा इस पूरी अवधि में जो शिकायतें गलत पाई गईं; उनकी संख्या फील्ड यूनिटों से प्राप्त की जा रही हैं तथा शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(घ) और (ङ) सम्बन्धित यूनिटों से जानकारी मांगी गई है तथा यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा बम्बई से लोनी तक पाइप लाइन बिछाने के लाभ

3387. श्री वाई० एस० महाजन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा बम्बई से बरास्ता पुणे, लोनी तक तेल पाइप बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या पेट्रोलियम उत्पादन रेलवे तथा टैंकरों जैसे परिवहन साधनों की तुलना में अब उपभोक्ताओं तक जल्दी पहुंच सकेंगे;

(ग) क्या इस परिवर्तन से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इससे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन को और राष्ट्रीय राजकोष को कितना वित्तीय लाभ होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मूल्य ढांचे में संशोधन करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) मूल्य निर्धारण की नीति के अनुसार ऐसे निवेशों पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन सामान्य प्रतिप्राप्ति का पात्र होगा। चूंकि अन्य परिवहन तरीकों की तुलना में उत्पादों का पाइप लाइन द्वारा परिवहन किए जाने में ऊर्जा खपत और उत्पाद हानियां कम होती हैं, पेट्रोलियम उत्पादों की कम खपत से देश को विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी।

बायो-एनर्जी सोसाइटी आफ इंडिया के पहले सम्मेलन तथा विचार-गोष्ठी की सिफारिशें

3388. डा० चिन्ता मोहन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमन्त्री ने देश के वैज्ञानिकों से केवल 10 उद्देश्य पर बृहद अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं पर काम आरम्भ करने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से कोई बायो ऊर्जा के स्रोतों से सम्बन्धित परियोजना होगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बायो-एनर्जी सोसाइटी आफ इंडिया के पहले सम्मेलन तथा विचार-गोष्ठी में की गयी अनेक उपयोगी सिफारिशों, जैसा कि 27 अक्तूबर, 1985 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है, की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और प्रधानमन्त्री के निदेशों की पृष्ठभूमि में उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सातवीं योजना में, कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशनों को अपनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस समय मिशनों को सूत्रित करने का कार्य किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) बायो ऊर्जा स्त्रोतों, बायोमास प्रक्रियाओं, पर्यावरणीय मामले और बायो ऊर्जा शिक्षा आदि की तरह विशेष प्रसंगों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। ये सुझाव वास्तव में बहुत उपयोगी हैं और उनमें से कुछ पर कार्यान्वियन सम्बन्धी कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

ऊर्जा विकास परिषद्

3389. डा० चिन्ता मोहन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ऊर्जा विकास परिषद् की स्थापना की है और यदि हां, तो इसका ऊर्जा से सम्बन्धित वर्तमान सलाहकार बोर्ड से क्या संबंध है;

(ख) क्या बोर्ड द्वारा स्थापित विभिन्न कार्य दलों की सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया गया है और उन्हें कार्यान्वित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार परिषद से यह कहने का है कि वह अल्कोहल को पैट्रोल में मिलाने जैसा कि भारत दूसरे विश्व युद्ध के समय किया जाता था और इस समय अमरीका द्वारा फर्मेन्टेशन रसायन प्रक्रिया से निर्मित अल्कोहल का उपयोग किया जा रहा है, के प्रश्न की फिर से जांच करे ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकार ने ऊर्जा

विकास परिषद् स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके कार्यकलापों के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ख) वर्तमान ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने ऐसे किसी दल का गठन नहीं किया है। तथापि, विशेषज्ञों के कई पैनल गठित किए गए थे और इन पैनलों की बैठकों में किए गए विचार-विमर्श/सिफारिशों के आधार पर ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने सितम्बर, 1983 तथा फरवरी, 1984 में प्रधान-मन्त्री के दो सैट प्रस्तुत किए थे। 28-2-1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 623 के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासन को पूरा करते हुए इन्हें अप्रैल, 1984 में लोक सभा के पटल पर रखा गया था। सिफारिशों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है/क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पालियस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पादन शुल्क में कमी

3390. डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का सस्ता सिन्थेटिक कपड़ा बनाने का विचार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पालियस्टर स्टैपल फाइबर पर उत्पादन शुल्क को 45 रुपये प्रति किलो कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो पालियस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पादन शुल्क कम न करने का क्या कारण है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ऐसे मामले में उत्पादन शुल्क का स्तर समय-समय पर गुण-दोष के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

मध्य प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

3391. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1985-86 में मध्य प्रदेश में और गांवों के विद्युतीकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1985-86 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) इस अवधि में इनमें से खारगोन जिले में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अक्तूबर, 1985 के अन्त तक मध्य प्रदेश राज्य में 41,780 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग) 1985-86 के दौरान मध्य प्रदेश में 3,000 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) 1985-86 के दौरान मध्य प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 37.90 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ङ) 1985-86 के दौरान खरगोन जिले के 45 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने की संभावना है।

ताप बिजलीघरों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग

3392. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री मानिक रेड्डी
श्री सुभाष यादव
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 1985 के "फाइनेंसियल ऐक्सप्रेस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर ध्यान दिलाना गया है कि बड़ी मात्रा में बिजली की कमी होने और बड़े पैमाने पर पारेषण और वितरण से सरकार को होने वाले नुकसान के बावजूद देश में ताप बिजलीघरों की 50% से भी अधिक अधिष्ठापित क्षमता अप्रयुक्त रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या देश में ताप बिजलीघरों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिष्ठापित ताप क्षमता का 100% समुपयोजन करना संभव नहीं है। बायलरों की अनिवार्य ओवरहालिंग तथा टर्बाइनों आद्योपान्त अनुरक्षण के लिए विद्युत उत्पादन यूनिटों को बन्द करना होता है जाकि यूनिटों की स्थिति तथा निर्माताओं के निदेशों पर निर्भर करता है। प्रणाली भार भिन्नता के कारण क्षमता का गैर समुपयोजन भी होता है। अप्रैल-नवम्बर, 1985 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्रभार अनुपात 50% था।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात में और सुधार करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों की सहायता करना।

2. अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा में कोयला प्राप्त करने तथा स्वदेशी और विदेशी स्त्रोतों से फालतू पुर्जे प्राप्त करने में भी राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों की सहायता करना।

3. कृतिक बलों और भ्रमणशील दलों द्वारा दौरा किया जाना ताकि सुधार करने योग्य कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और सुधार करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना।

4 इंजीनियरों तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

5. केन्द्रीय ऋण की सहायता से ताप विद्युत केन्द्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम का क्रियान्वयन करना; और

6. वार्षिक ओवर हाल/पूंजीगत अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों की समुचित आयोजना करना और इन कार्यों को समयानुसार क्रियान्वित करना।

दिल्ली में टेलीफोन के अधिक राशि का बिल भेजना

3393. श्री वी० एस० विजराघवन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन के अधिक राशि के बिल अक्सर भेजे जाते है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस बुराई को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी, नहीं। वैसे कुछ उपभोक्ताओं से ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है जिनमें अनुमान से अधिक राशि के बिल मिलने का आरोप होता है। ऐसी शिकायतें जारी किए गए बिलों के एक प्रतिशत से कम होती हैं।

(ग) अधिक राशियों के बिलों के वास्तविक मामलों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. यह देखने के लिए कि एक्सचेंज में लगे मीटरों के साथ छेड़छाड़ न की जाए। इसके लिए सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।

2. मीटर कक्षों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना।

3. बाहरी संयंत्रों में डी०पी०/पिलर्स एवं कैबिनेटों पर ताला लगाना।

4. उपभोक्ता मीटरों की रुटीन जांच करना।

5. एस०टी०डी० रहित टेलीफोनों की समय-समय पर जांच करना।

6. किसी भी प्रकार के परस्पर संपर्क होने की संख्या को कम रखने के लिए बाहरी संयंत्रों में सुधार लाना ।

7. मीटर रीडिंग की पाक्षिक जांच करके यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि क्या मीटर रीडिंग में असाधारण वृद्धि हुई है । यदि ऐसा कोई मामला ध्यान में आता है, तो जांच की जाती है । और उपस्कर का परीक्षण किया जाता है । कुछ मामलों में इस टेलीफोन को समानांतर मीटर पर्यवेक्षण में रखा जाता है ।

8. कम्प्यूटर के द्वारा प्रविष्टि की कड़ी जांच करना ।

9. भारी राशि के बिलों को जारी करने से पहले उनकी छानबीन करना ।

महानगरों में तार रहित टेलीफोन

3394. डा० बी० एस० विजयराघवन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में तार रहित टेलीफोन का प्रचलन आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे अन्य शहरों में भी आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी, हां । कार्डलेस टेलीफोन के उपयोग की अनुमति टेलीफोन के एक संयोजन के बतौर दी जाती है । लेकिन इसकी दूरी 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए । इसका दूरसंचार विभाग से लाइसेन्स प्राप्त करने के बाद उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि कुछ तकनीकी शर्तें पूरी होती हों ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर में बताई गई शर्तों पर समूचे देश में कार्डलेस टेलीफोन का उपयोग करने की अनुमति है ।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार

3395. श्री अमर राय प्रधान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स की काम्पलेक्स" नेप्था की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से हल्दिया तेल शोधक कारखाने की वर्तमान क्षमता में विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) से (ग) 7वीं योजना के दौरान हल्दिया ऑयल रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हल्दिया पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स के लिए नेप्था की उपलब्धि अन्य देसी स्त्रोतों से करायी जायेगी अगर आवश्यक हुआ तो इसे आयात द्वारा भी उपलब्ध कराया जायेगा।

पुन: उपयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाली समेकित ऊर्जा प्रणाली

3396. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुन: उपयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा स्त्रोतों का प्रयोग करने वाली समेकित ऊर्जा प्रणाली को देश में किसी गांव में परखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा की उत्पादन लागत क्या होगी;

(ग) क्या इसे कम खर्चीली पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसे और क्षेत्रों में भी परखा जाएगा ?

उर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस प्रकार की प्रणालियों की ऊर्जा उत्पादन और आर्थिक लाभों की लागत दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जोकि विद्युत ग्रिड (जाली) से दूर हैं, पहले ही से अनुकूल है और जहां कि अन्य परिपारिक ईंधन की आपूर्ति करना कठिन और खर्चीला है। इस प्रकार की प्रणालियां जोकि अवयवों की लागत के रूप में कुशलता को घटाती है और उत्पादन आकार को बढ़ाती हैं, वे आर्थिक व्यवहार्यता के समीप जा रही हैं।

(घ) इस प्रकार की 18 परियोजनाओं की स्थापना की जा चुकी है और 28 परियोजनाएं कार्यान्वियन के अधीन हैं। देश के विभिन्न भागों में और अधिक परियोजनाओं की स्थापना का विचार है।

टेलीफोन डायरेक्टरी जारी करना

3397. **श्रीमती किशोर सिंह**
श्री अनूप चन्द शाह } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन द्वारा जारी टेलीफोन डायरेक्टर का नवीनतम अनुपूरक पहले ही पुराना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष की समाप्ति से पहले नई डायरेक्टर जारी करने का विचार है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में टेलीफोन नम्बरों के बदले जाने के कारण टेलीफोन सेवा 197 के पास पूछताछ के लिए बहुत बड़ी संख्या में काल आती हैं;

(घ) क्या इससे टेलीफोन प्रोयोक्ताओं को भारी असुविधा हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) दिल्ली टेलीफोन डाइरेक्टरी का नम्बवर, 1985 तक संशोधित नया परिशिष्ट प्रकाशित हो गया है तथा उसका वितरण किया जा रहा है। नई मुख्य टेलीफोन डाइरेक्टरी के 1986 के दौरान प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं। तथापि, टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि तथा उनमें किए गए परिवर्तनों के कारण "197" पर परियात में कुछ वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। फिर भी इस बढ़े हुए परियात को "197" की पोजीशनों को देखते हुए संख्या में वृद्धि की जा रही है।

राज्यों द्वारा बिजली की दर को बढ़ाया जाना

3398. **श्रीमती किशोर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों के राज्य विद्युत बोर्डों को बिजली की दरें बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि उनकी सातवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त निधि की व्यवस्था हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा भी बिजली के बिक्री मूल्य बढ़ाये जायेंगे ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) बिजली (प्रदाय) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत टैरिफ का निर्धारण करने और संशोधन करने का अधिकार राज्य बिजली बोर्ड को सौंपा गया है। इस अधिनियम के अनुसार, जोकि 1-4-1985 से लागू किया गया है, राज्य बिजली बोर्ड को अपने प्रचालनों को इस प्रकार जारी रखना होता है और अपने टैरिफों का समायोजन करना अपेक्षित होता है कि वर्ष के आरम्भ में बोर्ड के पास कार्यशील अचल सम्पति की कीमत का 3 प्रतिशत से कम का अधिशेष न अर्जित करे (या इस प्रकार की अधिक प्रतिशतता जिसका राज्य सरकार द्वारा निर्धारण किया गया हो)।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को सप्लाई की गई विद्युत की टैरिफ, निगम द्वारा बोर्डों के साथ किए गये समझौते के अनुसार समझौते/बल्क सप्लाई के ज्ञापन द्वारा शासित होती है।

कछार जिले (असम में) उद्योग स्थापित करना

3399. **श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के कछार जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1982-1983 और 1984 में कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आशय पत्र जारी किए गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन पत्रों को नामंजूर किया गया और इसके क्या कारण थे ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान असम के कछार जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन 8 औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन प्राप्त हुए थे। जबकि 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई तथा आशय पत्र जारी किए गए, बाकी 2 आवेदकों को अस्वीकृत कर दिया गया। औद्योगिक लाइसेंस आवेदक को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते समय विभिन्न तकनीकी-आर्थिक कारकों जैसे, माग और आपूर्ति निर्यात क्षमता, कच्चे काल की उपलब्धता, अवस्थापना सम्बन्धी अड़चनें, योजना की जीव्यता और नीति संबंधी धारणाओं को ध्यान में रखा जाता है। अस्वीकृत करने का आधार प्रत्येक मामले में अलग-अलग होता है और आवेदकों और सम्बद्ध राज्य सरकार को यथासमय इसकी सूचना दी जाती है।

[हिन्दी]

जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल और खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों का बेनामी आवंटन

3400. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) में कितने डीजल/पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ख) उनके नाम क्या हैं और कुल वार्षिक बिक्री कितनी है;

(ग) क्या इस जिले में पम्पों और गैस एजेन्सियों का सारा कार्य अमीर लोगों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने इन पम्पों और गैस एजेन्सियों को अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के नाम से प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बेनामी आवंटनों पर रोक लगाने का है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जिला बस्ती (उ० प्र०) इस समय कार्यरत रिटेल आउटलेट (डीजल/पिट्रोल) डीलरशिपों तथा एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या क्रमशः 26 और 2 है।

(ख) वांछित सूचना में संलग्न विवरण में संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	नाम	स्थान	वार्षिक औसत बिक्री	
			पेट्रोल	डीजल
1	2	3	4	5
		खुदरा बिक्री केन्द्र		
1.	मैसर्स, मोहन राम राम निवास	खलीलाबाद	145 कि० लि०	850 कि० लि०
2.	मैसर्स, ओम प्रकाश राम प्रकाश	बस्ती	320 कि० लि०	580 कि० लि०
3.	मैसर्स, श्री श्याम आटो सर्विस	इटावा बाजार	85 कि० लि०	1135 कि० लि०
4.	राधाकृष्ण विमल कुमार प्रा० लि०	गांधी नगर	556 कि० लि०	1483 कि० लि०
5.	राधाकृष्ण विमल कुमार प्रा० लि०	मनौरी	—	3352 कि० लि०
6.	अलोक ट्रेडिंग कं०	बस्ती	120 कि० लि०	1734 कि० लि०
7.	पार्वती आटो	—वही—	—	1460 कि० लि०
8.	तेल विकास केन्द्र	—वही—	—	1022 कि० लि०
9.	अग्रवाल आटो	इटावा	—	430 कि० लि०
10.	राधेश्याम एण्ड संस	मंडेवाल	52 कि० लि०	556 कि० लि०
11.	हीरालाल शिवप्रसाद	एल०आर०पी०रोड़ (खलीलाबाद)	122 कि० लि०	630 कि० लि०
12.	हीरालाल शिवप्रसाद	बस्ती टाउन	—	721 कि० लि०
13.	बोरा आटो	शोरातगढ़	50 कि० लि०	630 कि० लि०

1	2	3	4	5
14.	इंडियन आटो	हरिया	—	1266 कि० लि०
15.	बेताब ऑयल कं०	नाउगढ़	—	490 कि० लि०
16.	किसान आटो	डोमेरी गंज	—	1501 कि० लि०
17.	रूपाली फिलिंग स्टेशन	रूपाली	(10 से 15 कि० लि० डीजल प्रतिमाह)	
18.	इन्द्रा आटो	बमनान	(40 से 50 कि०लि० डीजल प्रतिमाह)	
19.	जगदम्बा आटो सर्विस	नाउगढ़	155 कि० लि०	835 कि० लि०
20.	दिलीप फिलिंग स्टेशन	बंशी	—	1302 कि० लि०
21.	विजय आटोमोबाइल्स	बारहुंसी	—	570 कि० लि०
22.	हिन्दुस्तान आटोमोबाइल्स	बस्ती	45 कि० लि०	1725 कि० लि०
23.	बस्ती ऑयल कं०	—वही—	—	1174 कि० लि०
24.	तुलस्यान आटोमोबाइल्स	—वही—	—	942 कि० लि०
25.	उमर आटोमोबाइल्स	बार्कता चौराहा	—	728 कि० लि०
26.	पांडे आटोमोबाइल्स	बस्ती	159 कि० लि०	490 कि० लि०
	एल० पी० जी०			
1.	मैसर्स आदर्श गैस सर्विस	बस्ती		26,000 सिलेंडर्स (14.2 कि० ग्रा० क्षमता)
2.	मैसर्स, खलीलाबाद गैस सर्विस	खलीलाबाद		5853 सिलेंडर (14.2 कि० ग्रा० क्षमता)

बस्ती उत्तर प्रदेश में हरिजन और गरीब लोगों को गैस के आबंटन से पहले उनकी वित्तीय स्थिति की जांच

3401. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और गरीब वर्गों को पेट्रोल पम्प और गैस की एजेंसियां आबंटित करने से पहले उनकी वित्तीय स्थिति का कोई मूल्यांकन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जिन अनुसूचित जातियों को पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं उनकी वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन का मानदण्ड और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कमजोर वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों) के व्यक्तियों को गैस और पम्प एजेंसियां आबंटित करने से पहले सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यह जांच कराने का है कि क्या वह स्वयं ही एजेंसी चलाएगा अथवा उसे कोई अमीर व्यक्ति चलायेगा और क्या ऐसी जांच एजेंसी के आबंटन के बाद समय-समय पर करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) सम्बद्ध चयन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में ऐसा विनिर्दिष्ट है कि उम्मीदवार (सभी श्रेणियों के) और उसके परिवार (जैसा कि मार्गदर्शी सिद्धान्तों में व्याख्या दी गई है) की वार्षिक आय 24,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तेल चयन बोर्ड इस पृष्ठभूमि को और आवेदकों द्वारा निर्धारित फार्म में दी गई ऋण/वित्तीय स्रोतों आदि की सूचना और सामाजिक उद्देश्य श्रेणियों के अधीन चुने गये उम्मीदवारों के लिए पूंजीगत व्यय के 75% तक ऋण देने की रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की योजना को ध्यान में रखकर, चयन करते हैं। बोर्ड द्वारा सबसे अधिक उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने के लिए व्यापार सम्बन्धी दक्षता और अन्य घटकों को भी ध्यान में रखा जाता है। बस्ती में पेट्रोल/डीजल फुटकर बिक्री केन्द्रों का चयन करने के लिए बोर्ड द्वारा इसी प्रकार की पद्धति और कसौटी अपनाई गई है।

(ग) और (घ) डीलरशिप करार में एक शर्त है कि डीलर स्वयं कार्य करने वाला डीलर होगा। इसके अतिरिक्त तेल कम्पनियों द्वारा आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं और बेनामी परिचालनों के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच की जाती है और इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

खनन के क्षेत्र में परिणामोन्मुख प्रवृत्ति की शुरूआत

3402. श्री के० रामभूर्ति : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा भारत में खनिज खनन प्रौद्योगिकी पर आयोजित राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में उनके द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार खनन के क्षेत्र में कार्य और परिणामोन्मुख प्रवृत्ति प्रारम्भ करने के लिए नौकरशाही की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) लागत और समय में कमी तथा खनन के क्षेत्र में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) ऊर्जा मंत्रालय की अधीनस्थ कोयला कम्पनियों में परियोजनाओं के सम्बन्ध में जवाबदेही की भावना तथा परिणाम-उन्मुख प्रबंध और कार्य संस्कृति को प्रोत्साहन देना, उत्पादन और उत्पादकता की बेहतर करना तथा मूल लागत और समय-सीमा को बढ़ने से बचना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें यह बातें शामिल हैं :—नई खानों में निवेश, बेहतर तकनालॉजी अंगीकार करना, पहले ही बनी खनन क्षमता का पूर्णतर उपयोग, सामग्री सूची पर अधिक कड़ा नियंत्रण और भंडार सामग्री के उपयोग में किफायत, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करके तथा अनुशासन लागू करके और बेशी कामगारों का पता लगाकर उपयुक्त प्रशिक्षण के बाद उनके पुनर्नियोजन द्वारा जनशक्ति का बेहतर उपयोग, विस्फोटकों और इमारती लकड़ी आदि दुर्लभ उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि, तेजी से प्रेषण और अधिक प्रणाली-बद्ध वितरण द्वारा खान मुहाना-स्टाक को कम करना, नई परियोजनाओं को शीघ्रता से और समय पर पूरा करना, बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार तथा माफिया गिरोहों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण।

बिजली संयंत्रों में घाटा निवारण संबंधी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी

3403. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय घाटा निवारण संघ द्वारा बिजली संयंत्रों में घाटा निवारण के सम्बन्ध में हाल ही में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गईं; और

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत संयंत्र की स्थापना

3404. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार प्राकृतिक गैस पर आधारित राज्य में 200 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करने के आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में गैस की भारी मात्रा में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार इस पर पुनर्विचार करने का है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में समुद्र तटवर्ती तथा तट से दूर के क्षेत्रों का अभी पूरी तरह से अन्वेषण किया जाना है। उत्पादन की क्षमता सुनिश्चित हो जाने के बाद ही विद्युत उत्पादन के लिए गैस की उपलब्धता का प्रश्न उठ सकेगा।

हैदराबाद में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

3405. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए एक लम्बी प्रतीक्षा सूची है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हैदराबाद में नए टेलीफोन कनेक्शन देने की उस मांग को कब तक पूरा किये जाने की आशा है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा प्रतीक्षा सूची को 7वीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर निपटाए जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) जहां कहीं संभव होता है नए टेलीफोन कनेक्शन सुलभ कराने के लिए मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है और नए एक्सचेंज खोले जा रहे हैं, बशर्ते कि स्विचिंग उपस्कर और अन्य साज-सामग्री उपलब्ध हो।

आन्ध्र प्रदेश में रेडियो टेलीफोन सेवा शुरू करना

3406. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश में रेडियो टेलीफोन सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। इस समय आन्ध्र प्रदेश के लिए रेडियो चल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के मामले पर विचार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, हैदराबाद द्वारा डोक्सी साइक्लिन मेट्रोनाईडाजोल मधमहल डोपा, ट्राइमेथोप्रिम, सोडियम पास का उत्पादन बन्द किया जाना

3407. **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मंत्री इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा

निर्मित औषधियों के बारे में 13 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 3245 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० हैदराबाद ने डोक्सी साइक्लिन मेट्रानाइडाजोले, मेथाइल डोपा, ट्राइमेथोप्रिम, सोडियम पास, फ्रुसेमाइड, क्लोरोक्विन फास्फेट का उत्पाद या तो बन्द कर दिया है अथवा बहुत कम मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस शुदा क्षमता क्या है और गत चार वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक औषधि का उत्पादन कितना था;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए लगाये गये संयंत्र और मशीनरी की लागत क्या है और प्रत्येक औषधि की प्रोद्योगिकी की खरीद पर कितना शुल्क अदा किया गया है; और

(घ) प्रत्येक औषधि के लिए उपलब्ध पूरी क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के खान मुहानों पर कोयले का भंडार एकत्रित करना

3408. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने खान मुहानों पर कोयले के भंडार एकत्रित हो जाने के कारण उत्पादन की गति धीमी कर दी है;

(ख) क्या यह सच है कि भंडारों के एकत्रित हो जाने के कारण वर्ष 1985-86 के उत्पादन लक्ष्य भी पिछले वर्ष के अनुसार ही होंगे;

(ग) खान मुहानों पर कोयले के भंडार एकत्रित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) खान मुहानों पर कोयले पर भंडार एकत्रित न होने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की जिन कोलियरियों में विशाल स्टाक है वहां उत्पादन का विनियमन करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ख) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० में वर्ष 1985-86 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य 38.00 मिलियन टन निर्धारित किया गया है जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1984-85 के दौरान लक्ष्य 37.5 मिलियन टन था।

(ग) और (घ) खान मुहाना स्टाक में वृद्धि होने के कारण हैं;

1. कोयले के लदान के लिए रेलवे वैगनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना।

2. मांग के मूल अनुमान की तुलना में उपभोक्ता क्षेत्रों से वास्तविक मांग कम होना।

3. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० में वाशरियों में कार्यारंभ शुरू करने में विलम्ब।

4. उन एरिया में कोयले का अधिक उत्पादन होना जहां अन्य किसी स्थान के उत्पादन की कमी पूरी करने के लिए उत्पादन बहुत किया गया किन्तु वहाँ से उठान पर्याप्त नहीं हुआ।

रेल, सड़क और साधनों से प्रेषण बढ़ाकर खान मुहानों पर संचित स्टाक कम करने के समेकित प्रयास किए जा रहे हैं। जो कोलियरियां रेल से नहीं जुडी हैं उनसे निकटतम रेल-बिन्दुओं तक कोयला पहुंचाने के भी प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि जहां कहीं संभव हो वहां रेल द्वारा प्रेषण किया जा सके। अनेक कोलियरियों में सड़क द्वारा उदार बिक्री का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

पालिएस्टर उद्योग के लिए डी०एम०टी० और पी०टी०ए० अन्त: परिवर्तनीय कच्चा माल

3409. श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने मंत्रालय को सलाह दी है कि पालियस्टर उद्योग के लिए डी०एम०टी०ए० अन्त: परिवर्तनी कच्चे माल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस सलाह पर कार्य किया है; और

(घ) क्या वैज्ञानिक तकनीकी जांच के बाद यह पता चला है कि वास्तव में अन्तः परिवर्तनीय कच्चा माल नहीं है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में पुयानकुट्टी पनबिजली परियोजना चरण-एक को स्वीकृति

3410. श्री के०पी० उन्नीकृष्णन
श्री जार्ज जोसेफ मुडाकल } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केरल में पुयानकुट्टी पनबिजली परियोजना चरण-एक को प्राथमिक योजना के रूप में पूंजीनिवेश के लिए स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या इस योजना के लिए बाहरी सहायता प्राप्त किये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या वर्ष 1985-86 अथवा 1986-87 की वार्षिक योजना में उपर्युक्त योजना के लिए कोई प्रावधान करने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केरल में पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना चरण-एक (2×120 मेगावाट) की निवेश संबंधी निर्णय हेतु योजना आयोग को सिफारिश कर दी गई है।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा परियोजना को स्वीकृत कर दिए जाने के बाद ही विदेशी सहायता के बारे में निर्णय लेने के लिए विचार किया जा सकता है।

(घ) 1986-87 की विद्युत क्षेत्र की अनुमोदित राज्य योजना में कोई प्रावधान नहीं है। 1986-87 की राज्य की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

मारुति कार के सर्विस प्रभार, मरम्मत की लागत आदि में कमी

3411. **श्री अमल दत्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मारुति कार के सर्विस प्रभार, मरम्मत की लागत, अतिरिक्त पुर्जों के मूल्यों में अत्यधिक कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) ये कमी करने के क्या कारण हैं; और

(घ) पहले अत्यधिक मूल्य क्यों लिए जाते हैं और ये किस प्रकार निर्धारित किए गए थे ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) :(क) मारुति उद्योग लि० ने कुछ हिस्से पुर्जों की कीमतें कम की हैं और कुछ डीलरों ने मरम्मत प्रभार भी कम कर दिए हैं।

(ख) से (घ) पहले की कीमतें उस समय के प्रचलित खरीद मूल्यों तथा अधिक वस्तु सूची के आधार पर निर्धारित की गई थी। देशीकरण बिक्री में बढ़ोतरी तथा न्यूनतम खरीद मूल्य के कारण कीमतों में कुछ कमी सम्भव हो सकी है।

इथोम्बुटोल और पायरेजिनेमाइड और उनके फार्मूलेशन के मूल्य निर्धारण करना

3412. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथोमबुटोल और पायरेजिनेमाइड क्षयरोग विरोधी महत्व पूर्ण औषधियां हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ये औषधियां देश से ही तैयार की जाती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने इन दोनों बल्क औषधियों तथा इन औषधियों पर आधारित दवाईयों के मूल्य निर्धारित कर दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब और प्रत्येक बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्य किस आधार पर निश्चित किए गए थे ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 19 जुलाई, 1984 को इथम्बुटोल का मूल्य 681/रु० प्रति कि०ग्रा० निर्धारित किया गया था और 12 मई, 1981 को पाइराजिनामाइड का मूल्य 1273.55 रु० निर्धारित किया गया था । प्रपुंज औषधों के ऊपर निर्दिष्ट मूल्यों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित लीडर मूल्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

क्रमांक	फार्मूलेशनों का नाम और शक्ति	पैक साइज	लीडर मूल्य, उत्पादन शुल्क को छोड़कर सरकार द्वारा यथा निर्धारित	निर्धारण की तिथि
1	2	3	4	5
फार्मूलेशनों पर आधारित इथेम्बुटोल बेस				
1.	इथेम्बुटोल गोलियां 200 मि०ग्रा०/गोलियां	10का पत्ता /बोतल	4.18	10 10.1984
2.	—वही—	6 का	2.37	10.10.1984
3.	इथेम्बुटोल गोलियां 400 मि०ग्रा०/गोलियां	10 का पत्ता /बोतल	6.76	10.10.1984
4.	—वही—	6 का	4.18	10.10.1984
5.	इथेम्बुटोल गोलियां 600 मि०ग्रा०/गोलियां	10 का पत्ता /बोतल	9.81	10.10.1984
6.	—वही—	12 का पत्ता /बोतल	11.77	10.10.1984
7.	इथेम्बुटोल गोलियां 600 मि०ग्रा०/गोलियां	6 का पत्ता /बोतल	5.99	10.10.1984
8.	इथेम्बुटोल गोलियां 800 मि०ग्रा०/गोलियां	6 का पत्ता /बोतल	7.80	10.10.1984

9,	—वही—	10 का पत्ता /बोतल	12.82	10.10.1984
10.	—वही—	12 का पत्ता/बोतल	15.41	10.10.1984
पाइराजिनामाईड पर आधारित फार्मूलेशन				
1.	पाइराजिनामाइड गोलियां 500मि०ग्रा०/गोलियां	10 का पत्ता	15 30	22.7.1981

[हिन्दी]

राजस्थान के तार कार्यालयों में आपरेटरों की कमी

3413. श्री विष्णु मोदी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के तार कार्यालयों में लगे टेलीप्रिन्टर प्रायः अप्रयुक्त पड़े रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में लोगों को घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलीप्रिन्टरों के प्राय: अप्रयुक्त रहने का एक कारण आपरेटरों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ तार कार्यालयों में कार्य कर रहे आपरेटरों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक है तथा कुछ स्थानों में यह निर्धारित संख्या से कम है;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अक्सर नहीं लेकिन कुछ मामलों में संयुक्त डाक-तार घरों और विभागीय तार घरों में लगाए गए टेलीप्रिंटर पावर पैनल खराब हो जाने के कारण और प्रशिक्षित टेलीप्रिंटर संकेतक के उपलब्ध न होने के कारण अप्रयुक्त पड़े रह जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय तारघरों/विभागीय तारघरों में आपरेटरों की कोई भी कमी नहीं है लेकिन कुछ मामलों में संयुक्त डाक-तारघरों में प्रशिक्षित टेलीप्रिंटर संकेतों की कमी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) शून्य।

(ङ) शून्य।

राजस्थान सर्किल में टेलीफोन आपरेटरों की कमी

3414. श्री विष्णु मोदी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राजस्थान सर्किल के अन्तर्गत टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन आपरेटरों की कमी के कारण टेलीफोन लाईन देर से मिलाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) टेलीफोन आपरेटरों की कमी के कारण टेलीफोन पर देर से जवाब देने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) कुछ नहीं।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को कच्चे माल का वितरण

3415. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के लघु उद्योगों को कच्चे माल का वितरण केन्द्र सरकार औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन उद्योगों द्वारा आवश्यक सामग्री जिसके द्वारा उनके मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, औद्योगिक विकास निगमों द्वारा सप्लाई नहीं की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि लघु उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन घट रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है और अब तक के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी हो तो उसके क्या कारण हैं?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) अलग-अलग राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लघु उद्योग निगमों के माध्यम से सामान्यत: लघु औद्योगिक एककों को लोहे और इस्पात, वसायुक्त ताड़ का अम्ल जैसा कुछ किस्म के कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है। फिर भी कुछ श्रेणी और समूह के लघु उद्योग मुख्य उत्पादकों में सीधे ही कच्चा माल प्राप्त करते हैं।

(ख) लघु उद्योग निगम प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात् राज्य के उद्योग निदेशालयों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उनकी अनुमानित क्षमता के आधार पर लघु एककों को कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं और उनकी सर्वोत्तम बिक्री उपलब्धता के समानुपात में होती है।

(ग) से (ङ) कच्चा माल न मिलने के कारण लघु औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में किसी प्रकार की कमी हो जाने के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। इसके विपरीत अनेकों वर्षों में लघु क्षेत्र के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने का पता चला है।

मानसून के दौरान भूमिगत टेलीफोन केबलों का खराब हो जाना

3416. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या संचार मंत्री मानसून के दौरान भूमिगत टेलीफोन केबलों के खराब होने के बारे में 19 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 548 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा के दौरान भूमिगत टेलीफोन केबलों को खराब होने से रोकने के लिए उपर्युक्त उत्तर में उल्लिखित उपाय से इस वर्षा ऋतु के दौरान कितने सफल पाए गए;

(ख) वर्ष 1984 की वर्षा ऋतु की तुलना में जब ये निवारक उपाय नहीं किए गए थे, इस वर्ष की वर्षा ऋतु में कितने टेलीफोन खराब रहे, और वे कितने समय खराब रहे;

(ग) बताए गए उपायों में अब क्या सुधार करने की आवश्यकता है; और

(घ) राजधानी में किन-किन स्थानों में यह उपाय नहीं किए गए और उनके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जिन उपायों का उल्लेख किया गया है वे सफल रहे हैं। वे किस हद तक सफल रहे हैं, इसकी जानकारी संलग्न विवरण से प्राप्त की जा सकती है

(ख) अपेक्षित जानकारी तुलनात्मक संलग्न विवरण में उपलब्ध है।

(ग) जो हिदायतें जारी की गई हैं उनका नियमित रूप से पालन किया जा रहा है और जो सुधार आया है उस पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

(घ) राजधानी में सभी स्थानों पर इन उपायों को अपनाया गया है।

विवरण

1984 और 1985 के मानसून के दौरान केबिल की खराबियों और प्रभावित टेलीफोनों का तुलनात्मक विवरण

	1984			1985		
	मानसून के दौरान खराब हुए केबिलों की संख्या	मानसून के दौरान प्रभावित टेलीफोनों की कुल संख्या	मानसून के दौरान किसी एक ही दिन में प्रभावित टेलीफोनों की संख्या	मानसून के दौरान खराब हुए केबिलों की संख्या	मानसून के दौरान प्रभावित टेलीफोनों की कुल संख्या	मानसून के दौरान किसी एक ही दिन में प्रभावित टेलीफोनों की संख्या
बम्बई	1948	149160	34673	1681	169457	30559
कलकत्ता	578	143795	37957	563	69890	12491
दिल्ली	1497	97224	25345	1299	67341	4646
मद्रास	मानसून अभी शुरू हुआ है।					
अहमदाबाद	82	974	4033	99	1724	6082
बंगलूर	63	1485	1520	43	1375	150
हैदराबाद	42	2147	250	12	1583	100
कानपुर	—	—	—	—	—	—
पुणे	—	2457	—	—	996	—

उड़ीसा में गैस टरबाइन

3417. श्री चिन्तामणि जेना : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ईब ताप और तालचेर उच्चताप बिजली घरों जैसे प्रमुख बिजली-घरों के चालू होने तक वहां बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में गैस टरबाइन स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राज्य में बिजली की कितनी मांग पूरी होगी; और

(ग) उड़ीसा राज्य की समस्या के समाधान के लिये अन्य क्या उपाए किए जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने भुवनेश्वर तथा जाजपुर रोड में 3×30 मेगावाट और 3×30 मेगावाट के गैस टरबाइन संयंत्रों के दो सैट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। सतत् आधार पर ईंधन की उपलब्धता जैसे आवश्यक निवेश सुनिश्चित हो जाने के बाद ही इस परियोजना पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जा सकता है।

अप्रैल-अक्तूबर, 1985 के दौरान उड़ीसा में ऊर्जा की उपलब्धता 2487 मिलियन यूनिट थी, जबकि इसकी तुलना में प्रत्याशित उपलब्धता/* में वृद्धि की दृष्टि से, सातवीं योजना अवधि के दौरान 483.5 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

इसके अतिरिक्त, उड़ीसा को भूटान में चुखा जल विद्युत परियोजना (4×84 मेगावाट) से 31 मेगावाट तथा फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र, चरण-1 (3×210 मेगावाट) से 75 मेगावाट हिस्सा प्राप्त होगा, जब ये यूनिटें सातवीं योजना में चालू हो जाएंगी। तलचेर ताप विद्युत केन्द्र का आधुनिकीकरण तथा नवीकरण करने के लिए केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है।

बिजली की दरों में वृद्धि

3418. श्री एस०जी० घोलप : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के निदेश पर बिजली की दर में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की है; और

*3113 मिलियन यूनिट थी। राज्य में विद्युत की उपलब्धता।

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने बिजली की दरों में वृद्धि की है और उन्होंने कितनी वृद्धि की है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ख) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1984 के अधीन टैरिफ निर्धारित करने तथा संशोधित करने की शक्ति राज्य बिजली बोर्ड के पास है। 1-4-1985 से लागू संशोधन के अनुसार, अधिनियम में राज्य बिजली बोर्ड से यह अपेक्षित है कि वह अपने प्रचालन कार्य करे तथा अपने टैरिफ इस प्रकार समायोजित करें जिससे वह वर्ष के प्रारम्भ में कार्यरत बोर्ड की अचल सम्पत्ति के मूल्य पर कम से कम 3 प्रतिशत (अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अधिक प्रतिशत) अधिशेष अर्जित कर सके। उपलब्ध सूचना के अनुसार, नौ राज्य बिजली बोर्डों ने 1-4-1985 के बाद संलग्न विवरण में दी गई मात्रा में अपने टैरिफो में संशोधन किया है।

विवरण

1 अप्रैल, 1985 से राज्य बिजली बोर्ड द्वारा टैरिफ संशोधन के कारण दरों में अनुमानित औसत वृद्धि

(दर पैसे यूनिट)

क्र० सं०	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	संशोधन की तारीख	घरेलू रोशनी तथा पंखे (30 यूनिट प्रति माह)			वाणिज्यिक रोशनी तथा पंखे (200 यूनिट प्रति माह)			कृषि 5 एच०पी० 10% एल०एफ० (272 यूनिट प्रति माह)			लघु उद्योग 5 एच०पी० 10% एल०एफ०/272 यूनिट प्रति माह			मध्यम उद्योग 50 कि० वा० 30% एल०एफ० (10950 यूनिट/माह)			बृहत उद्योग 1000 कि० वा० 50% एल०एफ० 365000 यूनिट/माह		
			संशोधन पूर्व	संशोधन के बाद	प्रतिशत वृद्धि	संशोधन पूर्व	संशोधन के बाद	प्रतिशत वृद्धि	संशोधन पूर्व	संशोधन के बाद	प्रतिशत वृद्धि	संशोधन पूर्व	संशोधन के बाद	प्रतिशत वृद्धि	संशोधन पूर्व	संशोधन के बाद	प्रतिशत वृद्धि	संशोधन पूर्व	संशोधन के बाद	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	हरियाणा	1-5-85	45.00	45.00	—	100.75	100.75	—	28.68	32.25	12.35	36.00	65.00	80.16	55.16	80.00	45.03	54.65	85.00	55.54
2.	हिमाचल प्रदेश	9-7.85	44.83	45.67	1.02	74.50	82 08	10.07	21.94	21.94	—	34.00	44.00	29.41	34.76	59.00	69.74	34.00	57.00	67.65
3.	कर्नाटक	27-9-85	44.00	55.00	25.00	105.00	156.25	48.81	7.66	11.49	50.00	50.00	86.03	72.06	50.00	78.67	57.34	44.67	71 28	59.57
	शहरी		46.50	46.50	—							47.50		18.95	58.75		4.17			
4.	मध्य प्रदेश	1-5-85				90.50	100.50	11.00	16.00	16.00	—		56.60				61.20	66 27	79.12	19.39
	ग्रामीण		44 50	44.50	—							43.50		29.89	54.92		11.43			
	बी० एण्ड पी०		38.50	38.50	—	87.75	107.30	22.48										86.45	103.89	20.17
5.	महाराष्ट्र	1-11-85							22.98	15.31	(—)33.38	45.50	58.50	28.57	55.50	78.50	41.44			
	ओ०ए०		37.50	37.50	—	82.75	102.30	23.63				87.95	51.75	7.92				72 80	90 66	24 53
6.	उड़ीसा	21-8-85	57.50	57.50	—	71.76	89.00	24.14	22.56	22.56	—	42.8	55.00	29.41	54.09	61.10	12.66	64.96	85.88	32 20
7.	पंजाब	19-5-85	53.84	53.84	—	100.63	105.00	4.34	13 50	13.50	—	76.00	85.00	11.84	47.45	64.35	36 92	49.18	62.89	27.88
	एम०					106.00	115.00	8.49							76.00	85.00	11.84	72.50	85.12	17.41
8.	तमिलनाडु	1-6-85	55 00	55.00	—				11.49	11.49	—									
	एन०एम०					101.00	110.00	8.91				71.00	80 00	12.68	71.00	80.00	12.68	67.50	80.12	18.70
9.	पश्चिम बंगाल	2-4-85	55.00	57.00	3.64	79.00	80.00	2.56	35.00	35.00	—	61.65	63.50	3.25	...	-	-	76.91	82.45	7.20

एम०—मद्रास मैट्रो क्षेत्र एन०एम०—नान मैट्रो क्षेत्र बी० एण्ड पी०—बम्बई और पूना क्षेत्र ओ०ए०—अन्य क्षेत्र

नोट : इन दरों में बिजली शुल्क तथा ईंधन समायोजना प्रभार शामिल है।

सीमेंट के उत्पादन संबंधी औद्योगिक नीति

3419. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट यूनिटों के संबंध में बनाई गई औद्योगिक नीति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है क्योंकि यह देखा गया है कि अधिस्थापित क्षमता योजना लक्ष्य से अधिक हो गई है और इस बात का भी खतरा है कि लघु संयंत्र और पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले संयंत्र रूग्ण हो सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक होने वाली अनुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिये उठाये जाने वाले विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सीमेंट की 430 लाख मी० टन अधिष्ठापित क्षमता के छठी योजना के लक्ष्य की तुलना में छठी योजना (1984-85) के अन्त में 428.0 लाख मी० टन की अधिष्ठापित क्षमता का वास्तविक उपयोग हो पाया । सीमेंट उद्योग में उत्पादन और अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक सीमेंट की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर दूर हो जाने की संभावना है । चूंकि सातवीं योजना के दौरान और उसके तुरन्त बाद ही पूर्वानुमानित मांग को पूरा करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस/तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरण जारी करके पर्याप्त क्षमताएं स्वीकृत कर दी गई हैं, अत: हरित-भूमि क्षेत्रों में 2 वर्ष की अवधि के लिए बड़े सीमेंट संयंत्रों को प्रोत्साहन न दिए जाने की नीति का पालन किया जा रहा है । यद्यपि मिनी सीमेंट संयंत्रों को सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के मूल्य और वितरण नियंत्रण की परिसीमा से छूट दी गई है, फिर भी गत प्रयोग नम प्रक्रिया प्रौद्योगिकी वाले एककों के आधुनिकीकरण के लिए सभी प्रोत्साहन दिए जाते हैं । रूग्ण एककों को पुर्नस्थापित और उनका आधुनिकीकरण किए जाने में समर्थ बनाए जाने की दृष्टि से उनकी लेवी सीमेंट संबंधी देयता कम स्तर पर निर्धारित कर दी गई है ।

पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को ऋण

3420. डा० फूलरेणु गुहा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को ऋण मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है जिसके लिए ऋण मंजूर किए गए;

(ग) वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) यदि कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ;

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को जिन स्कीमों के लिए ऋण मंजूर किया गया है, उनकी सूची नीचे दी गई है :—

1. चन्द्रपुरम (दा० घा० नि०) दुर्गापुर (दा० या० नि०) डबल सर्किट तथा दुर्गापुर (दा० घा० नि०) दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) 200 के० वी० सिंगल सर्किट (डबल सर्किट टावरों पर) लाइनें ।

2 दुर्गापुर (दा० घा० नि०) दुर्गापुर (प० बंगाल) 200 के० वी० लाइन (दूसरे सर्किट पर तोर कसना) ।

3. वीरपाड़ा—फुटशोलिम 66 के०वी० सिंगल सर्किट लाइन ।

4, गमटोक—बलिमपोंग 66 के०वी० डबल सर्किट लाइन ।

5. चांदिल—संतालडीह 220 के०वी० सिंगल सर्किट लाइन।

6. चन्द्रपुरा—संतालडीह 220 के०वी० सिंगल सर्किट लाइन(डबल सर्किट टावरों पर) ।

7. रेंगाली—कोलाघाट 400 के०वी० सिंगल सर्किट लाइन ।

(ग) चांदिल—संतालडीह 220 के०वी०ला० और रेंगाली—कोलाघाट 400 के०वी०ला० को छोड़कर अन्य सभी स्कीमें पूरी हो गई हैं। चांदिल—संतालडीह लाइन को 1986-87 में और रेंगाली-कोलाघाट लाइन को 1988-89 में पूरा करने का लक्ष्य है ।

(घ) लाइनों के पूरा होने में विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—(1) अधिक मुआवजे की मांग करते हुए ग्रामीणों द्वारा निर्माण का विरोध करना, (2) टावर के भागों और अन्य लाइन सामान का बार-बार चोरी होना, तथा (3) जंगल की कटाई के संबंध में विलम्ब ।

पश्चिम बंगाल में रुग्ण एककों की संख्या में वृद्धि

3421. डा० फूलरेणु गुहा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों के दौरान रुग्ण लघु औद्योगिक एककों का संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पश्चिम बंगाल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण लघु एककों की संख्या दिसम्बर, 1981 के अन्त में 7827 थी जो दिसम्बर 1982 के अन्त में बढ़कर 11201 और दिसम्बर, 1983 के अन्त में बढ़कर 14165 हो गई ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पश्चिम बंगाल में सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय अन्तर-संस्थागत समिति का गठन किया गया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय प्रतिनिधि को आयोजक के रूप में शामिल किया

गया है। समिति लघु एककों और लघु उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार कर रही है। पश्चिम बंगाल में स्थित सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों द्वारा रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विशेषीकृत प्रकोष्ठ स्थापित किए जा चुके हैं भारतीय रिजर्व बैंक में रूग्ण एककों से सम्बन्धित जानकारी के लिए एक समाशोधन ग्रह् के रूप में कार्य करने और विभिन्न सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य अभिकरणों के बीच एक समन्वयकारी अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु एक प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पुर्नस्थापन कार्यक्रम तैयार करने के लिए किए गए संभाव्यता अध्ययनों की लागत की दिशा में रूग्ण लघु औद्योगिक एककों को सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लघु एककों को पुर्नस्थापना सहायता प्रदान करने के लिए पुर्नवित्तीयन योजना भी तैयार की है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने रूग्ण लघु औद्योगिक एककों को सहायता प्रदान करने के लिए सीमांत (मार्जिन) धनराशि योजना चालू की है। केन्द्र सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुर्नस्थापन/पुनरुज्जीवित करने के प्रयोजन के लिए भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण बैंक नामक नये बैंक की मार्च, 1985 में स्थापना की है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

3422. श्री आर०एम० भोये
श्री अनिल बसु
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "उद्योग विहिन जिला" तथा "पिछड़ा जिला" श्रेणी के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की योजना ने वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में प्राप्त अनुभव के आधार पर इस पूरी योजना की समीक्षा करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जैसा कि वर्ष 1982 से 1985 में जारी किए गए आशय-पत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों और तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरणों की निम्नलिखित संख्या से पता चलेगा, पिछड़े क्षेत्रों में चल रही विभिन्न राजकोष तथा प्रोत्साहन योजनाओं से इन क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने हेतु वांछित प्रभाव पड़ रहा है :

वर्ष	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरण
1982	601	145	704
1983	664	317	1155
1984	627	323	1106
1985	*625	*377	651**

*जनवरी से अक्तूबर, 1985 तक

**जनवरी से सितम्बर, 1985 तक

इसके अलावा, पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग भी स्थापित हो गए हैं। वर्ष 1982-83 से 1985-86 के दौरान वितरित की गई केन्द्रीय निवेश तथा केन्द्रीय परिवहन राज-सहायताओं से कुल प्रभाव का पता निम्नलिखित ब्यौरे से चल सकेगा :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1982-82	40.00
1983-84	53.20
1984-85	85.00
1985-86 (30.11.85 तक)	65.10

(घ) से (च) औद्योगिक छितराव और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना की समीक्षा और उसमें संशोधन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 31.12.1985 तक प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है।

औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में भारत का स्थान

3423. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के विकसित औद्योगिक देशों में पांच वर्ष पहले भारत का स्थान क्या था और इस समय क्या है; और

(ख) औद्योगिक विकास को और तेज करने तथा औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में भारत का स्थान ऊंचा करने के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं;

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) विभिन्न उत्पादनशील देशों का स्थान निर्धारित करना अनेक समस्याओं से जुड़ा होता है। एक तो, स्थान का निर्धारण करने का आधार समान पैरामीटरों पर नहीं होता। दूसरे, ऐसी तुलना

के लिए, देशों का समावेशन तुलना की अवधि के लिए न तो सम्पूर्ण होता है न ही एक समान। तीसरे, खनन, तेल-उत्पादन जैसे कुछ क्षेत्रों को दिए जाने वाले महत्व का युक्ति संगत तुलना पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) सरकार औद्योगिक लाइसेंस देने और आयात संबंधी नीतियों में उपयुक्त परिवर्तनों के साथ वित्तीय और राजकोषीय उपायों तथा आधारिक संरचना में सुधार द्वारा औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय कर रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान में लिग्नाइट भंडारों पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करना

3424. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाड़मेर जिले में कापुर्दी और आसपास के क्षेत्रों में अब तक "लिग्नाइट" के कितनी मात्रा के भंडार का पता चला है;

(ख) लिग्नाइट के उपर्युक्त भंडार से कितनी क्षमता के ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना किए जा सकने का अनुमान है और इस सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में उपर्युक्त ताप विद्युत संयंत्र शामिल करके राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों की विद्युत समस्या को हल करने में सहायता करने का है?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) कपूरडीह क्षेत्र में अब तक पाए गए लिग्नाइट के भण्डारों की मात्रा 56.84 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिनको इस क्षेत्र में लिग्नाइट की खुदाई और उपयोग की व्यवहार्यता के संबंध में तकनीकी-आर्थिक मामले हल हो जाने के बाद सुनिश्चित किया जा सकता है। उसके बाद राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड इन भण्डारों के आधार पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता पर विचार कर सकता है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार, बाड़मेर में लिगनाइट के भण्डारों पर आधारित एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय अनवेषणात्मक स्थिति में है।

[अनुवाद]

पेंसिलिन का आयात

3425. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उसके मंत्रालय ने कुछ वास्तविक प्रयोक्ताओं को पेंसिलिन का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में कितनी मात्रा की सिफारिश की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष तक देश की आवश्यकता देश में उत्पादन से ही पूरी हो जाती थी; और

(घ) यदि हां, तो पेंसिलिन के आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) केवल पेंनिसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल के आयात की अनुमति दी गई है ।

(ख) आवश्यक ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) पिछले वर्ष तक, देश में पेंसिलिन फर्स्ट क्रिस्टल का उत्पादन पर्याप्त था ।

(घ) आयात करने की आवश्यकता उत्पन्न होने का कारण यह है कि देश में 6 ए०पी० ए० के उत्पादन के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिए स्वदेशी उत्पाद पर्याप्त नहीं है ।

विवरण

क्रमांक	कंपनी का नाम	आयात के लिए स्वीकृत मात्रा
1.	मेक्स इन्डिया लि०	200 एम०एम०यू०
2.	मै० फार्मचिम	36 एम०एम०यू०
3.	मै० केडिला लेब्स	10 एम०एम०यू०
4.	मै० गुजरात लिक्सा ओर्गे०	28 एम०एम०यू०
5.	मै० साराभाई कैमिकल्स	42 एम०एम०यू०
6.	मै० सिफेम लेब्स	24 एम०एम०यू०
7.	मै० आरमर कैमिकल्स	17.6 एम०एम०यू० (11 टन)

औद्योगिक अल्कोहल की अल्प सप्लाई

3426. श्री सोमनाथ रथ
श्री राधाकांत डिगाल } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औद्योगिक अल्कोहल की कम सप्लाई के कारण कार्बनिक रसायन निर्माताओं को हो रही गम्भीर कठिनाईयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कहां तक;

(ग) संकट से उबरने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) पेय क्षेत्र और कार्बनिक रसायन निर्माण उद्योग के लिए अल्कोहल के आवंटन का क्या अनुपात है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) गत अल्कोहल वर्ष 1984-85 (दिसम्बर 1984—नवम्बर 1985) में देश में 6000 लाख

लिटर अल्कोहल का अनुमानित उत्पादन राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों द्वारा औद्योगिक उपयोग सहित विभिन्न उपयोगों के लिए यथा अनुमानित 8600 लाख लिटर की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी।

(ग) वास्तविक प्रयोगकर्ताओं (औद्योगिक) को औद्योगिक अल्कोहल (डिनेचर्ड) के शुल्क-रहित आयात की अनुमति दी गई थी।

(घ) और (ङ) गत अल्कोहल वर्ष के दौरान आधिक्य से कमी वाले राज्यों में अल्कोहल का अन्तर्राज्य आबंटन औद्योगिक प्रयोग के लिए 367.10 लाख लिटर तथा पेय प्रयोग के लिए 415.96 लाख लिटर था।

केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं का कार्य सम्पादन

3427. **श्री मूल चन्द्र डागा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं के कार्य सम्पादन की बाबत सरकार कोई अभिलेख रखती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधिकरणों में कितने मामलों में जीत हुई, कितनों में हार हुई और कितने विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि ऐसा अभिलेख नहीं रखा जाता है तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) विधि और न्याय मंत्रालय का विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं का पैनल रखता है। ये अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सिविल मामलों में भारत संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि जैसे, कुछ प्रशासनिक मंत्रालय अधिवक्ताओं के अपने-अपने पैनल भी रखते हैं। कुछ मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय, विधि कार्य विभाग द्वारा अनुमोदित निबंधनों और शर्तों पर, न्यायालयों और अधिकरणों के समक्ष उपसंजात होने के लिए पैनल से बाहर के काउंसेल भी नियुक्त करते हैं। अतः विधि विभाग में केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं का कोई केन्द्रीयकृत अभिलेख नहीं रखा जाता है।

विधि कार्य विभाग द्वारा रखे गए या अनुमोदित पैनल पर केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ता, अपनी अर्हताओं, अनुभव, विधि व्यवसाय में अपनी प्रतिष्ठा और सक्षमता के आधार पर रखे जाते हैं। कुल मिलाकर इन अधिवक्ताओं का कार्य-संपादन समाधानप्रद रहा है। उन मामलों में जहां कोई कमी ध्यान में आती है, वहां आवश्यक कारंवाई की जाती है जिसके अंतर्गत नियुक्ति की समाप्ति भी है।

बम्बई हाई तट दूर में तेल का अनुमानित उत्पादन

3428. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 10 वर्ष पहले बम्बई हाई तट से दूर तेल का पता लगा था;

(ख) यदि हां, तो गत 10 वर्षों के दौरान उक्त तेल का पता लगने के बाद इस पट्टी में हाल ही में की गई खोज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत 5 वर्षों से बम्बई हाई से तेल के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) गत दस वर्षों के दौरान, थाले के करीब 9.4 हजार लाइन किलोमीटर सर्वेक्षण किया गया है। आंकड़ों की व्याख्या के आधार पर 110 अन्वेषी कुओं की खुदाई की गई है। बम्बई हाई मेन के अलावा 25 सम्भावनाओं में हाईड्रोकार्बनों का पता चला था।

(ग) विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कच्चे तेल का उत्पादन (मि०मी० टन में)
1980-81	0.98
1981-82	7.98
1982-83	12.89
1983-84	17.39
1984-85	20.13

विभिन्न तकनीक प्रयोग करके उद्योगों द्वारा बिजली की बचत के सम्बन्ध में अध्ययन

3429. **श्री एस०एम० भट्टम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक उद्यम विभाग ने हाल ही में एक अध्ययन का हवाला दिया है जिसके अनुसार विभिन्न तकनीकी प्रयोग करने से बिजली की 30 प्रतिशत बचत की जा सकती है और उद्योगों ने इस बारे में कुछ नहीं किया है; और

(ख) क्या उपर्युक्त अध्ययन का ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम विभाग ने उद्योग में बिजली की बचत के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। किन्तु 1981 में गठित अन्तर मंत्रालय कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में औसतन 25% तक ऊर्जा के परिरक्षण की गुंजाइश है। इसके सदस्यों को जानकारी प्रदान करने हेतु और रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्यवाई शुरू करने के लिए यह रिपोर्ट उद्योग के संबंधित संघों को भेज दी गई है।

गैस के प्रयोग के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ बातचीत

3430. श्री एस०एम० भट्टम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस के प्रयोग के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस का आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ बातचीत की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने हाल ही में इस मंत्रालय को गैस पर आधारित 200 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने का अपना अभिप्राय बताया है। कई प्राइवेट पार्टियों ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पास गैस की अपनी आवश्यकताएं भी दर्ज कराई हैं।

क्योंकि तटीय और अपतटीय क्षेत्रों का अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं किया गया है और उत्पादन क्षमता अभी तक स्थापित नहीं की गई है, इस समय गैस की सप्लाई के लिए दीर्घावधिक वचनबद्धता नहीं की जा सकती है।

खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतें

3431. श्री यू०एच० पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1984 से 18 नवम्बर, 1985 के दौरान एल०पी०जी० एजेन्टस और एजेन्सियों के विरुद्ध गुजरात के बुलसार, गोधरा, बड़ोदरा, सूरत जिलों से तथा दादरा नागर हवेली से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उपरोक्त अवधि में कितनी एजेन्सियों को रद्द किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण निम्न प्रकार है :—

स्थान		प्राप्त शिकायतों की संख्या
बुलसार	—	13
गोधारा	—	2
बड़ोदरा	—	27
सूरत	—	27
दादर ओर नागर हवेली	—	—निल—

ये शिकायतें, रिफिलों की देर से सप्लाई होने, रूखे व्यवहार, अधिक प्रभार लेने, बारी से पूर्व कनेक्शन देने, हॉट प्लेट की खरीद करने के लिए बाध्य करने, नये गैस कनेक्शन लगाने में देरी करने और मरम्मत आदि करने के लिए मेकैनिक के देर से उपलब्ध होने के सम्बन्ध में थी।

(ग) और (घ) सभी शिकायतों की जांच की गई थी और तेल कम्पनियों द्वारा उपचारी उपाय किये गए थे। राज्य सरकार द्वारा सूरत में एक वितरक का लाइसेंस लम्बित कर दिया गया है और दो वितरकों के सम्बन्ध में नये कनैक्शनों की रिलीज को लम्बित रखा गया है।

गुजरात के जिलों और दादरा और नागर हवेली में गैस और पेट्रोल पम्प एजेन्सियां आबंटित करना

3432. श्री यू०एच० पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में बुलसार, गोदरा, बड़ोदरा और सूरत जिलों तथा दादरा और नागर हवेली में 1 जनवरी, 1984 से 18 नवम्बर, 1985 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों को दी गई गैस और पेट्रोल पम्प एजेन्सियों क ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल उद्योग ने गुजरात में बुलसार, गधारा, बड़ोदरा और सूरत जिलों में तथा दादरा और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों में 1 जनवरी, 1984 से नवम्बर, 1985 तक निम्नलिखित एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल के) दिये हैं :—

	एल०पी०जी०	आर०ओ०
बुलसार	एस०सी०—1	एस०टी०—1
	यू०जी०—1	
गधारा	एस०सी०—1	यू०जी०—1
	सरकारी निकाय—1	
बडोदरा	एस०टी—3	एस०टी—1
	एस०सी०—11	
	पी०एच०—1	
	सरकारी निकाय—1	
सूरत	एस०टी०—4	एस०सी०—1
	यू०जी०—1	एस०टी०—2
	सरकारी निकाय—3	अन्य—8
	दादर और नागर हवेली—	—

राज्यों को मोम की सप्लाई

3433. श्री मोहन भाई पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मोम का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) देश में इसकी वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ग) वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं को मोम की सप्लाई किस प्रकार की जा रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में मोम की सप्लाई की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1985 के दौरान पैराफिन वैक्स की आयोजित उपलब्धता और मांग क्रमश: 64400 मी० टन तथा 64000 मी० टन होने का अनुमान है फिर भी पैराफिन वैक्स की उपलब्धता में मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा इसके उत्पादन को सुदृढ़ करने में देरी होने के कारण, कमी होने का अनुमान है।

(ग) उद्योग निदेशकों के मूल्यांकन तथा सिफारिशों के आधार पर तेल कम्पनियां उपभोक्ताओं को सीधे अथवा अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा मांगी गई मात्रा की आपूर्ति करती है।

(घ) इसकी वर्ष 1983, 1984 और 1985 में की गई राज्यवार आपूर्ति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गई वैक्स की वर्षवार मात्रा

क्र० सं०	राज्य का नाम	1983	1984	1985 अक्तूबर 1985 तक
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	988	1384	1420
2.	असम	1399	2301	1793
3.	अरूणाचल प्रदेश	11	6	5
4.	बिहार	795	640	587
5.	गुजरात	1788	1230	839
6.	हरियाणा	70	90	90
7.	हिमाचल प्रदेश	15	—	20
8.	जम्मू और कश्मीर	265	170	115

1	2	3	4	5
9.	कर्नाटक	830	1327	1248
10.	केरल	1641	2375	2584
11.	महाराष्ट्र	10816	10153	6921
12.	मध्य प्रदेश	485	325	466
13.	मणिपुर	370	490	275
14.	मेघालय	4545	145	10
15.	नागालैण्ड	289	322	120
16.	उड़ीसा	226	437	388
17.	पंजाब	132	348	345
18.	राजस्थान	249	312	309
19.	सिक्किम/भूटान	30	15	12
20.	तमिलनाडु	6237	7301	5755
21	पुरा	81	54	175
22.	उत्तर प्रदेश	2422	4358	2962
23.	पश्चिमी बंगाल	6292	7667	5332
24.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
25.	चंडीगढ़ प्रशासन	57	30	40
26.	दादर और नागर हवेली	—	—	—
27.	दिल्ली	2013	2762	636
28.	गोवा दमन और द्वीप	380	494	223
29.	मिजोरम	100	116	70
30.	पांडिचेरी	60	106	124
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
		38386	44915	33964

टिप्पणी:— उपर्युक्त में स्लैक वैक्स से पैराफीन वैक्स निकालने वाले लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित 19000 मी० टन की वैक्स उपलब्धता शामिल नहीं है।

सिन्थेटिक रेशों के लिए लाइसेंस देने की उदार नीति

3434. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सिन्थेटिक रेशों के लिए लाइसेंस देने की नीति उदार बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नई कपड़ा नीति को ध्यान में रखते हुए धागों सहित सिन्थेटिक रेशों की मांग पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने और कपड़ा उद्योग को उचित मूल्यों पर सिन्थेटिक रेशा उपलब्ध करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या वित्तीय संस्थाओं को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उन पार्टियों को प्राथमिकता दे जो स्वयं आवश्यक संसाधन जुटाने में समर्थ हैं और जो इन संस्था के संसाधनों की न्यूनतम मांग करता है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभागों में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सिन्थेटिक फाइबर्स के लिए उदार लाइसेंसिंग नीति की घोषणा 24 सितम्बर, 1985 को की गई थी ।

(ख) और (ग) अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने का प्रश्न तथा सिन्थेटिक फाइबर के मूल्य तर्कसंगत स्तर पर रखने के लिए उपाय समीक्षाधीन हैं।

(घ) जी, नहीं ।

रुग्ण एककों को पुन: चालू करने के लिए उदार शर्तों पर गैर-वाणिज्यिक ऋण

3435. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने रुग्ण एककों को पुन: चालू करने के लिए उदार शर्तों पर गैर-वाणिज्यिक ऋण देने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुझावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बिहार में पिछड़े जिलों का पता लगाना

3436. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में पिछड़े जिलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन जिलों में कुछ उद्योग लगाने की योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) बिहार के निम्नलिखित जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले माना गया है:—

वर्ग "क" :—औरंगाबाद, भोजपुर, खगडिया, नालंदा, पूर्णिया, सहरसा (नया सृजित माधेपुरा जिला शामिल है)।

वर्ग "ख" :—भागलपुर, दरभंगा, चम्पारण (पूर्वी और पश्चिमी) पालमऊ और संथाल परगना जिले।

वर्ग "ग" :—मुजफ्फरपुर, सरना, नवादा, गया, बेगुसराय और मोंगेर।

(ग) और (घ) केन्द्रीय निवेश मुख्यत: आधारिक किस्म की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में लिया जाता है ऐसी परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का निर्धारण व्यापक तकनीकी-आर्थिक विचारणाओं के आधार पर किया जाता है। इन विचारणाओं की शर्तों पर पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

दामोदर घाटी निगम बाजार से भारी मात्रा में ऋण लेने पर मजबूर

3437. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा देय राशियों का समय पर भुगतान न करने के कारण दामोदर घाटी निगम को दोबारा बाजार से भारी मात्रा में ऋण लेने पर मजबूर होना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों राज्य विद्युत बोर्डों ने कुल कितनी राशि अदा करनी है तथा यह राशि कब से इकट्ठी हो रही है; और

(ग) इस भारी बकाया राशियों को वसूली के लिए दामोदर घाटी निगम को एक रुग्ण संगठन बनाने से बचाने के लिए सरकार अथवा दामोदर घाटी निगम का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) 30.11.1985 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड की ओर बकाया राशि 18.44 करोड़ रुपये है, जो कि 1969-70 से संचयी है तथा बिहार राज्य बिजली बोर्ड की ओर बकाया राशि 47.15, जो 1964-65 से संचयी है।

(ग) बकाया राशियों का भुगतान करने का मामला बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ उठाया गया है।

12.09 अपराह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण दत्त तिवारी ।

श्री तुलसीराम जी ?

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नगरकुरनूल) : अध्यक्ष जी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी बोलिए ।

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : मुझे उनकी लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। यू०पी० के बलिया जिले में कुछ हरिजनों को मारा गया...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्टेट सबजेक्ट है।

(व्यवधान)

श्री वी० तुलसीराम : मैंने 193 के तहत नोटिस दिया है। आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसी ही घटना हुई थी तो यहां पर डिसकस करने की अनुमति मिली थी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्टेट सबजेक्ट है, और कोई बात कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : बहुत सी ऐसी रिकोगनाइज्ड पार्टियां हैं जिनको यहां पर कमरे नहीं मिले हैं...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : आप किसी भी हालत में अवैध रूप से हमारे दल के कार्यालयों को सील नहीं कर सकते । (व्यवधान) और कल आपने कुछ टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया था । मैंने जो कुछ कहा...**...मैंने कोई असंसदीय बात नहीं कही है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे ? (व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं इस तरह से नहीं कर सकता।

(**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मुझे विश्वास है कि आपने नहीं...**...(**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए।

(**व्यवधान**)

क्या आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं सुन रहा हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं सुन रहा हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आपने यह जो सहृदयता दिखाई है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं...**...

अध्यक्ष महोदय : इससे आपका क्या आशय है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : जो हम कहते हैं उसका आशय वही होता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मेरे कहने का जो आशय है मैं उसे स्पष्ट करूंगा।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : नहीं, यह बात सही नहीं है।

(**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं आपके दबाव में नहीं आऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपका इससे क्या मतलब है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आप ऐसे नहीं...**...

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल नहीं।

(**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, यह उचित नहीं है वह कह रहे हैं कि "अध्यक्ष ने...**...

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना आक्षेप वापस लें, तभी मै आपकी बात सुनूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आक्षेप वापस लीजिए, तभी मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् : आक्षेप क्या है ? मुझे अपनी बात स्पष्ट करने की अनुमति दीजिए। (**व्यवधान**)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। पहले आपको अपना आक्षेप वापस लेना होगा, तब मैं आपके साथ बात करूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आपने एक अभूतपूर्व कार्य किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। न ही श्री उन्नीकृष्णन् जी, आप मुझे इस प्रकार से धौंसा नहीं सकते।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्योंकि आपने स्वयं ऐसा कार्य किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

पहले आप अपना आक्षेप वापस लीजिए और तब बात कीजिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय । पहले आप अपना आक्षेप वापस लीजिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आक्षेप क्या है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा है कि मैंने शिष्टाचार नहीं बरता है। मैं हमेशा शिष्टाचार से काम लेता हूं। मैं आपकी सेवा में हूं। मैं आपको अपना मालिक कह रहा हूं। मैं आपका मालिक नहीं हूं। मैं आपका सेवक हूं।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् : आप मेरे सेवक नहीं है कृपया ऐसा मत कहिए। आप संविधान तथा प्रक्रिया नियमों के अनुपालन से बद्ध हैं। आप उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। यही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उनका उल्लंघन कभी नहीं करूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय . पहले आप अपना आक्षेप वापस लीजिए, तब मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आक्षेप क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कार्यवाही वृत्तांत में है। आपने कहा था कि मैंने आपके प्रति अशिष्टाचार दिखाया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : जब आपने उस तरह का व्यवहार हम से किया तो मुझे आश्चर्य तथा दुःख हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आप कौन से व्यवहार का उल्लेख कर रहे हैं ? ऐसी बात बिलकुल नहीं है।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुलाम नबी आजाद : पहले उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिएं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति नहीं दी है। जब तक वह अपना आक्षेप वापस नहीं लेंगे तब तक मैं उनको अनुमति नहीं दूंगा। उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल मत कीजिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : उन्हें सदन तथा अध्यक्ष महोदय के सामने माफी मांगनी चाहिए। वह इस तरह नहीं कर सकते हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा दोष दर्शी नहीं हो सकते हैं... (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। मैं दबाव में आने वाला नहीं हूं... (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : आपको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने कहा है पहले उसे वापस लीजिये तभी मैं आपके साथ बात करूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आप मुझसे क्या वापस लेने के लिए कह रहे हैं ? मैं यहां एक शिकायत लेकर आया हूं ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप गलती पर हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : यदि मैंने गलती भी की है तो आपको तो गलती नहीं करनी चाहिए... (व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : आप...**... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह फिर वही बात कह रहे हैं। माननीय सदस्य फिर वही कह रहे हैं। मैं सदन से बाहर जाने के लिए उनका नाम पुकारने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : उन्होंने कहा था कि "अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए जब तक आप...**..." वह ऐसा कैसे कह सकते हैं ! (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप पूरी तरह से गलती पर हैं, और आक्षेप लगा रहे हो। पहले आपको माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपकी बात को पूरी तरह से सुनूंगा...

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा......
(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना शब्द वापस लेने के लिए तैयार है ?

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : महोदय, मुझे खेद है मैं आपके अनुरोध का पालन नहीं कर सकता......

(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, उन्हें अपना शब्द क्यों वापस लेना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह असंसदीय, अशोभनीय है......

(व्यवधान)**

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं श्री उन्नीकृष्णन् से अपील करता हूं, वह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए थी। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो वह उसके लिए खेद व्यक्त क्यों नहीं करते ? उन्हें खेद व्यक्त करना ही चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं यहां एक शिकायत लेकर आया हूं और उनका यह फर्ज है......

(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : आप अध्यक्ष पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आक्षेप नहीं लगा सकते......

(व्यवधान)**

आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए......

(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मुझे खेद है कि मैं आपके अनुरोध को नहीं मान सकता। आपकी बात का कोई औचित्य नहीं है या अन्यथा......

(व्यवधान)

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : क्या अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? कृपया मेरी बात सुनिए। अध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है।

महोदय, हमारा सदन कोई नया सदन नहीं है। दो दशकों से भी अधिक समय से इस सदन में यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष सदन की सामूहिक मर्यादा तथा बुद्धिमत्ता का द्योतक होता है। यह बात किसी व्यक्ति या पीठासीन व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। इसलिए, आप यहां तथा अन्यत्र भारत की संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा जब हम सदन में की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है और महोदय, अध्यक्ष के नाते संसदीय परिसर और इसके कार्यालयों आदि की देखरेख के लिए कुछ आपके प्रशासनिक कर्तव्य भी हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यदि मेरी यावदाश्त ठीक है तो इस सदन में अध्यक्ष के कार्यालय के प्रशासन के बारे में अभी तक कोई प्रश्न गृहीत नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

इसलिए यदि माननीय सदस्यों को उस पर कुछ बोलना है तो उनको आपके पास आने और अपनी बात कहने का प्रत्येक अवसर प्राप्त है। प्रश्न या चर्चा या हस्तक्षेप के माध्यम से इस पर चर्चा करने का इस सदन को अधिकार नहीं है।

दूसरे, मुझे खेद है कि मुझे श्री उन्नीकृष्णन् के आज के व्यवहार पर टिप्पणी करनी पड़ रही है। वह केवल पक्षपात पूर्ण ही नहीं थे बल्कि आपके प्रति तथा अध्यक्ष के उच्च पद के प्रति उन्होंने अपमानजनक भाषा का उपयोग भी किया है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक वह अपने शब्दों को वापस नहीं लेते और आपसे माफी नहीं मांगते तब तक हम इस तरह की बातों को चलते रहने की अनुमति नहीं दे सकते। प्रश्न उठाना पृथक है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें इस सदन में स्वस्थ परम्परायें स्थापित करनी होती हैं। इसलिए, श्री उन्नीकृष्णन् को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए और उन्हें उन शब्दों को वापस लेना चाहिए जिन पर प्रत्येक सदस्य ने आपत्ति प्रकट की है जब तक वह ऐसा नहीं करते हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। मुझे कुछ कहना है।

अध्यक्ष के रूप में यह मेरा छठा वर्ष है। इस अवधि के दौरान मैंने यहां पर अपनी जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों को अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करने और इस उच्च पद की गरिमा को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है। मैंने सदैव सभी का, चाहे वह किसी भी दल से सम्बन्ध रखता हो, सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूं कि मैंने इस सदन का मालिक नहीं अपितु सदैव एक सेवक बनने का भरसक प्रयास किया है। यह मेरा कथन है और यही मेरा लक्ष्य है। मैं जानता हूं कि मुझे नियमों और विनियमों द्वारा, जो आपने बनाए हैं, मैंने नहीं, सौंपे गए कुछ कार्यों को करना पड़ता है। मुझे उन चीजों को करना पड़ता है चाहे वे अप्रिय हों और कुछ लोग उन्हें पसन्द न करते हों। मुझे वे चीजें करनी पड़ती हैं क्योंकि आपने मुझे वह काम सौंपा है। एक न्यायाधीश को नियमों के अनुसार निर्णय देना पड़ता है। वह कानून नहीं बना सकता और न वह कानून में संशोधन ही कर सकता है। उसे कानून और नियमों के अनुसार निर्णय देना पड़ता है। आप लोग ही नियमों में परिवर्तन करते हैं, आपने ही नियमसमिति में नियम बनाए हैं या किसी अन्य प्रकार या परम्पराओं के आधार पर उनको बनाया है। और मुझे उनका ही पालन करना होता है। पिछले एक वर्ष में सभी दलों के बीच सौहार्द बनाए रखने के लिए मैं ऐसा करने का प्रयास करता रहा हूं। मैं किसी दल के विरुद्ध नहीं हूं। यदि वे चुनाव में हारते हैं तो यह जनता का कार्य है या उनकी अपनी किस्मत है। मैं उन्हें सदस्य नहीं बना सकता। मैं उनकी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता और न ही मैं उनकी संख्या को कम कर सकता हूं। जो कोई भी सदस्य बन कर आते हैं वे मेरे मालिक होते हैं और मैंने उनके साथ मालिक की तरह ही व्यवहार किया है पिछले कई महीनों से अब बारहवां महीना है—मेरे सामने कार्यालयों, आदि की समस्यायें है। मैं उनसे एक नहीं बीसियों बार मिला हूं। मैं सभी दलों के नेताओं से मिला हूं। सभी स्थान

चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं और मुझे उनके अनुसार ही चलना होता है। मैं नियमों से बाहर नहीं जा सकता। अगर किसी को ऐसा करना पसन्द नहीं आता तो मैं कहूंगा कि महोदय यह मेरी करनी का परिणाम नहीं है अगर लोग आपको चुनाव में जिताते नहीं हैं तो इसमें मेरा दोष नहीं है। अगर आपके दल के सदस्यों की संख्या पूरी होती तो मुझे आपको स्थान देना पड़ता और यह......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् : आप जितना ज्यादा चिल्लायेंगे मैं उतनी ही ज्यादा खड़ा हूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : आप ऐसा तब कर रहे हैं जब चुनावों में केवल बस एक सप्ताह रहता है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है।

श्री वी० किशोर चंद्र एस० देव : जब सभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो आप जाकर कमरों में ताला नहीं लगा सकते। आपको नियमानुसार कार्य करना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : सुनिए तो, बैठ जाइए। अगर आप सारी सीटें भी जीत लेते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा ? यह मेरी कोई समस्या नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : ऐसा करने का आपका यही तरीका है। कृपया भ्रम में मत डालिए।

अध्यक्ष महोदय : भ्रम में डालने वाली कोई बात नहीं है। जो काम मुझे सौंपा गया है मैं वही कर रहा हूं। उन्नीकृष्णन् जी, मेरा विचार है कि इस मामले में आपने अनेकों बार मुझ से बात की है और मैंने नियमों के अनुसार इसे सुलझाने की कोशिश की है लेकिन जब स्थिति ऐसी हो जाती है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहता। मुझे कुछ करना ही होता है। इसके बिना मैं कोई काम नहीं कर सकता। मेरे विचार से मैंने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आपके प्रति अत्यधिक स्नेह और सम्मान का प्रदर्शन किया है। और फिर अगर आप सदन में इस तरह का व्यवहार करते हैं तो मुझे अपने उस व्यवहार का संत्याग करना ही होगा। अब आपको अपने शब्द वापिस लेने होंगे।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : उसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। इसका प्रयोग मैंने नहीं, बल्कि आपने किया है। या तो आप अपना आरोप वापिस ले लीजिए या सदन से बाहर चले जाइए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मुझे खेद है कि मैं आपके निर्देशों का अनुपालन नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : आपने सदन में मेरे प्रति जो कहा है। उसे अगर आप वापिस नहीं लेते कृपया पहले आप सदन से चले जाइए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : बहुत-बहुत धन्यवाद।

12.20 म० प०

(श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् सभा-भवन से बाहर चले गए)

(व्यवधान)

(तत्पश्चात् श्री ई० अय्यपु रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री तुलसी राम : आंध्र प्रदेश में काणपचेडू हरिजन कांड पर 193 के अधीन चर्चा करने के लिए आपने परमिशन दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ है, उस पर 193 के अन्तर्गत चर्चा करने के लिए आप क्यों नहीं परमिशन दे रहे हैं, इसलिए हम भी वाक-आउट कर रहे हैं।

(तत्पश्चात् श्री तुलसीराम और अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : सत्तारूढ़ दल की ओर से प्रस्ताव रखा जा सकता है।

श्री गुलाम नबी आजाद : आपको सांसद के इस व्यवहार को कार्यवाही में दर्ज करना चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने सही कहा कि आपने नियमों के अन्तर्गत कार्य किया है। आपने एक साल तक हर संभव कोशिश की। पिछली बैठक में उन्नीकृष्णन् जी भी उपस्थित थे और आपने बताया था कि नियम ये हैं। मुझे खेद है कि उनके कुछ दलों के ही सदस्य सदन से बाहर गए हैं जिन्होंने कहा था कि "नियमों के अनुसार कार्यवाही कीजिए और हमें स्थान दीजिए।" उन्हें नियमों के अन्तर्गत स्थान आबंटित किया गया था।

उन्होंने कहा था कि जो इसके हकदार नहीं है उन्हें आवास क्यों मिले ? आज वे भी सदन से बाहर जा रहे हैं। यह तो दोहरा आचरण है और मुझे इस पर हैरानी है। जब नियम लागू किए जाते हैं तो वे सदन से बाहर चले जाते हैं।

सरदार बूटा सिंह : आज उन्नीकृष्णन् जी ने अध्यक्षपीठ के निर्देश की ही अवज्ञा नहीं की बल्कि उसका अपमान भी किया है। सदन में इस तरह के व्यवहार का पक्ष पोषण करके विपक्ष इस देश में संसदीय प्रजातंत्र के प्रति घोर असम्मान का प्रदर्शन किया है।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : मंत्री जी, आप सारे विरोधी दलों को एक तरफ न रखकर सारी तरफ रखें।

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : केवल वही दल जो बाहर चले गए हैं।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : स्पीकर साहब, हम आपके ओहदे और पदवी की इज्जत करते हैं, लेकिन मैं उन्नीकृष्णन् जी को यह कहना चाहूंगा कि उनको अपने लफ्ज वापिस ले लेने चाहिएं। जिन लोगों को कमरे दिए गए हैं, उनके ऊपर जो ऐक्शन लेना है, वह लेने से पहले उन लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था। मन में अगर गलती पैदा हो गई है...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक दफा कोशिश नहीं की, बल्कि बीसियों दफा इकट्ठे होकर कहा कि आपस में तय कर लें या बांट लें तो हमें एतराज नहीं होगा। मेरे पास कमरे उतने ही हैं। हम 10 मैम्बरों से कम वाली पार्टी को कमरा नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

यह बहुत स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

मैंने कहा कि फिर तो हम अकाली दल, मुस्लिम लीग, नेशनल कांफ्रेंस, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, फारवर्ड ब्लाक को भी कमरे देने के हकदार हैं। इस प्रकार की 5-6 पार्टियां हैं जिसके कि 5-6 मैम्बर हैं। मैं सबको कमरे दे नहीं सकता हूं। अगर कमरे होते तो सबको देता। मेरे पास सी०पी०एम० वाले आए और दूसरे सज्जन कुलन्दईवेलू जी आये। वह कहते हैं कि कानून लागू करो तो सबके साथ एक जैसा लागू करो। मैंने एक दफा नहीं कहा बल्कि बीसियों दफा कहा, इसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं रहा। पार्टी वाले कहते हैं कि आप कमरा क्यों नहीं लॉक करते हैं।

(व्यवधान)

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : प्वाइन्ट आफ आर्डर।...(**व्यवधान**)

श्री काली प्रसाद पांडेय : जहां तक पार्टी का सम्बन्ध है, इसी सदन में भगत जी ने विरोधी दल के लिए कहा। जहां तक पार्टी की बात है बहुत से दल ऐसे हैं जो मात्र एक हैं। हम निर्दलीय चार हैं।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि सबको कमरे मिल जायें।

श्री काली प्रसाद पांडेय : इस कारण निर्दलीय भी कमरा लेने के हकदार हैं।...... (**व्यवधान**)

12.24 म० प०

सदस्य का निलम्बन

[**अनुवाद**]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव रखता हूं :

> "कि श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् को, अध्यक्षपीठ के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने के लिए आज के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाए।"

(**व्यवधान**)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : जी नहीं, महोदय, ऐसा नहीं किया जान चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्री उन्नीकृष्णन् को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिय जाना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और दोबारा सदन से बाहर जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : अगर वे जोर देंगे तो हम बाहर चले जाएंगे।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : मुझसे कहते थे कि कानून से चलो और आज आप जा रहे हैं।

[**अनुवाद**]

आपने ही मुझसे कहा था 'कृपया नियम लागू करिए।"

[**हिन्दी**]

आप तो मेरा साथ दीजिए।

[**अनुवाद**]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आपने उन्नीकृष्णन् जी को सदन से बाहर जाने

को कहा और वह चले गए। वह आपके आदेशों का सम्मान करते हुए सदन से बाहर चले गए। उन्हें सजा क्यों दी जानी चाहिए ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर उन्होंने मेरे कहने से विदड्रा कर लिया होता......

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : आपके अनुरोध पर वह सदन से बाहर चले गए तो वह यह प्रस्ताव क्यों रख रहे हैं।... (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : उन्हें सदन की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए थी। यह अध्यक्ष-पीठ का अपमान है।

सरदार बूटा सिंह : सदन में उनके द्वारा की गई टिप्पणी का क्या होगा ? उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् को, अध्यक्ष पीठ के प्रति अपमान जनक व्यवहार करने के लिए, आज के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसु देव आचार्य : हम इसके विरोध में बाहर जा रहे हैं।

(**व्यवधान**)

12.26 म० प०

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

सरदार बूटा सिंह : श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् द्वारा की गई टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाये।

(**व्यवधान**)

12.27 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचना

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : महोदय श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा

(3) के अन्तर्गत, लागत लेखा अभिलेख (बेयरिंग) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 13 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 664 में प्रकाशित हुए थे, तथा उनका एक शुद्धि-पत्र, जो 9 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1046 में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या, संख्या एल०टी०—1573/85]

मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1984-85 तथा लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड बम्बई, के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा तारांकित प्रश्न संख्या 36 के 19 नवम्बर, 1985 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(क) (एक) मद्रास-रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास, का वर्ष 1984-85 संबंधी का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1574/85]

(ख) (एक) लुब्रिजोल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुब्रिजोल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—1575/85]

(2) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सातवीं योजना में तेल के उत्पादन में बारे में आकलन के सम्बन्ध में सर्वश्री महेन्द्र सिंह और यशवन्तराव गडाख पाटिल द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 36 के 19 नवम्बर, 1985 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—1576/85]

विधि आयोग का 111 वां, 112 वां और 113वां प्रतिवेदन

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के सम्बन्ध में विधि आयोग के 111वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—1577-85]

(2) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के संबंध में विधि आयोग के 112वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०—1578/85]

(3) "पुलिस अभिरक्षा में चोटें"—सुझाई गई धारा 114ख, साक्ष्य अधिनियम, के संबंध में 113वें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं०एल०टी०—1579/85]

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

रसायन और पेट्रो-रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : श्री एम० अरुणाचलम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक-व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 17 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 805(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—1580/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ, का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—1581/85]

12.28 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 9 दिसम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

[अनुवाद]

महा सचिव : महोदय, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं।

2.28½ म० प०

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

भोपाल में हुई गैस त्रासदी के पीड़ितों को पुनः बसाने और पर्याप्त मुआवजा देने में हुआ विलम्ब

[हिन्दी]

श्री के० एम० प्रधान (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर उद्योग मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"भोपाल में हुई गैस त्रासदी के पीड़ितों को पूरा एक वर्ष बीत जाने के बाद भी पुनः बसाने और पर्याप्त मुआवजा देने में हुए विलम्ब तथा राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

12.29 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

रसायन और पेट्रो-रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : गैस रिसाव त्रासदी के पश्चात् त्रासदी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश

सरकार ने तत्काल उपाय किये। इसमें मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को 10,000/- रुपये तथा 500/- रुपये या उससे कम आय वाले प्रभावित परिवारों को 1500/- रुपये की अनुग्रहपूर्वक राहत भुगतान करनी शामिल है। अधिकांश मामलों में अनुग्रहपूर्वक राशि का वितरण किया जा चुका है। उन पशुओं के मालिकों को भी अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता दी गई जिनके पशु दुर्घटना में मारे गए। 1000/- रुपये प्रति माह से कम आमदनी वाले परिवारों में मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए गए थे।

आहतों को विशेष डाक्टरी देखरेख प्रदान करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने के अतिरिक्त नई चिकित्सा सुविधाएं अर्जित की गईं जिसे अलग चिकित्सा प्रशासन एकक समझा गया था। इसमें हमीदिया अस्पताल में 60 बिस्तरों वाला एक नया वार्ड स्थापित करना, प्रभावित क्षेत्र में 30 बिस्तरे वाला नया अस्पताल तथा प्रभावित क्षेत्रों में अनेक क्लिनिक तथा औषधालय स्थापित करना शामिल है। प्रतिदिन लगभग 3000 व्यक्ति इन अस्पतालों में आते हैं।

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि लगभग 25,000 परिवारों को पुनर्वासित करने की आवश्यकता है। अब तक आरम्भ किए गए पुनर्वास उपायों में स्व:रोजगार के लिए लिये शहरी गरीबों के लिये विशेष प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना, सिलाई, कढ़ाई, बांस तथा बेंत कार्य जैसी दक्षताओं में प्रशिक्षण तथा रोजगार प्रदान करने के लिये 50 वर्कशेडों का निर्माण करना शामिल है।

तीन एकीकृत शिशु विकास योजना परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं और इनका निष्पादन 633 आंगनवाड़ियों के माध्यम से किया गया है। ये स्वास्थ्य देखभाल, प्रतिरक्षण और गर्भवती तथा दूध मिलाने वाली माताओं और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रतिपूरक पोषण आहार सहित, का प्रबन्ध करती है।

प्रभावित गन्दी बस्तियों में जीवन स्तर में सुधार करने के लिए भी जल आपूर्ति, नालियों, गलियों का निर्माण आदि की व्यवस्था करके प्रारम्भिक उपाय किए गए हैं।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को 20 करोड़ रुपए साधन और स्रोत के रूप में अग्रिम और 20 करोड़ रुपए राहत और पुनर्वास उपलब्ध करने हेतु मध्यमावधि ऋण के रूप में उपलब्ध किए हैं। भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ितों के सभी दावों के निपटान में तीव्रता लाने में सरकार अथक प्रयास कर रही है। यह स्मरण होगा कि भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों की प्रक्रिया) अधिनियम, 1985 भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से अथवा उससे संबंधित मामलों से उत्पन्न दावों के लिए केन्द्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था ताकि दावों पर तीव्र, प्रभावी, समान और दावाकर्ताओं के बेहतर लाभ में कार्यवाही की जा सके। अन्य बातों के साथ-साथ क्षतिपूर्ति और दण्डनीय क्षतियों का दावा करते हुए यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन के विरुद्ध यूनाइटिड स्टेट्स फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सदर्न डिस्ट्रिक्ट, न्यूयार्क में एक शिकायत दायर की गई है। इस मामले की तीव्रता से पैरवी की जा रही है।

[श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह]

इसलिए यह स्पष्ट है कि पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि अनुगृहपूर्वक सभी भुगतानों का वितरण शीघ्र पूर्ण करे। पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त योजनायें भी आरम्भ की गई हैं, जिनके कार्यान्वयन में तीव्रता लाई जा रही है। इसके अतिरिक्त आहतों को शीघ्र मुआवजा दिलाने हेतु प्रभावी उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री के०एन० प्रधान : उपाध्यक्ष जी, भोपाल की जो गैस ट्रैज्डी हुई है, उसकी भयंकरता के संबंध में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कड़-कड़ाती सर्दी में लोग रात में तीन-चार लाख की संख्या में गलियों और सड़कों पर भागते फिरे। बाद में फिर जब आपरेशन कार्य शुरू हुआ, तो उसमें जो बची हुई फैक्ट्री में गैस थी, उसको बदला गया। लगभग छ: लाख लोग इस भोपाल शहर से भाग गए। मैं समझता हूं कि दुनिया के इतिहास में यह अपनी ही एक मिसाल है।

सरकारी रिकार्ड में आफिसर चाहे कुछ भी हैं, आज भी वहां पर तकरीबन उसके बाद से तीन-चार लोग हर महीने मर जाते हैं। लेकिन उनको शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन सरकारी आफिसरों ने 1754 की फीगर शुरू से बना ली है। कई एप्लीकेशन्स बड़ी हुई हैं और जो लोग दिसम्बर के बाद से मरे हैं, उनकी संख्या उसमें नहीं जोड़ी जाती है लेकिन यह निश्चित है कि 2500 से कहीं ज्यादा लोगों की उसमें मृत्यु हुई है, साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोग उसमें फिजीकली इफेक्टेड हुए हैं और आज भी 25 हजार से ज्यादा ऐसे लोग हैं, जो गंभीर रूप से वहां पर बीमार हैं और 3 हजार लोग ऐसे हैं, जो प्रारंभ में या तो बिलकुल ठीक हो गये थे या प्रारंभ में उनको ऐसा लगा कि उन पर गैस का कोई असर नहीं है लेकिन आज वे पुन: गम्भीर रूप से बीमार हुए हैं। इसी प्रकार से कम से कम 5 हजार लोग ऐसे हैं, जिनकी कार्य-क्षमता धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है और वे काम करने योग्य नहीं रह गये हैं। इसी तरीके से 5 हजार से ज्यादा वे लोग हैं, जिनके शरीर की जो रसिसटेंस पावर है, वह धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है और मौत की तरफ वे बराबर खिचते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से कम से कम 1 हजार गर्भवती महिलाओं के ऊपर असर पड़ा है जबकि हमारे जो अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ यह बयान दिया है कि गर्भवती महिलाओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है हालांकि कई मरे हुए बच्चे पैदा हुए हैं और कई डीफोर्म बच्चे पैदा हुए हैं और कई के बाद में काम्पलीकेशन्स डेवलप हुए हैं और कन्वलशन्स उनको आना शुरू हुए हैं। कई महिलाओं के आपरेशन्स करने पड़े हैं और उन के युटरस को रिमूव करना पड़ा है। आप जानते हैं कि यूनियन कारबाइड को मुआवजा देना है लेकिन उसके अध्यक्ष और उसके वकील बड़ी बेशर्मी के साथ मानवता विरोधी ढंग से बयान दे रहे हैं। उन्होंने पहले से ही अपनी एक लोबी इस देश में और खास तौर से मध्य प्रदेश में बनाई थी और आज भी बनाए हुए हैं और आज भी उनके जर-खरीद गुलाम बाहर और अन्दर मौजूद हैं।

सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मुआवजा में एक फैक्टर यह भी काऊन्ट होगा कि गैस कितनी जहरीली थी और यह अच्छे तरीके से सब को मालूम है कि इस बात को दबाने के लिए इन्होंने एक कन्ट्रोवर्सी चलाई है। तमाम अस्पतालों में कुछ आफीसर्स ने ये इंस्ट्रक्शन्स दिये हैं कि थायोसल्फेट का इंजक्शन न लगाया जाए। अभी सरकार को जो रिपोर्ट उन्होंने दी है और कल राज्य सभा में माननीय साठे जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें कहा गया है कि अब तक जो रिपोर्ट मिली है, उसमें साइनाइट नहीं पाया गया है। डा० हीरेश चन्द्र, जिन्होंने पोस्ट मार्टम किये हैं और सैकड़ों, लाखों पोस्ट मार्टम किये हैं, उनकी रिपोर्ट को आप देख लीजिए। साइनाइट उसमें था, जहरीली गैस थी। सिर्फ इसलिए कि मुआवजा कम देना पड़े यूनियन कारबाइड को, यह सब किया जा रहा है। मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां की गैस कमेटी के अन्दर मैंने स्वयं कहा था कि वहां पर एक एक्स०आई०जी० है, जिसने यूनियन कारबाइड की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ठेका ले रखा था और वे वहां पर रेड क्रोस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और उस रेड क्रोस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, जिसके गवर्नर साहब शायद पेटरन हैं। उन्होंने उसकी मीटिंग में जाने से इन्कार कर दिया क्योंकि गलत कार्यवाही हो रही थी और गलत ढंग से रेड क्रोस सोसाइटी फंक्शन कर रही है। उसकी मीटिंग में गवर्नर साहब ने हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने जाने से मना कर दिया। उस रेड क्रोस सोसाइटी को, जिस की वर्किंग से, फंक्शनिंग से हेड आफ दी स्टेट संतुष्ट नहीं है, तीन-तीन डिस्पेंसरी के संचालन करने का काम दिया गया है। मैं कोई इंसीनुएशन नहीं करता लेकिन उनका संबंध यूनियन करबाइड से रहा है और उनका एक भाई मेडीकल हैल्थ का डाइरेक्टर था। लेडी हौस्पीटल्स के डाक्टरों को इंस्ट्रक्शन दिये गये कि गर्भवती महिलाओं के जो मरे हुए बच्चे हों या उनमें जो आपरेशन्स हों, उनमें एम०आई०सी० नोट न किया जाए। मैं कहता हूं कि आप पुराने रिकार्ड्स उस अस्पताल के देख लीजिए। एक साल के, दो साल और तीन साल के रिकार्ड आप देख लीजिए। जितने इस ढंग के केस हुए हैं अगर उससे ज्यादा होते हैं, तो आप मानिये और ज्यादा नहीं होते हैं, तो मत मानिये। तो यह कारण था, जिसमें यह कोशिश की गई कि कम से कम इस तरह के केसेज दिखाए जाएं।

इसी प्रकार से सब से बड़ा फैक्टर जो मुआवजा मिलने में मददगार होगा और ज्यादा मुआवजा मिलने में मददगार होगा, वह यह है कि गैस आखिर कहां तक पहुंची और कितनी दूर तक उसने अपना असर डाला है।

श्रीमन्, पहली मीटिंग, जिस वक्त मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी थे, मैंने पूरे तर्कों के साथ यह बात साबित की थी कि कहां तक यह गैस पहुंची है। लेकिन उन अफसरों ने बड़ी बेशर्मी के साथ 11 वार्ड के एरिये का सर्वे कराया। जो लोग भोपाल गये हैं, वे जानते होंगे कि हमीदिया रोड के उस तरफ वाले हिस्से में कितनी इंडस्ट्रीज हैं। उसके बारे में उन्होंने कहा कि यहां पर गैस का असर हुआ है और खामोशी से उस पर काम करते रहे। हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी की कितनी आफेक्टेड एरिया उन्होंने माना है। आठ महीने तक लगातार जब हर मीटिंग में बुरा-भला कहा गया तो फिर खामोशी के साथ उन्होंने तय किया कि 30 वार्डस हैं। हम लोगों के कहने के बाद यह तय किया और उनमें से भी 30 वार्डस को उन्होंने रखा और 6 वार्डस को उन्होंने आधा रखा।

[श्री के० एन० प्रधान]

श्रीमन्, जब कमेटी बनने की बात आई तो 10-15-20 रोज पहले उन्होंने कहा कि चिट्ठी भेज देंगे लेकिन उन्होंने वार्डस के बारे में चिट्ठी नहीं भेजी। श्रीमन् उनको यह बताया गया और यहां आपमें से भी सब और यह सदन भी इस बात का अन्दाजा लगा सकता है कि कितने वार्ड में यह असर हुआ होगा। जिस वार्ड में स्वयं मुख्यमंत्री का निवास-स्थान है, श्री अर्जुन सिंह जी का और श्री अर्जुन सिंह की आंखों में गैस घुसी और श्री अर्जुन सिंह ने इस बात को कहा कि मेरी आंखों मे गैस घुसी है तब जो यहां कच्ची झोपड़ियां हैं, जिनमें कि गरीब लोग रहते हैं, उनमें जो गैस का असर अधिक हुआ होगा वह अलग बात है। उन आफिसरों ने उस वार्ड को भी इसमें शामिल नहीं किया। क्या यह बात यह साबित नहीं करती कि वे बेईमान हैं? राजभवन जिस वार्ड में, जिसमें गवर्नर साहब रहते हैं, उनका स्टाफ रहता है, जिसमें आफिसर्स रहते हैं, उस वार्ड को भी शामिल नहीं किया गया। वहां के स्टाफ के लोग कहते हैं हमारी आंखों में गैस घुसी थी। मैं जिस वार्ड में रहता हूं, उस वार्ड में मेरी वाईफ आज भी बीमार है, उस वार्ड को शामिल नहीं किया गया। श्रीमन् वहां की स्थिति इसके बारे हैं यह रही है।

जहां तक सरकार का ताल्लुक है, यह बात सही है और भोपाल के लोग यह बात जानते हैं और इसके लिए एहसानमन्द है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने उनके घावों पर मरहम रखी। वे सबसे पहले व्यक्ति थे, देश के, जो वहां सबसे पहले पहुंचे। और किसी पार्टी के नेता वहां नहीं पहुंचे। इसके नतीजे के तौर पर भोपाल के लोगों ने यह समझा कि हमारे ऊपर जो यह मुसीबत आई है, इसको हम निश्चित रूप से, आसानी से हल कर लेंगे और इस दुर्भाग्य से बच सकेंगे। बड़ी हमदर्दी के साथ उन्होंने 40 करोड़ रुपया भी दिया।

हमारे मुख्यमंत्री श्री वोड़रा जी ने इस मामले में काफी दिलचस्पी ले रहे है। जहां वे जाते हैं सब जगह लोगों की पीड़ा को देखते हैं। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जो आफिसर्स की लाबी है, उसकी जांच होनी चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि मुआवजे के लिए तैयारी जल्दी से जल्दी करनी जानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसम्बर में यह घटना घटी लेकिन 21 जुलाई से मुआवजे के केस तैयार करने शुरू हुए। उस वक्त भी तय किया गया था कि चार महीने के अन्दर सब फार्म दिल्ली आ जाने चाहिएं और 20 नवम्बर तक काम शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन 14-15 नवम्बर तक, साढ़े तीन महीने तक इन्होंने जो क्लेम्स कमिश्नर बनाया आर० ए० एस० अफसर भी अन्दाजा नहीं लगा सके कि इस काम में कितने लोग लगेंगे और कितने लोगों ने काम शुरू किया। सुबह 7-8 बजे से 12 बजे तक कर्मचारी काम करते थे लेकिन पैसा देने की मंजूरी नहीं दी, खर्च के लिए मंजूरी नहीं दी। 11 से 15 नवम्बर तक कुल 32 हजार फार्म भरे गये। जब मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये आफिसर्स सारे देश का मुंह काला कर देंगे पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम होगा अगर इतने ही फार्म भरे जायेंगे और वहां 40 हजार फार्म जायेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया यह कहेगी कि इन्होंने कहा था कि साढ़े तीन लाख लोग अफेक्टेड हैं हमारे देश में लेकिन फार्म केवल इतने भरे गये हैं। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी

और उन्होंने अफसरों को बुलाया । तब 15-16 नवम्बर के बाद में हर वार्ड में कैम्प लगा करके फार्म तेजी से भरवाये गये ।

श्रीमन मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूं जिन्हें माननीय मंत्री जी स्पष्ट करना चाहेंगे । हम चाहते हैं कि जितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जहां तक गैस गई है, उस सारे क्षेत्र को इसमें शामिल करना चाहिए । आप उस मीटिंग की कार्यवाही मंगवा लीजिए । अभी नवम्बर के अन्दर मीटिंग हुई थी । उस कमेटी की मीटिंग में इस बात को माना गया था कि 36 वार्ड पूरी तरह से प्रभावित हैं । 21 वार्ड के बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी है, वह भी गलत रिपोर्ट दी है । श्रीमन् उस सारे क्षेत्र का सर्वे होना चाहिए । उसका पूरे का सर्वे होना चाहिए । इसी तरह से डिस्ट्रेस रिलीफ के नाम पर जो लोगों की मदद कर रहे हैं, 10 हजार रुपए जो लोग मर गए हैं, उनके आश्रितों को और 1500 रुपये उन लोगों को दे रहे हैं जिनके कुटुम्ब की आमदनी 500 रुपये से कम है । मैं आपसे कहना चाहता हूं और आफिसर्स से भी मैंने कहा, पूरे भोपाल शहर के अन्दर 2-4 सौ से ज्यादा कुटुंब ऐसे नहीं होंगे, जिनकी आमदनी 500 रुपये से कम हो । आपने 70 हजार में से 35 हजार कुटम्बों को जिन्होंने गलत घोषणा की, लखपति और करोड़पति लोगों ने भी इस तरह की घोषणा की और अपनी आमदनी कम बताई है, उनकी आमदनी ज्यादा है और उनको पैसा दिया गया है, उनमें से सिर्फ दो -चार सौ लोगों की ही आमदनी 500 से कम होगी, सब 500 रुपये से ज्यादा वाले लोग हैं जिनको 1500 रुपया डिस्ट्रेस रिलीफ दिया गया है, लेकिन बाकी 20-25 हजार ईमानदार लोग, क्लास फोर के लोग, क्लास थ्री के लोग, जिनकी आमदनी बहुत थोड़ी है, 600, 700 रुपए, उनको यह डिस्ट्रेस रिलीफ 1500 रुपए क्यों नहीं दिया गया । तो मेरा निवेदन यह है कि ईमानदारी के साथ यह फैसला होना चाहिए कि इन सब लोगों को पैसा देना है ।

इसी प्रकार से दिसम्बर के बाद जितने लोग मरे हैं, उनके लिए कोई आफिसर मुकरर करके क्या यह जानकारी करवाई जाएगी कि कितने लोगों के मरने की सूचनाएं आई हैं, उनको इनके अन्दर शामिल किया जाएगा या नहीं ? इसी प्रकार से जो बच्चे मरे हैं, उनको भी क्या इसके अन्दर शामिल किया जाएगा, उनको भी शामिल करना चाहिए ।

इसी प्रकार से जो कर्मचारी हैं, चाहे केन्द्रीय कर्मचारी हों, राज्य सरकार के कर्मचारी हों या अन्य जगहों पर काम करने वाले कर्मचारी हों, जो अभी भी इस लायक नहीं हैं कि वे काम कर सकें, उनकी जितनी छुट्टियां थीं वे खत्म हो चुकी हैं, क्या सरकार अपना यह नैतिक दायित्व नहीं समझती कि उनके लिए स्पेशल लीव मंजूर करे, चाहे वे सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लायज हों, बैंक के कर्मचारी हों, पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी हों, रेलवे के कर्मचारी हों, जीवन-बीमा कर्मचारी हों, राज्य सरकार के कर्मचारी हों ।

तीसरे जो लोग ऐसे बीमार हैं, जिनको उस बीमारी से रिलीफ दिलाने के लिए भोपाल में इलाज नहीं है, उनको दिल्ली या बम्बई जाने की आवश्यकता है या फारेन भेजने की आवश्यकता है, क्या सरकार उनको खर्च देने के लिए तय करेगी कि उनको भेजा जाए और उनका इलाज करवाया जाए ।

[श्री के० एन० प्रधान]

इसी प्रकार से जिन लोगों की काम करने की योग्यता, जिनकी कार्यक्षमता समाप्त हो गई है, क्या आप उनको पेंशन देने पर विचार करेंगे।

इसी प्रकार से एक यहां पर एन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन और है, श्यामला हिल्स के ऊपर यूनियन कारबाइड का, जिसका लायसेंस खत्म हो गया है, रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है मार्च में, लेकिन वह आज भी बराबर वहां पर काम कर रहा है, क्या सरकार इसके ऊपर कार्यवाही करेगी। इसी तरीके से एन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या योजना है। लोग इलाज करवाकर तंदरुस्त होकर जाएंगे, लेकिन जहां जाएंगे वहां पर गंदगी है, इसलिए उनका इलाज ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम बनाई है कई करोड़ रुपए की, जिसमें नालियां बनाना, बिजली देना, पानी देना, लोगों का लीविंग स्टैंडर्ड ऊंचा उठाना, ये सब कार्यक्रम उस स्कीम के अन्तर्गत हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस योग्य नहीं है कि इतना पैसा खर्च कर सके। तो क्या केन्द्रीय सरकार इसके लिए पूरी मदद देने की कृपा करेगी।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मरने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 10 हजार रुपए दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दस हजार रुपए जो तकरीबन 1300 परिवार में बाटे गए हैं, उनमें तकरीबन 400-500 ऐसे लोग है, जिनको फर्जी नाम से वह पैसा दिया गया है। उसके बाद जो 1500 रुपए उन्होंने हर परिवार को जो इफेक्टेड थे, जिनकी आमदनी 500 रुपए से कम थी, वह साल पूरा होने के बाद भी तकरीबन 40 परसेंट लोगों को पैसा मिला है, इससे ज्यादा लोगों को नहीं मिला है। इस पैसे को लेने के लिए उनको साल भर एक-एक दरवाजे पर धक्के खाने पड़े, उनको एक-एक दफ्तर में जाना पड़ा और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक वह पैसा नहीं मिला। आप उन लोगों की परेशानी समझ सकते हैं। वो गरीब आदमी जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वह 1500 रुपए लेने के लिए साल भर लगा दे और इनका दरवाजा खटखटाता रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने छोटे तौर पर मुआवजा दिया या मदद की, वह भी उन तक नहीं पहुंची। बल्कि हमें कुछ मजबूत कदम उठाने चाहिएं थे ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सकता, उनके बच्चों का इलाज हो सकता, उनका पोषण हो सकता और उनको रोटी, कपड़ा मुहैया कराया जा सकता। लेकिन उसका जो नतीजा हुआ, वह उलटा हुआ। आज भी आप वहां की रिपोर्ट मगायेंगे तो पता चलेगा कि जो छोटे बच्चे हैं, वे अपनी याददाश्त खो चुके हैं। स्कूल जाते हैं लेकिन उनको अपना सबजेक्ट याद नहीं रहता। उनके ऊपर जो गैस का प्रभाव है, उसका भी इलाज उन्हें नहीं मिल रहा है। तकरीबन दस हजार परिवार ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया गया। उनके जो अर्निंग मैम्बर थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनके पास रोजी-रोटी के लिए भी साधन मुहैया नहीं है। यह कहा गया था कि 12 हजार रुपए का लोन दिया जायेगा। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ ढाई सौ लोगों को लोन मिला है। उन्होंने बैंकों के चक्कर लगाने छोड़ दिए क्योंकि उनकी मदद नहीं हुई। दवाइयां भी पुरानी दी गई

जिससे उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो सका। गैस का असर जो उनके बदन पर हुआ था और उनके लिए जो दवाइयां देनी चाहिएं थी, वह भी उनको नहीं दी गईं। सिर्फ एन्टीबायटिक और और पेन-किलर दवाइयां ही दी गईं। बहुत सारी दवाइयां ऐसी दी गईं जो दो साल से ऊपर की हो चुकी थीं और जिनकी डेट निकल गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनको स्थायी रूप से रोजगार दिलाने के लिए कदम उठाए गए हैं और क्या वे उसकी संख्या बता सकते हैं।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जो हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए हैं, उसमें माननीय मन्त्री जी के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि विश्व की इस भीषम गैस त्रासदी के बाद और उसका एक साल बीत जाने के उपरान्त, केन्द्र और राज्य सरकार ने पीड़ित व्यक्तियों की देख रेख और उनके पुनर्वास के लिए कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, उनमें संतोषप्रद कार्य हुआ है। अभी मेरे पूर्ववक्ता श्री प्रधान जी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की यह सबसे खौफनाक घटना आज से करीब एक वर्ष पूर्व हमारे देश के भोपाल नगर में हुई थी जिससे करीब तीन-साढ़े तीन लाख लोग प्रभावित हुए और पच्चीस से लेकर पैंतीस हजार तक परिवार ऐसे हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हैं। वे या तो अक्षम हो गए हैं या किसी न किसी प्रकार की क्षति उनके परिवार में हुई है। अतः यह बहुत जरूरी है कि हम ऐसे प्रभावित परिवारों के लिए उनके इलाज और देखरेख के लिए ऐसी दीर्घकालीन योजना बनाएं जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए शासन ठीक समय पर दवाई दे सके। उनके देखरेख की पूर्ण व्यवस्था चिकित्सालयों में होनी चाहिए। वैसे अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और प्रभावित क्षेत्र में भी तीस बिस्तरों वाले अस्पताल के बनाने की बात कही गई है। अन्य जगहों पर भी वहां छोटे-छोटे शेड्स उपलब्ध हो सके हैं, वहां पर डाक्टरों की व्यवस्था चिकित्सा हेतु प्रशासन द्वारा की गई है। पर मेरा यह मत है कि जिन भारी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं तथा उनके विभिन्न भागों में सीवियर इफैक्ट हुए हैं, उसको देखते हुए लगभग 10 हजार परिवारों को विशेष निगरानी और चिकित्सा की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से तथा केन्द्रीय पैट्रोलियम, रसायन और उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी है, आप सब लोगों ने भोपाल में जाकर मौके पर अध्ययन किया है और आप प्रभावित लोगों से मिले भी हैं इसलिए आप स्थिति की गंभीरता का स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी कठिनाई में वहां लोग जी रहे हैं। उनको अधिक से अधिक केन्द्रीय चिकित्सा एवं सुविधाएं पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि आने वाले 5-10 सालों में उनकी देख-रेख समुचित रूप से हो सके।

दूसरे उनके पुनर्वास कार्यक्रम को, हमारे देश के युवा नेता तथा प्रधानमन्त्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। गैस प्रभावित इलाके में पिछले वर्ष जाने वाले सबसे पहले राष्ट्रीय राज-नेता राजीव गांधी जी ही थे, जो वहां गए, लोगों से मिले, उनको देखा तथा उनको दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं का स्वयं स्पोट-इन्सपैक्शन किया। हम चाहते हैं कि उनकी भावनाओं के अनुसार पुनर्वास कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसमें प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद के साथ-साथ जिनके घर में नुकसान हुआ है अथवा जिनकी कार्य-क्षमता प्रभावित हुई है, उनको प्रशिक्षण देकर, राष्ट्रीयकृत बैंकों से आर्थिक सुविधायें दिलवा कर उन्हें फिर से रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिएं।

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

शासन ने अनुदान के लिए 1500-1500 रु० की स्वीकृति तो दी है और करीब 25 हजार परिवारों को यह राशि दी गई है परन्तु एक-मुश्त राशि देने से उनकी समस्या हल नहीं होगी। जिस तरह से वहां पर सिलाई केन्द्र खोले गए हैं तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं, लोगों को इलैक्ट्रिकल तथा दूसरे लघु और कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण-शैड्स का निर्माण किया जा रहा है, उसको थोड़ी आधुनिकता देते हुए, भोपाल और उसके आसपास कुछ नये प्रोजैक्टस लाने चाहिएं जिससे कि प्रभावित 10 हजार लोगों को प्रशिक्षण देकर छोटे रोजगार खोलने कि और आकर्षित किया जा सके क्योंकि वे लोग कोई भारी काम नहीं कर सकते, उनके घरों में ही कोई रोजगार देने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता दीर्घकालीन है, साल या दो साल की बात नहीं है। सिलाई केन्द्रों के अलावा अन्य बहुत-सी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमारा उद्योग मन्त्रालय और बैंक्स आपस में समन्वय स्थापित करके उनको वहीं पर कोई उद्योग खोलने की मंजूरी दे सकते हैं, हमारा केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स डिपार्टमेंट या टैली-कम्यूनिकेशन डिपार्टमैंट उस क्षेत्र में ऐसे प्रोजैक्ट स्थापित कर सकता है जिससे कि 4-5 हजार लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें।

यहां मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने 25 हजार परिवारो को आर्थिक सुविधा देने की बात कही है और उनमें से लगभग 5 हजार परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है जिनको वास्तव में आर्थिक मदद की और रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। मेरी जानकारी के अनुसार जिन 5 हजार परिवारों के प्रकरण बैंकों को भेजे गये हैं। उनमें से मुश्किल से हजार या 1500 परिवारों के प्रकरणों को स्वीकृति दी गई है। इसलिये इस विषय में माननीय वित्त मन्त्री जी से सहयोग लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जितने भी परिवार सर्वेक्षण के पश्चात बैंकों से ऋण के लिए छांटे गए हैं, जिन लोगों को रोजगार सुलभ कराने के लिए बैंकों से कर्जे की आवश्यकता है, उन सभी लोगों को बगैर किसी देरी के पूरा-पूरा ऋण स्वीकृत होना चाहिए और राज्य शासन को यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए।

अन्त में मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यूनियन कार्बाइड एक मल्टी-नेशनल कम्पनी है जिसकी सारे संसार में करीब 700 इकाइयां फैली हुई हैं, जो विभिन्न देशों में हैं, हमें उस कम्पनी के दृष्टिकोण की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कितने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से उस कम्पनी के अध्यक्ष, श्री एण्डरसन, अपना बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि हमें भारत सरकार से समझौता करना है, कभी कहते हैं कि प्रभावित लोगों को मुआवजा लेने के लिए अमेरिका की वाशिंगटन स्थित कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।

100 म० प०

उनका बयान निन्दा करने लायक और शर्मनाक है कि वह कम्पनी जो कि मौत की सौदागर कही जा सकता है और जिन लोगों ने मौत से प्रभावित होने के बाद उन लोगों को कोई सुविधा कोई राहत नहीं दी, बल्कि उनके मुख्य वकील बड होलमैंन ने कहा—

"यह भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वह समझौता परक रास्ता अख्तियार करे। गेंद उसके हाथ में है।"

उपाध्यक्ष महोदय, आगे इस अखबार में कहा गया है—

"होलमैन ने चेतावनी दी कि यदि कारबाइड के खिलाफ मुकदमे चलते रहते हैं तब कारबाइड यह कहेगा कि सभी एक लाख तीन हजार पीड़ितों को वाशिंगटन लाकर अदालत में पेश किया जाए।"

कितना हास्यास्पद बयान है उनके प्रमुख और उनके वकील का, यह ध्यान देने योग्य है। इसलिए महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसी कम्पनी के खिलाफ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए या उनकी जो इकाइयां हैं उनका राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता पड़े, तो बिना किसी देरी के तुरन्त राष्ट्रीयकरण देना चाहिए। इसके कारण विश्व का सबसे खौफनाक औद्योगिक हादसा हुआ है, लेकिन उसने पीड़ित लोगों के लिए कोई सहायता नहीं भेजी, बीमार लोगों को देखने के लिए डाक्टर, विशेषज्ञ इत्यादि कुछ नहीं भेजे। इसलिए इसकी घोर भर्त्सना की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो हमारी नई उद्योग नीति को लाने की बात कही गई है और देश के प्रधान मंत्री महोदय ने कहा है कि मल्टी नैशनल कम्पनियों के प्रति कड़ा रूख अपनाया जाएगा और किसी भी मल्टी नैशनल कम्पनी को हम अपने देश में उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति अपने पर्यावरण, अपनी तकनीकी और अपने इंजीनियरों के मुताबिक तथा अपनी मान्यताओं के अनुसार देंगे एवं नए उद्योगों पर, उद्योग नीति के अनुसार किस प्रकार से अंकुश लगा सकें ताकि ऐसे मल्टी नेशनल उद्योगों पर भारत सरकार का कन्ट्रोल रहे, इस सम्बन्ध में मान्यवर क्या नीति बनाने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण नीति के अनुसार जो हमारे देश को नए ढांचे में ले जाना चाहते हैं ताकि पर्यावरण साफ-सुथरा रहे और हम स्वच्छ वातावरण देश में बना सकें तथा दिल्ली में जैसे अभी ओलियम गैस के रिसन से दुर्घटना हुई, उनको हम किस तरह से रोकें और ऐसी कम्पनियों के उद्योगों को किस तरह से घनी आबादी से दूर करें तथा भविष्य में आने वाले उद्योगों को इस दृष्टि से कैसे स्थापित करना चाहते हैं, इस बारे में भी मन्त्री महोदय सदन को आवश्यक रूप से जानकारी देंगे, तो मैं उनका आभारी रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और अन्त में मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस भयंकर और खौफनाक गैस त्रासदी से निपटने के लिए सभी शासकीय विभागों में मेल-जोल और सामंजस्य स्थापित करके, इस घटना में पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के कार्य को आप सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त / अनुपस्थित।

श्री के०एम० प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, श्री अमल दत्त और दो लोग नहीं हैं इसलिए मुझे थोड़ा-सा समय इस रिपोर्ट पर बोलने के लिए दे दिया जाए... (**व्यवधान**)

श्री प्रताप भानु शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा है, तो हम को ही पांच मिनट और इस पर बोल लेने दीजिए... (**व्यवधान**)

श्री के० एम० प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट आई है उसमें केवल भोपाल में जितने लोगों का ईलाज हुआ है उनकी ही बात कही है, सीहोर, आष्टा... (**व्यवधान**)

श्री प्रताप भानु शर्मा : भोपाल के नजदीक के जो इलाके हैं ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

[**अनुवाद**]

श्री आर के जयचन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, भोपाल गैस त्रासदी के बारे [न केवल यहां इस सभा में बल्कि अन्य विभिन्न मंचों पर भी बहुत कुछ कहा गया है। पूरे औद्योगिक इतिहास में गस रिसाव की यह सबसे भयानक दुर्घटना है । मैंने एक वक्तव्य दिया है जिसमें किए गए चिकित्सा राहत कार्यों तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास कार्यक्रमों का विस्तार से वर्णन है ।

माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दों का उल्लेख किया है । जहां कहीं भी आंकड़ों आदि में अन्तर के किन्ही मामलों की ओर निर्देश करना आवश्यक होगा, मैं सदन को तथा आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को उनसे अवगत कराने का पूरा प्रयत्न करूंगा ।

जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और अब तक जिनकी पहचान की जा चुकी है उनकी संख्या 1754 है यद्यपि हमें सूचना प्राप्त हुई है कि संख्या इससे भी अधिक है, किंतु राज्य सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है, कि आया ये व्यक्ति गैस दुर्घटना के कारण मरे हैं अथवा नहीं । गत कुछ महीनों से यह संख्या बदलती रही है, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे लोग जो गैस दुर्घटना के कारण मर गए हैं और जिन्हें सूचना देने का अवसर नहीं मिला उनके रिश्तेदार आ रहे हैं और जांच अभी हो रही है । इन 1754 में से अभी तक हम 1409 लोगों को 10 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दे सके हैं । शेष 300 से अधिक व्यक्तियों के बारे में दुर्भाग्यवश अभी तक कोई भी जिम्मेदारी लेने या यह मानने कि वे निकट संबंधी हैं आगे नहीं आया है । भोपाल के अपने दौरे में जिसका कि एक माननीय सदस्य ने ठीक ही उल्लेख किया है, मैंने मुख्य मन्त्री को यह बाजह कर दिया था कि वह न केवल भोपाल के निकट के जिलों अपितु पड़ौसी राज्यों को भी सूचित करने का प्रयास करें ताकि मृत व्यक्तियों के फोटो पुलिस स्टेशनों को भेजे जा सकें और पुलिस स्टेशनों में अधिकारियों से पहचान करवाई जा सके । अक्तूबर में जब मैंने भोपाल का दौरा किया, तो मुझे यह सूचना मिली कि मुख्य मंत्री इस विषय में कार्यवाही कर रहे हैं । घायलों के लिए अनुग्रह राशि 1500 रुपये है । यह सच नहीं है कि कार्यवाही बहुत धीमी गति से की जा रही है । जब मैंने भोपाल की यात्रा की मुझे याद है कि नवम्बर के अन्त तक 14 हजार

का लक्ष्य था। राज्य सरकार द्वारा कार्य तेज करने के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप यह संख्या अब 27 हजार तक पहुंच गई है। अत: अभी तक पहचाने गए 39 हजार व्यक्तियों में से 27 हजार लोगों को 15 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है। मैं फिर इस सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह संख्या भी बढ़ती रहती है। नवम्बर में यह संख्या 31 हजार थी, अब यह बढ़कर 39 हजार तक पहुंच गई है। परन्तु राज्य सरकार अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कार्यवाही को तेज कर दिया है। और मैं काफी लोगों से सहमत हूं कि यह अनुग्रह राशि जिन लोगों को दी जानी चाहिए थी वे एक वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं किंतु उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया है। यह कोई मुआवजा नहीं हैं यह केवल अनुग्रह राशि है। जहां तक मुआवजे का संबंध है जैसा आप जानते हैं यह मामला न्यूयार्क में संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के समक्ष है। यह दावों के मुआवजे का मामला है। जो भुगतान हम कर रहे हैं वह केवल अनुग्रह राशि के रूप में कर रहे हैं। दावों के मामले निपटाए जाने के पश्चात् मुआवजे का प्रश्न उठेगा। माननीय मन्त्री श्री प्रधान ने कहा है कि आरंभ में केवल 11 वार्डों में कार्य शुरू किया गया जिन की संख्या बाद में 20 तक पहुंच गई। महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 30 वार्डों को प्रभावग्रस्त क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है जिसमें पूरे भोपाल का लगभग आधा अथवा आधे से थोड़ा अधिक भाग आता है। तीस नगरपालिका वार्डों को प्रभावग्रस्त वार्ड करार दिया गया है।

दूसरा प्रश्न जो उठाया गया वह 500 रुपये की आय सीमा के बारे में था। महोदय, राज्य सरकार को कोई सीमा तो निर्धारित करनी ही थी, उन्होंने 500 रुपये की सीमा निर्धारित की है। हमें अनेक मामलों की जानकारी है, जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, इसमें कुछ झूठे मामले भी हो सकते हैं। और इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन मे विलम्ब का एक कारण विभिन्न लोगों द्वारा झूठे दावे पेश किया जाना है। मुख्यमंत्री ने इसमें काफी रूचि दिखाई है।

माननीय सदस्य श्री प्रधान ने स्वयं यह कहा है। मैंने भी किये जा रहे पुनर्वास कार्यों को देखा है। तीन आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं के अन्तर्गत 633 आंगनवाडी तथा विभिन्न लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 50 कार्य शैड खोले गये हैं। 27 कार्य शैडों का निर्माण किया जा चुका है और 12 निर्माणधीन हैं। शेष अगले एक-दो महीने में पूरे हो जाएंगे। मैं वहां पर गया हूं और मैंने देखा है कि प्रभावग्रस्त लोगों को कौशलपूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार इस बात की ओर ध्यान दे रही है कि इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को कैसे रोजगार दिया जा सकता है।

माननीय सदस्य श्री शर्मा ने अमेरिका में मामले के विषय में और श्री एण्डर्सन द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में कहा है। हमने कई बार इस सदन और दूसरे सदन में कहा है कि हम किसी भी बात पर समझौता नहीं करेंगे। हो सकता है कि श्री एण्डर्सन असंतुलन खो बैठे हों। वह वक्तव्य देने के लिये स्वतंत्र हैं। शायद वह इसका लाभ उठा रहे हैं। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हम इस विषय पर समझौता करने को तनिक भी तैयार नहीं हैं।

जहां तक चिकित्सा का सम्बन्ध है हमने इसकी ओर ध्यान दिया है। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि प्रतिदिन लगभग 3,000 लोग जांच करवाने के लिए अस्पतालों में जा रहे

हैं। अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रश्न राज्य सरकार ने उठाया है। हमने एक चिकित्सालय को 30-बिस्तरों वाले अस्पताल में बदल दिया है। हम 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी निर्माण करने जा रहे हैं; वास्तव में इसका निर्माण कार्य पहले ही आरंभ किया जा चुका है। मैंने इस क्षेत्र का दौरा किया है यह अस्पताल बन रहा है। काम तेजी से चल रहा है और हमें पूरी आशा है कि मार्च, 1986 तक यह अस्पताल पूरा हो जाएगा। कुछ आधुनिक उपकरण जो प्रभावित लोगों का इलाज करने के लिए आवश्यक हैं प्राप्त किए जा रहे हैं।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है जो यूनियन कार्बाइड के अनुसंधान तथा विकास कार्य से सम्बन्ध रखता है। कल दूसरे सदन में इस विषय पर एक प्रश्न पूछा गया था। यह अनुसंधान तथा विकास केन्द्र यूनियन कार्बाइड परिसर में प्लांट के निकट स्थित नहीं है। यह इससे 8 से 9 किलोमीटर दूर स्थित है इस केन्द्र की मान्यता मार्च, 1985 में समाप्त हो गई थी और भारत सरकार ने इसे दोबारा मान्यता नहीं दी है। इस तथ्य से कि लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया है यह पता चलता है कि उन्हें अनुसंधान कार्य करने की अनुमति नहीं थी जिसके लिए उन्होंने लाइसेंस का नवीकरण कराना चाहा था।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का मैंने गम्भीरतापूर्वक प्रयास किया है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री के०एन० प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है। 36 वार्ड तय हो गये थे, लेकिन अफसरों ने जानबूझकर उनको कम किया है। अर्जुन सिंह जी की सरकार ने भी इस बात को मान लिया था। उन्होंने स्वयं मुझ से कहा था कि आप लिख कर दे दें। इन वार्डों में वह वार्ड भी हैं जिसमें अर्जुन सिंह और गवर्नर साहब रहते थे। उनको किस कारण से छोड़ दिया गया? उनको भी इसमें शामिल किया जाये।

दूसरा जो कर्मचारी बीमार है, जो कि आज भी काम करने के योग्य नहीं हैं और जिन की छुट्टियां ही खत्म हो चुकी हैं। क्या उनको स्पेशल लीव दिये जाने के बारे में आप विचार करेंगे।

तीसरी बात यह है कि उनमें जो कॉम्प्लिकेटेड मर्ज बढ़ रहे हैं उनका इलाज भोपाल में न हों—होकर दिल्ली, बाम्बे या बाहर जहां भी कराने की आवश्यकता हो—चाहे वे कर्मचारी हों या न क्या सरकार वहां पर उनका इलाज कराएगी और सारा खर्चा उठाएगी?

इसके अलावा जो लोग काम करने के लायक नहीं रह गए हैं क्या उनको सरकार पेंशन देने पर विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह : जहां तक विशेष छुट्टी का सम्बन्ध है हम उपबन्धों के अन्तर्गत ही ऐसा कर सकते हैं। जहां तक क्षेत्र का सम्बन्ध है। प्रभाव ग्रस्त क्षेत्र से बाहर के

लोग जो प्रभावग्रस्त 30 वार्डों से दूर रहते हैं जांच के लिए अस्पताल आ रहे हैं। जहां तक अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का सम्बन्ध है हम समस्त भोपाल को प्रभावग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं कर सकते। अत: उन्होंने कुछ क्षेत्रों 30 वार्डों तक इसे सीमित किया है कुछ लोग उस क्षेत्र से बाहर भी रह रहे हैं और वे भी डाक्टरी परीक्षा करा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री के०एन० प्रधान : सवाल यह नहीं है कि किसको लिया जाए। जहां तक गैस पहुंची है उसको क्यों छोड़ा जा रहा है ? मेरा यह निवेदन है और मैं तो चार्ज लगाता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी कुछ आफिसर्स यूनियन-कार्बाइड से पेड हैं जिन्होंने कोशिश की है कि बीमारियों को हलका करके बताया जाए, जिन्होंने कोशिश की है कि बीमारों की संख्या कम करके बताई जाए, जिन्होंने कोशिश की है कि एरियाज जो अफेक्टेड हैं वह कम करके बताए जायें, मैं जानना चाहता हूं स्पेसिफिकली कि उनके खिलाफ आप जांच करवायेंगे ? मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं और सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं अगर यह गलत साबित हो जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बात की जांच कराई जायेगी अथवा नहीं।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मैं यह जानकारी राज्य सरकार तक पहुंचा सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान : पहले भी यूनियन कार्बाइड ने कई राजनेताओं और अफसरों को करप्ट किया है, लाखों करोड़ों रुपया बांटा है और आज भी बांट रहे हैं जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो रहा है। ..(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि आप इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं।

श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : मैं यह जानकारी राज्य सरकार तक पहुंचा सकता हूं।

1.17 म० प०

लोक लेखा समिति

17वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : मैं स्वीकृत अनुदानों से अधिक तथा प्रभारित विनियोगों (1983-84) तथा अपने 222वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

16वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 9 दिसम्बर, 1985 को सभा में पेश किए कार्य मंत्रणा समिति के 16वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 9 दिसम्बर, 1985 को सभा में पेश किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के 16वेंप्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्याह्न भोजन के लिये 2.15 म०प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.18 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

2.16 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर सोलह मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए।)

सदस्य के निलम्बन के सम्बन्ध में

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, आप की अनुमति से :

सवेरे हम सदन से उठ कर चले गये थे क्योंकि हम महसूस करते थे कि श्री उन्नीकृष्णन् को अपनी बात को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिये था। फिर भी वे आप के आदेश पर तत्काल सदन से बाहर चले गये। हमने सोचा था कि मामला वहीं समाप्त हो गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश हमें बड़ा आश्चर्य तथा दुख हुआ जब कांग्रेस (आई) दल ने उन्हें पूरे दिन के लिए निलम्बित करने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया। इसकी कतई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि एक ही मामले के लिए दो दण्ड नहीं हो सकते। आपने पहले ही उन्हें आचरण के कथित उल्लंघन के लिये सदन से चले जाने के लिये कहा था।

कमरों में आबंटन के सम्बन्ध में हम समझते हैं कि प्रत्येक को जिसे चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है यहां एक कक्ष दिया जाना चाहिए। वास्तव में जब प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया अथवा कहा है कि प्रत्येक संसद सदस्य को एक कार्यालय कक्ष दिया जायेगा यह विचित्र बात है कि उन दलों को जो मान्यता प्राप्त है कमरे से वंचित किया जा रहा है। इसलिए हम कांग्रेस (आई) दल से प्रस्ताव वापस लेने, प्रस्ताव रद्द करने और कांग्रेस (एस) तथा लोकदल दोनों को कमरे वापिस करने का अनुरोध करते हैं।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आपके बोलने से पहले हमें संक्षिप्त में कुछ कहने की अनुमति दीजिए तब आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : इस पर कोई वाद-विवाद नहीं होना चाहिए।

श्री जी०एम० बनातवाला : वाद-विवाद का कोई प्रश्न नहीं है। हम वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं। कुछ निवेदन किया जा रहा है और वह भी बहुत संक्षिप्त में।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत खेदजनक बात है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन् को निलम्बित किया गया है। उन्होने पहले कुछ टिप्पणियां की थी और आपने उनको उन टिप्पणियों को वापस लेने के लिए कहा था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री जी० एम० बनातवाला : आपने उनसे सदन से चले जाने के लिए कहा और उन्होंने आपके आदेश का पालन किया। यह सब कुछ होने के बाद यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि सत्ताधारी दल द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया जाता है कि माननीय सदस्य को सदन से निलम्बित किया जाए। महोदय, इस प्रकार का प्रस्ताव संसदीय लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यह प्रतिशोध या घमंड की भावना से प्रेरित है या क्षणिक बहुमत पर आधारित... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपना स्थान ग्रहण कीजिये, कृपया बैठ जाइए।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह घमंड पर आधारित है। मैं एक और वाक्य कह कर अपनी बात पूरी करूंगा। इस प्रकार का रवैया उनके क्षणिक बहुमत के घमंड पर आधारित है।

जहां तक विभिन्न दलों को कमरे आवंटित करने का प्रश्न है, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त प्रत्येक दल को आवश्यक जगह दी जानी चाहिए। आप तथा सरकार से निलम्बन के इस प्रस्ताव को वापस लेने की अपील करते हैं।

श्री पी० कुलन्दईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : यह जो कुछ हुआ है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पिछले एक वर्ष से इस सदन में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मै समझता हूं कि उन्हें कड़ी चेतावनी के साथ छोड़ा जा सकता है। (व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा) : वास्तव में, सुबह श्री उन्नीकृष्णन् अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते थे। उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया...

अध्यक्ष महोदय : आप फिर कुछ गलत काम कर रहे हैं। उसको गलत उद्धृत मत करो। मुझे यह पसंद नहीं है। आपने ही शुरू से ही गलत उद्धृत करना आरम्भ कर दिया है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। यह गलत कथन तथा गलत उद्धरण है। आप बहुत मंझे हुए व्यक्ति हैं; सही स्थिति बयान कीजिए। आप फैसला दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : हम सब यह चाहते हैं कि यह सदन अपने कार्य का संचालन कर सके और इसीलिए पुन: यह अनुरोध कर रहे हैं कि सत्ताधारी दल को सूझबूझ से काम लेना चाहिए और इस निलंबन प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिए... **(व्यवधान)**

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हम किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। न ही हम किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं... **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : जो कुछ सुबह हुआ उसके बारे में मैं कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं सिवाए इसके कि आपने उन्हें सदन से चले जाने के लिए कहा और उन्होंने तुरन्त इस आदेश का पालन किया। मैं समझता हूं कि उसके तुरन्त बाद सत्ताधारी दल द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया तथा पारित किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पहले से ही सुन लिया है। इसमें नई बात क्या है ?

श्री एच० एम० पटेल : फिर भी हम विरोधी दलों के लिये सत्ताधारी दल द्वारा अपने भारी बहुमत के इस प्रकार प्रयोग किए जाने के विरुद्ध अपनी नाराजगी प्रकट करना बहुत जरूरी है। हम कम से कम आशा करते थे कि वे पूरी बात को सुनना चाहेंगे कि श्री उन्नीकृष्णन कुछ क्यों कहना चाहते थे हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो जिसकी आपने स्वीकृति नहीं दी हो... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप फिर गलत उद्धरण दे रहे हो... **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : मैं किसी अन्य भावना से नहीं बोल रहा हूं सिवाय इस भावना... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह भावना बनी रहे।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : कृपया हमें अपनी बात कहने दीजिए... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यही वही बात है। मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : हम केवल आपको विश्वास दिलाकर, मना कर ही बात कह सकते है ऐसी स्थिति में हमें अपनी बात कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपनी बात भिन्न-भिन्न

तरीके से कहनी पड़ती है जिससे कि हम आपको राजी करने में सफल हो सकें। परन्तु यदि आप बेचैन हैं और तुरन्त कहते हैं, "मैं इसे समझता हूं," तब हम क्या करें ? हमारे लिए अपने विचार प्रकट करना किस प्रकार सम्भव है ? महोदय, मैं समझता हूं कि सत्ताधारी दल का बहुमत कितना ही प्रबल हो, मेरी विनम्र राय है कि उनके लिए उसका इस प्रकार प्रयोग किया जाना उचित नही है। यह वास्तव में हैरानी की बात है कि संसदीय कार्य मन्त्री ने इस ढंग से इस मामले प्रस्तुत किया है। हम आशा करते थे कि कम से कम वह...(व्यवधान)...यदि लोकतंत्र... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री एच० एम० पटेल : यदि आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आप लोकतंत्र शब्द को पसन्द नहीं करते...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सदन में ऐसा कभी नहीं हुआ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, श्री उन्नीकृष्णन् जी को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था और विपक्ष को इस तरह से उन्हें उकसाना नहीं चाहिए था।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : श्री उन्नीकृष्णन् ने आपके आदेशों का पालन किया। वह तुरन्त उठकर चले गए और उसके बाद उनको निलम्बित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। मैंने आपको सुन लिया है महोदय, आपने उस अपील का समर्थन किया है और मैंने उसे सुन लिया है। और कुछ नहीं है। आप उसका समर्थन करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, जो आप कहना चाहते हैं उसे मैं समझ गया हूं। जो आप कहना चाहते थे वह आपने कह दिया है...

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाग लेना चाहते हैं। बस...(व्यवधान)

यदि हमें यह अवसर रहीं दिया जाता है तो हम सदन से उठकर चले जाते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम चाहते हैं कि निलंबन प्रस्ताव को वापस लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्यों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और वे जो कहना चाहते हैं मैं वास्तव में वह भावना चाहता हूं जिससे हमें निकट सहयोग से काम कर सकें। यही

मेरा प्रयास रहा है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, मेरी निजीतौर से श्री उन्नीकृष्णन् से कोई दुश्मनी नहीं है। हम अच्छे दोस्त रहे हैं। मैं अभी भी उनका अच्छा दोस्त हूं। कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। यदि कोई व्यक्तिगत बात होती तो हम बाहर उसका समाधान कर सकते थे। और कुछ नहीं है। क्या ऐसा नहीं है ? हम ऐसा कर सकते हैं। दोस्त के रूप में हम साथ बैठ सकते हैं और राजीनामा कर सकते है। लेकिन यह व्यक्तिगत मामला नहीं है। मुझे कुछ चीजें करनी पड़ी....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या अर्थ है ? मुझे आधार तैयार करना है। मुझे इसे स्पष्ट करना है... (व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : महोदय, आपके विरुद्ध कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी बात नहीं होती तो मैं समझता हूं सदन में यह सब कुछ न होता क्योंकि किसी कार्यालय के खाली किए जाने के बारे में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे क्यों होनी चाहिए ? क्या यह मेरी जेब में आता है या क्या मैं इसको पाता हूं ? नहीं। मुझे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अमल दत्ता जी आप निर्णनायक है। मैं आपको यह सीट दूंगा और आप स्वयं निर्णय करें ?... (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं कैसे निर्णय कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि कभी-कभी यह किसी के कन्धों पर आ पड़ता है। मैं इसे स्वयं श्री उन्नीकृष्णन् के कन्धों पर डालता हूं क्योंकि हमने आबंटन तथा खाली करने के बारे में कई बार साथ बैठकर विचार-विमर्श किया हैं...

(व्यवधान)

श्री० ई० अय्यप्पु रेड्डी : प्रधानमन्त्री ने उन्हें वहां पर रहने की अनुमति दी थी। श्री उन्नीकृष्णन् ने यही कहा है कि यदि प्रधानमंत्री उनसे इसे खाली कराना चाहते तो वह उसे एक मिनट में खाली कर देते... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके बारे में भी बताऊंगा।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : वह प्रधानमंत्री के आश्वासन पर रह रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके बारे में भी बताऊंगा...

(व्यवधान)

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैंने आपको कई बार लिख कर दिया है कि जब तक पंजाब और असम में चुनाव नहीं हो जाते तब तक सदन पूरी तरह से देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैंने उसे सुन लिया है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : हमने आपको यह भी बताया है कि हमारे अध्यक्ष ने न केवल प्रधान मंत्री के नाते अपितु कांग्रेस (आई) संसदीय दल के नेता के नाते भी प्रधानमंत्री को लिखा था··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देव, हमने इस समस्या पर आपके और अन्यों के साथ कई बार चर्चा की है। इसलिए मैं कहता हूं कि पिछले एक वर्ष से मैं इसको हल करने की कोशिश कर कर रहा हूं। इसमें मेरा कोई निजी लाभ नहीं है कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस (एस) कमरा खाली करे या लोक दल कमरा खाली करे या अन्य किसी को वह मिले। नहीं। महोदय, यह आप हैं। कई बार आए हैं और आपने कई बार मुझ से पूछा है कि "अध्यक्ष महोदय यह आपके कंधों पर है, आपको नियमों का पालन कराना चाहिए।" मैंने समझा कि इससे कुछ कटुता उत्पन्न होगी अतः मैंने आप लोगों के यहां बैठे रहने के बावजूद कोशिश की। मैं उनको कई बार एक साथ इकट्ठा किया और बताया कि कुछ और अधिक करना मेरे बस से बाहर है तब यदि मुझे हस्तक्षेप करना पड़ता है तो मेरे लिए और क्या विकल्प है ? मुझे और कमरे दीजिए मैं प्रत्येक को कमरा आवंटित कर दूंगा। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? इसलिए मैं प्रधानमन्त्री के प्रस्ताव की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि प्रत्येक दल और प्रत्येक निर्दलीय सदस्य के लिए कमरों का निर्माण किया जाएगा। अतः मै इसकी सराहना करता हूं क्योंकि कोई समस्या नहीं रहेगी। इससे मुझे क्या लाभ मिलता है ? मेरा इसमें क्या दखल है और मुझें बाहर जालिम क्यों कहा जाए ? यह अमानुषिक है। मेरे लिए यह कोई समस्या नहीं है। ये आपके नियम हैं, और यदि मैं नियमों को लागू करता हूं तो मैं बुरा हूं और यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ अवैध कार्य करते हैं तो उन को दोषी नहीं ठहराया जाता। अतः समस्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप मेरे पास कई बार आए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : जी हां, लेकिन स्थान के प्रश्न पर कभी चर्चा नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : आप भी जानते है कि नियम नियम हैं क्या मैं उनको बनाता हूं ? देखिए मैंने क्या किया है। निदेश में एक नियम था कि 30 सदस्यों से कम वाले ग्रुप को मान्यता नहीं दी जाएगी और सदन में कोई आबंटन नहीं किया जाएगा। पिछली बार मैंने इसे कम कराकर 15 करवा दिया। और फिर मैं इसे 10 तक करवा दिया ताकि अधिक लोगों को स्थान मिल सके। मेरे दृष्टिकोण को देखिए। मैंने इसे किस प्रकार करने की कोशिश की है। अब यदि मेरे पास अधिक कमरे होते तो मैं प्रत्येक दल को आबंटित कर देता तथा अब 9 या 11 सदस्यों को जो निर्दलीय हैं जब वास्तव में स्थान की समस्या है तो मैं क्या कर सकता हूं ? यह कोई निजी मामला नहीं है। मैं मनमुटाव उत्पन्न नहीं करना चाहता। यह दृष्टिकोण का प्रश्न है। श्री उन्नीकृष्णन् मुझसे नाराज हो गए। वह नहीं जानते कि मैं यहां बलराम के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं केवल अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं। बस यही बात है।

दूसरे, पिछले पांच वर्षों से हमने कुछ नहीं किया तथा यह अन्तिम चीज हैं कि मैं सदन से किसी सदस्य को निष्कासित या निलंबित करना चाहूंगा। इसमें अपना निजी अपमान मानता हूं, वह उठकर चले गए। मैं यह भी नहीं चाहता था, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे। मैं क्या कर सकता हूं यदि अब सदन गरिमा को बनाए रखने का निर्णय करता है......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, सदन फैसला करता है मैं सदैव उसे मानने के लिए तैयार हूं। मैं आपके साथ हूं। ध्यान रखिए, यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नहीं है। मैं आपका हूं। प्रतिष्ठा आपकी है। इसको बनाये रखना आपका काम है। यदि आप इस प्रतिष्ठा को गिराते हैं तो भी यह आपकी है। मुझे इसके बारे में चिन्ता क्यों करनी चाहिए? मुझे अपनी सत्यनिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह सत्ताधारी दल का प्रस्ताव है... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय आवास के प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : मुझे और अधिक कमरे दीजिए और मैं हर एक को आबंटित कर दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : आवास के प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : आप यह अवश्य कहें कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि आपने श्री उन्नीकृष्णन से यह कहा होता कि उन्होंने मुझे इस प्रकार सम्बोधित करके ठीक नहीं किया था तो सब कुछ ठीक हो जाता। मैं कोई चर्चा नहीं चाहता हूं। वह मेरे कमरे में आकर कुछ भी कह सकते थे किन्तु सभा में नहीं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : माननीय सदस्य, श्री बसुदेव आचार्य, मुझे कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय की बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री एच०के०एल० भगत : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस कहानी से हम में से कोई भी प्रसन्न नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि इस मामले को सहज रूप से निपटाया जाए और हम उसी भावना से कार्य करते रहें जैसे कि आप हमारा मार्ग-दर्शन करते रहे हैं, उसी भावना से कार्य करते रहें जिस भावना से हम लोग एक-दूसरे के सहयोग से कार्य करते रहे हैं। इस सभा में इस भावना से हम अब तक कार्य करते रहे हैं। मैं अपने आदरणीय मित्र, श्री बसुदेव आचार्य

और अन्य सदस्यों को सादर कहना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल का रुख किसी बात में अड़ियल नहीं है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह क्या था ?

श्री एच०के०एल० भगत : कृपया बीच में मत बोलिए। मैं व्यवधान नहीं चाहता।

श्री नारायण चौबे : यही अड़ियलपन है।

श्री एच०के०एल० भगत : आप मेरे बोलते समय व्यवधान क्यों डालते हैं ?

श्री नारायण चौबे: चूंकि हमारे भाषण के समय और लोग व्यवधान डालते हैं।

श्री एच०के०एल० भगत : मैंने आपके भाषण के समय व्यवधाम नहीं डाला था।

अब, महोदय, माननीय सदस्य, श्री उन्नीकृष्णन् का हम सभी अत्यधिक सम्मान करते है। विरोधी दल के हर सदस्य के प्रति आरम्भ से ही हमारा रवैया उनकी गुणवत्तता के आधार पर रहा है न कि उनकी संख्या के आधार पर। प्रधानमन्त्री तथा हम सब का यही रवैया रहा है।

साधारण-सा मुद्दा यह है। इस मामले को सुलझाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम आपके साथ बैठ सकते हैं, वे लोग आपके साथ बैठ सकते है और मैं आपके साथ बैठ सकता हूं और हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। हम इसे सुलझाने के लिए उत्सुक हैं। किन्तु मैं एक आधारभूत बात कहना चाहता हूं, और वह यह है कि न तो सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य और न ही विरोधी दल का कोई सयस्य प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्षपीठ के प्रति ऐसी कोई बात न कहें। मुझे खेद के साथ कहना है कि चिढ़ें नहीं यह ठीक है कि बाद में मेरे एक साथी ने एक प्रस्ताव रखा था किन्तु आरम्भ में माननीय सदस्य उन्नीकृष्णन् से इस टिप्पणी को वापिस लेने को कहा गया था। मुझे आशा थी कि वह टिप्पणी वापस ले लेंगे और उन्हें वापस ले भी लेना चाहिए था। इसके अलावा, मुझे आशा थी कि विरोधी दल के नेता श्री उन्नीकृष्णन् को सलाह देंगे कि वह उसे वापस ले लें। उसमें कोई हर्ज नहीं था और उसमें सम्मान का कोई प्रश्न नहीं उठता था। मुझे दुःख है कि विरोधी दल के किसी भी नेता ने उस टिप्पणी को वापस लेने के लिए उनसे आग्रह करने की बात तक नहीं सोची। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। इसके अतिरिक्त आपने स्थिति अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है। जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, सभा नियमों में परिवर्तन कर सकती है। हम लोग साथ बैठकर इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। मामले पर चर्चा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु सारा मुद्दा यह है कि जब तक नियम लागू रहेंगे—एक वर्ष से हम प्रयत्नशील रहे हैं—आबंटत के नियम बने हुए है और हम उनके पालन करने का प्रयास करते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय की भी एक सीमा है। अध्यक्ष महोदय एक वर्ष से इस पर हर एक के साथ चर्चा करने का प्रयास करते रहे हैं। जहां तक सरकार का संबंध है, मैं आपके साथ विरोधी दल के नेताओं के साथ बैठने को तथा इस मामले को सुलझाने के लिए सहमत हूं। इसके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : एक बात और। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप प्रस्ताव वापस लेने को तैयार हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं।

श्री एच०के०एल० भगत : मैं निलम्बन आदेश पर विचार करने को तैयार हूं किन्तु मैं विरोधी दल के माननीय नेताओं से एक बात जानना चाहता हूं कि श्री उन्नीकृष्णन् ने जो कुछ भी कहा उस पर वे लोग क्या कहते हैं ? क्या वे लोग यह बात कहने को तैयार है कि उन्होंने जो कुछ कहा है, वह उन्हें नहीं कहना चाहिए था।

श्री नारायण चौबे : श्री उन्नीकृष्णन् ने अध्यक्ष महोदय के निदेश का पालन किया था।

श्री एच०के०एल० भगत : माननीय सदस्य, श्री रामूवालिया ने यह कहा है—उन्होंने कहा था कि उन्हें वे वापिस शब्द ले लेने चाहिए थे। उन्होंने यह बात कही है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : जिस समय यह कहानी आरम्भ हुई थी, उस समय हमने और अकाली दल ने बहिर्गमन नहीं किया था, हमने यह महसूस किया था कि यदि माननीय अध्यक्ष महोदय के पद के सम्मान में कोई अशोभनीय बात कही गई है तो माननीय सदस्य को वह वापस ले लेनी चाहिए। हमें नेता समझा जाता है; हम राष्ट्र का मार्ग दर्शन करते है; हम देश के मार्गदर्शक हैं। किन्तु बाद में हमने देखा कि सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य बोल रहे थे और यहां तक कि माननीय मंत्री ने अपना प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव से एक ही आरोप के लिए दोहरी सजा देने की बात हो जाती। मैं आपसे और सभा के सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं। हम देश का बेहतर मार्ग दर्शन करना चाहिए। हमें उदार होना पड़ेगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यह प्रस्ताव वापस ले लें तथा उदार प्रकृति अपनायें। इससे निश्चित रूप से आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। कृपया प्रस्ताव वापिस ले लीजिये। मेरी यह प्रार्थना है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : वे लोग वापस नहीं लेगें। अपने अपार बहुमतता के कारण वे लोग ऐसा ही करते रहेंगे।

श्री एल०के०एल० भगत : मेरा एक अनुरोध है। माननीय सदस्य श्री रामूवालिया ने जैसा कहा है—विरोधी दल के नेताओं का ऐसा रवैया नहीं है। महोदय, इनमें से कोई भी सदस्य यह कहने को तैयार नहीं है कि श्री उन्नीकृष्णन् को इन शब्दों को वापस ले लेने चाहिएं।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : पहले मौके पर मुस्लिम लीग ने भी बहिगर्मन नहीं किया था। हम लोग विशेषकर आपके प्रस्ताव के बारे में यह कह रहे है।

श्री एच० के० एल० भगत : इस समय भी यदि वे लोग ऐसा कहें इन शब्दों को वापस ले लेना चाहिए; तो मैं अवश्य ही उस पर विचार करूंगा। मैं यह कहने को तैयार हूं कि इस मामले को सुलझाने के लिए मैं आपके विरोधी दलों के नेताओं के साथ अभी आपके कक्ष में बैठने को तैयार हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : माननीय मन्त्री महोदय को प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए। महोदय, आप मेहरबानी करके मुझे बोलने की अनुमति दे दें। **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : वे लोग इस बात को अब भी कहने को तैयार नहीं हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : यह उनका उत्तरदायित्व है; आपका नहीं। इसके लिए वे लोग उत्तरदायी हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाये रखिए।

चर्चा से हमेशा हल निकल आता। उससे पता चलता है कि प्रजातंत्र क्या है? चर्चा से, व्यक्तिगत सम्पर्क से हर समस्या सुलझ सकती है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो सुलझ न सके।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : हर बात पर चर्चा हो चुकी है। संविधान तक में यह व्यवस्था है कि किसी को दोहरा दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें इसे वापिस ले लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, इसमें अधिक समझदारी है। आप मेरे पास आ सकते हैं और हम बैठ सकते हैं।

श्री नरायण चौबे : आपने सदस्य को सभा से निकालने का निदेश दिया है। वह निकल गया। किन्तु वह आपके अधिकार का उल्लंघन कर रहा है और यह प्रस्ताव रखा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आप आयें। मेरे विचार से, श्री बसुदेव जी आयें। आप सभी आयें। हम सभी एक साथ बैठकर इस समस्या को सुलझा सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप मुझे एक बात कहने की अनुमति दें। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आप सभा स्थगित कर सकते हैं। हम आ सकते हैं और बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप आ सकते हैं और बैठ सकते हैं। सभा को चलने दीजिए। सभा को स्थगित करने की क्या आवश्यकता है? आप जा सकते हैं। आप आ सकते हैं। आप आ सकते हैं और हम लोग बात-चीत करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : प्रस्ताव वापस लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। शर्त रखने पर कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई शर्त नहीं होनी चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मध्याह्न पूर्व में, आपने माननीय सदस्य को निकल जाने को कहा था...

अध्यक्ष महोदय : इस बात को मैं सुन चुका हूं। इस पर कोई बहस नहीं होगी। मैंने यह कहा था कि हम कहां बात-चीत कर सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारा विश्वास है कि सभा के एक वरिष्ठ सदस्य, श्री उन्नीकृष्णन् को दोहरा दण्ड दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह और बात है। यह विवाद का विषय नहीं है। मैंने दूसरी बातों के बारे में कह रहा था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यदि आप निलम्बन आदेश रद्द नहीं करते तो हम इस मामले में अध्यक्ष के कक्ष में बात-चीत नहीं करेंगे और न ही सभा की कार्यवाही में भाग लेंगे।

श्री वी० कृष्णचन्द्र एस० देव : एक वरिष्ठ सदस्य श्री उन्नीकृष्णन् का अपमान किया गया है। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : वे लोग अध्यक्ष पीठ का अपमान सहन कर सकते हैं किन्तु वे एक सदस्य का अपमान नहीं सहन कर सकते हैं (व्यवधान)

2.43 म०प०

इस समय, श्री बसुदेव आचार्य तथा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से उठकर बाहर चले गए।

2.44 म०प०

विधेयक

(1) गर्म मसाला बोर्ड विधेयक*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गर्म मसालों के निर्यात के विकास के लिए और इलायची उद्योग के लिए, जिसके अन्तर्गत इलायची की खेती का नियंत्रण है, उससे संबंधित विषयों के लिए बोर्ड का गठन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गर्म मसालों के निर्यात के विकास के लिए और इलायची उद्योग के नियंत्रण के लिए, जिसके अन्तर्गत इलायची की खेती का नियंत्रण है, उसे संबंधित विषयों के लिए

---

* दिनांक 10-12-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 2 प्रकाशित।

बोर्ड का गठन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

2.45 म०प०

(2) गर्म मसाला उपकर विधेयक*

[**अनुवाद**]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि गर्म मसालों के निर्यात के विकास के लिए उपाय करने के प्रयोजनों के लिए सभी गर्म मसालों पर, जिनका निर्यात किया जाता है, उपकर के अधिरोपण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि गर्म मसालों के निर्यात के विकास के लिए उपाय करने के प्रयोजनों के लिए सभी गर्म मसालों पर, जिनका निर्यात किया जाता है, उपकर के अधिरोपण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं विधेयक पुरःस्थापित भी करता हूं।

2.46 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[**अनुवाद**]

(एक) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर की पर्यावरण सम्बन्धी दशाओं को सुधारने के लिए उपचारी उपाय करने की आवश्यकता

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद नगर, जो कांच उद्योग और मुख्यतः कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, में पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या बहुत ही गम्भीर है। इसके अलावा भी सफाई के विचार से यह सबसे अधिक गंदा नगर है। यहां की नालियां बहुत

*दिनांक 10.12.1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II खंड 2 में प्रकाशित।

[श्री गंगा राम]

ही खराब है जिसके कारण प्रदूषण फैलता हैं। शहर में प्रत्येक गली-कूचे में आमतौर से बड़ी और छोटी भट्टियां लगी हुई हैं जिनसे धुआं निकलता रहता है और जिसके कारण पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित होता रहता है। इसके कारण यहां अनेक प्रकार की बीमारियां विशेषकर तपेदिक बहुतायत से व्याप्त है जिसके कारण विशेषकर निर्धन श्रमिक वर्ग के लोगों के सामान्य स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आवासीय कालोनियां तथा औद्योगिक क्षेत्र पृथक-पृथक नहीं है। इसके परिणाम-स्वरुप निर्धन व्यक्ति अपने घर में ही चूड़ियां बनाते हैं। इसलिए फिरोजाबाद में छाती के रोग बढ़ रहे हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस नगर की पर्यावरण संबंधी दशाओं को सुधारने के लिए उपचारी उपाय करने चाहिएं।

(दो) आदिवासी और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लाभार्थ महाराष्ट्र के धुले जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मांग

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महोदय, मैं कार्मिक और पशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन और संस्कृति विभाग में मन्त्री का ध्यान धुले में सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं ताकि जनजातीय और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रात्साहित किया जा सके।

महाराष्ट्र के जिला धुले में जनजातिय लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यह जिला मध्यप्रदेश और गुजरात की सीमा पर है। धुले के निकटवर्ती (मध्यप्रदेश और गुजरात में) खारगांव, सूरत और अन्य जिलों में भी जनजातियों की बहुतायत है।

अतः उन लड़कों को, जो केन्द्र सरकार के श्रेणी-1 और श्रेणी-2 की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, आरम्भिक प्रशिक्षण देने के लिए यहां केन्द्र सरकार का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता है। इस समय स्थिति यह है कि उपयुक्त उम्मीदवारों के अभाव में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित बहुत से स्थान भरे नहीं जाते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस जनजाति क्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

(तीन) गोवा, दमन और दीव संघ राज्य-क्षेत्र को एक पूर्ण राज्य घोषित करने की आवश्यकता

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, 19 दिसम्बर, 1985 को गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुए 25 वर्ष हो जाएंगे।

यद्यपि यहां के लोगों को पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना का लाभ नहीं मिला है यद्यपि बाद की योजनाओं के दौरान केन्द्र सरकार ने इस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को आत्मनिर्भर बनाने के लिये उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता दी।

दो दशक पहले गोवा में हुए जनमत संग्रह के आधार पर इसे एक संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा

दिया गया और जहां तक इसके विकास का संबंध था, केन्द्र सरकार ने यह काम अपने हाथ में ले लिया।

अब गोवा अपने पैरों पर खड़ा है। यह क्षेत्र काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है। हाल में जिन क्षेत्रों को राज्य का दर्जा मिला है, उनके समक्ष इसकी स्थिति काफी अच्छी है।

अब केन्द्र सरकार को गोवा, दमन और दीव को पूरा राज्य घोषित कर देना चाहिए। इसकी रजत जयंती पर केन्द्र सरकार द्वारा यह अच्छा तोहफा दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

(चार) महाराष्ट्र में भण्डारा और तुमसर स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य में भंडारा जिला पिछड़ा जिला है, लेकिन संचार की सुविधायें न होने के कारण नये उद्योग आना तो दूर रहा जो पुराने उद्योग चल रहे हैं वह भी इस जिले को छोड़कर अन्यत्र जाने का विचार कर रहे हैं। यहां टेलीफोन की इतनी असुविधा है कि यहां की जनता काफी तकलीफ पा रही है।

भंडारा यह जिले का ठिकाना है लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता कम होने की वजह से 1981 से यहां नये टेलीफोन्स कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। ओ०वाई०टी० स्कीम के अन्तर्गत लोगों ने रकम जमा की उन्हें तथा सरकारी कार्यालयों को भी टेलीफोन कनेक्शन्ज नहीं मिल पा रहे हैं। भण्डारा में प्रतीक्षा सूची में 165 लोग हैं। तुमसर में भी प्रतीक्षा सूची में 50 से ऊपर लोग हैं। भण्डारा तथा तुमसर दोनों ठिकानों के ज्यादा क्षमता वाले एक्सचेंज लगाने के लिए कई वर्षों से मांग की जा रही है। नागपुर से सम्भलपुर केबल डालने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा हैं।

उपरोक्त तीनों शहर एस०टी०डी० से जोड़ने की दृष्टि से देवरी तक केबल डालने का काम हो चुका है। देवरी जो कि महाराष्ट्र की सीमा पर है। जहां से गोंदिया, तुमसर, भण्डारा एस०टी०डी० से तुरन्त जोड़े जा सकते हैं। ज्यादा क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंज तुमसर और भण्डारा में लगाने का और गोंदिया, भण्डारा, तुमसर तीनों शहरों को एस०टी०डी से जोड़ने का पिछली लोक सभा में कबूल किया था, लेकिन यह कार्य अभी तक हुआ नहीं है।

मेरा संचार मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त कार्य जल्दी से जल्दी पूरा कर पिछड़े हुए इलाके की जनता को राहत दिलायें।

(पांच) मरु क्षेत्रों, बर्फ से ढके क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को समुचित शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार करने के लिये एक समिति गठित करने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा ठक्कर (कच्छ) : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहती हूं। यह विषय मेरे लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग प्रायः मेरे पास यह शिकायत लेकर आते हैं।

[श्रीमती उषा ठक्कर]

श्रीमन् सूखे पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तानों एवं बर्फीली पर्वत शृंखलाओं में हमारे बहुत से सरकारी कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं। मेरे इलाके कच्छ, बनासकाटा और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके हैं। इसी तरह से बर्फीली पर्वत मालाओं में बहुत से इलाके हैं। इन्हीं क्षेत्रों में असंख्य सरकारी कर्मचारी काम करते है मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है कि ये इलाके रहने सहने की व्यवस्थाओं को लेकर काफी दुर्गम हैं। विशेष समस्या इन कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है। यहां इन इलाकों में शिक्षा संस्थाओं का एकदम अभाव है। और इन कर्मचारियों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बार-बार तबादले करवाने के दबाव भी इसी कारण सरकार के पास आते हैं।

अत: मेरा माननीय शिक्षा मन्त्री से अनुरोध है कि वे इस विषय पर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करें जो कि इस समस्या के सुझाव के लिए शीघ्र कार्य करे। शीघ्र राहत के लिए मेरा यह सुझाव है कि इन इलाकों के करीब जो भी शिक्षा संस्थान हैं उनमें इन कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता देकर इनकी समस्या का समाधान करेंगे।

[अनुवाद]

(छ:) केरल की बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वहां पर एक ताप-विद्युत संयंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री के० मोहनदास (मुकन्दपुरम) : महोदय, जहां तक बिजली का संबंध है केरल को ऐसा राज्य माना जाता है, जहां बिजली बहुत ज्यादा है। 1983 में यह धारणा गलत सिद्ध हो गयी जब वहां सूखा पड़ा और सभी जलाशय काफी सूख गए। सरकार को उद्योगों के लिए शत-प्रतिशत बिजली की कटौती करनी पड़ी थी जिससे समूचा औद्योगिक उत्पादन अवरुद्ध हो गया तब भी केन्द्र सरकार केरल में बिजली की स्थिति की गम्भीरता को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। इस समय केरल में केवल पन बिजलीघर है जो वर्षा न होने पर काम नहीं करते। पूर्ण रूप से पन-बिजली पर निर्भर रहना घातक सिद्ध होगा जैसा कि पहले कई बार हो चुका है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि वहां बिजली उत्पादन के अन्य स्रोतों का उपयोग किया जाए।

केरल उन कुछ राज्यों में से एक है जहां बिजली के क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने कोई पूंजी-निवेश नहीं किया है। इस राज्य ने यह मांग की है कि केरल की बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वहां एक तापीय विद्युत संयंत्र लगाया जाना चाहिए। इससे पन-बिजली पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी और न होने पर बिजली की कमी का सामना नहीं करना वर्षा पड़ेगा।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल से एक तापीय विद्युत संयंत्र खोलने के लिए तुरन्त कदम उठाएं।

[हिन्दी]

(सात) बिहार में निर्माणधीन विभिन्न परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिये सीमेंट कारखानों से सीमेंट की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री डी०पी० यादव (मुंगेर) : बिहार राज्य में सरकारी स्तर पर निर्माणाधीन अनेक जन-

उपयोगी योजनाओं में कार्य के लिए हाथ लगा हुआ है, सिंचाई, विद्युत, सड़क, पुल निर्माण अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिनसे सीमेंट की खपत होती है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि ये कार्यक्रम दिसम्बर से जून तक काफी रफ्तार में रहते हैं परन्तु सीमेंट के अभाव में सारे कार्यक्रमों में बाधा होती है। सरकारी कार्यक्रमों के लिए सीमेंट का दर 45 रुपया प्रति बोरा निर्धारित किया गया है और इसी दर पर मिल मालिकों को सीमेंट मुहैया करना है परन्तु मिल मालिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से सरकारी विभागों और उपक्रमों को इस दर पर सीमेंट जल्दी मुहैया नहीं करते है। सीमेंट के अभाव में कार्यक्रम ठप्प पड़ जाता है और योजना के लागत खर्च में कई गुना वृद्धि होती है। बिहार सरकार के सिंचाई विभाग ने चुनार और चाईबास स्थिति सीमेन्ट फैक्टरी को मुंगेर स्थित गंगा पम्प कैनल स्कीम के लिए सीमेंट मुहैया करने का आदेश दिया था परन्तु सीमेंट कारखानों ने अभी तक उनके आवश्यकतानुसार सीमेंट सप्लाई नहीं किया है। इसी तरह राज्य की अनेक योजनाओं की स्थिति है। मेरी मांग है कि केन्द्रीय सरकार इस बात की घोषणा करे कि सरकारी कार्यक्रमों के लिए सीमेंट की कमी नहीं होगी, खासकर दिसम्बर-जून के महीनों में। तदनुसार सीमेंट कारखानों को आदेश दिया जाए कि वे बिहार सरकार के इन्डेन्ट के अनुसार तुरन्त सीमेंट सप्लाई करें।

(आठ) राजस्थान में भरतपुर के निकटस्थ घाना पक्षी-विहार को सुरक्षित करने की आवश्यकता

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर के निकट विश्वविख्यात "पक्षी विहार" घाना सरकारी अफसरों की लापरवाही के कारण अपना वैभव खोता जा रहा है। हजारों और लाखों की संख्या में सुन्दर और सुहावने पक्षी दूर-दूर से वहां आते थे परन्तु आज पेड़ों की बेदर्दी के साथ कटाई के कारण तथा बेतरतीब घास के कारण उस स्थल का सौंदर्य दिनों-दिन घट रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और बेतरतीब घास के कारण ही पक्षियों ने प्रजनन भी बन्द कर दिया है। पिछले दो वर्षों में तीन भीषण अग्निकाण्डों के कारण हजारों पेड़ और कई हजार दुर्लभ पक्षी नष्ट हो गए हैं। इन अग्नि काण्डों की जांच सरकारी अफसर अपनी गति से कर रहे हैं। आज तक कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई है। लोगों का कहना है कि जहां सुन्दर पक्षी चहचहाते थे वहां अब कौवे बोलते हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि वह इस ओर राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर इस सुन्दर स्थल की शोभा को बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने की कृपा करे।

———

2.57 म०प०

"शिक्षा की चुनौती—एक नीति परिप्रेक्ष्य" के संबंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री नरसिंह राव

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 20 अगस्त, 1985 को सभा पटल पर रखे गए "शिक्षा की चुनौती—एक नीति परिप्रेक्ष्य "शीर्षक वाले सरकारी स्थिति-पत्र पर विचार करती है"

2.58 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस चर्चा की संक्षिप्त प्रस्तावना बताते हुए मैं सदन के समक्ष इस दिशा में हुए कुछ परिवर्तनों के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि सभा में पहले भी शिक्षा के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था ।

शिक्षा, संस्कृति, खेल, युवा कार्य महिला कल्याण, समेकित बाल विकास और फिल्म सेंसरशिप को मिलाकर एक नया मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया है । इस मंत्रालय की परिकल्पना के अन्तर्गत जो गतिविधियां रखी गई हैं वे हैं मानव के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यथा संभव अधिक से अधिक गतिविधियों को एकीकृत करना, ताकि इसके लिए आवश्यक साधन निकाले जा सकें और उन्हें सुलभ कराया जा सके । यह प्रक्रिया केवल समन्वय की नहीं अपितु एकीकृत करने की है ताकि सभी घटकों को एक निरन्तर परस्पर सहायक कार्यक्रम में बुना जा सके ।

जैसा कि सदस्य जानते हैं, ये कार्यक्रम पहले भी पृथक रूप से कार्यान्वित किए गए थे, भले ही उनका कार्यान्वियन केन्द्र स्तर पर या राज्य स्तर, चाहे एक मन्त्री के अथवा अधिक मंत्रियों के नियंत्रण में किया गया हो। अब जो प्रयास किया जा रहा है वह नया और अनूठा है । अत: इसका विकास पूरे विस्तार के साथ धीरे-धीरे और व्यावहारिक रूप से होना आवश्यक है ।

मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया में शिक्षा को उत्प्रेरक की भूमिका निभानी है । इसे मूल्यों, रूझानों और दक्षताओं का विकास कर व्यक्ति और समाज की प्रगति के लिए सतत आधार प्रदान करना है । लोग परिवर्तन की इस चुनौती का सामना कर सकें इसके लिए भी उन्हें समर्थ बनाना होगा । इसका उद्देश्य केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं अपितु इसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनना होगा, ऐसी क्षमता का विकास करना होगा । राष्ट्रीय संदर्भ में विकास की धारणा का अर्थ केवल आर्थिक विकास ही नहीं अपितु उससे अधिक है ।

हमारा प्रयास यह है कि इस शिक्षा पद्धति की उपज ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आत्म-विश्वास हो और कुछ उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्म-निरपेक्षता के प्रति गहरी आस्था हो, और विभिन्न भाषाओं, धर्मों और अलग-अलग ढंग की जीवन शैली वाले लोगों में एकता की भावना का संचार करने के लिए एकजुट राष्ट्र के निर्माण कीऐ जिसे चिन्ता हो । अत: एक एसी पद्धति तैयार करना आवश्यक होगा जिसके अन्तर्गत समूचा शिक्षा प्रयास सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा हो और व्यक्ति की पूर्ण क्षमता का विकास करना भी उसका उद्देश्य हो ।

सरकार के विचार से अब समय आ गया है जब हमें शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं की

भूमिकाओं की परिकल्पना पृथक रूप से नहीं करनी चाहिए अपितु मानव संसाधन विकास के लिए सभी बातों का एक स्थान पर शामिल कर चलाये आन्दोलन के अभिन्न अंग के रूप में की जानी चाहिए। यद्यपि यह बताना कठिन है कि यह आंदोलन वास्तव में कहां से शुरू होता है लेकिन हम संभवतः इसकी शुरूआत गर्भवती माता और प्रसूति के बाद होने वाली उसकी देखभाल से कर

3.00 म०प०

सकते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, तो उसे रोगों का पूरा प्रशिक्षण और पोषण कार्यक्रमों का लाभ मिलता है। फिर उसे आंगनवाडी में प्रवेश मिलता है और वह आरंभिक शिक्षा की पूर्व-स्थिति से गुजरता है। दो वर्ष बाद बच्चे को प्राथमिक स्कूल में भेजा जाता है और 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा जारी रखता है, जैसा कि संविधान में बताया गया है। इस दौरान उसे स्कूल में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में, जो बच्चे औपचारिक स्कूल छोड़ देते हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की जाएगी जो इस तरह से तैयार की गई है ताकि वे अप्रत्यक्ष माध्यम से पुनः औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे शिक्षणार्थी उपयुक्त श्रेणियों में विभक्त व्यावसायिक क्षेत्र में जा सके और इस तरह वह किसी व्यवस्था के योग्य बन जाए और उस योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा की साहित्य के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए उर्ध्ववर्ती या पार्श्ववर्ती प्रवेश दिलाया जा सके जो शिक्षार्थी संस्थागत शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वे खुले विश्वविद्यालय में अथवा पत्राचार के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिक्षा अपने उद्देश्य और सुविधा के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं इस तरह व्यक्ति के जीवन का वह भाग जो उसके गर्भ में होने के समय से स्नातक होने के समय तक का है और जब तक वह उच्चतम डिग्री प्राप्त नहीं कर लेता है, लेकिन उसमें निरन्तर जारी रहने वाली शिक्षा का समय शामिल है, इस आधार पर संचालित होगा कि जो शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं और उसके योग्य हैं उन्हें शिक्षा सिद्धांत के पूरे और समान अवसर मिलें। संभवतः इस समूचे ढांचे में संस्कृति, शारीक स्वास्थ्य और सजातीय मूल्यों के महत्वपूर्ण घटकों का समावेश होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षा कार्यक्रमों, जैसे-कृषि, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, अर्ध-चिकित्सीय और स्वास्थ्य कर्मचारी शिक्षा तथा श्रमिक शिक्षा का उचित रूप से समन्वय किया जाए। और मुख्य रूप से 35 वर्ष तक की आयु के लोगों को शिक्षित करने पर जोर दिया जाए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्कूलों में प्रवेश पाने वाले अधिकांश बच्चे पहले पीढ़ी के शिक्षणार्थी है और चूंकि 15 से 35 वर्ष की आयु तक की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है इसलिए हमारा विकास प्रयास यह होना चाहिए कि सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए और निरक्षरता समाप्त की जाए। जीवन स्तर ऊंचा उठाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया जाए क्योंकि इससे उन्हें छोटा परिवार रखने की प्रेरणा मिलेगी और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उन्हें अच्छा आहार मिलेगा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को अन्य योजनाओं—एकीकृत बाल विकास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का

[श्री पी०वी० नरसिंह राव]

विकास, नेहरू युवा केन्द्रों में एन०एस०एस० के माध्यम से साक्षरता-संवर्धन योजना आदि से जोड़ा जाए।

शिक्षण प्रक्रिया से हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि उससे शिक्षणार्थी को शरीरिक और सामाजिक पर्यावरण को समझने के अतिरिक्त विकास के रास्ते में आने वाली समस्याओं के समाधान करने की निपुणता भी प्राप्त हो। शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया शैक्षणिक संस्थाओं के द्वार तक ही अथवा विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्व-विद्यालयों में छात्रों तक ही सीमित नहीं रह सकती, यह तो एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया होगी। इसलिए शिक्षा देने का प्रयत्न जीवन-पर्यन्त निरन्तर चलने वाली शिक्षा की आवश्कताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए जिस पर आज अधिक ध्यान दिया जा रहा है और मानव व्यक्तित्व के सर्वमुखी विकास के दौरान मुख्य जोर एक ऐसे ज्ञान प्राप्त कर रहे समाज की रचना की दिशा में दिया जाना चाहिये जिसमें शिक्षण की भूमिका ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में सहायकों की होनी चाहिए।

हमारी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति और समाज को भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने में सक्षम बनना होना चाहिए। लेकिन भविष्य का असीम विस्तार होते हुए भी शिक्षा इस उद्देश्य की प्राप्ति में अगले ही क्षण कार्यरत हो जाती है। इस प्रकार भविष्य अभी से शुरू होता है, फिर भी, यदि यथार्थपरम समय-क्रम को लें, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जो कार्य सौंपे गये हैं उन्हें पूरा करने के लिए आयोजना-परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। निकट भविष्य में इस विभाग को जो कुछ भी कार्य सौंपा जाए उसके अतिरिक्त परिप्रेक्षय पर आधारित योजना को 21वीं सदी की चुनौतियों के संदर्भ में तैयार किया जाना चाहिये, वह चुनौती पहले ही प्रारम्भ हो चुकी है। वह इस अर्थ में है कि अगली सदी का पहला स्नातक इस चालू वर्ष 1985 में पहली कक्षा में पढ़ रहा है। अगले 15 वर्षों के दौरान 10 करोड़ शिक्षार्थियों को हम किस तरह ढालेंगे, इसी पर देश का 21वीं सदी का भविष्य निर्भर करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आज से आगे आने वाले हर वर्ष में नए शिक्षार्थियों की एक संख्या 13 करोड़ प्रतिवर्ष तक पहुंच सकती है, यह बृहत मानव समूह ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य होगा।

प्रधान मंत्री द्वारा 21वीं सदी पर जो बार-बार जोर दिया जा रहा है उसका एक दूसरे दृष्टि कोण से अर्थात् परिवर्तन की चुनौती के गुणात्मक दृष्टिकोण से भी महत्व है। इलक्ट्रोनिकी कम्प्यूटरों, माइक्रो-चिप्स तथा संचार के क्षेत्र में हुई क्रान्ति का हमारी जीवन शैली में व्यापक, प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। सूचनाविज्ञान (इन्फार्मेटिक्स एक शक्तिशाली विषय के रूप में विकसित हो चुका है जिसके लिये संचार की सहायक प्रणाली के प्रभावी विकास की आवश्यकता है। ऊर्जा के जिन स्त्रोतों का पुनर्दोहन नहीं किया जा सकता उनके तीव्रता से समाप्त होने के संदर्भ में ऊर्जा के ऐसे स्रोतों के विकास पर जोर देने की आवश्यकता है जिनका पुन: नवीनीकरण किया जा सकता है जोकि इस समय केवल तकनीक से भी अधिक लागत-प्रभावशीलता की चुनौती का कारण है और वास्तव में तकनीकी की दूसरी चुनौती है जिसके भी जटिल पहलू हैं।

इस सबके लिये आवश्यकता है एक ऐसी नवीन और गतिशील शिक्षा नीति के विकास करने की जो कि हमारे भविष्य पर आधारित हो लेकिन फिर भी हमारे मूल्यों से जुडी हुई हो।

इस समय नई शिक्षा नीति की रूपरेखा के विषय में राष्ट्र-व्यापी बहस चल रही है। सरकार द्वारा एक स्थितिपन "शिक्षा की चुनौती एक नीति परिपेक्ष्य" प्रकाशित किया गया है, इसमें शिक्षा की स्थिति का विहंगावलोकन किया गया है तथा शिक्षा योजनाविदों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों तथा बुद्धिजीवियों अर्थात् शिक्षा में रूचि रखने वाले सभी पक्षों के दृष्टिकोणों तथा सुझावों पर ही पूरी तरह आधारित कुछ भविष्य में लिये जाने वाले सम्भावित नये कदमों का उसमें संकेत दिया गया है। इस दस्तावेज का मकसद यह है कि वह एक गहन चर्चा के लिये आधार प्रदान करे जिससे नई शिक्षा नीति के निर्माण में सुविधा हो, जबकि नीति तो एक विस्तृत सर्वसम्मति से तैयार होगी। मैं उन नए कदमों का और प्राथमिकताओं का संक्षेप में हवाला देना चाहूंगा जिन्हें सरकार उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यावहारिक समय-ढांचे के भीतर प्राप्त करना आवश्यक समझती है :

(क) निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना तथा महिलाओं की शिक्षा को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क बनाना;

(ख) क्रियात्मक रूप से संगत कार्यक्रमों के द्वारा 15 से 35 वर्ष की उम्र के लोगों में व्याप्त निरक्षता को दूर करना;

(ग) भारत के इतिहास, संस्कृति तथा नियति के बारे में जानकारी का अधिकाधिक विस्तार करना तथा भारत के संविधान के मूल में जो मूल हैं उनको लोगों के मन में बिठाना;

(घ) वर्तमान शिक्षा संस्थाओं को मजबूत बनाना और जहां आवश्यक हो अनुसंधान एवं विकास के लिये नए श्रेष्ठ संस्थानों की स्थापना और आर्थिक प्रगति के भावी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जन-शक्ति का विकास;

(ङ) शिक्षा को व्यवसाय-मूलक बनाना जिससे विकास की आवश्यकताएं पूरी हो सकें तथा रोजगार योग्यता में वृद्धि हो;

(च) स्कूलों के सुधार के लिये बृहत, दीर्घकालीन एवं राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम बनाना तथा बहुत सी श्रेष्ठ संस्थाओं को प्रारम्भ करना जिससे इस कार्यक्रम को सहारा तथा गति मिले तथा जो उपर्युक्त दीर्घकालीन कार्यक्रम के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सके उन संस्थाओं की मुख्य विशेषताएं हैं :—

(1) गुणात्मकता;

(2) सामाजिक न्याय, अर्थात् माता-पिता में खर्चा वहन करने का सामर्थ्य न होते हुए भी शिक्षा सबको उपलब्ध कराना;

(3) योग्यता आधार तथा प्रतिभा का विकास;

(4) उपयोगिता तथा सामाजिक उद्देश्य, स्वीकृत राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप;

[श्री वी०पी० नरसिंह राव]

(5) मुख्यत: ग्रामों में विस्तार; और]

(6) राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा देना।

जब और जैसे-2 ये संस्थाएँ स्थापित हो जाती हैं, उनसे श्रेष्ठता का प्रसार करने के लिएएक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जायेगा और कार्यान्वित किया जायेगा, और जो अनुभव होते हैं उनका सम्भवलाभ उठाया जायेगा।

(छ) जहां हो, रोजगार को डिग्री से अलग करना तथा एक ओर शिक्षा की अन्तर्वस्तु तथा प्रक्रिया के बीच तथा दूसरी ओर विभिन्न शिक्षार्थी समूहों की आवश्यकताओं के बीच अधिक संमति तथा पूरकता स्थापित करना।

(ज) संचार साधनों के उपयोग द्वारा तथा खुली और निरन्तर चलने वाली शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना द्वारा शिक्षा को और भी अधिक पहुंच के भीतर लाना।

क्रियात्मक योजनाओं के निर्माण और लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रियाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी कार्यों के साथ-साथ प्रारम्भ कर दिया गया है।

इस संक्षिप्त रूपरेखा के उपरान्त मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि बहस आरम्भ करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि यह सभा 20 अगस्त, 1985 को सभा-पटल पर रखे गये 'शिक्षा चुनौती—एक नीति परिप्रेक्ष्य' शीर्षक वाले सरकारी स्थिति-पत्र पर विचार करती है।"

श्री कुलन्दईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे सरकार की शिक्षा नीति पर हो रही बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, चूंकि अन्य विरोधी दलों ने बहिर्गमन कर दिया है, मुझे इस विषय पर बोलने का पहला मौका मिल गया है।

एक माननीय सदस्य : आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिये।

श्री पी० कुलन्दईवेलु : मान लिया वे ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो मुझे भी प्रत्येक दिन पहले बोलने का अवसर प्राप्त हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : और मैं समझता हूं प्रत्येक विधेयक पर...

श्री पी० कुलन्दईवेलु : श्रीमान् शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम सभ्य बनते हैं, यदि कोई शिक्षित है तो हम कहते हैं कि वह एक सभ्य व्यक्ति है। यदि कोई अशिक्षित है तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति एक सभ्य व्यक्ति नहीं है। अत: आज के युग में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण भाग अदा करना है।

यहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी भी शिक्षा नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहते हैं, इसलिये ज्यों ही उन्होंने इस महान देश के प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया उन्होंने शिक्षा

और मानव संसाधन विकास को मिला दिया। अब प्रधान मन्त्री जी की नई नीति के कारण शिक्षा को नई दिशा मिली है। अवश्य ही, नई शिक्षा नीति का व्यापक परिप्रेक्ष्य हैं, यद्यपि मैं नीति का स्वागत करता हूं, मुझे शिक्षा नीति के सम्बन्ध में कुछ बातें रखनी हैं।

प्रथम बात, वे सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में आदर्श (माडल) स्कूल स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन माडल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्या होगा ? जहां तक शिक्षा का माध्यम का प्रश्न है मैं कहूंगा कि बालक-बालिका को सिखाने के लिये उसकी मातृभाषा ही सर्वश्रेष्ठ भाषा है। यदि मातृभाषा को पहली प्राथमिकता नहीं दी गयी तो शिक्षा नीति अपने आप ही असफल हो जायेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा केवल मातृभाषा के द्वारा ही दी जानी चाहिये। अतः मातृभाषा को पहली वरीयता दी जानी चाहिये और फिर आती है अंग्रेजी। लेकिन नई शिक्षा नीति में आप एक त्रि-भाषा फार्मूला अपना रहे हैं। हम इस त्रि-भाषा सूत्र के पूरी तरह खिलाफ हैं जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है। हम केवल द्वि-भाषा फार्मूला ही अपना रहे हैं अर्थात् मातृभाषा तमिल और फिर उसके बाद अंग्रेजी, यदि आप त्रि-भाषा सूत्र के तरीके को अपनाने जा रहे हैं तो निश्चय ही सारे तमिल इस शिक्षा नीति का ही विरोध करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं, तमिल एक प्रसिद्ध भाषा है और तमिल में हमारा एक समूह साहित्य है। हिन्दी भाषा का कोई कारण भी नहीं है।

श्री श्याम लाल यादव : कौन कहता है ?

श्री पी० कुलन्दईवेलु : तमिल एक समृद्ध और प्रसिद्ध भाषा है, इसीलिये हम द्विभाषा सूत्र का आग्रह कर रहे हैं जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है।

श्री ए०इ०टी० बैरो (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : क्या और राज्यों में द्वि-भाषा सूत्र लागू नहीं है जैसे उ० प्र० में ? वहां हिन्दी और अंग्रेजी है।

श्री पी० कुलन्दईवेलु : फिर, शिक्षा एक समवर्ती विषय है। हम इसे समवर्ती सूची के बजाय राज्य सूची में रखना चाहते हैं। केवल जब शिक्षा राज्य सूची में होगी तभी राज्य सरकार के लिये अधिक अवसर होंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिये पौष्टिक आहार की योजना प्रारम्भ की है, पिछले 3 वर्ष से योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है और 83 लाख बच्चों को पूरा भरपेट भोजन मिल रहा है, ऐसी योजना लगभग सभी राज्यों में क्यों न लागू की जाए ? आप सहायता देने के लिये क्यों नहीं आगे आते हैं ? हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि इस योजना, पौष्टिक आहार योजना, के लिये कुछ अनुदान दें लेकिन आपने नहीं दिया है, भारत सरकार दरअसल प्रत्यक्ष रूप में लोगों के लिये क्या कर रही है ? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप, हो सकता है, बहुत-सी योजनाएं तैयार कर रहे हैं लेकिन आपको देखना है कि क्या लोगों तक उनका लाभ पहुंचता है अथवा नहीं। आप उसको बिलकुल नहीं देख रहे हैं। आप केवल योजनाएं तैयार कर रहे हैं और उसको अपनी फाइलों में रखते जा रहे हैं। राज्य सरकार लोगों के अधिक नजदीक है। दोनों के बीच एक विचार सम्प्रेषण की व्यवस्था है, राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से लोगों के हितों की देखभाल कर रही है। राज्य सरकार लोगों की

[श्री पी० कुलन्दईवेलु]

संरक्षक है, अतः स्वतः ही राज्य सरकार पद दलित और गरीब लोगों की सहायता करने में रुचि लेती है ताकि उन्हें गरीबी की सीमा रेखा के उपर उठाया जा सके।

अतः, तमिलनाडु राज्य की सरकार यह सोचती है कि शिक्षा राज्य सूची में होनी चाहिये, समवर्ती सूची में नहीं। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु में साक्षरता की दर 47% है और केरल के बाद जो कि इस दिशा में प्रथम है, हमारे प्रदेश में सर्वोच्च साक्षरता की दर है। अब आप यह शिक्षा नीति ला रहे हैं, 10 वर्ष बाद आपकी साक्षरता दर क्या होगी? आप इसे बढ़ाने जा रहे हैं या घटाने जा रहे हैं? शिक्षा नीति में जिस पाठ्यक्रम का उल्लेख है वह वही है जो इस समय छठी कक्षा में अपनाया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं है। अतः इस शिक्षा नीति में जिसे आप ला रहे है, क्या नया है? हो सकता है आपके विभाग का नाम "शिक्षा" से बदल कर "मानव संसाधन" दिया गया हो, इतना ही है, जैसा कि हम इसे किताब के रूप में देखने पर पाते हैं। नीति में कोई परिवर्तन नहीं है।

मैं माडल स्कूलों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, 14 नवम्बर को जो कि हमारे पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू का जन्म दिन है, दो माडल स्कूलों का उद्‌घाटन हो जाना चाहिये था, भारत सरकार ने उस दिन स्कूलों का उद्‌घाटन क्यों नहीं किया? क्या यह किसी और जन्म-दिन तक के लिये स्थागित कर दिया गया है? मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को कारणों की जानकारी है। उन्हें इस प्रश्न का भी उत्तर देना चाहिए।

जहां तक योग्यता का संबंध है, माडल स्कूलों में आप किस तरह के स्तर अपनाने जा रहे हैं? चयन परीक्षा का क्या मानदंड होगा? मैं जानना चाहता हूं कि क्या चयन परीक्षा के समय ग्रामीण बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। कई ईसाइयों और अन्य लोगों द्वारा कई प्राइवेट स्कूल और संस्थान चलाए जा रहे हैं। उन्हें विदेशों से भी धन प्राप्त होता है। यदि इन मॉडल स्कूलों का स्तर अच्छा रखा जाए और ग्रामीण बच्चों को इनमें प्राथमिकता दी जाए, तभी यह शिक्षा नीति महत्वपूर्ण मानी जाएगी और सब इसका स्वागत करेंगे। ग्रामीण बच्चों को प्रवेश देना बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे देश के अधिकांश बच्चे गांवों में रहते हैं।

स्कूलों में पढ़ रहे अधिकांश बच्चे बहुत गरीब हैं और वे सब उन परिवारों से हैं जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन-यापन कर रहे हैं। क्या आपने ऐसे बच्चों के लिए कोई योजना बनाई है? आपके नीति दस्तावेज में यह जिक्र किया है कि बच्चे का जन्म होते ही आप मां और शिशु दोनों के लिए सहायता दे रहे हैं। आप किस तरह का पोषाहार उन्हें दे रहे हैं? आप उन्हें 15 पैसे मूल्य का पोषाहार दे रहे हैं। यह बेकार है। सरकार को सभी बच्चों पर ध्यान देना होगा। बच्चे का जन्म होते ही वह राज्य की संपत्ति हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पर आ जाती है। आपको हर तरह से जिम्मेदारी को निभाना होगा। तभी प्रत्येक बच्चे का अच्छी तरह से विकास हो पाएगा और जैसा कि आप चाहते हैं, तभी वह बहुमुखी व्यक्तित्व बना पाएगा।

इस शिक्षा नीति में कई त्रुटियां हैं। इस नीति पर विभिन्न गोष्ठियों और सम्मेलनों में कई प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की गई है। इन त्रुटियों को दूर करना होगा और एक नई नीति बनानी होगी।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की चर्चा चलाई है तब से शिक्षा-जगत के ऊमस भरे माहौल में एक पुरवाई-सी बहने लगी है। लोगों में एक आत्म-विश्वास जगा है। एक नये विभाग का सृजन हुआ है। मुझे आशा है और अपेक्षा है कि यह नया विभाग बच्चे हमारी जो भविष्य-निधि हैं उनका चतुर्दिक विकास भविष्य में करेगा और जो अभी कुछ कारगर कदम सरकार ने उनके लिए उठाए हैं वे बहुत प्रशंसनीय हैं।

शिक्षा विभाग ने एक डाकुमेंट तैयार किया है जिसकी चर्चा अभी मन्त्री महोदय ने यहां की, विभाग का यह कार्य प्रशंसनीय है और वे इसके लिए अत्यन्त धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मेरे मन में एक आशंका और प्रश्नवाचक चिन्ह उपस्थित हो रहा है और यह हमारे विगत के अनुभवों के आधार पर उठ रहा है क्योंकि इस विषय में हमारे जो अनुभव हैं वे बहुत तीखे रहे हैं जिसके कारण हमें भय है कि कहीं ये सारे प्रयास दिवास्वप्न ही न रह जाएं, कहीं ये प्रयास हमारी धरती पर उतरें ही नहीं, कहीं जो योजनाओं का प्रारूप तैयार किया है, इनका कार्यान्वयन हो ही नहीं, विभाग में ये कोरी कल्पनायें ही बन कर न रह जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, 1950 में जब हमने अपने संविधान का सृजन किया जो स्थान शिक्षा को दिया और 1968 में हमारे द्वारा जो शिक्षा नीति अपनाई गई थी, उसको देखें, तो आजादी के बाद से लेकर आज 1985 तक जो हम पहुंचे हैं, तो आज किस स्थिति में हम यहां पर हैं, इसमें मेरा अपना विचार, हालांकि मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरी अपनी छोटी-सी बुद्धि में जो बात आती है और जो परिवेश मैं देखती हूं, तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि आज सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर में बहुत ही गिरावट आई है, अराजकता चारों तरफ फैलती जा रही है, साम्प्रदायिकता, आंतकवाद, अहिंसा, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार इन सब बातों से गिरावट देश में आई है। चारित्रिक और सामाजिक स्तर तो नीचे गया ही है और चारित्रिक अवमूल्यन भी हो गया है। इन सब बातों से आज तक यह सबूत मिल रहा है और यह साबित हो रहा है कि हमारी जो शिक्षा नीति 1968 का उद्देश्य था वह असफल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त हमारा क्या उद्देश्य था और अब हमारी क्या उपलब्धि है, अभी भी बहुत से सुन्दर अच्छे उद्देश्य हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय ने हमें यह बताए हैं—

1980 में मेरा उद्देश्य था—

[अनुवाद]

"ऐसे चरित्र तथा योग्यता वाले युवा पुरुष और स्त्रियां तैयार करना जिनसे देश का आर्थिक-सामाजिक विकास हो, राष्ट्रीय एकता पैदा हो, और समाजवादी ढांचे का समाज बन सके।"

[श्रीमती कृष्णा साही]

[हिन्दी]

लेकिन क्या ये हमारे उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। हमारे प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी जी को चिंता हुई और उन्होंने 5 जनवरी, 1985 को शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन की घोषणा की। अब आप यह बताएं कि इसमें आपने आगे की बात तो कह दी, लेकिन हमारे देश भारतवर्ष में जो साक्षरता की वृद्धि हो रही है और जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसके हिसाब से 200 ए० डी० में, हम कहां पहुंचेंगे, 50 हजार अशिक्षित कहिए या निरक्षर कहिए हमारे यहां लोग होंगे। महोदय, यह मैं नहीं कह रही हूं, यह मैंने अखबारों में पढ़ा है। वर्ल्ड के एक एस्टीमेट के अनुसार सारे विश्व के अनुपात में हमारे देश में 54% लोग, जो 15 से 19 वर्ष की आयु के रहेंगे, वे निरक्षर होंगे। तो ये चेलेंज आफ एजूकेशन, जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को उपस्थापित किया है, इसमें मेरे विचार से डाकुमेंट को जब प्रोड्यूस किया जाए, तो पूर्ण, सर्वान्गीण और सम्पूर्ण रहना चाहिए. नहीं, तो सभी लोगों की बातें सुनने के बाद ही नयी शिक्षा नीति का प्रारूप बनाया जाता, डाकुमेंट तैयार किया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैं इसके कंटेंट के बारे में बारे में कहना चाहती हूं तथा मैं यह भी जानती हूं कि इसके ऊपर अभी कार्यान्वियन की बात नहीं है, यह तो एक डाकुमेंट सामने आया है और इस पर सबको विचार करना है, फिर भी इसमें मेरा कहना यह है कि जो चार आइटम्स के तौर पर, कंटेण्ट्स दिए गए हैं, इनको कुछ और विस्तृत किया जाता। जैसे की पपेज आफ एजूकेशन क्या होगा या इराडिकेशन आफ इल्लिटरेसी कैसे होगा तथा विमेन एजूकेशन का भी कोई एक अलग चैप्टर रहना चाहिए था, जो नहीं है। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए जिसकी बहुत आवश्यकता है, उसके बारे में अलग कार्यक्रम होना चाहिए। इसी प्रकार रुलर एजूकेशन, मैडिकल, इंजीनियरिंग टैक्नीकल एजूकेशन कई बातें हैं, जिनको इसमें अलग से रहना चाहिए था।

3.25 म०प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए)

यह बात ठीक है कि मैकाले के समय से चर्चा चली, फिर हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब हुए, लेकिन उस समय भी कोई खास परिवर्तन नहीं हो सके। मैं अभी पढ़ रही थी, नार्गन डगलस ने कहा कि आज जो हमारी शिक्षा की पद्धति है, वह सिर्फ कारखाना रह गई है जो वोज और इकोज (Woes and Echoes) का है हमारे देश की विशाल जनसंख्या गांव में रहती है, 72% लोग गांव में रहते हैं। शिक्षा पर जो पूरा खर्चा होता है उसमें से गांव की शिक्षा पर 44 प्रतिशत खर्चा होता है। गांव की इस तरह से उपेक्षा कब तक चलेगी? इस तरफ ध्यान देना बहुत जरुरी है।

अभी तक हम उसी पारम्परिक, औपनिवेषिक और औपचारिक शिक्षा की चिन्ता करते आये हैं जिसका इस्तेमाल हमारे देश की बहुत थोड़ी आबादी कर सकती है। प्रौढ़ शिक्षा, ट्राईसम, सामुदायिक शिक्षा, पौलिटैक्निक, ये कार्यक्रम ऐसे हैं जो आकांक्षी है, लेकिन होता क्या है?

मन्त्री महोदय आप भी देहात से आते है, जन-प्रतिनिधि हैं, 50 से 100 रुपये मासिक एक अनुदेशक को देकर यह अपेक्षा की जाती है कि 10 महीने में वह 15 से 30 वर्ष के प्रौढ़ों को न

सिर्फ साक्षर ही बना देंगे बल्कि उनकी व्यावहारिक दक्षता और सामाजिक चेतना का भी विकास कर सकेंगे। करोड़ों रुपया इस योजना पर खर्च होता है, मगर नौकरशाही के तंत्र में जकड़ा हुआ अनुदेशक, उसको जो जिम्मेदारी हमने दी है, यह हास्यास्पद ही नहीं, बल्कि मार्मिक है और दुखद है।

आज की माध्यमिक शिक्षा किशोरों को व्यवसायिक दक्षता प्रदान नहीं करती है। साथ ही साथ वह बच्चों को आलसी और भाग्यवादी बना रही है। इस तोता-रटंत शिक्षा की समाप्ति तो होगी ही, ऐसी आशा हम आगे करते हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि इस स्तर पर शिक्षा में कैसे परिवर्तन किया जाए और उससे हमारी अपेक्षायें कैसे बढ़ेंगी ? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा गांव में, चाहे वह कार्पोरेशन चलाती हो, देहातों में जिला परिषद् या स्वायत संस्थायें चलाती हों, वहां आज न मकान है और न उपस्कर हैं। नक्शे वही पुराने टंगे हैं जो प्री-पार्टीशन के पहले पहले के थे। मैंने अपने क्षेत्र के देहाती इलाकों में देखा है कि वही पुराने नक्शे टंगे हुए हैं। जो बंगला देश, पाकिस्तान को हिन्दुस्तान का हिस्सा बताते हैं। इससे हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे ? ज्ञान या अज्ञानता का अंधकार ?

हमारे देहातों में प्राथमिक विद्यालयों के लिए मकान नहीं है, बरसात के दिनों में 4 महीने स्कूल बन्द हो जाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में ऐसे स्कूल हैं। मैं 4, 5 बरसों से यह बात कह रही हूं लेकिन इस अफसरशाही तंत्र में संचिका एक विभाग से दूसरे विभाग में दौड़ती रहती है लेकिन पाठशालाएं अभी तक नहीं बनी हैं। वह जहां का तहां थमा हुआ है। वहां एक नदी है, उस पर छोटी पुलिया नहीं है। पानी की वजह से और पुलिया के अभाव में और छत के निर्माण न होने से गांव के प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की यह हालत हो गई है।

अब मैं शिक्षकों के बारे में यह कहना चाहती हूं कि न वह पढ़ाना चाहते हैं और न पढ़ाने की उनकी कोई जिम्मेदारी है। आजकल ट्रेड-यूनियन मूवमैंट जोर पकड़ती जा रही है, उसे मंत्री महोदय कैसे कन्ट्रोल करेंगे ? उसमें वह सिर्फ अपना विकास करवाना चाहते हैं। शिक्षकों के संघ सिर्फ इस बात में लगे रहते हैं कि हमारी यह मांगें मनवाई जायें। क्या शिक्षक कभी यह सोचते हैं कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, उन्हें हम भारत की संस्कृति, सभ्यता और प्राचीन इतिहास से जानकारी करायें ? सामाजिक मूल्य, राष्ट्रीय चरित्र और धर्म-निरपेक्षता आदि सारी बातों को वह बिल्कुल देहातों में नहीं सिखलाते हैं।

अब होता यह है कि गुरु जी की बकरी चराने गांव में स्कूलों के बच्चे जाते हैं। गुरुआनी का खाना बनाने के लिए स्कूल की लड़कियां जाती हैं। अगर गुरु जी के घर में भजन-कीर्तन होता है तो स्कूल के बच्चों को सहगान के लिये शाम को बुला लिया जाता है और खीर व रोटी उनके घरों से बनकर गुरुजी के लिए जाती है। शिक्षकों को कोई औरिएन्टेशन कोर्स नहीं मिलता है जो समय की बदली परिस्थिति में आवश्यक है। उसकी बहुत पिटाई होती है। हमने अपने यहां देखा है कि खजूर के पेड़ की छड़ी से उनको पीटा जाता है। इससे उसके अन्दर वहशत पैदा हो जाती है। उन बच्चों का क्या विकास होगा ? ईश्वर ही उसका मालिक है। वह बच्चे जो कि देहातों में अधिकांशतः रहते हैं, बिना व्यक्तित्व के विकास के उनका कुछ भविष्य नहीं। एड-

[श्रीमती कृष्णा साही]

मिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए तो हम आई०ए०एस०, आई०पी०एस० और आई०एफ०एस० लोगों को रखते हैं कि प्रशासन अच्छा चले। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और शोध के लिए यूनिवर्सिटियां हैं। आज यूनिवर्सिटयों में भी क्या हो रहा है यह तो आप जानते ही हैं। स्टूडेंट्स नारकोटिक्स आदि का इस्तेमाल करते हैं। आपको खासकर गांवों में ओरिंटेशन प्रोग्राम शिक्षकों के लिए चलाना होगा। गांवों में आज भी बच्चे दो दूनी चार और चार दूनी आठ रट रहे हैं। शिक्षक गलत और अशुद्ध पढ़ा रहे हैं। इंगिलश की बात तो आप छोड़ ही दें। हिन्दी की पढ़ाई में भी बहुत अशुद्धियां होती हैं। हमने देखा है कि शिक्षक अपनी दरख्वास्त लाता है तो उसमें मात्र एक पेज में 15-20 अशुद्धियां होती ही हैं। गांवों में पठन-पाठन की कोई व्यवस्था नहीं होती है और न साधन। नीचे से लेकर ऊपर तक आपको इस बारे में देखना होगा। प्राथमिक शिक्षा में आपको अवश्य सुधार लाना होगा। शिक्षकों के लिए ओरियंटेशन कोर्स करवाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आज पुरानी किताबों के आधार पर पिटी-पिटायी बातें पढ़ायी जाती हैं। इन बातों को हमें अवश्य देखना होगा क्योंकि 76 प्रतिशत जनसंख्या देहातों में रहती है।

आज हमारी शिक्षा कान्क्रेंट लिस्ट में चली गई है। हम से कहते हैं कि यह बात तो राज्य सरकार जाने। दूसरी ओर हम यह कहते हैं कि हम बच्चों के अच्छे चरित्र का निर्माण कराना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। हमें इसमें एकरूपता रखनी होगी। राज्य सरकार जो कि भारत सरकार की योजनाओं का अनुपालन नहीं करती है, उसको देखना है कि कैसे वह पालन करे। इसका परिणाम यह होता है कि अन्ध-विश्वास और भेदभाव से परिपूर्ण शिक्षा दी जाती है। यही कारण है कि आज बम्बई में शिव-सेना या अन्य प्रांतों से भी बात सुनने में आ रही है। इस बात को आपको देखना होगा कि आज किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है।

एन०सी०आर०टी०, यू०जी०सी० और एन०आई०सी० जो कि किताबें निकालते हैं, वह किताबें गांवों तक नहीं पहुंच पाती हैं। जब वह किताबें उन तक नहीं पहुंचेगी तो वह बच्चे क्या पढ़ेंगे। इतिहास की 200 किताबें विभिन्न भाषाओं में लिखी गई हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप यह बता रही है कि आपको कैसी शिक्षा मिलती थी।

श्रीमती कृष्णा साही : इसके लिए तो हमें सबके बारे में देखना होगा। इतिहास की किताबें जो कि विभिन्न भाषाओं में लिखी गई हैं, उनके अन्ध-विश्वास और सम्प्रदायवाद की बातें कही गई हैं। इस सम्बन्ध में पिछले सैशन में भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन उनको इस सदन के अन्दर ही सुना जाता है, बाहर उसका कार्यान्वियन नहीं होता है।

'हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' रिटन बॉय जेम्स एण्ड पी० एस० स्मिथ जो कि अभी भी हमारे देश में पठन-पाठन और स्लिबस में है, उसमें हिन्दूओं और मुसलमानों को दो नेशन के रूप में दिखाया गया है। ऐसी किताबें क्यों निकाली जाती हैं ?

इसी प्रकार रमेश चन्द्र मजूमदार की किताब 'हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट' है, उसमें उन्होंने लिखा है 1857 का मूवमेंट गुण्डा और बदमाश का मूवमेंट है जबकि यह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की स्वतन्त्रता की पहली कड़ी है। मैंने पिछली बार बजट पर कहा था, इसी सदन में कि हमारा जो बजट था बजट का 2.1 प्रतिशत शिक्षा के लिए है लेकिन वह बहुत कम है। जबकि हमारी आबादी दो-तीन % की दर से बढ़ती जा रही है लेकिन बजट में शिक्षा के लिए जो हम प्रावधान करते हैं वह बहुत कम है। यह ह्यूमन रिसोंसेज का दायरा कितना बड़ा है, इसके अन्तर्गत कितनी ही बातें आयेंगी अतः शिक्षा के ऊपर सबसे अधिक खर्च होना चाहिए। अभी भी वर्तमान में हम देखते हैं इस पर हम तीन प्रतिशत जी०एन०पी० का खर्च कर रहे हैं जबकि पहले हमारा 7.2 प्रतिशत जी०एन०पी० का खर्चा था। दूसरे देश में से 8 प्रतिशत जी०एन०पी० इस पर खर्च करते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैं आशा करती हूं और अपेक्षा करती हूं कि देर आये दुरस्त आये तथा अन्त में मैं टेनिसन की एक कोटेशन पढ़ देना चाहती हूं :

[अनुवाद]

'चतुर विलाप करता हैं अनेक आवाजों में, मेरे मित्र, अभी अधिक विलम्ब नहीं हुआ है एक नया संसार खोजने के लिए।"

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : मैं भाग्यशाली व्यक्तियों में हूं जिन्हें 'शिक्षा की चुनौती—नीति परिप्रेक्ष्य' संबंधी दस्तावेज के बारे में बोलना है, जो 20 अगस्त, 1985 को सभा-पटल पर रखा गया।

देश के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि हमें इस प्रणाली को बदलना चाहिए किन्तु जहां तक मेरा अनुभव है और मैं समझता हूं कि प्रणाली में परिवर्तन लाने का जो नारा दिया जा रहा है वह भ्रम पैदा करने वाला है। यह भ्रम पैदा करने वाला इस अर्थ है कि शिक्षा...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : बिहार के लोग भी अगर हिन्दी में न बोलें तो हिन्दी का क्या होगा ?...(**व्यवधान**)

श्री डी० पी० यादव : माननीय सभापति जी, जैसी कि सदन की राय है मैं हिन्दी में ही बोलता हूं।

मैं पुनः निवेदन कर दूं कि आज पूरे देश में एक ऐसी धारणा बनी है कि शिक्षा में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है और उस परिवर्तन का लाभ आम लोगों को मिलने वाला है। 6 साल तक इस मंत्रालय में मैंने उप-शिक्षा मन्त्री की हैसियत से अपना योगदान किया है। उसके कुछ कटु अनुभव हैं और कुछ मधु अनुभव हैं। उन कटु और मधु अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक नए तरीके से मन को स्थिर रखकर हमें यह सोचना चाहिए कि इस नारे में कितनी दूर तक सार्थकता है। माननीय मन्त्री जी, जब आप अपना एक्सप्लेनेटरी नोट पढ़ रहे थे तो मैं चैलेंज आफ एजूकेशन—ए पालिसी पर्सपेक्टिव को देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप भी उस नोट को उसी प्रकार से पढ़ रहे थे जिस प्रकार से पिछले कई सालों तक हम लोग इस बात को

[श्री डी०पी० यादव]

दोहराते आए हैं कि शिक्षा में क्या परिवर्तन होने चाहिए, क्या परिवर्तन नहीं होने चहिएं। शिक्षा मंत्रालय के साथ एक संगठन है, उसको लोग मीटिंग ग्राउन्ड भी कह सकते हैं—सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन। मेरे जमाने तक यह सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन 38-39 बार बैठ चुका था और उसके बाद कम से कम 10 बार और बैठा होगा तो इस प्रकार से 48 बार सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन की बैठक लगभग 48 बार हो चुकी होगी। शुरू से लेकर आज तक आप उसकी कार्यवाही प्रतिवेदन की एक-एक पार्वत का अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि शिक्षा के मामले में कुछ लोग, जो बढ़िया ढंग से प्रारुपण करते हैं वे मीठी-मीठी बातों और बड़ी-बड़ी बातों को ड्राफ्ट कर देते हैं और हमारे जैसे कम पढ़े-लिखे व्यक्ति उसको अखबार, रेडियो या गोष्ठियों या सभाओं में कह दिया करते हैं। मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूं कि जो ड्राफ्ट हमारे समाने आवे, हम उसको स्वीकार कर लें। बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं। उन सारी बातों को छोड़ कर जो धरातल की चीज है, उस पर हमको और आपको जाना होगा। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए 1974, 1975 और 1976 में एक बड़ा आन्दोलन हुआ और दीवारों पर लिखा गया कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। मैं सोचता था कि परिवर्तन हो तो क्या हो। कोई भौतिक पदार्थ (फिजीकल ओबजेक्ट) हो तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। हमने यह देखा है कि जिन लोगों ने नारा देकर हम लोगों को हटाया था, वही लोग उसी तरह से हतोत्साहित और निराश होकर उसी प्रकार मंत्रालय से लौटे और गद्दी से लौटे, और प्रकार हम लोग लौटे थे। मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय द्वारा देश को यह बताया जाना चाहिए कि इस शिक्षा ने अभी तक हमको क्या दिया है और इस शिक्षा से हमको और आगे क्या लेना है। मैं ऐसे लोगों में नहीं हूं जो यह कहते हैं कि इस शिक्षा ने हम को बरबाद ही किया है और कुछ दिया नहीं है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। क्या यह बात सच नहीं है कि सन् 1950 और 1951 में हमारे यहां गल्ले का उत्पादन 55 मिलियन टन था और गल्ले का उत्पादन 155 मिलियन टन है। यह जो 155 मिलियन टन गल्ले का उत्पादन हुआ है, इसका श्रेय किस को जाता है। इसका श्रेय हिन्दुस्तान के वैज्ञानिकों को जाता है, जो इसी शिक्षा पद्धति को फले और फूले। यह जो ग्रीन रेवोलूशन हुआ है, इसका श्रेय एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूसा को जाएगा और देश के जो तमाम रिसर्च इन्स्टीट्यूटस हैं, उनको जाएगा... (**व्यवधान**) ...किसानों को भी जाएगा लेकिन किसानों और वैज्ञानिकों और तमाम लोगों ने इसी शिक्षा को अपनाकर 55 मिलियन टन से बढ़ा कर 155 मिलियन टन गल्ला पैदा किया है। केवल गल्ला पैदा करने की ही बात हो, ऐसा नहीं है, आज हाइब्रिड सीड साइंस के क्षेत्र में हमारा स्थान इस समय तीसरा या चौथा है। एक ऊपर है या एक नीचे है लेकिन तीसरा या चौथा है। आज हाइब्रिड टेक्नोलोजी, प्लाजमा टेक्नोलोजी, मोलोकुलर बायो टेक्नोलोजी और एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी में हिन्दुस्तान बहुत आगे है। कहां के ये लोग हैं। इसी हाई स्कूल, इसी प्राइमरी स्कूल और इसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए ये लोग हैं। इसलिए यह कह देना कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

उद्योग की बात आप ले लीजिए। उद्योग में मैं लोहे का उदाहरण देना चाहूंगा। जिस

समय हम आजाद हुए थे, 1.3 मिलियन टन लोहा हम अपने देश में पैदा करते थे और आज हमारी इंस्टाल्ड कैपेसिटी कितनी है। 11.4 मिलियन टन है। लोहा उत्पादन में लगे हुए लोग कौन हैं। ये आई०आई०टी० से पास किए हुए मिकेनील इन्जीनियर हैं, धनवाद से पास किये हुए मेटालरजीकल इन्जीनियर हैं। ये सारे के सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। आप डिफेंस मिनिस्टर रह चुके है। डिफेंस रिसर्च लेबोरेट्रीज ने काम किया है या नहीं किया है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी है, सी०एस०आई०आर० की जो लेबोरेटरी है और अन्य जो लेबोरेटरीज हैं, उन सबने मिल कर काम किया है। आज स्माल आर्म्स के मामले में ही भारत आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि विय आर्म्स, फील्ड सन्स में उसके मुकाबले का विश्व में नहीं है। मैं इस बात को फख्र के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो अनुसंधान चल रहा है, इसी शिक्षा पद्धति से उत्पन्न लोगों के द्वारा हम प्राइलटलैस एयरक्राफ्ट बनाने की स्थिति में आ गए हैं।

आप चले जाइए विद्युत और ऊर्जा के इस क्षेत्र में जबकि 1947 और 1950 में हम केवल 1712 मेगावाट पैदा कर रहे थे, हमारे अपने इंजीनियरों ने इसी शिक्षा पद्धति में पढ़ कर और पल्लवित होकर 42,440 मेगावाट पैदा किया है। इसलिए मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति ने हम को कुछ नहीं दिया है। अंतरिक्ष में हमने आर्य भट्ट चलाया, भास्कर-1 और भास्कर 2 को आकाश में भेजा, रोहिणी को भेजा और एपिल को भेजा और इन्सेट 1 ए० और इन्सेट 1-बी० को भेजा। यह किस ने भेजा। हरिकोटा से लेकर अहमदाबाद तक जितनी हमारी अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं हैं अहमदाबाद और अन्य जगहों पर भी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने तमाम इन्डीजीनस साइंस को विकसित करके विश्व में अपने देश के नाम को उजागर किया है।

इसी दृष्टि से आप ओसियनोग्राफी को देखें। हमारे देश की इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है पोलीमेटेलिक मोड्युलस का निकाला जाना। इससे हमारे वैज्ञानिकों की टेलीमीटरी और सिसमोलोजिकल क्षमता का पता लगता है। हमारे वैज्ञानिकों ने ही इस नोड्यूल को निकाला है और वह हमारी लेबोरेटरीज में प्रोसेस्ड हो कर हमारे कारखानों में मेटल पैदा करने में लगा है। यह है हमारा इतिहास, यह है हमारा भूगोल। इस शिक्षा पद्धति से ही, इस शिक्षा के बलबूते पर ही हम इतनी दूर तक चले आये हैं।

हमारी माननीय कृष्णा जी ने कहा कि कुल राष्ट्रीय आय में से हमें शिक्षा के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए। मैं कृष्णा जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं भी इस बात से सहमत हूं। अगर ज्यादा साधन हों तो जरूर शिक्षा में ज्यादा पैसा लगाईये, लेकिन अगर साधन नहीं हो तो हमारे सीमित साधन हैं उन्हीं का अच्छे से अच्छा प्रयोग करना चाहिए और इसके बारे में बार-बार समीक्षा भी करते रहना चाहिए।

आज शिक्षा में जो स्थिति है वह देश के सामने आ जानी चाहिए। देश में जो शिक्षा के मामले में हमने जो मुख्य काम किया है वह है कि 1947 में हमारे देश में जहा 7,300 हाई स्कूल थे, वहां अब 52,279 हाई स्कूल है। क्या यह उपलब्धि नहीं है? टेक्नीकल इन्स्टीच्यूट जहां 325 थे वहां अब 515 हैं, इंजीनियरिंग कालेज जहां केवल 40 थे, वहां अब 200 हैं। डिग्री कालेज जहां पर मुश्किल से 125 या 150 होंगे, वहां अब वे 5,246 हैं। यूनिवर्सिटियां 30 थीं, वहां अब वे

[श्री डी०पी० यादव]

140 हैं। उस समय हमारे देश में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1.5 करोड़ के आसपास थी वहां आज उनकी संख्या 11 करोड़ है। इसी तरह से शिक्षा देने में जो लोग लगे हुए है उन शिक्षकों की संख्या जहां 7.5 लाख थी, आज वह 35 लाख है। उस समय हम शिक्षा पर मुश्किल से सौ करोड़ रुपये खर्च कर रहे थे, आज तक हमारे यहां शिक्षा पर सालाना 6 हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ये हैं हमारे फिजिकल आंकड़े। इसको भी देश के सामने रखा जाना चाहिए कि छठी योजना में हमने जहां शिक्षा के लिए 2,524 करोड़ का प्रावधान किया था, वहां सातवीं योजना में हमने शिक्षा के लिए 6,382 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आज देश में शिक्षा की यह स्थिति है और इसी शिक्षा के माध्यम से हमारे देश में वैज्ञानिकों ने तकनीक के क्षेत्र में यह उपलब्धि प्राप्त की है। हमारे देश में शिक्षकों की संख्या 35 लाख और छात्रों की संख्या 11 करोड़ है तो हमें इस स्थिति को सुदृढ़ करनाचाहिए। हम परिवर्तनीकरण की बजाए सुदृढ़ीकरण की बात करें, यह ज्यादा व्यवहारिक होगा।

सभापति जी मैंने अभी आपको फिजिकल फिगर्स दिये। अब हमारे जो फिजिकल टारगेट्स हैं उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए, उस पर मैं नम्रतापूर्वक केवल थोड़े से शब्दों में बताना चाहूंगा। हमें शिक्षा के बारे में व्यावहारिक होकर सोचना चाहिए। इसके बारे में भावुक होकर सोचने की आवश्यकता नहीं है। जहां हमारी खामियां हैं उनको दूर कर देना चाहिए, जहां ज्यादा उपलब्धि हासिल कर सकते हैं वहां हमें ज्यादा रिसोर्सिज लगाने होंगे। इसीलिए चेलैंज आफ एजूकेशन शीर्षक अभिलेख में यह दिया गया है कि जिन लोगों ने अपने लिये, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अच्छी तरह से शिक्षा का व्यवहार किया है आज उन बड़े लोगों की क्या हालत है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मंत्रालय के उन व्यक्तियों को जिन्हें सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस तथ्य को अभिलेख में रखने की कोशिश की है। इस किताब में उसी शिक्षा के बारे में क्या लिखा है—

[अनुवाद]

"विश्वविद्यालय और कालेज जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद और सजातविकृत सम्बन्धों के कारण बदनाम होते जा रहे हैं। कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों को छोड़कर अन्य संस्थान एक तरह से लड़ाई के मैदान बन गए हैं जहां अध्यापकों का समर्थन और अन्य कर्मचारियों की सहायता से राजनैतिक अन्य गुट सत्ता और सर्वोच्चता के लिए जमकर लड़ाई कर रहे हैं।"

"कुछ उपकुलपतियों ने अपना पूरा कार्यकाल अपने घरों से कार्य संचालन करते हुए बिताया। किसी विश्वविद्यालय की उपलब्धि का निर्णय वहां अनुसंधान की गुणवत्ता या उसके छात्रों की योग्यता के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि वहांप रीक्षाएं समय पर हों और उन्हें जबरन बंद न किया जाए। अनुसूची के अनुसार एक साल में प्रभावी कार्यकारी दिनों की संख्या वांछित स्तर से काफी कम रहती

है। उच्च शिक्षा प्रणाली का स्तर भी बहुत घटिया है। यह बात इससे स्पष्ट है कि वहां न केवल पाठ्यक्रम का स्तर घटिया है बल्कि नाम दर्ज कराने वाले छात्रों में से 59% से भी अधिक छात्र फेल हो जाते है या अधिकांश बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे साधनों का अपव्यय हो रहा है।"

[हिन्दी]

ये हमारी चुनौती है, इसको हम कैसे सुधारेंगे? इसे सुधारेंगे तो चैलेंज आफ एजूकेशन की पूर्ति हो जाएगी।

अन्त में सभापति जी दो-चार सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं। ये इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में जब रिजर्वेशन से कोई नामांकन होता है तो लोग ये कहते हैं कि योग्यता के स्तर में गिरावट आ जाएगी। इसलिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन दान देकर जब नामांकन होता है, 35 और 40 परसेंट मार्क्स पाने वाले लोगों का जब नामांकन होता है तब वह कहां तक उचित है। इसलिए राव साहब मैं निवेदन करूंगा कि जो दान पर चलने वाले स्कूल और कालेज हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज हैं, इनके बारे में जल्दी से जल्दी विधान तथा नियम बनाइए और इसको बन्द कीजिए। इससे क्वालिटी तो गिरती ही है, इसके साथ-साथ धनवान लोगों के लिए प्रत्येक चीज सुलभ हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास पैसा नहीं है वह टुकुर-टुकुर देखे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जि जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां पर कहीं ब्लैकबोर्ड की व्यवस्था नहीं है तो कहीं भवन नहीं है। कहीं पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, कई जगहों पर शौचालय नहीं है। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की जो सरकारी स्कूलों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनके बगैर अगर हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात करेंगे तो यह हमारे अधिकारियों के द्वारा लच्छेदार अंग्रेजी या हिन्दी में कुछ लिखने के लिए विषय भले ही हो सकता है, लेकिन व्यवाहारिक धरातल पर आपको निराशा ही हाथ लगेगी और शायद इसी तरह से आप भी निराश होंगे दो-चार साल बाद जैसे डी० पी० यादव, के० सी० पन्त और मौलाना आजाद साहब को इस देश में निराशा हाथ लगी थी।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित नहीं है, लेकिन जब विश्वविद्यालय में नामांकन का सवाल उठता है, कालेज में नामांकन का जब सवाल उठता है तो नामांकन में उनके लिए क्यों सही ढंग से लागू नहीं किया जाता। यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन, जो करोड़ों, लाखों रुपया यहां से लेते हैं और उसका कन्ट्रोल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों के एडमीशन कराने में होता है कि उनका एडमीशन संख्या के अनुपात में हो, उस पर कोई अंकुश नहीं है। यह सब क्या हो रहा है, यह सब हो रहा है मनमौजीपन का इजहार, बड़ी-बड़ी संस्थाओं में मनमौजीपन का

[श्री डी० पी० यादव]

व्यवहार किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उचित आरक्षण रिजरवेशन नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आरक्षण सही ढंग से लागू होना चाहिए।

एक बात और बताना चाहता हूं कि व्यस्क और अनौपचारिक शिक्षा के सम्बन्ध में आप सावधानी के साथ आगे बढ़िए। मैं और जगहों की बात तो नहीं कह सकता, अपने बिहार के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर व्यस्क शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा केवल कागज पर है। बत्ती खरीदो, दरी खरीदो, रिपोर्ट बनाकर दे दो, इन सब चीजों से संबंधित है। इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

एक मिनट और लेना चाहता हूं जोकि मेरा अन्तिम निवेदन होगा। सभापति महोदय, शिक्षा में बदलाव नहीं कसाव चाहिए। इसको कसिए, मजबूत कीजिए, पद्धति को मजबूत कीजिए, नीति में केवल परिवर्तन नहीं…।

श्री राम नगीना मिश्र : बदलाव भी चाहिए, कसाव भी चाहिए।

श्री डी० पी० यादव : बदलाव अपने आप हो जाएगा, ज्यों-ज्यों विज्ञान का विकास होगा, पाइप लाइन सिस्टम में विज्ञान स्वयं आ जाएगा। उधर से वे सब आटोमेटिक हो जाएगा। हमारे बहुत-सी संस्थाएं हैं जो इसकी देखभाल कर लेगी। इसलिए शिक्षा पद्धति का सुदृढ़ीकरण हो, शिक्षा वह हो जो कलम और कुदाल को बराबरी का दर्जा दे। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : अब तक हमारी शिक्षा नीति का बहुमुखी व्यक्तित्व बनाने में सफल नहीं हो पाई है। संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया है। इससे कोई उपलब्धि नहीं हुई है। इस प्रणाली का सामाजिक विकास या प्राकृतिक पर्यावरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। महोदय, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करना ही नहीं है अपितु यह देखना भी है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सभी क्षेत्रों में विकास हो ताकि वह इस बात पर गर्व महसूस कर सके कि वह स्वतन्त्र प्रभुसत्ता सम्पन्न गणतन्त्र का नागरिक है और निर्धन होते होते हुए भी उसे स्वतन्त्र देश के नागरिक के रूप में जीने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान शिक्षा नीति का इन सब बातों से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम प्रधानमन्त्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने मानवीय संसाधन विकास मन्त्रालय बनाकर सभी सम्बद्ध विषयों को इसके अन्तर्गत रखा है। युवकों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक था। महोदय, इस मन्त्रालय का कार्यभार सम्भालने के लिए वर्तमान पदधारी श्री पी० वी० नरसिंह राव, जिन्हें साहित्यिक ज्ञान है और कई भाषाओं की भी जानकारी है, से उपयुक्त व्यक्ति और कोई नहीं है। अत: वह एक

अच्छा शकुन है और मुझे विश्वास है कि प्रधान मन्त्री जी ने जो नया विभाग बनाया है उसे अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त होगी।

आज की शिक्षा प्रणाली अव्यवस्थित है, जिसमें केवल परीक्षाएं पास करने, डिग्रियां और डिप्लोमा लेने की होड़ है। अब प्रारम्भिक शिक्षा को लीजिए। स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसका प्रकृति अथवा बच्चों के आसपास के वातावरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। और न ही उसका राष्ट्रीय हित अथवा राष्ट्रीय विकास से कोई सम्बन्ध है, जोकि बहुत आवश्यक है। वर्तमान स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं है। उनमें प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हैं। कुछ स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए केवल एक अध्यापक है। वह अध्यापक कभी-कभी पढ़ाने के लिए दूसरे अध्यापक का प्रबंध कर देते हैं, जिसे न तो पढ़ाने का अनुभव होता है न ही उसमें योग्यता होती है। स्कूलों में प्रयोगशालाएं नहीं हैं। ब्लैक बोर्ड नहीं है। आप बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं कि वह यहां से कैसी शिक्षा प्राप्त करेंगे ? हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इन स्कूलों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। छात्रों को पढ़ाने की सभी प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। यदि राज्य सरकार ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो स्थानीय समुदाय को आगे आना चाहिए और सरकार की इस मामले में सहायता करनी चाहिए कि स्कूलों के लिए उपयुक्त भवनों की व्यवस्था की जाए और यदि भवनों की मरम्मत जरूरी है तो उनकी मरम्मत की जाए। यदि ब्लैक बोर्ड की जरूरत है तो वह भी उपलब्ध कराए जाएं। यदि पाठ्य पुस्तकों की जरूरत है तो छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। दूसरे शब्दों में ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास करना चाहिए। यह समुदाय का भी कर्तव्य है।

महोदय, संविधान धर्म-निरपेक्षवाद, समाजवाद तथा लोकतन्त्र की बात करता है। लेकिन इस प्रकार के विषयों पर कोई शिक्षा नहीं दी जाती। हमारे छात्रों के मन में इन मूल्यों को बिठाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। उन्हें यह शिक्षा देने का कोई प्रयास नहीं किया जाता कि लोकतन्त्र में सहमति द्वारा और बहुमत द्वारा निर्णय लिए जाते हैं; उन्हें धर्म-निरपेक्षवाद के मूल्यों के बारे में तथा किस प्रकार हमारी व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इस बारे में शिक्षा देने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। हमारे देश में अनेक धार्मिक समुदाय और हमारे देश में अनेक आस्थाएं हैं। छात्रों को सहिष्णुता की शिक्षा दी जानी चाहिए परन्तु यह नहीं किया जाता। इस पहलू की पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है। हमें युवा छात्राओं को बहुत-सी ऐसी बातें सिखानी होंगी क्योंकि 7 से 14 वर्ष की उम्र निर्माणात्मक उम्र होती है। यह वह अवधि है जब उन्हें सभी प्रकार की बुनियादी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे हमारे महान देश के लायक नागरिक बन सकें। इस बारे में एक वातावरण बनाया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह नया नीति वक्तव्य इन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में हमारी सहायता करेगा।

हमारा संविधान समानता और समान अवसर की बात करता है। सभी लोगों को समान दर्जा और समान अवसर है जो समाजवाद का मूल सिद्धान्त है।

[श्री जगन्नाथ राव]

4.00 म० प०

चाहे गरीब हो, लेकिन देश के नागरिक के रूप में उसे उन्हीं विशेषाधिकारों तथा अधिकारों का हक है जो जीवन में उच्च स्थान प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हैं। भाईचारे की भी शिक्षा देनी चाहिए। युवा बच्चे जो अब पैदा हुए हैं वे आजादी के आन्दोलन को नहीं जानते हैं, वे उन नेताओं को नहीं जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया, जिन्होंने देश को अहिंसा, सत्याग्रह के हथियार द्वारा आजाद कराया। उन्हें यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि गांधी जी किस उद्देश्य के लिए लड़े थे, उन्होंने क्या शिक्षा दी तथा नेहरु जी ने क्या पद्धति अपनाई और वह देश का विकास किस प्रकार चाहते थे। वह चाहते थे कि भारत का विकास आधुनिक आधार पर हो, विज्ञान तथा प्रौद्योगिका के आधार पर। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को प्राथमिक शिक्षा के स्कूल पाठ्यक्रम में भी ऊंचा स्थान दिया जाना चाहिए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें कृषि, मत्स्य-पालन और पशु प्रजनन आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि ये वे व्यवसाय हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। प्रत्येक को नौकरी के बारे मे सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक के लिए नौकरी सम्भव नहीं है। इसलिए, शिक्षा को व्यावसायिक बनाये जाने के पहलू पर भी जोर दिया जाना चाहिए तथा उसे पाठ्यचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए महान आत्माओं के जीवन को जिन्होंने आजादी के आन्दोलन का नेतृत्व किया स्कूल स्तर पर शिक्षा में एक विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

4.01 म० प०

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं।)

शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य बनाए जाने के बारे में संविधान के अनुच्छेद 45 को अमल में नहीं लाया गया है। कम से कम मुझे विश्वास है कि अब सातवीं योजना में, प्रत्येक राज्य यह देखने का प्रयास करेगा कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। शिक्षा बीच में छोड़कर चले जाने वालों को रोकने के लिए वर्दी, दोपहर का खाना, पाठ्य पुस्तकों की सप्लाई के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि स्कूलों में पढ़ाई चालू रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहन रहे और वे बीच में पढ़ाई छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें शिक्षा में लिया जाना चाहिए ताकि शिक्षा सफल हो सके। यह बुनियादी शिक्षा के बारे में है।

माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, 10+2 के स्तर पर, छात्रों को कृषि, पशु विज्ञान, पशु पालन, मत्स्य-पालन आदि में व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये वे व्यवसाय हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। क्योंकि प्रत्येक लड़का जो कृषि परिवार से आता है उसे कुछ कृषि, कुछ मत्स्य-पालन, कुछ पशु-पालन आदि तो जानना चाहिए ताकि वह अपने परिवार और समुदाय के लिए उपयोगी हो सके।

कालेज तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान

की जाए। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में हैं। हम अपने को संकट में डालने के लिए ही इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए, उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वैज्ञानिक रुचि जो पंडितजी द्वारा बनाई गई थी उसका विकास किया जाए ताकि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आधार पर आगे बढ़ सकें। अन्यथा, आगे विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम तेजी से बढ़ते हुए विश्व में हैं। जो कुछ आज प्रौद्योगिकी में प्रचलित हैं वह अगले दिन अप्रचलित होता है। अत: हमें हाल में हुए इन आधुनिकतम आविष्कारों तथा अन्वेषणों के साथ कदम मिलाना होगा ताकि हम पीछे न रह जाएं।

अत: शिक्षा प्रणाली में यह नहीं है कि हम उसके ढांचे में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, बल्कि हम केवल पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन कर रहे हैं। श्री डी०पी० यादव ने कहा कि पाठ्यक्रम को बदलने की कोई बात नहीं हैं। हम प्रणाली में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हम छात्रों को कुछ ऐसे मूल्यों की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जो उन्हें पहले नहीं दी जाती थी, क्योंकि हमें व्यक्तिगत चरित्र ऊंचा उठाना है। चरित्र के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। इसलिए गांधीजी और नेहरु जैसे महान नेताओं की जीवनी को स्कूल में पढ़ाया जाता है ताकि वे उनसे कुछ सीखेंगे और उन नेताओं की तरह अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज देश में जिस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है उसकी सभी विशेषताओं तथा वर्तमान प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तनों को इस वक्तव्य में शामिल किया गया है। मुझे विश्वास है कि पूरे देश में सातवीं योजना के दौरान यह प्रणाली लागू होगी तथा शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाएगी। हमें नए, गतिशील तथा अच्छे चरित्र वाले युवा व्यक्तियों को तैयार करना चाहिए जो 21 वीं शताब्दी को देख सकें। नैतिक मूल्य समाप्त हो गए हैं। धन की अपेक्षा नैतिक मूल्य तेजी से समाप्त हो रहे हैं। जब तक किसी व्यक्ति का चरित्र नहीं होगा और नैतिकता मजबूत नहीं होगी तब तक शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए, हमें प्रत्येक के व्यक्तित्व को पूरी तरह समग्र रूप से विकसित करना होगा ताकि वह उपयोगी नागरिक बन सके और देश तथा समुदाय के लिए उपयोगी बन सके।

यह पंडित जवाहरलाल नेहरु की संकल्पना है। इसलिए उन्होंने आदि से अन्त तक इन सभी चीजों को तैयार किया है। उन्होंने योजना दस्तावेजों से बाहर सृजनात्मक योजनाएं बनाईं जिन्हें विगत वर्षों में क्रियान्वित किया गया है। लेकिन अब अधिक व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा को अन्य महत्व विषयों के साथ योजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 3% भाग आवंटित करना पर्याप्त नहीं है यह 6% से कम नहीं होना चाहिए। अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आवंटित प्रत्येक रुपए को उचित ढंग से खर्च किया जाए।

मैं प्रधानमन्त्री जी को इस नए विभाग को बनाने में की गई पहल के लिए बधाई देता हूं और मैं श्री पी० वी० नरसिंह राव की भी प्रशंसा करता हूं जो इन दस्तावेजों में शामिल सभी योजनाओं को क्रियान्वित कराने में सक्षम हैं।

श्री ए० ई० टी० बैरो (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : महोदया, सबसे पहले मैं आपका ध्यान उस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं जिसे मैं दस्तावेज में एक महत्वपूर्ण उपेक्षा समझता हूं और इसके बाद यदि मुझे समय मिला तो मैं इस दस्तावेज के बारे में बताऊंगा। दस्तावेज में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि उसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षा अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

1968 में जो शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति घोषित की गई थी, मैं उस समिति का सदस्य था जिसने वह नीति तैयार की थी। उस नीति में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं का विशेष उल्लेख था। उस नीति में यह महत्व दिया गया था कि अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में विशेष स्थान है। उस शिक्षा-नीति सम्बन्धी वक्तव्य में अनुच्छेद 29 और 30 में उपबन्धित विशेष परित्राणों का उल्लेख किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 350क में दिए गए निदेशों का भी विशेष उल्लेख किया गया था। अल्पसंख्यकों के संबंध में अपनाए जाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं का निर्धारण जिन संकल्पों तथा वक्तव्यों में किया गया था उसका तथा 1948 में राज्य शिक्षा मंत्रियों की बैठक में प्राथमिकक तथा माध्यमिक इन दोनों स्तरों पर शिक्षा देने के लिए किए गए उपबन्ध का विशेष उल्लेख था।

उसमें इस बात पर भी जोर दिया गया था कि 1956 में सदन के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किए गए एक ज्ञापन में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कुछ अन्य परित्राणों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस दस्तावेज में अल्पसंख्यकों की संस्थाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं बताना चाहता हूं कि संविधान में अल्पसंख्यकों को दी गई शिक्षा सम्बन्धी सुरक्षा के पीछे एक बहुत अच्छा कारण छिपा है। मैं सदन की अनुमति से इसके पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालूंगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे मुद्दे पर आ सकते हैं। यह अच्छी तरह से लिया गया है। यह नीति का दस्तावेज नहीं है। इसके बारे में आपका चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसे स्वीकार किया है। यह निरन्तर है। यदि आप उस बारे में कुछ अधिक बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं समय का बचाना चाहता हूं।

श्री ए० ई० टी० बैरो : मैं अपनी बात इस सदन की कार्यवाही में अभिलिखित कराना चाहता हूं। मैं अपनी बात रिकार्ड पर लाना चाहता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह समय का प्रश्न है।

श्री ए० ई० टी० बैरो : यह मेरा समय है और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह रिकार्ड पर जाए।

सभापति महोदय : कृपया जारी रखिए।

श्री ए० ई० टी० बैरो : यह समाज के अनुचित प्रश्रय तथा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा तथा विश्वास की भावना देने का प्रश्न है। अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर भी यह बात स्वीकार की गई है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। 1921 में, अल्बानिया ने राष्ट्र संघ में शामिल होने के बाद अपने यहां के अल्पसंख्यकों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1933 में अल्बानिया इस आधार पर सभी निजी शैक्षिक संस्थानों का उन्मूलन करना चाहता था कि वह अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यकों के संस्थानों को भी समाप्त करने जा रहा है। राष्ट्र संघ ने यह मामला हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप दिया था। इस न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए, एक यह कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार है और एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्य वर्गों से भिन्न विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि उन्हें न केवल कानून में बल्कि वास्तव में भी समानता मिले। उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। 1974 में अहमदाबाद स्थित सेंट जेवियर कालेज की संस्था बनाम गुजरात राज्य के मामले में 9 सदस्यों वाली न्यायपीठ की ओर से न्यायाधीश मैथ्यू ने जिसमें विमति निर्णय दिया गया था कहा था :—

> "कानून में समानता किसी भी प्रकार के भेदभाव का निवारण करती है; जबकि वास्तविक समानता लाने के लिए भेदभाव वाले व्यवहार की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि विभिन्न स्थितियों के बीच सन्तुलन स्थापित किया जा सके।"

संविधान सभा में जो कुछ हुआ उसके इतिहास पर यदि आप दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि सरदार पटेल ने 1947 में अल्पसंख्यकों सम्बन्धी सलाहकार समिति के सामने यह प्रतिपादित किया था :—

> "· ब्रिटिश सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का उस पर विशेष दायित्व और जिम्मेदारी है। उसका दावा है कि हमसे अधिक रुचि इस बारे में उसकी है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार यह दावा साबित करें कि यह नकली दावा है, एक झूठा दावा है और भारत में हमारे अल्प-संख्यकों की सुरक्षा में हमसे अधिक दिलचस्पी किसी अन्य को नहीं हो सकती है।"

प्रो० रंगा को याद होगा कि श्री के० एम० मुंशी तथा श्री महावीर त्यागी यह चाहते थे कि उस समय खण्ड 18 में और अब हमारे वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में जो

[श्री ए०ई०टी० बैरो]

विशेष परित्राण दिए गए थे सलाहकार समिति को सौंपे जाने चाहिएं क्योंकि वे यह देखना चाहते थे कि पाकिस्तान इस बारे में क्या करने जा रहा है। डा० अम्बेडकर ने यह कहा था :—

> "अब महोदय, सभी सम्मान के साथ मैं ऐसे किसी विचार को अनुचित समझता हूं। अल्पसंख्यकों के अधिकार शर्तरहित अधिकार होने चाहिएं। उन्हें इस शर्त के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए कि अन्य पक्ष अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ क्या करना चाहता है। हमने कहा है कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छा के अनुरूप कोई शैक्षिक संस्था स्थापित करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए...।"

मैं इस पर और अधिक नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इसे रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए कई ऐसे मामले हैं जिनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार अल्पसंख्यकों की संस्थाओं का नियमन तथा नियन्त्रण होना चाहिए लेकिन मुझे कहते हुए खेद है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इन निर्णयों के बावजूद अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों को निर्णयों की इस पूरी शृंखला की पृष्ठभूमि में उचित ठहराने के लिए न्यायालयों में जाना पड़ता है...।

सभापति महोदया : कृपया अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री ए० ई० टी० बैरो : इन सभी के साथ हमारी क्या स्थिति है ? अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों को उचित ठहराने के लिए न्यायालय में जाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। मैंने मन्त्री महोदय से एक अन्य मंच पर निवेदन किया था, और अब यहां फिर उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारी नीति वक्तव्य के अनुसार हमें हर राज्य के शिक्षा मन्त्री से कहना पड़ेगा और केन्द्र अर्थात् संघ शासित दिल्ली क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि विनियम पारित होते हैं, आदेश पारित होते हैं तथा राज्यों में अधिनियम, बिल पारित होते हैं, अधिनियमों को बनाया जाता है परन्तु अल्पसंख्यकों को न्यायालय में जाना पड़ता है। क्या मन्त्रालय में एक कानूनी एकक द्वारा यह नहीं देखा जा सकता कि अल्पसंख्यकों को इस तरह की परेशानी से न गुजरना पड़े।

अब मैं दस्तावेज पर बात करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि दस्तावेज में कुछ असफलताओं को स्वीकार किया गया है। ये असफलताएं हैं कि यह 1968 की नीति क्रियान्वित नहीं की जा सकती है। प्राथमिक स्तर पर प्रवेश की संख्या का कोई महत्व नहीं है क्योंकि बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की दर 77% है। 1981 में 4370 लाख अनपढ़ थे और 2000 ई० तक 5000 लाख अनपढ़ होंगे। जब हम स्वतन्त्र हुए थे तब हमारे पास 3000 लाख अनपढ़ थे। मैं जानता हूं कि इस अवधि में जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : उस समय आबादी कितनी थी ?

[अनुवाद]

श्री ए० ई० टी० बैंरो : मैं भी वही कह रहा हूं। मैं सरकार की आलोचना करने के लिए उदाहरण नहीं दे रहा हूं। मैं इसका उदाहरण यह बताने के लिए दे रहा हूं कि शिक्षा के लिए जो वित्त उपलब्ध है वह प्रभावी शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम क्या प्राप्त कर रहे हैं ? सातवीं योजना से हम शिक्षा खेलकूद, संस्कृति के लिए 3.4% प्राप्त कर रहे हैं और आप क्या प्राप्त कर रहे हैं ? आप लगभग 6000 करोड़ रुपये प्राप्त कर रहे हैं।

यदि हम उन आश्वासनों को पूरा करेंगे जो जनता को यह वचन दिया जा रहा है कि 1990 तक प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाएगी, यदि इस वचन को कार्यान्वित करना है तो 6000 करोड़ रुपये से अधिक लागत आएगी।

जहां तक मुझे मालूम है, योजना में प्रारम्भिक शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य बनाने के लिए केवल 2000 करोड़ रुपये रखे गए हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में भी ऐसा ही किए जाने की आशा है। किन्तु इतनी राशि से हम कैसे कोई प्रभावशील शिक्षा नीति लागू कर सकते हैं ? हमारे पास अन्य वित्तीय साधन भी होने चाहिएं। चाहे वह कम ही हों किन्तु फिर भी उनसे सहायता मिलेगी। ऐसे कुछ वित्तीय स्रोत ये हैं। क्या हम आयकर अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकते हैं ? मुझे याद है कि आयकर अधिनियम की धारा 80-ख के अन्तर्गत परिवार नियोजन हेतु दिए गए दान पर कर राहत दी जाती है। इस धारा में शिक्षा के लिए दिए गए दान पर 100 प्रतिशत कर छूट देने का उपबन्ध करने के लिए संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता है ? वाणिज्यिक घरानों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर जोकि अंशधारियों को अधिक लाभांश देते हैं क्या विशेष कर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इन संगठनों को जो अधिकतर कर्मचारी मिलते हैं। वे हमारे इन विश्वविद्यालयों से ही मिलते हैं। उन पर कर लगा कर जो धन जुटाया जाए वह फिर इन विश्वविद्यालयों पर खर्च क्यों न किया जाए ?

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रारम्भिक शिक्षा के लिए ?

श्री ए० ई० टी० बैंरो : आप इसे चाहे किसी स्तर की शिक्षा पर लगाएं। मैं तर्कसंगत ढंग से बात करना चाहता हूं। उन्हें हमारे विश्वविद्यालयों से स्नातक मिलते हैं परन्तु वे इस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं।

अमेरिका में व्यावसायिक कम्पनियां पैसा खर्च करती हैं। उन्हें लोगों को प्रशिक्षित करने पर पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि वे उनके लिए काम करें। हमारे यहां क्या होता है ? हमारे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त होता है और यह व्यावसायिक कम्पनियां इन्हें ले जाती हैं, हमें इन पर कोई कर लगाना चाहिए।

[श्री ए० ई० टी० बैरो]

अपने बजट वक्तव्य में मैंने प्रौद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए उद्योगों का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया था जिससे और इस हेतु एक ऐसा कानून बनाने पर बल दिया था जिससे कि प्रत्येक उद्योग को एक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान चलाना अनिवार्य हो जाये और उस संस्थान को ये उद्योग वित्तीय सहायता दें, और उन्हें प्रशिक्षण कर्मचारी दें और वहां इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए जो उस उद्योग के लिए आवश्यक हो। यह शिक्षा के लिए वित्त के स्रोत हैं और जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है इससे हमारे युवकों को लाभ होगा।

जहां तक शिक्षा उपाधियों को नौकरियों से असम्बद्ध करने का प्रश्न है, यह एक पुराना विचार है किन्तु इसे कभी कार्यान्वित नहीं किया गया है और मैं इससे शत-प्रति-शत सहमत हूं। किन्तु आपको इस बात की ओर भी ध्यान देना है कि हमारे पास सहस्रों कॉलिज हैं जो सामान्य डिग्री कॉलिज हैं और मेरा अनुमान है कि इन कॉलिजों में 20 लाख 11 हजार से अधिक अध्यापक हैं। अतः इन कामों को बहुत धीरे से चलाना पड़ेगा क्योंकि इन अध्यापकों की जीविका का प्रबंध भी किया जाना है; उन्हें यूं ही बेरोजगार नहीं किया जा सकता है। यदि हम डिग्रियों को रोजगार से अलग करने जा रहे हैं और मुझे इन सिद्धान्त से सहमती है तो यह एक चरणबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। यह ऐसा कार्यक्रम नहीं हो सकता जो रातों-रात पूरा किया जा सके।

फिर मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि हमारे अध्यापकों की गुणवत्ता अत्यन्त अपर्याप्त है। एक अन्य मंच पर मैंने यह दलील दी थी कि वर्तमान बी० एड० पाठ्यक्रम को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर उसके स्थान पर एक चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम आरम्भ किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान आदि में बी० एड० डिग्री दी जाए ताकि ये प्रशिक्षार्थी 'प्लस टू" के स्तर पर निश्चय कर सकें कि वह अध्यापक बनने जा रहे हैं और हमें ऐसे लोग न मिलें जो केवल कोई रोजगार न मिल सकने के कारण अध्यापन व्यवसाय अपना लेते हैं और इसके लिए एक वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम पूरा करते हैं जो उन्हें सही अध्यापक बनाने के लिए बिलकुल भी उपयुक्त नहीं है।

मैं शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। अब मन्त्री जी भी मुझसे सहमत होंगे कि हमें अपनी परीक्षा प्रणाली में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन करने चाहिएं। मैं इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन मेरा विचार है कि वह मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि ऐसा किया जाना चाहिए।

एक बात है जिसकी मुझे बहुत चिन्ता है। दुर्भाग्यवश उस ओर सदस्य अपने स्थानों पर नहीं बैठे हैं क्योंकि वह इस विषय पर मेरा विरोध करेंगे। हमें राजनीति को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा से अलग करना चाहिए। मेरा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से कोई विरोध नहीं है...।

प्रो० एन० जी० रंगा : ऐसा कभी नहीं होगा।

श्री ए० ई० टी० बैरो : ऐसा हो सकता है, आप और मैं—हम दोनों पुराने हैं। हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। जब मैं बोल रहा था तो व्यवधान हुआ, हमारे युवकों को विभिन्न दलों की विचारधाराओं का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें अपना निर्णय लेने दीजिए। उन्हें मत रोकिए और विश्वविद्यालयों में चुनाव—अध्यापकों का चुनाव, विद्यार्थियों का चुनाव, विश्वविद्यालय निकायों का चुनाव—नहीं होना चाहिए। विश्व भारती विधेयक में हमने यह सुनिश्चित कर दिया है कि वहां कोई चुनाव नहीं होगा। अध्यापकों का चयन वरिष्ठता तथा चक्रक्रम के आधार पर होना चाहिए और विद्यार्थियों का चयन भी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। और मुझे इस बात की आशा है कि यह सरकार हमारे विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श शिक्षा विधेयक लेकर आएगी। जब एक बार ऐसा कर दिया गया है तो मेरा विचार है···

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण अब समाप्त कीजिए।

श्री ए० ई० टी० बैरो : एक और बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। हम चाहते हैं कि 10+2 प्रणाली चलती रहे, किन्तु क्या हम अपने विश्वविद्यालयों को वर्तमान पाठ्यक्रम त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम में बदलने और उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नहीं कह सकते हैं। मेरा सम्बन्ध स्कूलों से है और स्कूलों ने पाठ्यक्रमों को नया स्वरूप दिया है, किन्तु अधिकतर विश्वविद्यालयों ने कुछ नहीं किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि विश्वविद्यालयों के स्तर में गिरावट आई है। हमें अपने स्कूलों के लिए विश्वविद्यालयों से अध्यापक मिलते हैं। दुर्भाग्यवश हमें वह दूसरे स्रोतों से नहीं मिल सकते हैं। परिणाम क्या होता है ? स्कूलों में पढ़ाई का पतन हो रहा है।

सभापति महोदय, आप मेरे प्रति बहुत कृपालु रही हैं जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : सभापति महोदया, आज हम शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने के लिए विचार कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति का क्या नक्शा हो और जो नक्शा हो, उसमें आज का समाज उसको सफल बनाने में क्या सहयोग दे सकता है और ऐसी नई नीति भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, ये सारी बातें हमें सोचनी हैं।

इसके पहले कि आज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है; उसमें जो त्रुटियां हैं, उनकी कुछ आलोचना करूं, मैं थोड़ा-सा बैकग्राऊंड में जाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारी शिक्षा प्रणाली शुरू हुई वह मेकालय टाइप की शिक्षा पद्धति थी। सन् 1881 में थोड़ी-बहुत फेरबदल के अलावा, उसी हालत में वह चली आ रही है। वर्तमान बहस से पहले 1968 में नई शिक्षा नीति अपनाई गई थी लेकिन उसको सफल बनाने के लिए न पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया और न ही शिक्षा के स्वरूप में कोई विशेष फेरबदल किया गया। यह जो किताब सभी सदस्यों को भेजी है, इसको मैंने पढ़ा नहीं है

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में विद्यार्थी जीवन में या उसके बाद महसूस की है। वही मैं कहूंगा सबसे पहले मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में जाता है, तो उसके पास एक गधे के बराबर वजन होता है और वह वजन इतना होता है कि वह बच्चा उस बस्ते को उठा नहीं सकता है। इतने विषय और इस प्रकार के विषय होते हैं, जो सारे जीवन में काम नहीं आते। मैं आपको बताऊं कि मैंने 10वीं क्लास में एलजबरा पढ़ा। उसके बारे में न मुझे उस समय पता था और न आज पता है और तमाम जीवन में वह काम नहीं आया। इस विषय पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में शुरू से ही साइकोलाजी स्टडी जरूर हो जिसके आधार पर अध्यापक रिपोर्ट दे कि बच्चे की किस विषय में दिलचस्पी है और उन्हीं विषयों पर जोर दिया जाएं और वही विषय उनको दिए जाएं ताकि वह उनमें विशेषता प्राप्त कर सके और उनमें प्रोफिशियेन्शी हासिल कर सके।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में हरियाणा स्टेट की बात लेता हूं, वहां पर कुछ लोगों ने अपना व्यक्तिगत धन लगाकर संस्थाएं खोल रखी हैं और वे उन शिक्षा संस्थाओं को चला कर खूब धन कमाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे लोग शिक्षा संस्थाएं चलाकर बहुत ज्यादा आमदनी करते हैं और उन्होंने इसको अपना व्यवसाय बना रखा है। वे लोगों से चन्दा लेते हैं और कम्पीटेशन फीस लेते हैं। इससे देश का नुकसान होता है। वे इससे अपनी जायदाद बनाते हैं और यहां तक कि जात-बिरादरी के नाम पर संस्थाए चलाते हैं जैसे जाट स्कूल है, गोड़ ब्राह्मण स्कूल है या वैश्य स्कूल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस किस्म की छूट नहीं होनी चाहिए ताकि शुरू से ही वहां के विद्यार्थियों को और वहां के टीचर्स को जात बिरादरी में आकर न पढ़ना पड़े और न पढ़ाना पड़े। इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि आज की शिक्षा प्रणाली में अनेक कमियां हैं। तो हम नई शिक्षा नीति को ठीक ढंग से बना सकेंगे।

हमारी शिक्षा नीति में आज एक बहुत बड़ी कमी है परीक्षाओं में नकल करने की। आप देखते हैं कि बहुत-सी जगह पर मास स्केल पर नकल कराई जाती है। हमारी जो पद्धति इम्तियान लेने की है उसके अन्दर कुछ इस किस्म की तब्दीली की जाए जिससे कि विद्यार्थी नकल न कर सकें। जो विद्यार्थी नकल नहीं करते वे रट्टा लगाते हैं। यह हमारी शिक्षा प्रणाली की कमी है। शिक्षा से बच्चे को अपने दिमाग को विकसित करना है। थोड़ी देर रट्टा लगा कर इम्तिहान पास कर लेना अच्छी शिक्षा नहीं हो सकती।

इसके साथ ही हम देखते हैं कि आज की शिक्षा महंगी बहुत है। साधारण किसान के, छोटे-छोटे दुकानदार के बेटे-बेटी अच्छी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। जब वे अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकते तो वे आगे चलकर अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए वे आगे नहीं चल पाते। हम देखते हैं जो बच्चे बहुत ही साधारण स्कूलों में पढ़ते हैं,

जब वे यूनिवर्सिटियों में आते हैं तो वे वहां नहीं चल पाते। उनमें हीन भावना रहती है। जिस संस्था का जो स्तर, जो शिक्षा है, उसी के मुताबिक बच्चे का दिमाग विकसित होता है। जब वे बच्चे आगे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते तो वे कम्पीटीटिव परीक्षाओं में भी कम्पीट नहीं कर पाते। हमारे देश में बहुत-सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर की बहुत महंगी शिक्षा है। बहुत ज्यादा फीस ली जाती है। साधारण लोगों के बच्चे तो इतनी फीस नहीं दे सकते। जो ऐसे परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ हो जहां की दाई भी अंग्रेजी बोलती है, अच्छे ढंग से उसका पालन-पोषण होता है, अच्छे ढंग से उसको शिक्षा मिलती है उस बच्चे से एक साधारण परिवार में पैदा हुआ बच्चा कैसे कम्पीट कर सकता है। अच्छे परिवारों के बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद आई० ए०एम०, आई० पी० एस० के कम्पीटीशन में कम्पीट करते हैं। मैं नहीं समझता कि एक साधारण शिक्षा प्राप्त किया हुआ बच्चा एक असाधारण शिक्षा प्राप्त किए हुए बच्चे से मुकाबला कर सकता है।

मैं तो यह देखता हूं कि इस गैर सामान्य शिक्षा का आगे आने वाले जीवन में भी नुकसान होता है। जब एक असाधारण परिवार का असाधारण शिक्षा प्राप्त किया हुआ बच्चा चाहे वह आई० ए० एम० लग जाए, चाहे वह आई० पी० एस० लग जाए, जब उसको यह ही पता नहीं होता कि साधारण लोगों की क्या तकलीफें हैं, गांवों में लोग कैसे रहते हैं तो वह उन लोगों की तकलीफें भी दूर नहीं कर पाता। अगर ऐसे व्यक्ति को किसी दूर गांव में लगा दिया जाए तो वह गांव वालों की क्या सेवा करेगा। जब उसे पता ही नहीं है कि उनकी क्या तकलीफें हैं तो वह क्या सेवा करेगा। अच्छे परिवार में पले बच्चे और अच्छी संस्थाओं में पढ़े बच्चे क्या लोगों की सेवा कर पायेंगे।

हमारे जो टीचर्स है वे भी पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होते। जो बी० एड० या टी०जी०टी० की डिग्री लेते हैं वे वही विद्यार्थी होते हैं जिनको कोई दूसरी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अगर उनको कहीं रिश्वत लेने वाली जगह पर क्लर्की की नौकरी मिल जाए तो वे वहां जाना ज्यादा पसंद करेंगे, शिक्षक बनना पसंद नहीं करेंगे। जैसे आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में तन्खाहें बहुत हैं और इसी कारण से जो हमारे इन्टेलीजेंट स्टूडेन्ट्स हैं, वे वहां जाते हैं। जिन लोगों को कहीं पर नौकरी नहीं मिलती वे बी० एड० और टी० जी० टी० वगैरह क्लासों में प्रवेश लेते हैं और फिर टीचर बनते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर हम चाहते हैं कि इन्टेलीजेन्ट लोग टीचर बनें तो हमें टीचरों की तन्ख्वाह भी आकर्षक बनानी होगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इन्टेलीजेन्ट विद्यार्थी मास्टर बनने के लिए आगे आयें।

इसके साथ ही मैं समझता हूं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसका भी टीचर और स्टूडेन्ट्स के रिलेशंस पर असर पड़ता है। यह रिलेशन बीस साल पहले जो था वह आज नहीं है और उससे बीस साल पहले जो था वह बीस साल पहले नहीं था। बहुत फर्क था। पहले टीचर्स की बड़ी मान्यता थी, बड़ा आदर था, लेकिन आज तो हाल यह है कि स्कूल और कालेजों के अंदर टीचर्स खुद बीड़ी पीते हैं, सिग्रेट पीते हैं, बच्चों के साथ मिलकर शराब पीते हैं⋯।

श्री बालकवि बैरागी : सट्टा लगाते हैं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : सट्टा लगाते हैं। इसलिए उनका वह आदर नहीं होता। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक टीचर्स का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक विद्यार्थी उनका पूरा आदर नहीं कर सकता और जब तक विद्यार्थी टीचर का पूरा आदर नहीं करेंगे तब तक आप उनके आपसी मधुर संबंधों की आशा नहीं कर सकते। जब तक वह आदर नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट टीचर को आइडियल नहीं मानेगा उस समय तक वह टीचर की बताई हुई बात को फालो नहीं करेगा, मानेगा नहीं। इस लिहाज से मैं आपके सामने दो-तीन चीजें और रखना चाहता हूं। एक चीज कामन कोर्सेज के बारे में है। हर स्टेट में अलग-अलग कोर्सेज हैं, सेन्ट्रल बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन का अलग कोर्स है, हर स्टेट के बोर्ड का अलग कोर्स है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक समान कोर्स नहीं होंगे तब तक उनको समान मौका कैसे मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। आज अगर कोई स्टूडेंट बाहर से आता है और अगर उसको दिल्ली में एडमीशन लेना है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है' बड़ी दिक्कत आती है। उनके सामने इस किस्म की जो प्रेक्टिकल चीजें हैं, मैं समझता हूं कि तभी दूर हो सकती हैं जब राष्ट्रीय स्तर पर एक ही शिक्षा नीति इस ढंग से बनाई जाए जिससे तमाम प्रदेशों में वह लागू हो। इसके साथ ही मैं जैसे यादव जी ने कहा, उनकी कुछ बातों की ताईद करता हूं। मैं नहीं कहता कि आजादी के बाद हिन्दुस्तान में शिक्षा की सारी कमियां दूर हो गई हैं, लेकिन कुछ स्तर पर हमने विकास भी किया है, ऐसा उन्होंने बताया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के ही कारण हम इतने इंजीनियर्स वगैरह पैदा कर सके, लेकिन बहुत से दूसरे क्षेत्रों में हम बहुत ही पीछे हैं। उसके लिए हमारी सरकार को गहराई से सोचना चाहिए और जब तक हम इस सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत से विद्यार्थी जो इन्टेलीजेन्ट होते हैं लेकिन दाखिला इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, कैपिटेशन फी नहीं होती, या कोटा सिस्टम में वे नहीं आते, कुछ स्टेट्स का कोटा है, उसमें वे किसी का भी नाम दे सकते हैं, इस तरह से उनको समान अवसर की जगह असमान अवसर दिया जाता है। इस व्यवस्था को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे उस समय तक आम जो बच्चे हैं वे आगे नहीं बढ़ सकते और उस कमी के कारण तमाम देश के विकास पर इसका असर होगा। इस लिहाज से मैंने आपके सामने कुछ अपने भाव रखे हैं इस शिक्षा नीति पर। आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह (गुना) : माननीय सभापति महोदया, प्रधानमन्त्री जी ने इस देश की जनता को शिक्षा में सुधार और कसाव लाने का जो आश्वासन दिया था और उस बारे में उन्होंने जो-जो आश्वासन देश की जनता को दिए थे, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने गम्भीरता से प्रयास किए हैं और उन प्रयासों की दिशा में ही यह एक प्रयास है जिसको माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने इस दस्तावेज के रूप में हमारे सामने रखा है।

सभापति महोदया, कई सालों से शिक्षा पद्धति में सुधार और कसाव की आवश्यकता इस

देश में महसूस की जा रही है और विश्व के कई शिक्षा शास्त्रियों ने किस प्रकार से शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाए, क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाए, इस पर तरह-तरह के विचार प्रसारित किए हैं। एक तरफ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री इवान इलिच ने समाज को स्कूलों से मुक्त करने का नारा दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक डीस्कूलिंग आफ सोसायटी में लिखा है कि, उसमें उन्होंने नारा दिया है कि समाज को स्कूलों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसी तरह से पाल फाइजर ने अपनी पुस्तक पेडागागी आफ दी ओप्रेस्ड तथा कल्चरल एक्शन फार फ्रीडम में नए विचारों का प्रतिपादन किया है जिसे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री बी० बी० जान, पार्टिसिपेशन रेवोल्यूशन में कहते हैं। प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार विजेता, जिनको हमारे देश के नेहरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुन्नार मुदल ने हमारे देश की शिक्षा पद्धति की समस्याओं का अध्ययन किया और शिक्षा पद्धति की कमियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जो पुस्तक "एशियन ड्रामा" लिखी है, उसमें औपनिवेषिक शिक्षा पद्धति को समाप्त करने का आह्वान किया है। उन सबके अध्ययन के बाद इसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, मेकाले, जिन्होंने हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति को प्रारम्भ किया था, उन्होंने हाऊस आफ कामन्स में भारतीय शिक्षा पद्धति पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था :

[अनुवाद]

"यूरोपीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करके, भविष्य में वे (भारतीय) यूरोपीय संस्थाओं की मांग करेंगे। जब भी ऐसा होगा तो वह अंग्रेजी इतिहास का अत्यन्त गर्व का दिन होगा।"

[हिन्दी]

भारत में क्लर्क बनाने के लिए जिस शिक्षा पद्धति को प्रारम्भ किया गया था उसमें क्रान्तिकारी बदलाव की निश्चित रूप से आवश्यकता है और उस बदलाव को दिशा हमारे प्रधान मन्त्री जी ने दी है। हम विदेशों से ही प्रेरणा क्यों लें। इवान इलिच ने जो कुछ कहा है उससे इतना मतलब नहीं है जितना गांधी जी ने कहा है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, वे इवान इलिच, पॉल फायर या गुन्नार मुदल ने जो एशियन ड्रामा में लिखा है, उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। गांधी जी के सिद्धांतों को अगर ईमानदारी से शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो निश्चित रूप से उसमें काफी गुंजाईश हो सकती है।

[अनुवाद]

मैं गुन्नार मिर्डाल का उद्धरण देता हूं :

"परीक्षा पास करने तथा श्रेणी प्राप्त करने को महत्व दिया जाता था जबकि जीवन के और कार्य के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की उपेक्षा की जाती थी। भारतीय

[श्री महेन्द्र सिंह]

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह नोट किया कि हमारी शिक्षा प्रणाली पर परीक्षा का अधिक बोझ है और परीक्षा के अकेले बोझ के तले होता यह है कि अध्यापक की प्रेरणा समाप्त हो जाती है तथा वे घिसा-पिटा पाठ्यक्रम चलाते हैं और पढ़ाने के मशीनी तथा निर्जीव तरीकों को बढ़ावा देते हैं तथा प्रयोग की भावना को निरुत्साह करते हैं और शिक्षा में गलत अथवा अनावश्यक बातों को अधिक महत्व देने का प्रयास करते हैं।"

[हिन्दी]

मुझे खुशी है कि हमारा जो शिक्षा का दस्तावेज है, उसमें जो हमारी शिक्षा पद्धति की बुराइयां हैं उनको बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया गया है। यह कोई पहला प्रयास शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने का नहीं है। इससे पहले सन् 66 में कोठारी कमीशन ने कहा था :

[अनुवाद]

"अब इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाए जिससे अपेक्षित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ होगी। धनवानों तथा निर्धन लोगों के बीच, शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों के बीच सामाजिक दूरी बहुत है और बढ़ती जा रही है। शिक्षा से सामाजिक अलगाव बढ़ता है। और वर्ग आधारित भेदभाव में वृद्धि होती है।"

[हिन्दी]

मैं यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा पद्धति में हमारे समाज की बुराइयां कम होनी चाहिएं न कि बढ़नी चाहिएं। अमीर और गरीब आदमी के बीच की खाई भी कम होनी चाहिए। गरीब पिछड़े और शोषित तबके लोगों को आगे आना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। ऐसी पद्धति की हमारे देश में आवश्यकता है। खुशी की बात है कि डिग्री को सर्विस से डी-लिंक करने की कोशिश की जा रही है। यह बहुत ही अच्छी बात है। खुला विश्वविद्यालय जो आपने खोला है, उसका सही उपयोग तभी होगा जब डिग्री की आवश्यकता नौकरी के लिए उतनी नहीं रखेंगे जितनी कि आज है, नहीं तो इतना ज्यादा रश हो जायेगा कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जायेगा। जो लोग डिग्री के पीछे भागते हैं उनको कम करने के लिए हमें गम्भीरता से प्रयास करना चाहिए। हमारे स्कूलों की किताबों में अंग्रेजों की "फूट डालो और राज करो की नीति" के अनुसार धर्म-धर्म और वर्ग-वर्ग में भेद बढ़ाने की कोशिश की गई है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें हिन्दू-मुसलमानों में ज्यादा से ज्यादा मेल न हो पाए इसका पूरा प्रयास किया गया है। भारत के मामलों के जो मन्त्री थे, जार्जफ्रान्सिस हेमिल्टन उन्होंने कर्जन को लिखा था "हमें शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यपुस्तकों की योजना इस प्रकार की बनानी चाहिए जिससे एक सम्प्रदाय का दूसरे सम्प्रदाय से मतभेद और भी तीव्र हो जाए।" यह हेमिल्टन से कर्जन को जो लेटर्स हैं 26 मार्च, 1888 के उसमें लिखा हुआ है। परिणाम यह हुआ कि तथ्यों को इस ढंग से

तरोड़ा-मरोड़ा गया कि उससे एक दूसरे के साथ मतभेद बढ़ता ही चला गया। मसलन औरंगजेब को हमारी किताबों में एक जुल्मी शासक के रूप में बताया गया है जोकि एक धर्मान्ध शासक था। मांडु में महाकाल के मन्दिर हैं, वहां पर औरंगजेब ने कुछ पुजारियों को जमीन दे रखी थी ताकि वे सेवा कर सकें। यह तथ्य भी हमारे पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में आयेगा, ऐसी बात नहीं है। शिवाजी को भी हिन्दू धर्म का शासक बताया गया है। यह नहीं बताया गया कि उनके सचिव शेख हैदरकाजी और उनके निजी अंगरक्षक नौसेना अध्यक्ष मुसलमान थे। वे, हिन्दू मुसलमानों में भेदभाव नहीं करते थे। इस प्रकार राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को हिन्दू-मुसलमानों की लड़ाई बताया गया है। जबकि सही बात यह है कि अकबर की सेना में चालीस हजार राजपूत थे और उसकी कमान राजा मानसिंह के हाथ में थी। राणा प्रताप की सेना में हकीम खां सूर के नेतृत्व में बहुत बड़ा दस्ता काम करता था। हमें इन चीजों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में, जिस तरह से कुछ साम्प्रदायिक शक्तियां इस देश को तोड़ने में लगी हैं, उनकी बातों का बच्चों पर कम असर होगा। हमारी किताबों में यह भी बताया जाता है कि टीपू सुल्तान एक मुस्लिम शासक था, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उसका प्रधान मन्त्री एक ब्राह्मण था और उसका सेनाध्यक्ष भी हिन्दू था, जिसका नाम कृष्ण राव था। इतना ही नहीं, वह 156 मन्दिरों को प्रतिवर्ष अनुदान दिया करता था, उनकी देखभाल करता था और उसने उनके प्रबंध के लिए जागीर दे रखी थी। हम इस प्रकार देखते हैं कि हमारे देश में ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियां काम कर रही हैं जो अपना कुचक्र चलाकर इस देश को तोड़ देना चाहती है। मैं यह भी नहीं कहता कि सभी हिन्दू कट्टर हिन्दू नहीं थे लेकिन उनमें बहुत सी अच्छी बातें भी थीं और हमें उन अच्छी बातों पर स्ट्रेस करना चाहिए जिससे बच्चों के मन पर कोई खराब प्रभाव न पड़ने पाए।

महोदया, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सेन्ट्रल स्कूल्स से भी हमें बड़ा फायदा हुआ है। कर्मचारियों के स्थानान्तरण होते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है। इसलिए हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा सेन्ट्रल स्कूल्स खोलने की आवश्यकता है ताकि जिनके ट्रांसफर्स हों उनके सामने किसी तरह की दिक्कत न आये।

महोदया, हमारे देश में शिक्षा पर प्रति-व्यक्ति जो खर्च होता है, वह पिछड़े प्रान्तों में बहुत कम है। "शिक्षा की चुनौती" नामक दस्तावेज में लिखा है कि आज 5 लाख प्राइमरी स्कूल, सवा लाख मिडिल स्कूल, 11 करोड़ बच्चे व 13 लाख शिक्षक हैं और हमारे देश में रक्षा के बाद शिक्षा पर ही सबसे अधिक धनराशि खर्च की जाती है। ये आंकड़े लुभावने अवश्य लगते हैं लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद ने हाल ही में जो सर्वेक्षण किया है, उसके मुताबिक हमारी शिक्षा का 95 प्रतिशत वेतन पर, 2 प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेशन पर तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार व विस्तार के लिए सिर्फ 3 प्रतिशत खर्च होता है। मैं चाहता हूं कि बच्चों के विकास और शिक्षा पद्धति के सुधार हेतु जो व्यय किया जाता है, उसके परसेन्टेज को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है तभी शिक्षा का गुणात्मक विस्तार सम्भव है। अन्यथा जिस तरह से आज हमारे स्कूलों में कहीं

[श्री महेन्द्र सिंह]

टाट-पट्टी नहीं है, कहीं भवन नहीं है, वह स्थिति आगे ही बढ़ती जाएगी।

मुझे प्रसन्नता है कि "शिक्षा की चुनौती" नामक दस्तावेज में जो चतुर्थ अखिल भारतीय सर्वेक्षण का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक देश के 1.91 लाख गांवों में स्कूल नहीं हैं, कहीं भवन नहीं हैं, 10 प्रतिशत पाठशालाएं खुले आसमान के नीचे लगती हैं, 40 प्रतिशत के पास अपना पक्का भवन नहीं है, 40 प्रतिशत स्कूलों में ब्लैक-बोर्ड नहीं, 60 प्रतिशत स्कूलों में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं तथा 35 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर तीन-चार कक्षाओं को एक-साथ पढ़ाते हैं। उसके परिणामस्वरूप जहां हमारी पहली कक्षा में 100 बच्चे जाते हैं तो उनमें से केवल 23 बच्चे ही मिडिल क्लास तक पहुंच पाते हैं। इसलिए इन सब चीजों पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अन्त में महोदया, मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च का सम्बन्ध है, माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया था कि 1984-85 में हमारे देश में प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया गया। जहां चण्डीगढ़ में प्रति व्यक्ति 295 रुपये, अंडमान में प्रति व्यक्ति 267 रुपये सिक्किम में प्रति-व्यक्ति 238 रुपये तथा नागालैंड में प्रति-व्यक्ति 234 रुपये खर्च किए गए, वहां यदि मध्य प्रदेश के आंकड़े देखे जाएं तो सिर्फ 62 रुपये खर्च हुए हैं और उत्तर प्रदेश में मात्र 52 रुपये व्यय हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के दो सबसे बड़े प्रान्त हैं और यहां शिक्षा पर प्रति व्यक्ति होने वाला खर्च बहुत कम है, यह बड़े दुख की बात है। इस व्यय को बढ़ाया जाना चाहिए। जिस प्रान्त में जनसंख्या अधिक हो, वहां लोगों को शिक्षित किए जाने पर अधिक खर्च किए जाने की आवश्यकता है।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। यह महत्वपूर्ण विषय है और हम बिल्कुल नहीं भूल सकते कि जब संविधान में बयालीसवां संशोधन हमारी स्वर्गीया प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने लायी, उस समय काफी राज्यों ने उसका विरोध किया। इतना ही नहीं, शिक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों तथा शिक्षा-विदों ने भी उसका विरोध किया था। उसके बाद जब यह कन्करेंन्ट लिस्ट बन गई तो उससे हमें पता चलता है कि देश की एकात्मता एवं अखण्डता के लिए वह कितनी जरूरी बात थी जबकि उस समय स्वयं कांग्रेस के अन्दर ही उसका विरोध हुआ था ए०आई०सी०सी० सैशन में कुछ लोगों ने खुलकर उसके विरुद्ध कहा, कई लोगों ने इसके विरोध में आवाजें उठायीं। आज यह केन्द्र और राज्यों का विषय बनने के कारण, हम यहां सारे हिन्दुस्तान की शिक्षा-नीति पर विचार कर रहे हैं। हमने अभी एक नया मन्त्रालय स्थापित किया है : मानव संसाधन विकास मन्त्रालय : और हम इस विषय पर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वैसे तो इस किताब में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हमारे संविधान में जो कुछ लिखा है : डेमोक्रेटिक, सोश्यलिस्टिक, सैक्यूलर, रिपब्लिक : हम अपनी नई शिक्षा प्रणाली को इसी आधार

पर विकसित करेंगे। तभी सभी बच्चों का ठीक ढंग से विकास हो पाएगा।]

वैसे तो हमारे देश की हर पार्टी की आइडियोलोजी इस विषय में अलग-अलग हैं, लेकिन हमने अपने संविधान में जिस भेदभाव-रहित, जात-पात से परे, सोशलिज्म की बात कही है, उसकी ओर हमें ध्यान देना जरूरी है। उसके कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम इक्कीसवीं सेंचुरी की तरफ जाने के कारण और नई टेक्नॉलोजी जब हम लाएंग, तो वितरण व्यवस्था और बाकी कामों में सोश्यल इनजस्टिस न हो जाए और मेरा ख्याल है कि इसमें शिक्षा नीति को भी ज्यादा योगदान देना जरूरी है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की नीति और शिक्षा की नीति साथ-साथ चलना जरूरी है। अगर हम शिक्षा नीति और आर्थिक नीति अलग-अलग बनाएं और देश में अलग-अलग पढ़ाएं, तो इससे हमारा काफी नुकसान भी हो सकता है।

महोदया, शिक्षा के बारे में काफी कमीशन और कमेटियां बनीं, जैसे कोठारी कमीशन बना और डा० हुसैन कमेटी भी बनी, लेकिन शिक्षा में जिस ढंग से सुधार होना चाहिए था वह नहीं हुआ। यह 10+2+3 की प्रणाली कम से कम 10 साल से चल रही है। और इसे पूरे राज्यों ने लागू करने के लिए 5-6 साल ले लिए, लेकिन अभी तक सारे राज्यों में इस प्रणाली के तहत वोकेशनल एजूकेशन हम नहीं दे पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसके लिए हम धनराशि कहां से लाएं, लेकिन महोदय जब तक हम वोकेशनल एजूकेशन नहीं पढ़ाएंगे तब तक ड्राप आउट के लिए हम कितनी भी बात करें क्योंकि हम 100 परसेंट जितने बच्चे हैं उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और इसके लिए ड्राप आउट के लिए और डिग्री डिलीट करना भी हो, तो हमें यह सोचना हैं और इसके कारण हमें डिग्री बन्द नहीं करनी है, लेकिन कम उम्र में या कम शिक्षा होने के कारण वह स्वयं रोजगार पैदा करे और वह रोजगार ऐसा हो जिसके कारण वह भूखे हैं, गरीब हैं या गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनको ऊपर उठाने में मदद करें। इसलिए इसके बारे में भी हमें जरूर सोचना चाहिए। काफी टैक्नीकल कोर्सेज हैं उनको देना भी जरूरी है। हमारे यहां जो प्लानिंग होती है उसमें टैक्नीकल मैन-पावर का प्रावधान नहीं है इसलिए हमें टैक्नॉलोजी और शिक्षा नीति के बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा और जब तक हमारे बच्चे उस ढंग से टैक्नोलोजी में एडवांस न हो जाएंगे, तब तक हम पीछे ही रहेंगे। जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है। जर्मनी का विकास इसीलिए हुआ कि उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और मजदूरों और कारीगरों को उन्होंने ज्ञान देकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। इसलिए हमें शिक्षा नीति में यह भी सोचना चाहिए कि हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी।

महोदया, इस बारे में शिक्षा के साथ ही "श्रम प्रतिष्ठा" की बात को हमें लेना होगा। आज अगर कोई व्यक्ति गरीब श्रमिक है, वह अगर किसी धनवान के घर में सरकारी दफ्तर में चला जाता है, तो उसे कोई पहचानता तक नहीं है और वह काम करने के लिए भी किसी धनवान के यहां जाए तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे यह कोई आदमी हिन्दुस्तान का नहीं है बल्कि किसी बाहर के देश का है। तो हमें यह देखना है कि "अर्निंग वी और लरनिंग वी विल वी अर्निंग" में जब हम शिक्षा पाते हैं, उस समय कुछ कमा भी सके और उसमें कम से कम एक घण्टे के लिए प्रोडक्शन

[श्री बालासाहेब विखे पाटिल]

ओरिएंटेशन जॉब के लिए प्रावधान करना भी जरूरी है जिससे उसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ाई के साथ-साथ कुछ कमा भी सके।

महोदया, मैं एक कॉलेज चला रहा हूं और उसमें यह "व्हाइल वी लर्न वी विल अर्न" के तहत काम देने की स्कीम दस साल से चल रही है उसके तहत ऐसे बच्चे आते हैं जिनके माता-पिता के पास बच्चे को कुछ खाने को नहीं है और अपने बच्चों को वे पढ़ा नहीं सकते हैं, उनके बच्चे वहां आते हैं और वे शिक्षा के साथ-साथ काम भी करते हैं और अब वे पढ़-लिखकर अच्छा कमा रहे हैं 100-125 लड़के डाक्टर और इंजीनियर हो गए हैं तथा अपने माता-पिता का पालन-पोषण कर रहे हैं।

महोदया, तीसरी बात में टैक्नॉलोजी के बारे में कहूंगा। टैक्कनॉलोजी हमें अपने देहात के बच्चों को देना बहुत जरूरी है। अर्बनाइजेशन से गांवों में आबादी की समस्या पैदा हो रही है और यह समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए शिक्षा में मॉडर्न टैक्नॉलोजी शुरू करनी है और रिमोट एरियाज में जाना जरूरी है, इसके लिए डी-सेन्ट्रलाइजेशन होना जरूरी है। इसका डी-सेन्ट्रलाइज होना जरूरी है। इसलिए इस तरफ ध्यान देकर तांत्रिक शिक्षा ज्यादा से ज्यादा देहात में खोली जाये और कम्युनिटी पोलिटेक्निक या और जो दूसरी नीतियां हैं शिक्षा की, वह ज्यादा से ज्यादा वहां देनी चाहिएं।

अभी इन्फ्रा-स्ट्रक्चर शहरों में है। बड़े-बड़े अधिकारी और अफसर शहरों में रहेंगे, देहात में कोई शिक्षा नहीं होगी और कोई नये स्कूल नहीं खोले जायेंगे।

मैं मॉडल स्कूलों की बात कर रहा हूं। मॉडल स्कूल के मायने अच्छे स्कूल हों, लेकिन जब हम सभी के लिए एक शिक्षा नहीं करेंगे, तब तक यह सोशलिज्म की बात चलने वाली नहीं है और हम इस डिस्पैरिटी को हटाने वाले नहीं हैं। अमीर हो या गरीब हो, मिनिस्टर हो या साधारण नागरिक हो, सबके बच्चे एक ही स्कूल में जाने चाहियें और एक ही शिक्षा प्रणाली तैयार होनी चाहिए। अभी धनवान ज्यादा पैसा देकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में रखते हैं, लेकिन जब उन पर टैक्स लगाया जायेगा, जो दूसरे रिसोर्सेज के कारण ज्यादा पैसा देते है, ज्यादा पैसा देने पर टैक्स लगाया जायेगा, सरकार रिसोर्सिज मोबिलाइज करेगी कि वह ज्यादा पैसा न दें सकें तो वह कहां से पैसे देंगे? इसलिए जो बड़े-बड़े स्कूल हैं जो खाली पैसे लेते हैं, लोगों से ज्यादा डोनेशन लेते हैं और कहते हैं कि हमारा स्कूल ज्यादा अच्छा चल रहा है, उन्हीं की तरह जब सरकार के स्कूलों को भी पैसा मिल जायेगा तो मुझे यकीन है कि वह स्कूल भी वैसे ही अच्छा सिखायेंगे, क्योंकि उनका इन्फ्रा-स्ट्रक्चर भी उतना ही मजबूत होगा। इसलिए जो निजी स्कूल चलाने के लिए इस देश में बात चल रही है, उसे धीरे-धीरे हटना चाहिए।

एक्सपैंशन आफ वूमैन एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि स्त्री शिक्षा के बारे में हमारे महाराष्ट्र के महात्मा फुले, जोकि बड़े क्रान्तिकारी हुए हैं, उन्होंने कहा कि अगर एक स्त्री

पढ़ गई तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। इसलिए वूमैन एजूकेशन का एक्सपेंशन बड़ी जल्दी होना चाहिए। जब तक इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक काम आगे बढ़ने वाला नहीं है।

हम अपने यहां वूमैन पोलिटेक्निक चला रहे हैं। काफी शिक्षित लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन अब 50 लड़कियां वहां इन्जीनियर हो चुकी हैं और देहात के कारखानों में काम कर रही हैं। इसलिए वह जो वूमैन एजुकेशन एक्सपेंशन हैं, यह खाली एकेडेमिक स्कूल के लिए नहीं हैं, शिक्षा के टीचर बनाने के लिए नहीं हैं। मैंने विदेश में देखा है, कई ऐसे उद्योग हैं, इलैक्ट्रानिक्स को छोड़िये, जहां तक 80 प्रतिशत स्त्रियां उद्योग चला रही हैं। इसलिए वूमैन एजूकेशन इज मस्ट, जब तक हम यह नहीं कर पायेंगे तब तक हम अपनी आबादी के आधे हिस्से पर अन्याय करते रहेंगे।

मैं डाकूमैंटेशन की बात न कहकर यह कहता हूं कि हमारे देश में कुछ अच्छा हो रहा है। अभी यहां फासिज्म के डिफीट की चालीसवीं वर्षगांठ मनाई गई। यू०एस०एस०आर० ने अच्छा डाकूमेंटेशन किया कि फासिज्म के खिलाफ अच्छा काम किया। हमारी स्वतन्त्रता के पहले और उसके बाद जिन्होंने अच्छा काम किया उसका गवर्नमेंट को खुद ही डाकूमैंटेशन करना चाहिए और उसके बाद सभी स्कूल और संस्थाओं को देना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। अभी तो हमारे यहां धन की कमी है, लेकिन हमें नेशनलाइजेशन की तरफ धीरे-धीरे बढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की चुनौती—एक नीति परिप्रेक्ष्य प्रस्ताव जो भारत सरकार की ओर से प्रस्तुत हुआ है और जिस पर आज बहस चल रही है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

4.59 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके जरिये से हिन्दुस्तान की शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारे युवा प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में और हमारे शिक्षा मन्त्री भी बहुत ही विद्वान हैं, उनके नेतृत्व में शिक्षा में बदलाव लाने की जो प्रक्रिया चली है, उसके जरिये हिन्दुस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आयेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता प्राइमरी स्कूल हैं।

5.00 म० प०

आज प्राइमरी स्कूलों की जो हालत है वह आपसे छिपी हुई नहीं हैं। जिस प्रकार के वहां पर अनट्रेंड शिक्षक हैं उनके सम्बन्ध में सारी चीजें विस्तार से इस दस्तावेज में लिखी हैं। इसमें परिवर्तन कैसे आयेगा यह हमें देखना होगा। अब हम चाहते हैं कि कम्पल्सरी प्राइमरी एजूकेशन

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

हो तो ऐसी हालत में जितने टीचर्स हमको देने चाहिएं, वह हम दें। कई स्टेट्स में आपने प्राइमरी स्कूल खोले हैं, जिस अनुपात में वहां लड़के हैं, उस अनुपात में वहां शिक्षक नहीं है। स्टेट्स की हालत को तो आप जानते ही हैं। वह पैसा अधिक खर्च नहीं कर सकती है और न ही नई-नई पोस्टें ही क्रियेट कर सकती है। यही कारण है कि गांवों में प्राइमरी स्कूल बन्द पड़े हैं। आपको पहला कदम यही उठाना चाहिए कि जिस अनुपात में आप स्टूडेंट्स की भर्ती करते हैं, उसी अनुपात में शिक्षकों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो लक्ष्य हमने शिक्षा का रखा है वह तभी पूरा हो सकेगा। आप शीघ्रातिशीघ्र टीचर्स की पोस्ट क्रियेट करके प्राइमरी स्कूलों में उनकी नियुक्ति कर दें। इनकी कमी की वजह से बहुत से स्कूल बन्द पड़े हैं। हमने यह भी देखा है कि कहीं-कहीं पर शिक्षक स्कूल में जाते ही नहीं हैं, वह वहां पर ताला बन्द रखते हैं। इन सब पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आप विदेशों में जाकर देखिए। वहां प्राइमरी स्कूल में सबसे बढ़िया टीचर्स दिए जाते हैं। वह ट्रेंड और क्वालिफाइड होते हैं। यही कारण है कि विदेश में पढ़ा लड़का काफी अच्छा बनकर निकलता है। प्राइमरी शिक्षा में हमें बदलाव लाना चाहिए। वह बदलाव आप बहुत बड़े पैमाने पर नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है। आपने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के तहत प्राइमरी स्कूलों को दे दिया, जहां पर आज ब्लैक बोर्ड, बैठने के लिए टाट-पट्टी और न ही भवन उपलब्ध है। 40-50 परसेंट ऐसे स्थान हैं जहां पर यह सब सुविधायें नहीं हैं।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समाज में बड़े-बड़े लोग है, उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। आज 80 प्रतिशत लोग जोकि देहातों में रहते हैं, उनके लिए प्राइमरी स्कूल किस प्रकार के हों, इसको हमें देखना होगा। देहात में आज उन बच्चों को किताबें भी समय पर नहीं मिल पाती हैं। यही कारण है कि वह पिछड़े हुए हैं। मैं मन्त्री जी से यही निवेदन करूंगा कि आप प्राइमरी शिक्षा की तरफ खास तौर से ध्यान दें जिससे कि हम एक योग्य विद्यार्थी तैयार कर सकें। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। कई स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास फंड नहीं है और जो कि प्राइमरी स्कूलों पर बहुत अधिक खर्च नहीं कर सकती। ऐसे पिछड़े हुए स्टेट्स जिनके पास पैसे का अभाव है, उनकी केन्द्र सरकार मदद करें। आपने कान्करेंट लिस्ट में रख दिया है, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस व्यवस्था को मजबूती से करें और प्राइमरी स्कूलों को इस प्रकार की व्यवस्था दें जिससे बच्चे ठीक तरीके से तैयार हो सकें।

आज पब्लिक स्कूलों में सभी प्रकार की सुविधायें हैं, वहां अच्छे-अच्छे और ट्रेंड टीचर्स हैं। यही कारण है वह पढ़-लिख कर होशियार बनकर निकलते हैं। कोई आई०ए०एस०, डाक्टर या इन्जीनियर बनता है, लेकिन हमारे गांव के बच्चे या तो स्कूल मास्टर या पटवारी ही बनकर निकलता है।

इससे ज्यादा बनने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलना नितान्त

आवश्यक है। जो पब्लिक स्कूल हैं उनको या तो आप बन्द कर दीजिए या उनमें कांपिटीशन रखिए और कांपिटीशन में जो भी आ सके वह वहां पर पढ़ें। और आप वहां शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और देहाती क्षेत्र के लोगों के लिए परसेंन्टेज कायम कीजिए ताकि उनको भी वहां पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही उसका खर्चा भारत सरकार वहन करे। जब पब्लिक स्कूलों में गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने-लिखने का मौका मिलेगा तभी समानता आ सकती है वरना आज पब्लिक स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों में जो अन्तर है वह कभी भी मिट नहीं सकता है। आप कितना ही प्रयास कर लें, यह अन्तर कभी मिट नहीं पायेगा क्योंकि एक तरफ तो पब्लिक स्कूलों में सौ, दो सौ रुपए की फीस जमा करने वालों के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी ओर प्राइमरी स्कूलों में तमाम प्रकार के अभाव रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है जिसकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।

दूसरे, मैं शिक्षकों में जिस प्रकार की ट्रेड यूनियन के मामले चल रहे हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चूंकि मैं स्वयं एक यूनियनिस्ट हूं इसलिए मैं इसको बुरा तो नहीं मानता लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था है कि वे केवल पैसे के लिए काम करते हैं और कोई बात ही नहीं करते, केवल अपनी सुविधाओं की ही बातें करते हैं लेकिन अपने फर्ज और कर्तव्य की की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते, यह उचित नहीं है। सरकार को ट्रेड यूनियनिस्टस से बात करनी चाहिए कि जहां वे अपने अधिकारों की बातें करते हैं वहां वे अपने कर्तव्यों की ओर भी ध्यान दें। ट्रेड यूनियन्स को समाप्त करने की बात मैं नहीं कहता लेकिन इस व्यवस्था को सुधारने के लिए निश्चित तौर से सरकार की ओर से प्रयास करने की आवश्यकता है। ट्रेड यूनियनों से बातचीत करके सही व्यवस्था बनाई जाए—इसको करना लाजमी है।

अब मैं मिडिल स्कूल, सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी तथा वोकेशनल शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। बहुत सारी स्टेट्स में अभी भी वोकेशनल शिक्षा सही रूप से लागू नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र जैसी स्टेट में भी वह चार-पांच साल तक लागू नहीं हुई फिर हमारी स्टेट तो बहुत पिछड़ी हुई है, वहां पर पैसे के अभाव के कारण वोकेशनल शिक्षा आज तक ठीक प्रकार से लागू नहीं हुई है। जब आप वोकेशनल शिक्षा देना चाहते हैं, उसको व्यवसाय के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि उनको काम-काज, रोजगार मिल सके, वे नौकरी में लग सकें, बेरोजगार न रहें तो इसके लिए नितान्त आवश्यक है कि जिन स्टेट्स में वोकेशनल शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं चल रही है वहां पर आप पूरे साधन उपलब्ध करायें ताकि वहां पर भी वोकेशनल शिक्षा ठीक प्रकार से चल सके और उसको व्यवसाय के साथ जोड़ा जा सके।

इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि कालेज की शिक्षा को आप सीमित कीजिए। आज किसी को 45 परसेन्ट मार्क्स मिल जायें तो वह कालेज में भर्ती हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं कालेजों में इतनी लम्बी-चौड़ी फौज इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पत्राचार के माध्यम से लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। आप इसके लिए यूनिवर्सिटी भी खोल रहे हैं। आप हर

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

स्टेट में ऐसी यूनिवर्सिटीज खोल दीजिए ताकि हायर सेकेण्डरी के बाद प्राइवेट तौर पर कमाई करते हुए लोग वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। और कालेज की शिक्षा केवल अच्छे इंटेलिजेन्ट स्टूडेन्ट्स के लिए ही रहनी चाहिए ताकि होनहार विद्वान लोग देश को मिल सकें और देश हर क्षेत्र में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सके। जब गलत तत्व कालेजों में आ जाते हैं तभी हड़तालें होती हैं वह वहां पर राजनीति चलती है। यह काम थर्ड क्लास स्टूडेन्ट ही करते हैं में जिनको कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी होती है, सिर्फ हड़ताल और नेता-गिरी ही करनी होती है। अतः ऐसे लोगों के लिए कालेज की शिक्षा बन्द करनी चाहिए। पत्राचार के जरिए आप शिक्षा का प्रसार कीजिए। किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं हैं। वे बी०ए०, एम०ए० कर सकते हैं परन्तु कालेज की शिक्षा आप सीमित कीजिए ताकि अच्छे विद्यार्थी ही वहां पर जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसकी वजह से इस देश के अग्रणी लोग इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन को, इस देश की साइंस और टेक्नोलॉजी को व अन्य व्यवस्थाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। इस प्रकार की व्यवस्था की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए आप निश्चित तरीके से काम कीजिए।

एक सुझाव माननीय मन्त्री जी के सम्मुख मैं और रखना चाहता हूं। यहां पर बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं, चाहे लोहे की हों, अन्य धातुओं की हों, कपड़े की हों या सीमेंट की हों—इन इन्डस्ट्रीज के साथ-साथ आप एक इंजीनियरिंग कालेज और खोल दीजिए। जैसा कि पाटिल साहब भी कह रहे थे कि श्रम का महत्व होना चाहिए। उस कालेज का विद्यार्थी उस कालेज में भी पढ़ेगा और उसके साथ-साथ इन्डस्ट्री के अन्दर काम भी करेगा। उसको वहीं से पैसा मिले, चाहे वह अप्रेंटिस के रूप में वहां काम करे, लेकिन उसको वहां से पैसा मिले और उसी कालेज में पढ़े। इस प्रकार उसको वहां से तकनीकी शिक्षा भी मिल जाएगी और उसकी जेब से एक पैसा भी नहीं लगेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार निश्चित तरीके से तकनीकी शिक्षा बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब होगी। इस प्रकार हम ऐसे निपुण लोग तैयार कर सकेंगे, ऐसे निपुण इंजीनियर तैयार कर सकेंगे, ऐसे निपुण कारीगर तैयार कर सकेंगे, जो हमारे देश की तमाम इन्डस्ट्रीज को ठीक प्रकार से चला सकेंगे। यह क्षेत्र चाहे बिजली का हो, सीमेंट का हो, लोहे का हो—कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन इस व्यवस्था को माकूल तरीके से लागू करना चाहिए।

एक सुझाव यह भी है कि हायर-सेकेण्ड्री एजूकेशन के बाद हर तहसील लैवल पर एक आई०टी०आई० तकनीकी स्कूल निश्चित तरीके से होना चाहिए। इंडस्ट्रीज के साथ बड़े कालेज खुलें, लेकिन छोटी-छोटी तकनीकी शिक्षा के लिए आई०टी०आई० स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे कामकाज सीखना चाहते हैं—वायरमैन, इलेक्ट्रिशियल, फीटरमैन इत्यादि—छोटी-छोटी मजदूरी करना चाहते हैं, वे कर सकें। इस प्रकार जहां टेक्नीशियन्स की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके और उद्योग धन्धों को ठीक प्रकार से चलाया जा सके।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये से माननीय मन्त्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं। गांवों के अन्दर जहां एग्रीकल्चर सबसे मुख्य विषय है, वहां हायर सैकेण्ड्री में एग्रीकल्चर विषय देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है ताकि खेतीबाड़ी के मामले में काम ठीक प्रकार से चल सके। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी निश्चित तरीके से हर राज्य में कम से कम एक या दो स्थापित की जाएं। एग्रीकल्चर जोकि हमारा रोटी का सबसे बड़ा साधन है, जिस पर कि 80 प्रतिशत जनता अपना जीवन व्यतीत करती है, इस प्रकार की सुविधायें हमारे बच्चों को मिल सकें, और वे आगे बढ़ सकें। इस वक्त हमारा उत्पादन 155 मिलियन टन्स है, जैसी कि हमारी आबादी बढ़ रही है, उसको देखते हुए सन् 2000 तक वह सौ करोड़ तक पहुंच जाएगी, उनके भरण-पोषण के लिए पैदावार को भी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इन व्यवस्थाओं को माकूल तरीके से आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

आखिर में, मैं मन्त्री महोदय से राजस्थान के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है। वहां शिक्षा का बहुत अभाव है। लड़कियों को शिक्षा तो न के बराबर है।

श्री मूल चन्द डागा : पांच प्रतिशत है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : डागा जी बता रहे हैं, पांच प्रतिशत है। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में जब तक आप अनिवार्य शिक्षा के लिए, कालेज शिक्षा के लिए, मिडिल शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा धन नहीं देंगे, तब तक हमारा प्रान्त पीछे रहेगा। इसका सारा दोष या तो राज्य सरकार पर होगा या केन्द्रीय सरकार के ऊपर होगा। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर राजस्थान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मान्यवर, देश के इतिहास में कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं, जबकि सारे देश पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज जो विषय इस सदन में चर्चा का विषय है और जिस पर कई महीनों से कार्य बराबर चल रहा है, आज जनता के सर्वोच्च न्यायालय में और फोरम पर इस पर विचार-विमर्श हो रहा है। सभी माननीय सदस्य जो हैं, चाहे वे किसी पार्टी के सदस्य हों, चाहे किसी विचारधारा के हों, चाहे किसी धर्म के हों या कोई भी धारणा उनकी निजी हो या पार्टी की हो, सबों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमें आशा थी और अभी आशा है कि सभी माननीय सदस्य इसमें अपनी कांस्टीट्यूऐन्सी की, अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की, जो वहां पर कमियां देख रहे हैं या जो अच्छाइयां देख रहे हैं, बड़ी निर्भीकता के साथ अपने सुझाव यहां पर रखते या रखेंगे, जिससे हमारी जो नीति बाद में निर्धारित होगी, उसको अच्छा लाभ मिले। मैं यह कहना चाहूंगी कि स्वतन्त्रता संग्राम के बाद यह पहला अवसर है जबकि इतने साहस के साथ, इतनी जल्दी के साथ, इतने थोड़े

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

समय में इतनी ज्यादा सामग्री शिक्षा के ऊपर एकत्रित की गई और एक सच्ची भावना से, श्रद्धा से यह कार्य हमारे बीच में हुआ है। इन 20-30 वर्षों में जो हुआ है, उसमें कहां तक हम पहुंचे हैं, कहां तक इस प्रणाली में परिवर्तनकी आवश्यकता है, बिल्कुल उसमें रद्दोबदल करना है या उसमें कोई संशोधन लाना है, यह हमें देखना है। इसके माध्यम से हम एक लक्ष्य बनाएं, जिससे हम अपने मानव को मानव बना सकें और कहां उसमें कमी रही है, उस कमी की कैसे पूर्ति करें। और वह कमी ऐसी है, जिससे नुकसान होता है, तो बिल्कुल उसको जमीन से उखाड़ दें और उसकी जगह हम कोई नई चीज लाएं, जिसमें एक ऐसे मानव का संचार हो, जो दूसरों का भला कर सके। स्वयं अपने में जो उस की विभूति है, जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को साहस देकर, मौका देकर और साधन देकर उसकी उपयोगिता को सामने लाएं। साथ ही साथ, जिस समाज में वह रहता है, उस समाज में भी ऐसे परिवर्तन करें, जो उसकी उपयोगिता में उसकी प्रतिभा में सहायक हो सके। साथ ही साथ जिस राज्य मे वह रहता है, उस राज्य में भी उसकी प्रतिभा का पता चले कि इतनी उसमें क्षमता है और क्योंकि उसके पास साधनों की कमी थी, उसके पास मौके नहीं थे, अवसर नहीं थे, जिनके कारण वह बालक या बालिका चमक न सकी। राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में क्या हो सकता है, यह हमें देखना होगा। यह तो सारे संसार को विदित है कि भारत के हमारे नागरिक हैं जिनको मौका मिल जाता है जैसे भी मिलता हो, कठिनाई से या आसानी से, वे बाहर जाकर अपना स्थान बना लेते हैं और सारे संसार में चमक कर एक नई दिशा दिखाते हैं। चाहे वे डाक्टर हों, चाहे प्रोफेसर हों या टेक्नोक्रेट हों, सबने भारत को सम्मान दिलाया है। अगर हमारे नागरिकों को सुविधाएं मिलने लगें, तो वह हीनता और दीनता जो अक्सर मन में आ जाती है, उससे वह अपने को वंचित रख सकते हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जैसे ही हमारे प्रधानमन्त्री ने अपना कार्यभार संभाला और राष्ट्र को सम्बोधन किया, तो सबसे पहले उन्होंने राष्ट्र को आह्वान किया और शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। यह एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसा यंत्र है और एक ऐसा मंत्र है, जिसके माध्यम से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में एक ऐसा सेतु बन सकता है। जो हमारी भारतीयता है, जिसके बल पर, जिसकी क्षमता पर, जिसकी गरिमा पर हम सबको गर्व है और हम लोग 5 हजार वर्ष से अपना सिर ऊंचा करके खड़े हुए हैं, आज नये आधुनिक जमाने में भी जो नई चीजें हमारे देश में बन रही है, उनमें विश्व को नेतृत्व हम बराबर देते आ रहे हैं और ऐसा करने की क्षमता भारत में है। भारत बराबर सजग रहे और सचेत रहे, इस चीज का बराबर प्रयास रहा है। इसलिए जब पहली दफा शिक्षा की प्रणाली के ऊपर इतना महत्व दिया गया है और आज कई मन्त्रालयों को मिलाकर, उनका पुनर्गठन करके मानव संसाधन विकास मन्त्रालय बनाया है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा गया है और हमारे मन्त्री जी एक मीटिंग ले चुके है और जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है, 'फ्रोम कन्सेप्शन टू ग्रेजुएशन'।

जब मां, मां बनती है, उस समय उसके जो बालक या बालिका पैदा होने वाला होता है,

अगर मां को पौष्टिक आहार नहीं मिलता तो बालक स्वस्थ पैदा नहीं होगा। अगर मां को समय पर विटेमिन्स नहीं मिलते हैं तो बच्चा अन्धा पैदा हो सकता है, विकलांग पैदा हो सकता है। उसमें बच्चे का क्या कसूर है, मां का क्या कसूर है ? अगर मां उस चीज से वंचित रह जाती है जिसकी की मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरत है तो मां से जो बच्चा पैदा होता है वह जीवन में जीवित रह कर भी किसी तरह से जीवन के सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। क्या हमको, आपको और सबको यह अधिकार है कि हम ऐसे बच्चे को जन्म दें जिसको हम समय पर बीमारी से बचा न सकें, जिसको हम शिक्षा के द्वारा पौष्टिक आहार के द्वारा मां और बच्चे को स्वस्थ न रख सकें। वह जो बच्चा पैदा होने वाला है, उसे समय से आहार मिल सके, वह अपने स्वरूप में सुखी बालक बन सके, वह एक अच्छा बालक बन सके यही हम सबका प्रयास होना चाहिए।

साथ ही साथ हमारी शिक्षा को केवल सेतु ही नहीं बनना है। हम लोग यह भूल जाते हैं, जब बाहर जाते हैं तो यह भूल जाते हैं कि हम लोग हिन्दुस्तानी हैं। हम हिन्दुस्तानी लोग अपनी भाषा का प्रयोग भी कभी-कभी कम करते हैं। मैं तो स्वयं देखती हूं कि हमारे लोग अपने देश के बारे में, अपने इतिहास के बारे में कुछ कम जानकारी रखते हैं। हमें जितनी जरूरत है, उससे कम रखते हैं। शायद बाहर जाने पर हमें अपने इतिहास के बारे में ज्यादा जानना बहुत आवश्यक है। हमारा जितना ज्ञान-वर्द्धन हो, उतना कम है। हमें अपना ज्ञान-वर्द्धन करना चाहिए। वह ज्ञान हमें शिक्षा से प्राप्त होता है। शिक्षा से हम अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं।

वास्तव में शिक्षा क्या है ? क्या हम ऐसी शिक्षा दें जिसका कि वास्तव में कोई विशेष उपयोग न हो ? क्या केवल अंग्रेजी बोलने से, या हिन्दी बोलने से, या अन्य भाषा बोलने से कोई अच्छा मानव बन जाता है ? हमारे ग्रामीण अंचलों में जो लोग रहते हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है, वे भी अपने बल पर, अपने मनोबल से, अपने हाथ-पैरों के बल पर जीवन में कुछ कर दिखाते हैं। पर उनके पास पूरी क्षमता होने पर भी वे सुखों से वंचित रह जाते हैं। क्या यही समाजवाद है, क्या यही बापू ने हम लोगों को प्रेरणा दी थी ? क्या यही स्वामी विवेकानन्द ने कहा था ? क्या हम इसमें राजनीति ला सकते है ? क्या हमारी दृष्टि इस बात पर है कि हम अपने बालक को क्या बनाना चाहते हैं ? क्या हम इस चीज को भी राजनीतिक पहलू से देखेंगे ? क्या हमें यह नहीं देखना है कि आज जो हमारे नागरिक हैं, आज जो बच्चा पैदा होगा, कल जो बच्चा होगा, एक वर्ष बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको हम क्या दे सकते हैं और हमने क्या दिया है ?

मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहती हूं कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम अपनी शिक्षा नीति पर, अपनी शिक्षा प्रणाली पर अच्छे ढंग से विचार कर रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो यह शिक्षा है इसका एक अच्छा प्रभाव पड़े और इससे एक युवक अच्छा नागरिक बने। अच्छे युवक और अच्छे नागरिक बनाने के लिए हमें शुरू से ही बहुत कुछ करना होगा।

अगर समाज में एक ऐसा ढांचा है कि लोग गरीबी में पड़े हुए हैं, भ्रम में फंसे पड़े हैं,

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

उनके चारों तरफ गन्दगी है, तो क्या हम वहां पैदा होने वाले बच्चे से यह आशा कर सकते हैं कि उसका मानसिक विकास होगा। जो बच्चे बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, बड़े-बड़े बंगलों में पैदा हुए हैं, माननीय सदस्य ने यह बात बहुत अच्छी कही कि हमें इसमें समानता लाने की बात भी सोचनी चाहिए। हमारे समाज में मोनेटरी पालिसी, फिस्कल पालिसी, फाइनेंशयल रेगुलेशंस वगैरह: ये सारी चीजें स्टेंड बाई रूप में चली आ रही हैं। जितना समय बीतता जाता है उतना ही खर्चा इसमें और बढ़ता जाता है।

मेरा कहना यही है कि आज इस संसार में हमारे भारतीय नागरिकों का इतना आदर है और उस आदर के साथ-साथ उनकी क्षमता की लोगों को पहचान है। लेकिन हमारे जो विद्यार्थी अभी तक यहां से बाहर जाते हैं वे वहां की चमक-दमक के कारण वहीं पर रह जाते हैं। लेकिन अपने देश की मिट्टी, गांवों की धूल, अपने शहरों की जो स्थिति है उसके कारण उन लोगों को कभी-कभी यहां आने का प्रयास करने के बावजूद कठिनाई होती है। उस प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी होनी चाहिए।

साथ ही साथ, क्या हम अपने को, अपने बच्चों को पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं ? जो हमारी नवयुवक पीढ़ी है वह बिचारी भी अपने को नहीं समझ पा रही है। एक मां का बच्चा है जिसके पास साधन नहीं है, वह अपनी मां से दूध मांगता है, वह उसे दूध नहीं दे सकती है, फल और मेवा तो दूर की बात रही, वह उसे दूध नहीं दे सकती है। जब ऐसे बच्चे की शिक्षा का सवाल पैदा होता है तो वह क्या शिक्षा पायेगा।

आज हम लोग अपने देश में गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे है। हमारे यहां घनी आबादी है, उसके होते हुए भी हम इस पर नियन्त्रण पाने की कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं और हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा यह किया है। फिर भी इसके वितरण में, फेयर इसके डिस्ट्रीब्यूशन में, इसकी उपयोगिता को लोगों तक पहुंचाने में समय लगेगा। कैसे इस काम में तीव्रता लाई जाए, गति को कैसे बढ़ाया जाए, ऊपर से नीचे तक कैसे जोड़ा जाए, कैसे सेतु का निर्माण किया जाए, ये चुनौती आज बराबर हमारे सामने है और चैलेंज आफ एजूकेशन में यही है। इसके जरिए सारी चीजें इतने साहस के साथ कैंडिडली आपके समक्ष रखी गई हैं, इसके लिए मैं बधाई दूंगी मन्त्रालय के अफसरों को जिन्होंने रात-दिन लगा दिया, जैसे कहते हैं बर्निंग मिड नाइट आयल, रात-दिन काम करके उन्होंने बहुत थोड़े समय में इतने साहस के साथ, ईमानदारी के साथ सारी चीजें आपके समक्ष रखी हैं। आज पालियामेंट का भी कुछ कर्तव्य है। इस चीज पर कई महीनों से बराबर हर स्तर पर विचार हो रहा है। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर, शिक्षकों के बीच में जो बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हैं उनके बीच में, हर वर्ग के बीच में, महिलाओं में, पुरुषों में, विद्यार्थियों में, अभिभावकों में, हर तरह के लोगों के बीच में जगह-जगह राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, सारे स्तरों पर

हर जगह इस पर अलग-अलग विचार हुआ है और उनसे जो निष्कर्ष निकले हैं, जो उन्होंने अनुशंसाएं की हैं वे सारी अनुशंसाएं समय-समय पर मन्त्रालय में आती रही हैं, उन सब चीजों पर गहराई से विचार हो रहा है और जो उचित समझा गया और जो उचित है, उसको यहां रखा गया। यह हमारी जनता की सर्वोच्च फोरम है और यहां पर हर जगह का प्रतिनिधित्व मौजूद है और जो जनता के निकट है और क्या चीज कहां तक पहुंचाई जाए कौन-सी चीज नहीं पहुंच पाई है और जो पहुंची है उसका क्या असर हुआ है, सही है या गलत, अगर गलत है तो क्या सुधार हो सकता है और जो चीज नहीं पहुंची है वह कैसे पहुंच सकती है, ये कड़ी, ये चैनल, ये पाइप लाइन, इन सारी चीजों को हम सबको मिलकर इसके बारे में एक नीति निर्धारित करनी है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इतिहास में कुछ क्षण आते हैं, आज वही क्षण हैं जब आप लोगों के सुझावों से देश के लोगों को फायदा होगा। मेरा उन भाइयों से भी आग्रह है जो बाहर हैं, जहां कहीं भी हों, जो मेम्बर हैं और इस वक्त चले गए हैं, किस कारण से गए हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहती, पर मैं इतना कहना चाहती हूं कि राजनीतिक कारण इसमें नहीं आना चाहिए। उनके बच्चे और हमारे बच्चे कल देश के नागरिक बनेंगे और हर मां-बाप चाहता है कि उनके बच्चे अधिक से अधिक आगे बढ़ें। आज ग्रामीण अंचल की क्या हालत है यह हम सब लोग जानते हैं। वहां पर बहुत कुछ कर दिया गया है, पहले जहां स्कूल नहीं होते थे, आंकड़े बाद में दे दूंगी पर एक मां के नाते, एक बहन के नाते, मन्त्री के नाते इतना नहीं, आप लोगों से यही कहना चाहती हूं कि हर एक के मन में यही बात है कि कैसे इन चीजों की पूर्ति हो।

अभी बहुत-सी बातें कही गई हैं, जो हमारे में कमियां हैं, हम मानते हैं कि कुछ कमियां हैं और अगर कमियां नहीं होतीं तो ये चीज समक्ष क्यों लाई जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि उन कमियों को दूर करना है और इसको दूर करने के लिए क्या उपाय होने चाहिएं, ये सुझाव आपने देना है। क्या कमी है क्या नहीं है, क्या नई चीज होनी चाहिए इसके लिए क्या न्यू स्ट्रेटजी आप रखना चाहते हैं, जिसके माध्यम से इन कमियों को दूर किया जा सकता है, खामियों को दूर करके एक नीति निर्धारण करने की आवश्यकता है। जो वास्तविकता है, जो यथार्थ से संबंधित चीजें हैं, जो सस्ती हैं, जो शहर के अलावा ग्रामीण अंचल तक भी जा सकती हैं, ग्रामीण अंचल में जानी चाहिएं, इन चीजों को आपने यहां पर बताना है। गरीब-अमीर बच्चों के बीच की खाई को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस चीज पर हम लोगों को यहां पर विचार करना है।

आज जो शिक्षा का स्तर है, मैं यह कभी नहीं कहूंगी कि पब्लिक स्कूल्स को समाप्त कर दें, लेकिन हमारे जो कच्चे स्कूल हैं, जहां साधन नहीं हैं, उनको साधन मुहैया कराने की आवश्यकता है। उनको ऊंचे स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सारी चीजें आपके और हमारे बीच में कामन हैं। मैं चाहूंगी कि इस तरह से सुझाव दिए जाएं जिनसे यह पता लग सके कि नीति में कहां परिवर्तन की आवश्यकता है, किस तरह से हमारी गति को रेल के ऊपर लाकर मेल की तरह तेजी से आगे ले जाया जाए। समय नहीं है, इक्कीसवीं शताब्दी के मायने यह नहीं हैं कि हम एक छलांग मारेंगे और पहुंच जाएंगे, आज जो निर्णय होंगे उनको कार्यान्वित करने में समय लगेगा और कार्यान्वित

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

करने से पहले इनके ऊपर बहुत गम्भीरता से मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि वास्तव में इन चीजों को कहां तक उतारा जा सकता है, कहां तक उतारे जाने की क्षमता है या वास्तव में इनको उतारने में देश का भला होगा या नहीं होगा, यदि भला होगा तो किस वर्ग का होगा, जो वर्ग पहले से लाभान्वित है उसको लाभ होगा या निम्न वर्ग को भी इसका लाभ होगा, इन सब चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी, हमारे समाजवाद और हमारी सरकार का जो प्लान है, उसके मुताबिक सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों के समक्ष ये चीजें रख रही थी। मैं भी जानती हूं बहुत-सी चीजें। डिग्री की बजाय पहले स्कूल से ही प्रारम्भ करना चाहती हूं। हमारे जो बच्चे हैं वे अपनी पीठ पर बोझ लादकर ले जाते हैं। मैं, केवल इतना ही कहूंगी कि यह देखकर बहुत दुख होता है। बच्चों की आंखों में शरारत और उनके चेहरे पर मुस्कराहट कहां है। वे तो बोझा लादकर ले जा रहे हैं। बच्चों को बुजुर्ग बना दिया है तो हमने बच्चों को क्या दे दिया है। इसलिए, करीकुलम कुछ ऐसा हो कि कम विषय पढ़ाए जाएं और कुछ कम किताबें वह ले जाए। उससे जो पैसा बचे, वह हम ऊंची शिक्षा के लिए लगा सकते हैं। वास्तव में टैम्पलस आफ लरनिंग बनाने में थोड़ा बहुत साधन उधर चला जाए। इसके साथ-साथ हमारे बहुत से ड्राप-आउट्स हो जाते हैं। उसके बहुत कुछ कारण हैं। उनमें एक आर्थिक कारण भी है। एक यह भी है कि मां-बाप को नहीं मालूम है क्योंकि लड़कियों के बारे में विशेष बात कही जाती है। वह, लकड़ी या पानी लेने के लिए चली जाती है तो चुनौतियां आती हैं और इसीलिए उनमें कमियां होती हैं। इन सब कारणों से उनमें अज्ञनता है। आर्थिक समस्या और सामाजिक चेतना का निराकरण करना होगा। ग्रामीण अंचलों में जो ड्राप-आउट्स हैं उन पर ध्यान देना होगा। एनरोलमेंट का लक्ष्य भी आपको बताऊंगी। चार-पांच गुना एनरोलमेंट बढ़ा है। आबादी बढ़ने के साथ-साथ एनरोलमेंट भी स्कूलों में बढ़ा है। अगर ड्राप-आउट होता रहेगा तो वह चीज अधूरी रह जाती है। उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। साथ ही साथ एडल्ट-एजूकेशन को भी देखना है। एक बार रोटरी क्लब में मुझसे अंग्रेजी में किसी ने पूछा था :—

[अनुवाद]

> संचार का शीघ्रतम माध्यम क्या है ? कुछ लोगों ने एक-दूसरे के साथ विचार-विमर्श किया और उनमें से एक ने जो बहुत बुद्धिमान था कहा : "हां, संचार का शीघ्रतम माध्यम तार है।" और दूसरे ने कहा, "संचार का शीघ्रतम साधन दूरभाष होगा।" उनमें से सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, "किसी स्त्री को बता दो।"

उपाध्यक्ष महोदय : किसी महिला को बता दो ! महिलाएं तो सब कुछ अति शीघ्रता से फैला देंगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : आप हास्यमय भाव से इस बात को ले लें; मेरा यथार्थ में यह मतलब नहीं था।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहती हूं कि—एक औरत को शिक्षा दीजिये। वह शिक्षा उसके पूरे परिवार की शिक्षा है और परिवार की शिक्षा, समाज की शिक्षा है।

[अनुवाद]

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : उनका यह अर्थ है कि महिला को शिक्षा दो। (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं समझती हूं कि यह अच्छा काम है। आपने इसको अच्छी तरह समझा और मैं इसकी व्याख्या को और उलझन में नहीं डालना चाहती हूं।

[हिन्दी]

एक महिला अगर शिक्षित हो जाती है तो वह सफाई सीखती है, माल-न्युट्रिशन, डिसएबी-लिटी··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि वह पहले ही अभिव्यक्त कर रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : ये सब बातें तो मेम्बर्स ने कह दी हैं। आप अपनी ओर से बताइए। ···(व्यवधान)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : हम भी कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं आपको बताऊंगा कि कौन करने वाले हैं और किसको करना है।··· (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी : एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने पूछा है। परिवार नियोजन के बारे में बात हो रही है। किसी भी औरत से पूछ लीजिए, क्या वह चाहती है कि बड़ा परिवार हो या न हो। सारी जिम्मेवारी, सारा बोझ—फिजीकल, मेन्टल सब कुछ उसको सहना पड़ता है। हमारे भाई साहब कितने भी बाहर से पढ़कर आए हों, क्या अपना ब्रेक-फास्ट, बर्तनों की सफाई, घर की सफाई या बच्चों का लालन-पोषण कर सकेंगे। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहूंगी कि जैसा परिवार नियोजन का कार्यक्रम है, अगर पुरुष महोदय इसमें सहयोग दें··· (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : आपने मुझे गलत समझा है··· (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी : शिक्षा को बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए। अन्य सदस्यों को सम्बोधित करने की चेष्टा मत कीजिए।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं इसे सहज रूप में नहीं ले रही हूं और मैंने यह बात सहज रूप में नहीं कही है क्योंकि यह कोई सामान्य विषय नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से यह कह रही हूं कि आबादी की बढ़ोतरी जैसे प्रश्न में···

[हिन्दी]

यह इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे जितने विकास के कार्य है, जो हमारे गेन्स आफ डेवलपमेंट हैं, वे सब न्यूट्रैलाइज हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हमारे पुरुष भाई जितनी चेतना, सोशल-कान्शसनैस··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

·· प्रौढ़ शिक्षा के अतिरिक्त, यदि आप नारी को इस प्रकार का शिक्षा प्रदान कर सकें तो यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

[हिन्दी]

अब मैं थोड़ा वोकेशनेलाइजेशन की तरफ आती हूं। हम लोग देखते हैं कि जब हमारे बहुत से बच्चे डिग्रियां लेकर जाते हैं तो उनकी आशाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं और स्वाभाविक भी है। गांवों में रहने वाले कितने ही माता-पिता अपनी धरती को, पुश्तैनी जमीन को गिरवी रख कर बच्चे को उस कागज की डिग्री के लालच में भेजते हैं। लेकिन बाद में वह बच्चा अपना भविष्य अंधकारमय पाता है, वह कागज की डिग्री बाद में उसको कोई सहायता नहीं दे पाती, यदि वह किसी काम के लिए जाता है और उनमें से 50 प्रतिशत को यदि काम भी मिल जाता है तो उसका डिग्री तथा काम से कोई खास लिंकेज नहीं होता। इसलिए वह मिसफिट हो जाता है और मिसफिट होने के नाते : डी-लिंग डिग्री फ्राम दी जॉब्स। मैं चाहती हूं कि यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां आया है, इस पर हमारे साथियों को और विस्तार से अपने विचार प्रकट करने चाहिएं। जब वे लोग जगह-जगह जाकर दरवाजे खटखटाते हैं तो उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है और उसके मन में रोष उत्पन्न होता है कि ऐसी शिक्षा किस काम की। इस तरह हमारे समाज में एक तरह से फ्रस्ट्रेशन अर्थात् अहिंसक भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। सारे समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है।

यहां पर उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में··· **(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

क्या मैं माननीया महिला सदस्य से यह अनुरोध कर सकती हूं कि मुझे बोलने दें? मैं उनकी सीख थोड़ी देर बाद लेना पसंद करूंगी···

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। उस ओर न देखें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं आपकी ओर देखती हूं। उन लोगों को भी आपकी ओर देखना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : महोदय, इन दो महिलाओं के बीच किसी अन्य व्यक्ति को बिठा दीजिए। उस ओर श्री गुलाम नबी आजाद हैं और इस ओर श्री नवल किशोर शर्मा, ये दोनों ही सक्षम नहीं हैं, इन दोनों के बीच किसी और को ही बिठाइये।

श्री बसन्त साठे : क्या आप शर्मा जी के इरादों पर आरोप लगा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : आप इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक महिलाओं की शिक्षा की बात है, हमारे प्रधानमन्त्री जी ने पहले ही कहा था और आपने देखा है कि लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में हम काफी प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह काफी बड़ा कदम है, साहसिक कदम है। फिर जैसा नरसिंह राव जी ने कहा, रुपये पैसे का काम, हमारे, उनके या प्रधानमन्त्री जी के हाथ की बात नहीं है, जनता से जो रुपया इकट्ठा होकर आता है, उसको कहां प्राथमिकता के आधार पर खर्च करना है, उस प्राथमिकता की डायरेक्शन को देखकर मैं आपसे कहूंगी कि लड़कियों की शिक्षा पर जिस तरह से बल दिया गया है उससे स्पष्ट होता है कि हम कितना ध्यान दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें यूनिफार्म मिले, और इसके अलावा स्कूल में उनको जो साधन चाहिएं, वे भी उपलब्ध कराये जा सकें। इस काम के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की आशा है।

साथ-साथ हम यह भी देखते हैं कि हमारे बहुत से लोग शिक्षा की परिधि से बाहर रह जाते हैं, बहुत से स्कूलों तक पहुंचते हैं लेकिन ऊपर नहीं जा पाते और उससे छूट जाते हैं। कुछ ही ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जो ऊपर तक पहुंच पाते हैं अन्यथा बहुत से लोग शिक्षा से वंचित ही रह जाते हैं। यही कारण है कि अब की बार हमने नौन-फौरमल एजूकेशन पर ज्यादा जोर दिया है और श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर एक ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। हमारे स्कूलों में जिस तरह से नौन-फौरमल एजूकेशन चल रही है, उनसे अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं, उससे हमारा इरादा इसको आगे चलकर काफी विकसित करने का है।

साथ ही साथ माध्यतर मैं यह कहूंगी कि हमारी शिक्षा के बारे में जो तरह-तरह के स्तर हैं, बहुत से ऐसे हैं जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे कैंपीटेशन वगैरह भी चलती हैं, इसके बारे में सरकार की राय भी स्पष्ट है और मन्त्री महोदय भी आपको बताएंगे।

मॉडल स्कूल्स आफ एक्सीलेंस के बारे में जिक्र किया है, अब ये चीजें ऐसी हैं जिनको बड़े भारी स्तर पर ले जाना है और ये चीजें ऐसी नहीं हैं कि आज दिखाने के लिए प्रारम्भ कर दिया जाए और दो महीने के बाद कह दिया जाए कि ये पूरी नहीं हैं, इसलिए इनको बन्द किया जाता

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

है, अपनी सरकार में एक जो सिंसयारिटी है, एक ईमानदारी के साथ, साहस के साथ कार्य करने और इस दृष्टि से, इस चीज को देश में करना जरूरी है, जब जरूरी है तो उसका अच्छी तरह से प्लान बना करके पूरी तरह से सन्तुष्ट हो करके, आप लोगों की राय लेकर के उसको करना है और उसको कार्यान्वित भी कराना है, इसकी जिम्मेदारी भी आती है।

मैं मॉडल स्कूल की बात कह रही हूं, इन मॉडल स्कूलों में सबसे अच्छी चीज यह है कि ये अभी तक जो हमारी शिक्षा है ये ग्रामीण अंचल में नहीं पहुंची है, तो इन स्कूलों के द्वारा जो हम हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे, यह अच्छी शिक्षा वहां पहुंचेगी और वहां से ज्यादा प्रतिशत में ग्रामीण बच्चे भरती होंगे और इसके अतिरिक्त जो ज्यादा गरीब बच्चे हैं, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, उनको हॉस्टेल की फेसिलिटी भी दी जाएगी और इसके साथ उनका स्तर भी अच्छा रहेगा, उनका कॉमन कारीकुलम रहेगा, जिससे उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना फैलेगी और इससे उनमें एक सबल और सक्षम नागरिक बनने के लिए एक साहसिक चीज पैदा होगी। इसलिए मैं कहूंगी कि हमने थोड़े से कदम उठाये हैं।

महात्मा गांधी जी ने कहा था :—

[अनुवाद]

> "यह पाप और शर्म की बात है कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर है और इसे समाप्त करना ही होगा। वास्तव में साक्षरता अभियान की शुरूआत और समाप्ति केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह अभियान उपयोगी ज्ञान के साथ-साथ बढ़ना चाहिए।"

[हिन्दी]

यूजफुल नॉलेज ऑफ स्किल का डिवेलपमेंट, है हमारे वोकेशनलाइजेशन का है, हमारे पोलिटेक्नीक्स का है, हमारी महिलाएं नेबरिंग पोलिटेक्नीक्स से काफी फायदा उठा रही हैं, तो यह एक बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे लाखों गांव हैं, उन लाखों गांव में इसका विस्तार ले जाना है। जहां-जहां हमारी पोलिटेक्नीक की एजूकेशन है वहां-वहां इसका प्रभाव पड़ा है और वहां पर अच्छे नतीजे देखने में आए हैं, वहां पर वातावरण भी बना है और वातावरण शुद्ध भी हुआ है और उसकी एप्लीकेशंस से वहां के लोग लाभ उठा रहे हैं। इस राइट डायरेक्शन में सब चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं।

महोदय, मैं अपने सदस्यों का ज्यादा समय न लेते हुए कुछ चीजें आपके सामने कहना चाहूंगी कि आप लोगों से हमारी आशा है कि जहां हमारी कमी है उसको आप जरूर बताइए और खुलकर बताइए और इसके साथ-साथ यह भी बताइए कि जो कमी है, उसको एकदम हटाना है और अगर हटाना है तो किस तरह से, किस प्रकार से हटाना है और उसकी जगह पर क्या पद्धति

लानी है, उसके लिए क्या टाइम-बाउंड प्रोग्राम है और अगर उस पद्धति को जिसमें गलती है, एकदम नही हटा सकते है या उसका हटाना सम्भव नहीं है, तो उसकी जगह पर किस तरह से रद्दोबदल करेंगे, उसमें क्या परिवर्तन लाएंगे, उसमें क्या संशोधन लाएंगे, यह भी बताने की कृपा करें। क्योंकि आज जो एक स्ट्रक्चर बन गया है, उसको हटाना आसान है, मिटा देना आसान है। हमारे सामने एक नयी स्टेज है, एक नया अध्याय है, एक नया आह्वान है, एक नई चुनौती है। आप और हम सब मिलकर उस पर क्या लिखते हैं, यह जो बच्चा पैदा हुआ है या पैदा होने वाला है, इसका असर उस पर होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी चीजें उसमें सम्बन्धित हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे इसमें सिर्फ यही निवेदन करूंगी कि कुछ उपाय, कुछ निराकरण और उसके साथ में उसके साधन को ध्यान में रखते हुए यह देखें कि क्या चीज पहले हो, क्या चीज ऐसी है जिसको हम फेज आउट कर के ला सकते हैं और कैसे लाई जा सकती है जिससे शिक्षा उपयोगी सिद्ध हो सके, जो कि यथार्थवादी हो, जो कि मानव को मानव बनाने में उपयोगी सिद्ध हो, इसके साथ-साथ स्वावलम्बन हो, वह अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ हो, वह अपने को भारतीय कहने में गर्व का अनुभव करे और अपनी पुरानी परम्पराओं के साथ-साथ नए विज्ञान और टैक्नालोजी को जोड़ कर के एक स्वाभिमानी भारत का नागरिक बनने में सक्षम हो।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री मधु सूदन वैराले (अकोला) : महोदय, मैं माननीय राज्य मंत्री महोदया द्वारा अभी-अभी दिये उस निमंत्रण का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने उस पत्र पर, जो सभी सदस्यों को परिचालित किये गये हैं, कुछ अत्यन्त ठोस सुझाव और विचार प्रकट करने को कहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने प्रधान मंत्री के गतिशील नेतृत्व में इस देश के इतिहास में प्रथम बार यह इतना शक्ति-शाली कदम उठाया गया और शिक्षा जैसे विषय पर एक बहुत ही महत्व-पूर्ण राष्ट्रीय वार्ता आरम्भ हो चुकी है। गत दो दिन से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में विचार-गोष्ठियां, सभायें और वाद-विवाद आयोजित किये जा रहे हैं जो इस नीति संबंधित है। स्वयं यह दस्तावेज-शिक्षा की चुनौती—बहुत उत्तम है मैं उन्हें बधाई देता हूं, जिन्होंने इसे तैयार किया है। उन्होंने यथा-संभव विस्तार-पूर्वक विचार करने की चेष्टा की है। इसलिये, अपने सुझाव देने से पूर्व मैं कुछ सीमाओं की ओर संकेत करूंगा जिनके बारे में इस दस्तावेज के लेखकों को संभवतः पता होगा।

इस दस्तावेज में हमने कुछ बातों का उल्लेख किया है। एक है—शिक्षा के विषय पर हम कितनी राशि व्यय कर रहे हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सौभाग्यवश शिक्षा विभाग का नाम बदलकर मानवीय संसाधन विकास विभाग रख दिया गया है जिसमें केवल शिक्षा विभाग के अलावा और भी अनेक विषय शामिल कर दिये गये हैं। वस्तुतः इतने बड़े विभाग की इस समय देश में आवश्यकता थी और इसलिए यह कदम उचित समय पर उठाया गया है।

मैं इस दस्तावेज के पृष्ठ 24 का हवाला दे रहा हूं। 1982-83 में हमने शिक्षा पर 5185.9 करोड़ रुपये खर्च किये थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि ये आंकड़े केन्द्र के है। राज्यों द्वारा जो

धन व्यय किया जा रहा है उसके आंकड़े सर्वथा भिन्न हैं और यदि इस व्यय को इस आंकड़े के साथ शामिल कर लिया जाये तो व्यय की राशि कहीं अधिक हो जायेगी। रक्षा के बाद हमारे यहां शिक्षा को दूसरी प्राथमिकता प्राप्त है और निश्चित रूप से हमें इस बात पर गौरव होना चाहिये कि हम इस विषय पर यथा संभव अधिक से अधिक राशि व्यय करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके साथ ही, यह व्यय नये शिक्षकों के सृजन में परिलक्षित होता है जिन्हें इस शिक्षा प्रणाली का संचालन करना होता है —उस व्यय के आंकड़े पृष्ठ 23 पर दर्शाये गये है—प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या जो 1949-50 में 56.1% थी अब बढ़कर 1982-83 में 88.4% हो गई है। इसकी चर्चा करते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर अवश्य दिलाना चाहूंगा। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रतिशतता इतनी अधिक बढ़ जाने से यह प्रतिबिम्बित नहीं होता कि शिक्षा का स्तर क्या है और न यह पता चलता है कि शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है अथवा नहीं। सौभाग्यवश, जो माननीय मंत्री इस विभाग के प्रभारी हैं वह स्वयं एक साहित्यिक व्यक्ति भी हैं। वह स्वयं भी साहित्यिक गतिविधियों से इतने अधिक संबद्ध है कि हमें अपने देश के इस महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व से बहुत आशायें हैं।

इन दस्तावेज में कमियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कुछ कमियों का उल्लेख किया है और मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहूंगा। इस दस्तावेज पर चर्चा करते हुए—चूंकि यह मुक्त चर्चा है और इस विषय पर चर्चा करते समय कोई दलगत बंधन नहीं है—मैं यह कहना चाहूंगा कि इस दस्तावेज में जो स्थिति प्रतिपादित की गई है, वास्तव में स्थिति उससे कहीं ज्यादा बदतर है। चूंकि यह विषय केन्द्र तथा राज्य दोनों से संबंधित है, अत: भिन्न-भिन्न राज्यों में इसकी स्थिति भिन्न-भिन्न है। अपने राज्य के बारे में—यद्यपि राजस्थान के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारा राज्य महाराष्ट्र बहुत ही प्रगतिशील राज्य है—मैं उन लोगों को यह बताना चाहूंगा कि हमने इस प्रणाली को विकेन्द्रित कर दिया है और हमने पंचायत प्रणाली अपनायी है जिसमें सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा जिला पचायतों को सौंप दी गई है। कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों को सौंपी गयी है। हमे यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि प्राथमिक शिक्षा ही इस देश की समग्र शिक्षा नीति का आधार है। यदि प्राथमिक शिक्षा की बुनियाद सुदृढ़ नहीं होगी तो समग्र शिक्षा प्रणाली धराशायी हो जायेगी इस देश में आज प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र की क्या स्थिति है? मेरे अपने ही जिले में 11000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक हैं। आप छात्रों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। क्या ये सभी शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं? क्या ये सभी शिक्षक अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं? क्या ये सभी शिक्षक प्रेरणा प्राप्त व्यक्ति हैं? मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं केवल स्थिति का वर्णन कर रहा हूं। मैं आलोचना करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्वयं मैं भी एक शिक्षक का पुत्र है। मेरे परिवार के अधिकांश सदस्य शिक्षक संवर्ग में हैं। अत: मैं आलोचना करने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं किन्तु जैसा कि मेरे मित्र ने अभी-अभी कहा था कि शिक्षर्ण-गण भी कर्मचारी संघ के रूप में अपने को संगठित कर रहे है तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वे लोग अपने अधिकारों तथा वेतन वृद्धि के बारे में तो विचार गोष्ठियां करते है किन्तु अपने कर्तव्यों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते।

ग्रामीण क्षेत्र ऐसे शिक्षकों की प्रतिशतता पर्याप्त है जो अपने स्कूलों में उपस्थित नहीं रहते हैं। जिन दिनों खेती का काम का मौसम होता है वे लोग एक या दो महीने के लिए अपने गांव चले जाते हैं और उस समय के लिए अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए अस्थाई रूप से अपने किसी साथी को नियुक्त कर लेते हैं। मैंने विरोधी दल के एक सदस्य से बात-चीत की थी। उन्होंने भी बताया कि उनके राज्य में भी यही हो रहा है। यदि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर यह स्थिति है तो हम आशा कैसे कर सकते हैं कि हमारी शिक्षा की नींव मजबूत होगी। स्कूल पर स्कूल खोले जायें किन्तु यदि शिक्षा में कोई प्रेरणा नहीं होगी और यदि वे लोग अपना कार्य निष्ठापूर्वक नहीं करना चाहेंगे अथवा हम उन्हें इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं कि वे देश-भक्ति की भावना से अपने कार्य को करें तो ये सारी योजनायें असफल सिद्ध होंगी।

दूसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम शिक्षा के उद्देश्य की बात तो करते हैं परन्तु आज शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों में विद्यमान स्थिति को मैं देखता हूं तो वास्तव में निराशा महसूस करता हूं। एक संसद सदस्य और एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता होने के नाते स्नातक और स्नातकोत्तर व्यक्तियों से मुझे कम से कम 20 से लेकर 25 पत्र प्रतिदिन प्राप्त होते रहते हैं, किन्तु मैं देखता हूं कि वे दस या बाहर पंक्तियां भी सही नहीं लिख पाते हैं।

महोदय, आज की परीक्षा पद्धति क्या है ? हम समाचार-पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि एक राज्य में इस बात के लिए आन्दोलन चल रहा है कि जो छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं उन्हें सभी को उत्तीर्ण कर दिया जाए। कुछ परीक्षा भवनों में छात्र अपने डैस्कों पर चाकू और छुरे रखते हैं जिससे कि परीक्षा निरीक्षण उनको न पकड़ें। दो-तीन वर्ष पूर्व यह खबर सुनी थी कि छात्रों को नकल कराने के लिए उन्होंने परीक्षा भवन के सामने वृक्ष पर लाउड स्पीकर लगा रखे थे। ऐसा क्यों हुआ ? हमें इसका कारण पता लगाना होगा और इस बढ़ती हुई प्रकृति को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। जब कभी हम उन्हें अनुशासन सिखाने की चेष्टा करते हैं तो इस वर्ग के लोग उसे गैर लोकतान्त्रिक और राष्ट्र-विरोधी बताते हैं। इस देश में नेताओं की कोई कमी नहीं है। यदि सत्तारुढ़ दल के लोग उनकी बात नहीं सुनते, तो वे लोग किसी विरोधी दल के पास चले जाते हैं और इस देश में मेरी तरह ऐसे अनेक नेता हैं जो यह चाहते हैं कि कुछ लोग किसी न किसी बहाने उनके पीछे लगे रहें और वे उनके साथ आगे आते हैं, क्योंकि नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है; जो ख्याति पाना चाहता है और फिर कारण चाहे जो हो, वह चिल्लाना शुरू कर देता है। महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने देश में शिक्षा भी इसी प्रकृति की शिकार रही है। महोदय, विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति है ? आपको यह जानकर दुख तथा आश्चर्य होगा कि एक कृषि विश्वविद्यालय में—मेरे मित्र श्री विखे पाटिल इसके बारे में कुछ कहना चाहते थे किन्तु समयाभाव के कारण वह ऐसा नहीं कर सके—एक छात्र को एक विषय पर पी०एच०डी० की डिग्री दे गई थी क्योंकि उसने एक शोध ग्रन्थ लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि मिश्रित खेती से उत्पादन बढ़ता है। उसी विश्वविद्यालय ने कुछ समय बाद शोधकर्ता को पी०एच०डी० की डिग्री दी जिसने शोध ग्रन्थ में लिखा था कि मिश्रित खेती से उत्पादन कम होता है और ये दोनों ही छात्र उसी विश्वविद्यालय में लगे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हर बात के पक्ष और विपक्ष में कुछ न कुछ होता है। एक ही समय में आप किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते है और वे आपके तर्क को स्वीकार कर लेंगे।

श्री मधुसूदन वैराले : जी नहीं, महोदय, मैं विश्वविद्यालय के उत्तरदायित्व की बात कर रहा हूं। इससे विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर का पता चलता है।

इसके अलावा, महोदय, यह समझा जाता है कि शिक्षा हमारे सभी रोगों की औषधि नहीं है और हमारे माननीय मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षा मानवता से भिन्न है। उर्दू के एक शेर में कहा गया है :—

[हिन्दी]

"इल्म है कुछ और शै, आदमीयत है
कुछ और शै।

कितना तोते को पढ़ाया, पर वह है वां
का है वां ही रहा।।"

[अनुवाद]

हमारी शिक्षा प्रणाली में यह नहीं होना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली से कुछ उत्साह बढ़े, देशभक्ति की भावना उदय हो और कुछ सामाजिक जागृति पैदा हो। महोदय, हमारे देश में सामाजिक क्रांतिकारियों की कमी नहीं है। महाराष्ट्र के संबंध में, हम विशेषकर श्री अगरकार, महात्मा फूले और डा० कार्वे का नाम ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भी अनेक हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्होंने शिक्षा में परिवर्तन लाने की चेष्टा की थी। महोदय, इन सभी शिक्षण संस्थानों की क्या देन है ? आज उसके परिणाम निकले हैं ? आये दिन दहेज आदि जैसी समस्याओं पर चर्चा होती रहती है। ये शिक्षित व्यक्ति भी लड़की से दहेज मांगते हैं और ये शिक्षण कार्यशालायें—चाहे वे विश्वविद्यालय हों अथवा कालेज, चाहे वे हाई स्कूल ही क्यों न हो—यदि ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करती हैं अथवा निर्मित करती हैं, जो दहेज मांगते हैं; तो ऐसी कार्यशालाओं को चलाने के बजाय जला देना उचित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आजकल, ऐसी बात नहीं है। व्यापारी लोग अधिक मांगते है क्योंकि उनके लिए शिक्षा का कोई उपयोग नही है। वे लोग यही महसूस करते हैं।

श्री मधुसूदन वैराले : जब तक वे यह नहीं जान जाते कि अपने खाते कैसे तैयार करें तब तक वे लोग व्यापारी नहीं बनते। यह स्थिति है। आत्म-आलोचना के रूप में अपनी बात कहने की चेष्टा कर रहा हूं और जैसा कि हम संस्कृत में कहते हैं यह 'आत्मपरीक्षण' है न कि "आत्म-निंदा"। मैं आत्म निंदा नहीं करना चाहता हूं, अपितु यह आत्म-आलोचना है। यह हमारे समाज में यह स्थिति प्रतिबिम्बित होती है और यही कारण है कि जो बात मैं सर्व प्रथम कहना चाहता हूं

वह यह है कि मेरा यह सुझाव है कि 'नई शिक्षा नीति' का प्रारूप तैयार करने से पहले, एक बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। महोदय, मुझे अन्य देशों में भ्रमण करने सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

6.00 म०प०

राजस्थान के मेरे मित्र ने अभी-अभी कहा था कि कोई समय था जब परीक्षा में असफल होने पर भी कुल लाभ मिलता था। जो व्यक्ति प्रथम बार में ही मैं मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर लेता था उसका नाम समाचार-पत्रों में कभी भी प्रकाशित नहीं होता था किन्तु जो व्यक्ति मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दस बार असफल होने के बाद ग्यारहवी बार में यदि परीक्षा पास करता था उसका नाम समाचार-पत्र में प्रकाशित होता था। उसके बारे में कहा जाता था उसकी दृढ़ता तो देखो कि उसने ग्यारह बार प्रयास किया और अन्ततोगत्वा वह परीक्षा में पास हो ही गया। अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रशंसा थी। इस प्रकृति को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

मुझे बताया गया है कि सोवियत रूस में शिक्षा में प्राथमिक अस्वथा से ही छात्र के सम्मान की ओर ध्यान दिया जाता है और जब छात्र माध्यमिक शिक्षा में आता है तब उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि वह कृषि के लिए उपयुक्त है अथवा विज्ञान के लिए या वाणिज्य के लिए अथवा किसी अन्य पेशे के लिए इसी प्रकार राजनीति में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वास्तव में, अब हमारे यहां संसदीय शिक्षा के विशेष पाठ्यक्रम है। हमें संसदीय क्षेत्र में भी शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसके बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।

अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा। चीन में ऐसा होता है। मैं नहीं चाहता कि कि साम्यवादी तरीका यहां भी अपनाया जाए, किन्तु छात्रों को यह महसूस करना चाहिए कि ये सब शिक्षण संस्थायें उनकी अपनी ही हैं। स्कूल का निर्माण कराते समय स्कूल के निर्माण कार्य में छात्रों की सहायता ली जानी चाहिए। आजकल जब कभी हड़ताल होती है तो विद्यार्थी लोग स्कूलों को जलाते हैं, खिड़कियां तोड़ते हैं और इसी प्रकार के अन्य कार्य करते हैं। यदि वे लोग दीवाल में एक ईंट भी लगायेंगे तो वे इस बात को महसूस करेंगे कि उन्होंने ही इन स्कूलों का निर्माण किया है और उन्हें इनको नष्ट नहीं करना चाहिए। स्कूलों के निर्माण कार्य में यदि वे इस प्रकार भाग लेंगे, तो संस्था के प्रति उन्हें लगाव होगा और प्रेम होगा।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा जिसे विश्व के सबसे अधिक प्रसिद्ध लोकतांत्रिक देश अर्थात् अमरीका में अपनाया जाता है। हम कोई न कोई ऐसी प्रणाली चलायें जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वह करोड़पति का बेटा हो अथवा किसी निर्धन व्यक्ति का, कोई न कोई सेवा कार्य करना अनिवार्य हो। हम उसे किसी न किसी सेवा में अवश्य लगायें। एक या दो वर्ष के लिए उसके लिए राष्ट्र या समाज की सेवा करना अनिवार्य हो। वह सेना, नौसेना अथवा वायुसेना किसी में भी भाग ले सकता है। यदि आर्थिक रूप से यह व्यवहारिक नहीं है; तो हम एक दूसरी विकास सेना बना सकते हैं। हम उन्हें छः महीने के लिए बांध बनाने या सड़क

[श्री मधुसूदन वैराले]

बनाने के लिए भेज सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को यह नहीं सीखना पड़ता कि अपनी मां से किस प्रकार प्रेम करना चाहिए, उसी प्रकार नागरिकों को यदि इस प्रकार के किसी सेवा कार्य में लगाया जाएगा तो वह स्वतः ही देश से प्रेम करने लगेगा। उनके हृदय में प्रेम तो है किन्तु हमें उन्हें प्रेरणा देनी होगी। इसलिए राष्ट्र की सेवा अनिवार्य रूप से करना देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होना चाहिए। यदि इस प्रकार का कोई सामूहिक प्रयत्न किया गया तो उससे एक अच्छा सामाजिक वातावरण पैदा होगा और वे लोग अपने साथियों के बारे में सोचेंगे और अपने देश से प्रेम करेंगे। जैसा कि मैंने सुझाव दिया है, यदि तदनुसार एक विकास सेना बना ली जाए तो उनमें देश प्रेम की, सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा आदि की भावना उत्पन्न की जा सकती है। महोदय, मैंने दस्तावेज के पृष्ठ 67 पर उल्लिखित उद्देश्यों को पढ़ा है। मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा कि हमें श्रम तथा कठिन कार्य के सम्मान के प्रति स्वस्थ्य वातावरण पैदा करने सम्बन्धी उद्देश्य (पांच) तथा देश की अखंडता, सम्मान और विकास के प्रति निष्ठावान बनाने सम्बन्धी उद्देश्य (सात) के संबंध में अधिक ध्यान देना चाहिए।

इस नीति को कार्यान्वित करते समय हमें इन दो अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए सर्वाधिक प्रयत्न करना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैंने कड़ी बातें भी कही हैं, किन्तु सच्ची बात तो कही जानी ही चाहिये। आशा से अधिक आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

18.06 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 11 दिसम्बर, 1985/20 अग्रहायण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दी इण्डियन प्रेस, दिल्ली-34